अष्टम माला, खंड 17, अंक 44

शुक्रवार 2 मई, 1986
12 वैशाख, 1908 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पांचवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खंड 17 में अंक 41 से 48 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणित मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 17 , पांचवां सत्र,1986/1908 (शक)

अंक 44, शुक्रवार, 2 मई, 1986/12 वैशाख, 1908 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
* तारांकित प्रश्न संख्या : 888,889 और 891 से 900	...	2-29
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 887,890 और 901 से 906	...	29-40
अतारांकित प्रश्न संख्या : 8484 से 8497,8499 से 8516,8518 से 8580 8582 से 8598,8600 से 8668 और 8670 से 8714	...	40-220
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	...	223-227
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्प संबंधी समिति		
कार्यवाही-सारांश	...	228-
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति		
सातवां प्रतिवेदन	...	228
मानसिक स्वास्थ्य विधेयक संबंधी संयुक्त समिति		
प्रतिवेदन तथा साक्ष्य	...	228
गुट निरपेक्ष आंदोलन के मंत्रि-स्तरीय दल की त्रिपोली (लीबिया) तथा राष्ट्र संघ मुख्यालय न्यूयार्क की यात्रा के बारे में वक्तव्य	...	229-231
सभा का कार्य	...	232-236

* किसी नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

मंत्रियों के (भत्ते चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 1986 के संबंध में सांविधिक संकल्प (जारी-समाप्त) ... 237-241

कुमारी ममता बनर्जी ... 237-241

श्री एच. के. एल. भगत ... 241

औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक [असमाप्त] ... 242-263

श्री जनार्दन पुजारी ... 242-243

श्री सी. माधव रेड्डी ... 244-248

डा. गौरी शंकर राजहंस ... 248-251

श्री अमल दत्त ... 251-254

श्री मूल चन्द डागा ... 254-258

श्री एस. तंगराजु ... 258-259

श्री राज कुमार राय ... 259-260

श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर ... 260-261

श्री प्रताप भानु शर्मा ... 262-263

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति 19 वां प्रतिवेदन ... 263

विधेयक—पुर:स्थापित

(1) मुस्लिम स्वीय विधि/(शरीयत) लागू होना (संशोधन) विधेयक (धारा 2 में संशोधन)

श्री सैयद शाहबुद्दीन ... 264

(2) संविधान (संशोधन) विधेयक (आठवीं अनुसूची में संशोधन) ... (1986 का विधेयक संख्या 45)

प्रो. नारायण चन्द पराशर ... 264-265

(3) भारतीय बाढ़ नियंत्रण प्राधिकरण विधेयक

डा. चन्द्रशेखर वर्मा ... 265

(4) फसल बीमा योजना विधेयक

श्रीमती ऊषा चौधरी ... 265

(5) संविधान (संशोधन) विधेयक, (आठवीं अनुसूची में संशोधन)
(1986 का विधेयक संख्या 47)

प्रो. नारायण चन्द्र पराशर ... 266

बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) संशोधन विधेयक
(धारा 2 में संशोधन आदि) (जारी-असमाप्त) ... 266-298

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक ... 266-267

श्री वी. एस. विजयराघवन ... 267-269

श्रीमती बसवराजेश्वरी ... 269-271

श्री राम प्यारे पनिका ... 271-273

श्रीमती उषा चौधरी ... 273-276

चौधरी सुन्दर सिंह ... 276-279

श्री जैनुल बशर ... 280-282

श्री सोमनाथ रथ ... 282-286

श्री केयूर भूषण ... 286-288

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी ... 288-290

श्री सैयद मसुदल हुसैन ... 290-292

श्री के. एस. राव ... 292-294

प्रो. नारायण चन्द पराशर ... 294-295

श्री बालकवि बैरागी ... 295-298

आयुर्विज्ञान शिक्षा समीक्षा समिति के प्रतिवेदन पर सरकार के निर्णयों के बारे में वक्तव्य ... 299-300

आधे घंटे की चर्चा

पेय जल के लिए प्रौद्योगिकी मिशन ... 300-311

श्री वृद्धि चन्द्र जैन ... 300-304

श्री बूटा सिंह ... 304-309

श्री प्रताप भानु शर्मा ... 309-311

श्री सोमनाथ रथ ... 311

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रतियां	...	311
आधे घंटे की चर्चा	...	311-317
पेयजल के लिए प्रौद्योगिकी मिशन (जारी-समाप्त)		
श्री मूल चन्द डागा	...	311-313
श्री चिन्तामणि जैन	...	313-314
श्री बूटा सिंह	...	314-317

लोक सभा

शुक्रवार, 2 मई, 1986/12 वैशाख, 1908 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

डा. गौरीशंकर राजहंस :- महोदय मुख्य मंत्री श्री बरनाला तथा उनकी सरकार ने आतंकवादियों के खिलाफ जो कार्यवाही की है, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। (व्यवधान)

श्री आनंद गजपति राजू : अध्यक्ष महोदय, आपको भी अकाली सरकार को बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने देश की एकता बनाए रखने के लिए तुरन्त और कारगर कार्यवाही की है। (व्यवधान)

श्री प्रताप भानु शर्मा :- महोदय यह बहुत ही साहसपूर्ण एवं बहादुरी का कदम है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिए, ऐसा है जो आदमी भारत के प्रति आस्था रखता है, भारतीय है, देश भक्त है और लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा है, उससे ऐसी ही आशा की जा सकती थी और आशा के अनुरूप उन्होंने पूरे सफल तरीके से कार्य निभाया है, इसके लिए वाकयी वे बधाई के पात्र हैं। हम प्रजातांत्रिक देश के वासी हैं और प्रजातंत्र में लोगों की बात लोगों के प्रतिनिधि करते हैं और ठीक ढंग से देश के हित में बात करनी चाहिए, जो उन्होंने की है। इसलिए हरएक आदमी का हमें उत्साह बढ़ाना चाहिए जो देश के हित में काम करता है, यह बात है और जिस प्रकार देश के हितों के विरुद्ध अगर कोई काम करता है तो आप सब लोग मिलकर कार्य करते हैं, आप सब का बहुत सहयोग रहता है, इस संसद ने हर समय जब भी देश में कोई विपत्ति आई है तो एक जुट होकर, एक कड़ी में बंध कर सारा काम किया है, इसलिए मैं आप सब को भी बधाई देना चाहता हूँ और ऐसी आशा करता हूँ कि जो भी विरोधी तत्व देश में अनर्गल काम करते हैं, निरपराधियों की हत्या करते हैं, उन सब को इससे अक्ल आएगी और आप उनको उस हिसाब से अक्ल देंगे यह भी उम्मीद है और इसी प्रकार मिलकर आपको, पंजाब गवर्नमेंट और सारे प्रदेशों की सरकारों को ऐसे ही काम करना चाहिए, इसलिए आपको और उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, बिल्कुल सर्वसम्मत्ति से ही मैंने यह कहा है, यही कहा है कि हम लोगों को एकजुट होकर काम करना चाहिए और करते हैं।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

वाशिंगटन में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की बैठकों में भारत का भाग लेना

*888. श्री के. प्रधानी† :

डा. बी. डी. शैलेश :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की पिछले महीने वाशिंगटन में हुई बैठकों में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो इन बैठकों में किन-किन विषयों पर चर्चा हुई;

(ग) भारत ने तीसरी दुनियां के देशों के एक अग्रणी सदस्य के रूप में विभिन्न मामलों विशेषकर ऋणों का भार, विकास- सहायता उपलब्ध कराने में बहुउद्देशीय संस्थानों के प्रमुख कृत्य आदि के सम्बन्ध में क्या दृष्टिकोण अपनाए; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारत को उपर्युक्त संस्थानों से कितनी वित्तीय सहायता मिलने की आशा है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भारत ने अप्रैल, 1986 में वाशिंगटन में आयोजित विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अंतरिम और विकास समितियों की बैठकों में भाग लिया। इन बैठकों के निष्कर्षों को प्रेस विज्ञप्तियों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है जो सभा-पटल पर रखी गई है। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 2729]

इन बैठकों में भारत ने अन्य विकासशील देशों के साथ उनके द्वारा अपनी ऋण सम्बन्धी और निम्न आर्थिक विकास की समस्याओं पर काबू पाने के सम्बन्ध में किए जा रहे प्रयासों के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। जिन मुद्दों पर भारत ने बल दिया वे निम्नलिखित थे :—

— विश्व की अर्थ व्यवस्था को प्रोत्साहन देने और विकासशील देशों में विकास की गति को बढ़ाने के लिए एक सुसंगत तथा विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया जाए।

— बहुपरीय संस्थाओं द्वारा ऋण लेने वाले देशों की निर्णय सम्बन्धी प्रक्रिया में हस्त किये बिना उन्हें विकास के संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता।

— आशाव्यक्त की कि आई. डी. ए - 8 पुनर्भरण आई. डी. ए. - 7 की कमियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा।

— ऋणग्रस्त देशों को सहायता की आवश्यकता, ताकि वे ऋण से छुटकारा पा सकें तो उचित शर्तों पर वित्तीय प्राप्तियों को बढ़ाने की महत्ता।

— अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण में सुधार की आवश्यकता, विशेष रूप से ब्याज की दर में और वास्तविक कमी की जा सके तथा विश्व की आयात मांग में वृद्धि की जा सके ।

— रक्षणवाद को कम करके विकास की गति बढ़ाने और बाजारों का विस्तार देने की आवश्यकता ।

— एस. डी. आर. के अप्रतिबंधक स्वरूप को कायम रखना तथा विकासशील देशों को उच्च आबन्टनों के लिए एस. डी. आर. की वितरण सम्बन्धी प्रक्रिया में सुधार करना ।

भारत सरकार विश्व बैंक ग्रुप (अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ तथा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक) को सहायता प्राप्त करने के लिए हर वर्ष परियोजनाओं की सूची प्रस्तुत करता है । यह सूची बैंक ग्रुप के पास वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध धनराशि पर आधारित होती है । बैंक ग्रुप के पास चालू वित्ती वर्ष के लिए उपलब्ध धनराशि का निर्धारण अभी नहीं हुआ है, इसलिए इस समय बैंक के वित्त वर्ष 1986-87 (पहली जुलाई, 1986 से 30 जून, 1987) के दौरान मिलने वाले प्रत्याशित ऋण की स्थिति स्पष्ट तौर पर नहीं बताई जा सकती । भारत सहायता संघ की बैठक में सूचित विश्व बैंक ग्रुप की सहायता बैंक के वित्तीय वर्ष 1986 (पहली जुलाई, 1985 से 30 जून, 1986) के लिए 250 करोड़ अमरीकी डालर थी । अब तक विश्व बैंक ग्रुप ने 206.61 करोड़ अमरीकी डालर की राशि के ऋणों/उधारों की स्वीकृति दे दी है ।

श्री के. प्रधानी : अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत ही लम्बा उत्तर प्राप्त हुआ है तथा मैं उसे पूरा नहीं पढ़ सका हूँ ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपने सवाल ही ऐसा किया है जिसका लैंग्थी रिप्लाई है ।

[अनुवाद]

श्री के. प्रधानी : यह 10 से 15 पृष्ठों में है । अब महोदय, पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को देखते हुए मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या भारत को आई. डी. ए.-8 पुनर्भरण से कुछ आबंटन प्राप्त करेगा अथवा नहीं । यदि हां, तो कितना ?

श्री जनार्दन पुजारी : अब बातचीत चल रही है तथा इस बारे में केवल सितम्बर, 1986 में ही पता चलेगा ।

श्री के. प्रधानी : जहां तक विश्व बैंक अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई. एम. एफ.) या आई. डी. ए. के स्पेशल ड्राइंग राइट्स (एस. डी. आर.) का संबंध है, मैं सरकार से यह जानना चाहूँगा कि क्या हमारी सरकार ने विश्व बैंक से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या आई. डी. ए. से स्पेशल ड्राइंग राइट्स प्राप्त करने के लिए कहा है । यदि हां, तो हमारी सरकार को स्पेशल ड्राइंग राइटस से कितना मिलने की सम्भावना है ?

श्री जनार्दन पुजारी : हमें एस. डी. आर. कोटा मिलता रहा है । एस. डी. आर. का कुल कोटा निधि 892363.00 लाख है जिसमें से भारत का एस. डी. आर. कोटा 22077.00

लाख है जो कि 2.453 प्रतिशत के बराबर है। एस. डी. आर. का कुल आबंटन 21.5 बिलियन है तथा भारत के लिए एस. डी. आर. का आबंटन 6811.7 मिलियन लाख का करता है।

श्री आनंद गणपति राजू : जहां तक व्यापार सहायता और नकद राशि का सम्बन्ध है हमें इन संस्थानों के साथ थोड़ी कठिनाइ का सामना करना पड़ रहा है। क्या मन्त्री महोदय हमें यह आश्वासन देंगे कि अगले कुछ हफ्तों में होने वाली जी. ए. टी. टी. की बैठक में समुचित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा ताकि विकासशील देशों की सेवाओं की रक्षा की जा सके। हमारा इन सेवाओं के प्रति काफी योगदान रहा है। इनकी कैसे और कब रक्षा की जासकेगी।

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : जी. ए. टी. टी. मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। मैं यह बताना चाहूंगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य विकसित देश जी. टी. टी. में सेवाओं को शामिल करने के लिए जोर दे रहे हैं और हमने इसका विरोध करने के लिए दृढ़ संकल्प किया हुआ है।

श्री आनंद गजपति राजू : किस प्रकार ?

अध्यक्ष महोदय : जोर शोर से।

श्री पी. शिव शंकर : हम विभिन्न अन्य देशों का भी समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। गुटनिरपेक्ष आन्दोलन में भी एक सकल्प पारित किया गया है यहां तक कि एस्कैप में भी हमने इस मुद्दे को उठाया है। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के देशों ने भी एक संकल्प पारित किया है कि वे जी. ए. टी. टी. में सेवाओं तथा निवेश को शामिल किये जाने का विरोध करेंगे।

विदेश व्यापार को बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की योजना

*889. **डा. गौरीशंकर राजहंस**† :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेश व्यापार को बढ़ाने के लिए एक नई योजना प्रारम्भ की है जिसका समाचार 19 अप्रैल, 1986 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित हुआ है।

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित नई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना से आयातकों, निर्यातकों, नौवहन कम्पनियों और विमान कम्पनियों को किस सीमा तक लाभ होगा और निर्यात हेतु उत्पादन का लक्ष्य किस सीमा तक पूरा किया जा सकेगा ?

वित मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक ने 28 दिसम्बर, 1985 से वायदा संरक्षण की नई सुविधाएं लागू की हैं ताकि सामान और सेवाओं के भारतीय आयातकों तथा निर्यातकों को पात्र लेन-देनों पर

विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव के कारण होने वाले जोखिम से सुरक्षा प्रदान की जा सके। ये सुविधाएं आयातकों, निर्यातकों, नौवहन और हवाई कम्पनियों के लिए हैं ताकि लागत को स्थिर किया जा सके और निर्यात उत्पादन में सहायता दी जा सके।

निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयोजन से भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी वस्तुओं के लिए एक समान दर ढांचा निर्धारित करके लदान पूर्व ऋण के लिए ब्याज की दरों को युक्ति संगत बनाया है। ब्याज की ये दरें मंजूर किये गये ऋण की ब्याज की अवधि के अनुसार अलग-अलग होती हैं 1 मार्च, 1986 से लदान-पूर्व ऋण की ब्याज की दरें इस प्रकार हैं :—

लदान पूर्व ऋण के ब्याज की दरें	प्रतिशत वार्षिक
1. 180 दिन तक	12.0
2. 180 दिन से अधिक, और 270 दिन तक	14.0
3. 270 दिन से अधिक	16.5 से अधिक नहीं

डा. गौरी शंकर राजहंस : मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह सामान्य जन की भाषा में यह स्पष्ट करने का प्रयत्न करें कि जो व्यक्ति अर्थशास्त्र तथा विदेश व्यापार की तकनीकों से परिचित नहीं हैं वह भी इसे समझ सकें।

श्री जनार्दन पुजारी : निर्यातकों तथा आयातकों दोनों को प्रोत्साहन देने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। वायदा अनुबन्ध एक ऐसा समझौता है जो विदेशी मुद्रा में लेन देन करने के लिए प्राधिकृत बैंक तथा ग्राहक के बीच, चाहे वह निर्यातक हो या आयातक किया जाता है। उदाहरण के तौर पर एक निर्यातक आज सौ डालर के मूल्य का सामान निर्यात करता है जो कि 1200 रु. के बराबर मूल्य का है। छः महीने बाद अदायगी के समय डालर का मूल्य कम हो सकता है। यह उसके हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है अन्यथा उसे छः महीने बाद हानि होगी। यदि डालर की कीमत 11 रु. हो जाती है तो उसे छः महीने बाद 1200 रु. के स्थान पर 11 रु. मिलेंगे। उसे हितों की रक्षा के लिए विदेशी मुद्रा में लेन देन के लिए प्राधिकृत बैंक तथा यथा-स्थिति, आयातक अथवा निर्यातक के बीच एक समझौता कर लिया जाता है। यह समझौता आयातक अथवा निर्यातक के हितों की रक्षा करने के लिए किया जाता है।

श्री गौरी शंकर राजहंस : मेरे प्रश्न के भाग (ग) का उचित प्रकार उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने पूछा था : इस योजना से आयातकों, निर्यातकों, नौवहन कंपनियों और विमान कंपनियों को किस सीमा तक लाभ होगा और निर्यात हेतु उत्पादन का लक्ष्य किस सीमा तक पूरा किया जा सकेगा ? मुझे इस बारे में स्पष्ट उत्तर चाहिए।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, इस समय कुल मात्रा तो हम नहीं बता सकते क्योंकि यह अभी हाल ही शुरू की गई है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : माननीय मंत्री जी ने कहा यह पब्लिक कान्ट्रैक्ट लोगों को

भ्रौर व्यापारियों को फेसेलिटी देने के लिए यह स्कीम बनाई है, पर, भ्रध्यक्ष जी, इन्होंने जो रेट भ्राफ इन्टरेस्ट लगाया है वह भ्रप टू 180 डेज 12 प्रतिशत है, 180 दिनों के बाद उन्होंने 14 प्रतिशत कर दिया भ्रौर उसके बाद 16 प्रतिशत कर दिया। जो फारवर्ड कांट्रेक्ट होते हैं एक साल तो मशीनरी एक्सपोर्टर्स हैं उनको पूरा एक साल मशीनरी सप्लाई करने पर लगता है वहां रेट भ्राफ इन्टरेस्ट 6 महीने से ज्यादा बढ़ाकर भ्रौर भी ज्यादा कर दी। तो इससे लोगों को नुकसान होगा फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए रेट भ्राफ इन्टरेस्ट साल तक 12 प्रतिशत कम से कम होना चाहिए, इस पर आप विचार करें।

[भ्रनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : यह लदान पूर्व ऋण सामान के विनिर्माताभ्रों को दिया जाता है। जब सामान का विनिर्माण किया जाता है तो मुझे बताया गया है कि यह पर्याप्त है तथा मुझे यह भी बताया गया है कि उत्पादन के लिए 180 दिन काफी होते हैं। यदि माननीय सदस्य को किसी विशेष घटना की जानकारी है तो हम इसके बारे में पता करेंगे। जहां तक हमारा सम्बन्ध है इससे निर्यातकों को उत्पादन में तथा भ्रपने माल के विनिर्माण में सहायता मिली है, तथा उन्होंने इस पत्र का स्वागत किया है।

श्री भ्रमल दत्त : भ्रपने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हमारी उत्सुकता के कारण सरकार ने निर्यातकों के लाभ के लिए बहुत-सी योजनाएं बनाई हैं। परन्तु दुर्भाग्य से ऐसा लगता है सरकार इस बात की कोई निगरानी नहीं कर रही है कि किसी विशेष योजना के भ्रन्तर्गत क्या हो रहा है। उदाहरणतया सरकार निर्यातकों को उस माल के विनिर्माण के लिए भ्रावश्यक सामग्री के भ्रायात के लिए भ्रग्रिम भ्रनुमति दे देती है, जिसका वे बाद में निर्यात करने का वचन देते हैं वास्तविक भ्रायात तथा निर्यात के बीच छः महीने के भ्रन्तराल की भ्रनुमति दी जाती है। परन्तु सरकार तो इस भ्रवधि को बढ़ाती ही रहती हैं, कई लोग इस योजना का लाभ उठाकर देश से एकहजार करोड़ से भ्रधिक की विदेशी मुद्रा की बेइमानी की है भ्रौर लोकलेखा समिति के हाल के प्रतिवेदन में भी इसका उल्लेख किया गया।

इस प्रकार की बात के लिए सरकार क्या करने जा रही हैं ? यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा किस प्रकार की निगरानी किए जाने का प्रस्ताव है कि बेइमान निर्यातकों द्वारा भ्रनुचित रूप से योजना का लाभ न उठाया जाए या दुरुपयोग न किया जाए ?

श्री जनार्दन पुजारी : माननीय सदस्यों की तरह हम भी इस बारे में चिन्तित हैं। यदि माननीय सदस्य इन सुझावों तथा विशिष्ट घटनाभ्रों के बारे में वाणिज्य मंत्रालय को बतायें, तो मेरे विचार से वे उचित उत्तर देने की स्थिति में होंगे।

श्री भ्रमल दत्त : क्या भ्राप हमसे संबंधित नहीं हैं ?

श्री जनार्दन पुजारी : निगरानी करना तो उनका काम है।

भारत में जापानी पर्यटकों का भ्रागमन बढ़ाना

*891. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या संसदीय कार्य भ्रौर पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में जापानी पर्यटकों के भ्रागमन को बढ़ावा देने के संबंध में हाल में नई

दिल्ली में हुई विचार-गोष्ठी में पर्यटकों का आगमन बढ़ाने के उपाय सुझाए गए थे;

(ख) भारत में इस समय जापान से कितने पर्यटक आते हैं;

(ग) क्या इस संबंध में आगामी वर्ष के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) भारत में जापानी पर्यटकों के आगमन में वृद्धि लाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(ङ) क्या भारत में जापानी पर्यटकों के आगमन में वृद्धि रोकने वाले कारणों का पता लगाया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) से (च) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल के महासंघ ने जापान वाणिज्य मंडल के साथ मिलकर 2-4-1986 को नई दिल्ली में एक विचार-गोष्ठी का आयोजन जापान से भारत की ओर पर्यटक यातायात का संवर्धन और विकास करने के लिए किया था । इस विचार-गोष्ठी में अनेक सुझाव दिये गए जो विभाग में विचाराधीन हैं ।

(ख) जनवरी से नवम्बर 1985 दौरान 26,585 जापानी पर्यटकों ने भारत की यात्रा की जबकि 1984 की तत्संबंधी अवधि के दौरान 26,253 जापानी पर्यटकों ने भारत की यात्रा की थी और इस प्रकार 1.3%की वृद्धि हुई ।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे के अनुसार, 1990 तक जापान सहित आपरेशन पूर्वी एशिया से 52,000 पर्यटकों को लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

(ङ) भारत के लिए जापानी पर्यटक यातायात में वृद्धि करने की दिशा में मुख्य रुकावटें है :—जापान और भारत के बीच अपर्याप्त एयरलाइंस क्षमता, वायु यात्रा की ऊंची लागत तथा किन्हीं संवर्धनात्मक किरायों अथवा सस्ते समूह किराए का अभाव भारत में स्वच्छता तथा स्वास्थ्यकर हालात के स्तर के बारे में जापानियों की शिकायत, बड़ी संख्या में जापानी यात्रियों को आकर्षित करने वाले बौद्ध परिपथ पर स्वच्छ आवास और मार्गस्थ सुख-सुविधाओं के अभाव जैसी आधार-संरचनाओं की अपर्याप्तता, भारत में जापानी बोलने वाले वाले स्टाफ तथा गाइडों की पर्याप्त मात्रा में अनुपलब्धता तथा जापानी भाषा की दिक्कत और घरेलू उड़ानों तथा रेल का आरक्षण प्राप्त करने की अनिश्चयता और कठिनाई ।

(घ) और (च) पर्यटन विभाग अत्यधिक संभाव्यता वाली मार्केट के रूप में जापान को बहुत महत्व दे रहा है । जो विशिष्ट संवर्धनात्मक उपाए किए जा रहे हैं, वे इस प्रकार हैं :—

(i) आफ-सीजन के दौरान भारत की यात्रा करने के लिए अधिक प्रभावी प्रचार अभियान चलाना, कश्मीर, गोआ और पूर्वी भारत में बौद्ध परिपथ जैसे विशिष्ट गंतव्यों का संवर्धन।

(ii) विभाग की प्रतिश्य योजना के अन्तर्गत जापानी यात्रा अभिकर्ताओं, यात्रा लेखकों, फिल्म यूनिटों, फोटोग्राफरों टी. वी. प्रोग्रामर्स को भारत की परिचायक यात्राओं पर आमंत्रित करना।

(iii) जापान के विभिन्न महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्रों पर संवर्धनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए अधिकारियों और यात्रा व्यवसाय के प्रतिनिधियों को संवर्धनात्मक यात्राओं पर भेजना।

(iv) भारत के प्रति और अभिरुचि जागृत करने के लिए, क्षेत्रीय निदेशक ने "विकल्प" कार्यक्रमों का आयोजन किया जो लोकप्रिय और सफल रहे।

(v) साहित्य, फिल्मों, सव्य.दृश्यों सहित जापानी भाषा में पर्यटक प्रचार सामग्री का निर्माण।

(vi) बुद्ध के जीवन से संबंध प्रदर्शनियां लगाना।

(vii) मल्टी-मीडिया प्रजटेशन और डिस्कवर इण्डिया प्रोग्रामस का आयोजन।

(viii) बौद्ध स्थलों और जापान के यात्रियों की अभिरुचि के स्थानों पर आधार-संरचनात्मक सुविधाओं का विकास।

[हिन्दी]

श्रीमती माधुरी सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने स्वयं इस बात को माना है कि अपर्याप्त एयर लाइन्स की सुविधा तथा ऊंची लागत के कारण जापानी यात्री देश में कम आते हैं। जापान हमारा मित्र देश है अतः जब यूरोप और अमेरिका का एयर फेयर तुलनात्मक रूप से जापान से कम है। तो क्यों नहीं सरकार एयर फेयर कम करने की सोचती।

साथ ही साथ में दूसरा प्रश्न यह करना चाहूंगी कि भारत में बौद्ध धर्म से सम्बन्धित कई महत्वपूर्ण स्थान हैं जिनको विजिट करने का जापानियों में बड़ा आकर्षण है। जैसे राजगीर, बौद्ध गया, सारनाथ, सांची, परन्तु यातायात की उचित सुविधा नहीं होने के कारण पर्यटकों को असुविधा होती है। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि बौद्ध धर्म, जिसका मुख्य स्थल पटना है, वहां क्यों नहीं विदेशी चार्टर प्लेन कि उतरने की सुविधा प्रदान कराई जाये, जबकि वहां कस्टम की पूरी व्यवस्था है। अतः क्या सरकार पटना को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुविधा दिलाने के बारे में विचार करेगी।

श्री एच. के. एल. भगत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो पूछा है, यह बात सत्य है कि जापान के लोगों में बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध की भूमि के लिए बड़ा आकर्षण है। जापान के लोग टूरिज्म भी सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन यहां नहीं आते हैं, यह सत्य बात है। इतने नहीं आते हैं, जितने आने चाहिए। वहां कई प्रकार के टूरिस्टस है, जिनमें कुछ अच्छे, रिच टूरिस्टस हैं, कुछ मिडिल-क्लास टूरिस्टस भी हैं, उनकी विभिन्न कैटेगरीज हैं और वे ग्रुप्स में आते हैं। दुनिया में जापान के लोग सबसे ज्यादा टूरिज्म करते हैं लेकिन उनमें से हमारे हिस्से कुछ नहीं आते। जापानी लोग करीब 10 बिलियन यू. एस. डालर टूरिज्म पर खर्च करते हैं और उसका

एक फंक्शन भी हमारे हिस्से नहीं आता, भारत में वे बहुत ही कम आते हैं। जिस सेमिनार का अभी यहां माननीय सदस्या ने जिक्र किया है, उसमें कुछ सुझाव दिए थे और उन पर विचार भी हुआ। एक सुझाव यह भी है कि एअर-फेयर रैशननल हीं है और उसमें कुछ कमी करने की जरूरत है। इसके अलावा कई दूसरे सुझाव भी दिए गये हैं और वे सब सरकार के विचाराधीन हैं। जहां तक बौद्ध-स्थानों का तअल्लुक है, जिनके बारे में माननीय सदस्या ने जिक्र किया, उनको इम्पूव करने की दिशा में सरकार कदम उठा रही है, कुछ और उठाये जाएंगे। मैं स्वयं दो-तीन हफ्ते पहले कुछ स्थानों पर गया था। जहां तक पटना में इन्टरनेशनल एअरपोर्ट बनाने का सवाल है, मैं अभी उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता लेकिन मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब की बात जरूर करूंगा।

श्रीमती माधुरी सिंह : जापान से काफी संख्या में पर्यटक सफारी के लिये अफ्रीका जाते हैं। भारत में भी जंगल तथा गेम्स सैंक्चरीज हैं जहां जापानियों को आकर्षित किया जा सकता है। मैं मंत्री जी को सुझाव देना चाहती हूं कि जापानी ग्रुप्स को भारत लाने की व्यवस्था की जाए ताकि उन्हें यहां के जंगल, प्रकृति और जंगली जानवरों को दिखाया जा सके। इससे फिर वे पर्यटक निरंतर भारत में आ सकेंगे।

श्री एच. के. एल. भगत : भारत में ऐसे कई स्थान हैं, जहां जापानियों को पर्यटन की दृष्टि से आकर्षित किया जा सकता है और जिनके बारे में माननीय सदस्या ने भी जिक्र किया। उनके सम्बन्ध में मैंने राज्य सरकार से भी विचार-विमर्श किया है, बिहार के मुख्य-मंत्री के साथ भी मेरी बातचीत हुई है। मैंने उनसे कहा है कि इन स्थानों के बारे में वे कुछ सुझाव हमें दें और उसमें केन्द्रीय सरकार की ओर से जो भी मदद हो सकती है, उस पर विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री पराग चालिहा : क्या सरकार असम व अन्य स्थानों के अतिरिक्त काफी रंगा राष्ट्रीय पार्क भी है। में विदेशी पर्यटकों के प्रवेश पर वर्तमान पूर्ण प्रतिबन्ध में ढील देने के संबंध में विचार करेगी ?

श्री एच. के. एल. भगत : इस प्रश्न का संबंध ···

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का सम्बन्ध किसी अन्य विषय से है ?

श्री एच. के. एल. भगत : कुछ भी हो, मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। यह प्रश्न पर्यटन के सम्बन्ध में हुए सेमीनार के बारे में है, किन्तु···

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री एच. के. एल. भगत : मैं उनके प्रश्न का उत्तर दूंगा ?

अध्यक्ष महोदय : आप असम्बद्ध प्रश्नों के उत्तर क्यों देते हैं ?

श्री एच. के. एल. भगत : हमें कुछ··· प्राप्त हुए हैं माननीय अध्यक्ष महोदय ने इसकी अनुमति दे दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे अस्वीकृत कर दिया।

श्री एच. के. एल. भगत : वह ठीक है। असम सरकार...

अध्यक्ष महोदय : अब प्रोत नारायण चंद परासर।

प्रो. नारायण चंद पराशर : विवरण में भारत की यात्रा करने वाले जापानी पर्यटकों को होने वाली एक कठिनाई आधार भूत ढांचे से भी संबंधित है। पहले एक विशेष रेल, ग्रेट इण्डियन शेवर थी जो कलकत्ता से चल कर पटना, बौद्ध गया, राजगीर, सारनाथ और गोरखपुर जाती थी। अब वह बन्द कर दी गई है। क्या, मैं जान सकता हूँ कि, वह रेल द्वारा चलाई, जायेगी या नहीं और अब जापानी पर्यटक के लिए इन सुविधाओ का प्रबंध करने में बौद्ध सुचि के स्थान जैसे हिमालय प्रदेश में खिलासर, पंजाब को लुधियाना जिला में संघोल, जम्मू और कश्मीर में लद्दाख, महाराष्ट्र में अजन्ता और एलोरा और आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कादना स्थानों को भी सम्मिलित किया जाएगा क्योंकि सामान्यतया इन पर्यटकों के लिए सुविधायें प्रदान करने के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों के स्थान ही अायुक्त समझे जाते हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि इस प्रयोजन के लिए इन दो राज्यों के स्थानों से अतिरिक्त जो स्थान मैंने बताये हैं उन्हें भी शामिल किया जायेगा ?

श्री एच. के. एल. भगत : निश्चय ही हम चाहेंगे कि जापानी पर्यटकों को केवल महात्मा बुद्ध अथवा बुद्ध धर्म से संबोधित स्थानों को ही न दिखाया जाए। हम चाहेंगे कि वे भारत की लगभग सभी, या जितने संभव हों, आकर्षक स्थानों का भ्रमण करें। हमारा यह इरादा है। हम चाहेंगे कि वे स्वयं को केवल उन्हीं स्थानों तक सीमित न रहें।

जहां तक इस रेल विशेष का संबंध है, यह मुझे बताया गया था, अभी तक मैंने इस बारे में कुछ पता नहीं लगाया है। अब जब माननीय सदस्य ने इसका जिक्र किया है तो मैं इस संबंध में पता लगाऊंगा और सम्बद्ध मन्त्रालय से पूछूंगा।

रुई के निर्यात हेतु प्रोत्साहन

*892. **श्री दिग्विजय सिंह :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्राकृतिक रुई के स्थान पर मानव निर्मित रेशों का प्रयोग मुख्यत: होने के कारण भारत में कपास की भरमार हो गई है, जिसके कारण इसका मूल्य प्राय: समर्थन मूल्य से भी कम हो गया है;

(ख) क्या सरकार द्वारा निर्यात नियंत्रणों में ढील दिए जाने के बावजूद हमें विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो गया है; और

(ग) क्या सरकार कपास उत्पादकों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए और विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए निर्यात प्रोत्साहन देने का विचार कर रही है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी नहीं। चालू रूई मौसम के दौरान रुई की कीमतों में कमी, देश में रूई की मांग सप्लाई से कम होने के कारण हुई। इस वर्ष के दौरान जब रूई का उत्पादन लगभग 107,00 लाख गांठें आंका गया है, जबकि गत रुई मौसम के दौरान 101.5 लाख गांठों के उत्पादन का अनुमान लगाया गया था।

(ख) तथा (ग) विश्व बाजार में रुई की सप्लाई की स्थिति में सुधार होने के कारण चालू रुई वर्ष के दौरान भारत रुई के निर्यात में बड़ी प्रतियोगिता का सामना कर रहा है। चालू रुई वर्ष के दौरान भारत सरकार ने निर्यात के लिए लम्बे तथा अतिरिक्त लम्बे रेशे वाली रुई की 10,00 लाख गाठें रिलीज की हैं। निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से सरकार ने रुई के निर्यात के लिए न्यूनतम निर्यात कीमत की शर्त वापस ले ली है। इसके अतिरिक्त विगत के विपरीत निजी व्यापार के हक में निर्यात कोटा भी रिलीज किया गया है। सरकार ने काटन यार्न के निर्यात के लिए उदारीकृत दीर्घावधि नीति की घोषणा भी की है।

श्री दिग्विजय सिंह : आंकड़ों से पता चलता है कि 101 लाख गांठों की खपत की तुलना में इस वर्ष भारत में रुई का उत्पादन 107 लाख गांठे था। इसका तात्पर्य हुआ कि इसकी भरमार है। किन्तु मैं नहीं समझ पाया कि उन्होंने मेरी इस बात को स्वीकार क्यों कर लिया है जो मैंने अपने प्रश्न में पूछी थी कि क्या इसका प्रमुख कारण प्राकृतिक रुई के स्थान पर मानव निर्मित रेशों का प्रयोग है, क्योंकि यदि आप इसे स्वीकार करते हैं, तो यह एक निरंतर प्रक्रिया हैं, उन्हें इसके बारे में दीर्घकालिक नीति के रूप में विचार करना है। इसलिए, मैंने एक बहुत विशिष्ट प्रश्न पूछा है कि केवल कपास के निर्यात में ढील देना ही पर्याप्त नहीं होगा। कपास के अधिक उत्पादन की इस स्थिति और पूरे विश्व में मानव-निर्मित रेशों का प्रयोग स्वत: बढ़ते जाने के कारण आप विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकते। इसलिए विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा करने का एक मात्र तरीका यही हो सकता है कि यदि आपके पास रोकड़ प्रतिपूर्ति समर्थन योजना है और यदि आप इसे रोकड़, प्रतिपूर्ति समर्थन योजना के रूप में शामिल करते हैं तभी यह विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। क्या सरकार इस विषय में सोचेगी ?

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस वर्ष मिलों में कपास की खपत 87 लाख गांठें होगी और यह पिछले वर्ष की खपत से कुछ अधिक है। यद्यपि पिछले वर्ष पूर्ण तन्तु नमनीयता की अनुमति दे दो गई थी, फिर भी मेरे विचार से इस समय इस प्रकार की जिस के लिए किसी रोकड़ प्रतिपूर्ति समर्थन योजना की सिफारिश कर पाना संभव नहीं होगा।

श्री दिग्विजय सिंह : इस उत्पाद को विश्व बाजार में स्थापित करने के लिए सुविधाएं देने के लिए, कौन-सी अन्य राजसहायता, विशेषतया प्रश्न के उत्तर में उल्लिखित निर्यात की उदार दीर्घावधिक नीतियों के सम्बन्ध में घोषित की जा रही हैं ?

श्री खुर्शीद आलम खां : पहले तो यह कि राज्य सरकार और उनके कृषि विभागों द्वारा विभिन्न सुविधाएं तथा छूटें दी जाती हैं। इसके अलावा, हम केन्द्रीय सरकार के कृषि मंत्रालय से भी सम्पर्क रख रहे हैं ताकि वे यथा सम्भव सहायता करने का प्रयास करें। अब, जहां तक दीर्घावधि नीतिक का सम्बन्ध हैं इस वर्ष हमने 10 लाख गांठों निर्यात के लए अनुमति दे दी है।

मैंने निर्यातकों को आश्वासन दिया है कि अगले दो वर्षों की अवधि, अगले और—उसमें अगले वर्ष में निर्यात प्रयोजनों के लिए कम से कम 5 लाख गांठों की गारंटी उपलब्ध होगी ताकि आयातक देशों के विश्वास हो कि वे इस देश से नियमित आधार पर आयात कर सकेंगे।

श्रीमती बसव राजेश्वरी : क्या यह सरकार की जानकारी में आया है कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दोनों में कपास की काफी मात्रा आग में बर्बाद हो गई और क्या इस हानि का मूल्यांकन किया गया है ? यदि हां तो हाल ही की आग दुर्घटना में हुई कुल हानि का पता लगाने के लिए सरकार का किन कदमों को उठाने का प्रस्ताव है।

श्री खुर्शीद आलम खां : एक आग दुर्घटना हुई थी और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जब तक मुझे कोई जांच रिपोर्ट नहीं मिलती, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता।

श्री कादम्बुर जनार्दन : क्या यह सच है कि सिंथेटिक रेशों के उत्पाद शुल्क में कमी के संबंध में नई कपड़ा नीति के कारण हमारे देश में विशेष रूप से इस अतिशय उत्पादन वर्ष में कपास की खपत काफी कम हो गई है और क्या बाजार में कपास की भरमार का मुख्य कारण यही है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : यह सच नहीं है कि कपास की खपत कम हो गई है; वस्तुत: पिछले वर्ष की खपत की तुलना में इसमें कुछ वृद्धि हुई है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : तो भाव गिरने के क्या नतीजे हैं ? किसानों की कपास बिक नहीं रही है, उसका क्या कारण है ?

[अनुवाद]

श्री खुर्शीद आलम खां : समस्या केवल यह है कि उत्पादन बहुत अधिक हुआ है। इसके अलावा पिछले वर्ष की भी 24.40 लाख गांठें बाकी थीं और ऐसा केवल उसी देश में नहीं हुआ है अपितु चीन और पाकिस्तान में भी उत्पादन अधिक हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कपास की भरमार है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : किसानों को बचाने का आपने क्यों बन्दोबस्त किया है ?

[अनुवाद]

श्री खुर्शीद आलम खां : हम इसे समर्थन मूल्यों पर खरीदते रहे हैं लगभग 13.00 लाख गांठें हमने खरीद थीं। अर्थात् भारतीय कपास निगम खरीद रहा था।

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि पालिएस्टर फाइबर पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी वह ड्यूटी कम कर दी गई जिसके कारण बाहर से यहां पर सस्ता पलिएस्टर फाइबर आने लगा···

अध्यक्ष महोदय : आप इम्पोर्ट को कम करवाना चाहते हैं ?

श्री दिलीप सिंह भूरिया : उसके परिणाम-स्वरूप पालिएस्टर फाइबर की बेस पर अधिक कपड़ा बनने लगा। इसी कारण से किसानों की कपास सस्ती हो गई और उसको लेने वाला कोई नहीं रहा। आज ढ़ाईसौ रुपये क्वींटल पर भी कपास को लेने वाला कोई नहीं है। इसी वजह से किसानों को बड़ी परेशानी हो रही है। इसलिए मैं जानना चाहूंगा क्या मंत्री जी किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए कोई स्पष्ट पालिसी निर्धारित करेंगे।

[अनुवाद]

श्री खुर्शीद आलम खां : यदि 10 लाख गांठों के निर्यात की घोषणा नहीं की गई होती तो घरेलू बाजार में कपास के मूल्यों के और कमी आ गई होती। इसलिए, कृषकों को सहायता पहुंचाने के लियें ऐसा पहली बार किया गया है ताकि घरेलू बाजार में उन्हें अच्छे मूल्य मिलें ?

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी, से जानना चाहूँगा क्या इस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में, इस प्रश्न की पृष्ठिभूमि में, कपास की तुलना में कपास के कम्पेरीजन में जो चीजें आप बाहर से मंगाते हैं उसकी पूरी आयात नीति पर आप नये सिरे से विचार करेंगे।

श्री खुर्शीद आलम खां : काटन के एक्सपोर्ट में बार्डर थोड़े ही होता है, काटन तो सिर्फ बेची जाती है।

श्री बालकवि बैरागी : मैंने पूछा है क्या आप आयात नीति पर नये सिरे से विचार करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री खुर्शीद आलम खां : यह आयात या प्रति-व्यापार से सम्बद्ध नहीं है।

[हिन्दी]

भारतीय सिले वस्त्रों के आयात पर अमरीका द्वारा रोक

+

*893. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :**
श्री पी. आर. कुमारमंगलम :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका ने भारत से सिले वस्त्रों के आयात को कम करने के उद्देश्य से कोटा प्रणाली लागू की है;

(ख) यदि हां, तो इससे सम्बन्धित तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में अमरीकी सरकार से कोई बातचीत की है; और

(घ) यदि हां, तो उनका क्या परिणाम निकला है ?

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

भारत से सं. रा. अमरीका को परिधानों का निर्यात पहली जनवरी, 1983 से 31 दिसम्बर, 1986 तक वैध भारत अमरीका वस्त्र द्विपक्षीय करार के द्वारा नियन्त्रित होता है। जब करार मूल रूप से किया गया था, कुल मिलाकर परिधानों के लिये समग्र सीमा के अन्तर्गत परिधानों के निर्यात पर विशिष्ट पाबन्दियों को 6 परिधान मदों के सम्बन्ध में रखा गया था। 198- और 1985 के दौरान अमरीका सरकार ने 5 और परिधान मदों पर प्रतिबन्ध लगा दिए। भारत सरकार और सं. रा. अमरीका की सरकार के बीच हुए विचार विमर्श के आधार पर, अमरीका सरकार ने एक परिधान मद काटनप्ले स्वीट पर प्रतिबन्ध लगाते हुए चार परिधान मदों पर से प्रतिबन्धों को हटा लिया। हाल ही में मार्च, 1986 में अमरीका सरकार ने श्रेणी 641 के अन्तर्गत आने वाले मानव निर्मित रेशे के महिलाओं के ब्लाउज के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव किया है। करार के अनुसार, इस पर भारत सरकार अमरीका सरकार के साथ विचार विमर्श करेगी।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : सभा पटल पर रखे गये विवरण से यह स्पष्ट है कि अमरीका सरकार ने प्रतिबन्ध लगाये हैं और भारत अमरीका कपड़ा द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन किया है। अमरीका को सहमत कराने अथवा समझौते को पूरी तरह से लागू करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

श्री खुर्शीद आलम खां : मामले को अमरीका सरकार के समक्ष उठाया गया था और विस्तृत चर्चा के बाद इस बात पर सहमति हुई थी कि फिलहाल केवल महिलाओं के परिधान (ब्लाउज) पर ही प्रतिबन्ध रहेगा।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : समझौता 31 दिसम्बर, 1986 तक समाप्त हो जाना था और संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार की समझौते की मध्यावधिक पुनरीक्षा के कारण यह स्पष्ट है कि वस्त्र बनाने की एककों और उद्योग को बहुत हानि हुई। उनकी प्रतिपूर्ति तथा उनको बचाने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है।

श्री खुर्शीद आलम खां : वस्त्र निर्यातकों को कोई हानि नहीं हुई। वास्तव में कोटा तथा गैर कोटा वाले देशों को इस देश में 1087 करोड़ रुपये के कपड़ों का निर्यात हुआ। जहां तक संयुक्त राज्य अमरीका का सम्बन्ध हैं विद्यमान समझौता 31 दिसम्बर, 1986 तक का है। अब समझौते के अंतर्गत प्रतिबन्धित मदों के सम्बन्ध में विचार विमर्श होगा।

श्री पी. आर. कुमार मंगलम : सभा पटल पर रखे गये द्विपक्षीय समझौते का उत्तर में उल्लेख किया गया है किन्तु शेष विवरण से एकपक्षीय कार्यवाहियों का ही पता चलता है। क्या समझौते में अमरीका सरकार द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही के बारे में भी कोई उपबन्ध किया गया है। ऐसी एकपक्षीय कार्य यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकासशील देश वास्तव में निर्यात नहीं कर सकते वे हम जैसे छोटे लोगों को तो रोकते हैं किन्तु वे अपने बड़े लोगों को इसे नहीं

रोकते। एक छोटा सा प्रश्न यह भी है कि क्या इस समझौते में अमरीका सरकार के लिए ऐसा प्रावधान है कि वह देश में आयात करने तथा हमारे देश से निर्यात करने के लिए प्रतिबन्ध लगाने के लिए एक तरफा कार्यवाही कर सकता है। यदि ऐसा है तो किन परिस्थितियों में हमने उस करार पर हस्ताक्षर किए और यदि नहीं तो करार के भंग करने के लिये हमने क्या कार्यवाही की है क्योंकि एकपक्षीय कार्यवाही एक ही बार नहीं हुई है। आपको वक्तव्य के अनुसार ही यह अनेकबार हुई है तीन वर्षों की अल्पावधि में ही उन्होंने ऐसा तीन बार किया। वे लगातार ऐसा नहीं कर सकते। द्विपक्षीय करार का फायदा ही क्या है ? अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सर्वप्रथम एकपक्षीय कार्यवाही अनुमत्य हैं और यदि हां, तो उन्होंने ऐसे करार पर हस्ताक्षर क्यों किये और यदि नहीं, तो उन्होंने क्या कार्यवाही की है।

श्री खुर्शीद आलम खां : पूरी समस्या कोटा प्रणाली की हैं और इस कोटा प्रणाली में आयात कर्ता देशों को कुछ फायदे हैं।

श्री पी. आर. कुमार मंगलम : मैं यह जानना चाहता था कि उन्होंने किन परिस्थितियों में इन पर हस्ताक्षर किये। देश को मालूम होना चाहिए कि हम इसे क्यों मानते जा रहे हैं।

निर्यात सम्बन्धी समस्याओं के बारे में अन्तर मंत्रालयीय समिति

*894 **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात सम्बन्धी समस्याओं के बारे में तुरन्त निर्णय लेने के लिए एक अन्तः मंत्रालयीय समिति का गठन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी. शिवशंकर) : (क) अनेक अन्तः मंत्रालय समितियां हैं जिनकी बैठकें भारत के निर्यातों के सम्बन्ध में विभिन्न क्षेत्रों में नीति उपायों और समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए समय-समय पर होती रहती हैं। निर्यात संसाधन क्षेत्रों के लिए अलग प्राधिकरण हैं। कोई नई समिति स्थापित नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमती किशोरी सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह जानना चाहूंगी कि क्या भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग संघ सहित विभिन्न औद्योगिक संगठनों ने भारतीय निर्यात प्राधिकरण अथवा कोई ऐसा उच्च शक्ति सम्पन्न निकाय स्थापित करने की मांग की है और यदि हां, तो सरकार की इसके प्रति प्रति क्रिया क्या रही।

श्री पी. शिवशंकर : जैसा कि मैंने कहा है, बात यह है कि इंजीनियरिंग निर्यात परिषद सहित निर्यात परिषदों की बड़ी संख्या पहले से ही विद्यमान हैं। इसलिए माननीय सदस्य का प्रश्न उठता ही नहीं।

श्रीमती किशोरी सिंह : मैं अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहूंगी। क्या कोई ऐसा प्रस्ताव है कि निर्णय जल्दी देने के लिए मंत्री मंडल स्तर के संबंधित मंत्रियों से की एक उच्च शक्ति संपन्न समिति हो ताकि सरकार के समक्ष उनके निर्णय के लिए रखे जाने से पहले विभिन्न

अधिकारियों द्वारा अपनायी गयी प्रक्रियाओं के कारण होने वाले विलम्ब से बच जा सके, और यदि ऐसा है तो क्या वह निकाय सरकार को प्रस्ताव भेजें बिना निर्णय लेने में सक्षम होगा।

श्री पी. शिवशंकर : महोदय, जहां तक अधिकारियों का सम्बन्ध है एक सचिवालय की समिति है। किन्तु जहां तक मंत्रियों का सम्बन्ध है प्रस्ताव लम्बित पड़ा है और शायद निर्णय यथाशीघ्र लिया जाएगा ताकि एक मंत्रालयीय समिति की स्थापना हो जाए जिससे लायसेंसिंग, पूंजीनिवेश निर्यात आदि से सम्बन्धित पूरे कार्य किये जा सकें और सारा मामला एक ही जगह से निपटाया जा सके।

[हिन्दी]

श्री जयप्रकाश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, कई बार जो माल हिन्दुस्तान से बाहर दूसरी कन्ट्रीज में जाता है, वह वहां जाकर कई महीनों के लिए रुक जाता है। जैसे पिछली बार यू. एस. ए. में हुआ ; तकरीबन 40 करोड़ रुपये का माल छः महीनों के लिए पोर्ट पर खड़ा रहा। उन्होंने कहा कि यह पावरलूम का माल नहीं है, हैंडलूम का माल है, इसलिए हम इसको क्लीयरेंस नहीं दे सकते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं, ऐसे मौके पर आपकी कौनसी कमेटी या बाडी इस बारे में ध्यान रखती है और इस बारे में क्यों कोई फैसला या डी सी जन लेने में इतनी देर लगती है ?

[अनुवाद]

श्री पी. शिवशंकर : निश्चय ही माननीय मित्र ने उस मामले के बारे में पूछा है जो कपड़ा मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है किन्तु मैं यह कहूंगा कि यदि विनिर्दिष्ट सामान का यहां से निर्यात नहीं किया जाता तो पत्तनों पर समस्या हो जाती है और होता यह है कि इन मामलों की जांच संबद्ध परिषदों द्वारा की जाती है। कपड़ा निगम भी है और कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद् भी है। ये मामले हैं जो तय किये जाते हैं। किन्तु सामान्यतया जो शिकायत आती है वह उस विनिर्दिष्ट सामान के सम्बन्ध में होती है जो उन देशों को निर्यात नहीं किये जाते हैं जिन्होंने सामान का आयात किया है।

भारत में मुद्रा-स्फीति

*895. **श्री अमर रायप्रधान :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मुद्रास्फीति की वर्तमान दर क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) भारत में मुद्रास्फीति की दर अन्य विकासशील देशों में मुद्रास्फीति की दर से कितनी कम या अधिक है; और

(ग) मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ग) वर्ष 1985-86 में थोक कीमत सूचकांक के अनुसार, बिन्दु प्रति बिन्दु

के आधार पर, मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 3.7 प्रतिशत थी। कीमतों की प्रवृत्ति बहुत से तत्वों पर निर्भर करती है जिसमें वैयक्तिक वस्तुओं के संबंध में मांग और पूर्ति की स्थिति और अर्थव्यवस्था में समग्र नकदी शामिल है।

सरकार ने मांग और पूर्ति के प्रभावी प्रबन्ध के लिए बहुत से मुद्रास्फीति विरोधी उपाय किये हैं जिसमें आवश्यक वस्तुओं के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, विशेष योजनाओं के अंतर्गत समाज के कमजोर वर्गों को खाद्यान्न की पूर्ति करना, राजकोषीय अनुशासन लागू करना और अर्थव्यवस्था में कुल नकदी को नियंत्रण में रखना शामिल है।

(ख) विकासशील देशों के समूह के लिए समग्र रूप से, उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 1985 में मुद्रास्फीति की अनुमानित वार्षिक दर 39.5 प्रतिशत थी।

श्री अमरराम प्रधान : अध्यक्ष महोदय, यदि आप उत्तर को पढ़ेंगे तो पायेंगे कि प्रश्न के भाग (क) और (ख) (ग) में दिया गया उत्तर स्कूल के बच्चे के द्वारा दिया गया उत्तर लगता हैं। किन्तु (ख) के सम्बन्ध में मंत्री जी का यह यतक स्पष्ट है कि इसका उत्तर नहीं देना चाहते और यह एक स्पष्ट उत्तर है। महोदय, यदि आप प्रश्न को देखेंगे तो पायेंगे कि मैंने पूछा है ; "भारत में मुद्रास्फीति की दर अन्य विकासशील देशों में मुद्रास्फीति की दर से कितनी कम या अधिक हैं," मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा 'समग्र रूप से' यह क्या बात हुई ? यह उत्तर न देने वाली बात है। यदि आप भाग (ख) का उत्तर पढ़ें तो आप देखेंगे कि मंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संदर्भ दिया है। अतः मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने उस रिपोर्ट को पढ़ा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विश्व बैंक के समक्ष रखा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने "वलर्ड-बैंक आऊटलुक" नाम से एक रिपोर्ट विश्व बैंक के समक्ष रखी है" उस रिपोर्ट मे यह स्पष्ट उल्लेख था कि—

> "मुद्रास्फीति गरीब देशों में बढ़ती है"
>
> "मुद्रास्फीति की दर में कमी हांग कांग, इन्डोनेशिया सिंगापुर और पाकिस्तान में पायी गयी जबकि बर्मा नेपाल थाईलैण्ड और भारत में इस दर में काफी वृद्धि हुई है।"

उन्होंने यह बताया है। अतः इसको देखते हुए क्या मैं मंत्री जी से जान सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के सम्बन्ध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री जनार्दन पुजारी : भाग (ख) में माननीय सदस्य ने पूछा है "भारत में मुद्रास्फीति की दर अन्य विकासशील देशों में मुद्रास्फीति की दरसे कितनी कम या अधिक है।" बहुत से विकासशील देश हैं। मेरा उत्तर यह है कि विकासशील देशों के समूह के लिए समग्र रूप से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के द्वारा 1985 में मुद्रास्फीति की अनुमानित वार्षिक दर 39.5 प्रतिशत थी।"

इस प्रकार मैंने बताया है कि विकासशील देशों की औसत दर 39.5 प्रतिशत है। मैंने यही बताया है।

श्री अमर राय प्रधान : ये विकासशील देश कितने हैं इनकी संख्या कितनी है ? इन्हें गिना जा सकता है।

श्री जनार्दन पुजारी : जहां तक भारत में मुद्रास्फीति की दर का सम्बन्ध है, हमने कहा कि ये 3.7 प्रतिशत है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है आप तुलना क्यों कर रहे हैं।

श्री अमर राय प्रधान : हमें इसकी तुलना अन्य विकासशील देशों से करनी है। भारत की तुलना इण्डोनेशिया, पाकिस्तान आदि जैसे अन्य विकासशील देशों से की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपको उपलब्धि के लिए गर्व होना चाहिए।

श्री सइफुद्दीन चौधरी : यह गलत है।

अध्यक्ष महोदय : मैं विश्वास नहीं करता कि वे हमसे अधिक सही हैं। हो सकता है वे गलत हों।

श्री जनार्दन पुजारी : यदि आप इसकी तुलना विकासशील देशों के समूह के साथ करना चाहते हैं तो उनका प्रतिशत 39.5 है। जहां तक भारत का संबंध है उसका प्रतिशत 3.7 है। हमें इसका भी गर्व होना चाहिए। हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। सरकार मुद्रास्फीति और सभी अन्य सभी बातों को बारीकी से देख रही थी । एक विकासशील अर्थव्यवस्था में किसी हद तक यह मुद्रास्फीति अपरिहार्य है। हम यह नहीं कर सकते कि मुद्रास्फीति है ही नहीं। यदि मुद्रास्फीति है ही नहीं तो इसका तात्पर्य यह होगा कि वह देश विकासशील देश नहीं है। किसी विकासशील अर्थव्यवस्था में हमेशा ही कुछ मुद्रास्फीति तो होती ही है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा कि भारत में यह 3.7 प्रतिशत है। (**व्यवधान**)

श्री अमर राय प्रधान : महोदय, यह उचित उत्तर नहीं है। भारत में मुद्रास्फीति की दर अन्य विकासशील देशों जैसे इण्डोनेशिया, सिंगापुर, इत्यादि से कहीं अधिक है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहें उन्होंने पहले ही उत्तर दे दिया है। उन्होंने बताया है कि दर 3.7 प्रतिशत।

श्री अमर राय प्रधान : यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की रिपोर्ट में है। भारत में मुद्रास्फीति इससे बहुत अधिक है। यह पाकिस्तान इण्डोनेशिया आदि से कहीं अधिक है।

अध्यक्ष महोदय : हमने 3.7 प्रतिशत प्राप्त कर लिया है। उन्होंने यह कहा है। की नहीं इस सम्बन्ध में अब क्या विवाद है। मैं इस उत्तर से संतुष्ट हूं। अब, प्रो. कुरियन बोलेंगे।

(**व्यवधान**)

श्री अमर राय प्रधान : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है···

अध्यक्ष महोदय : तब इसे पूछिये।

श्री अमर राय प्रधान : महोदय, केवल थोक मूल्य सूचकांक ही इसे निर्धारित करने के

लिए पर्याप्त नहीं है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को भी ध्यान में रखना होगा, जो कि प्रतिवर्ष 8 प्रतिशत है। मुद्रास्फीति की वृद्धि का निर्धारित करने के लिए बहुत से अन्य कारण भी हैं। इस प्रकार औसत 11 से 12 प्रतिशत है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। जो उत्तर उन्होंने दिया है वह अस्पष्ट उत्तर है। सरकार ने—

(क) बजट घाटे के कारण होने वाली मुद्रास्फीति और—

(ख) काला धन के कारण होने वाली मुद्रास्फीति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ? यह मेरा प्रश्न है।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, हम स्थानीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में विचार कर रहे है जहां तक घाटे जिसके कारण मुद्रास्फीति तथा अन्य कारण होते हैं जिनसे मुद्रास्फीति होती है, का सम्बन्ध है। यहां तक कि वह घाटा जो नजर में दिखाया गया है, नियन्त्रणीय सीमाओं में ही है।

महोदय, हमने काले धन के विरुद्ध कार्यवाही की है। माननीय सदस्य की सूचना के लिए नजर अनुमानों की तुलना में राजस्व भी 2,411 करोड़ रुपये का अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद यह एक रिकार्ड है, तथा अब तक हम 2,411 करोड़ रुपये की यह राशि एकत्र नहीं कर पाये हैं जैसा कि हमने वर्ष 1985-86 के बजट अनुमानों की तुलना में किया है यह भी एक कदम है जो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए उठाया गया है। अन्य कदम भी उठाए गए हैं। हम कमजोर वर्गों को अनाज दे रहे हैं, तथा आदिवासी लोगों को भी कम दरों पर अनाज दिया जा रहा है, जब वितरण प्रणाली को भी कारगर बनाया गया है तथा धन की उपलब्धि को भी नियंत्रित किया गया है।

प्रो. पी. जे. कुरियन : ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य मुद्रास्फीति की कम दर से संतुष्ट नहीं हैं। वह तो केवल अधिक चाहते हैं अर्थात मुद्रास्फीति की ऊंची दर चाहते हैं।

मेरा प्रश्न केवल यही है। इस मुद्रास्फीति के बावजूद भी जो कि मंत्री जी द्वारा बनाई गई है क्या यह सत्य नहीं है कि हमारे लोगों की क्रय शक्ति अन्य विकासशील देशों की तुलना में अधिक है।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, मेरे पास इस बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

विदेशों में पर्यटक कार्यालय खोलना

*896. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटकों को भारत में आने के लिए प्रोत्साहित करने और इस हेतु प्रचार करने के लिए विदेशों में पर्यटक कार्यालय खोलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) अब तक कितने कार्यालय किन-किन देशों में खोले गए हैं; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसे कितने कार्यालय खोले जाने की सभावना है और कहां-कहां पर ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री : (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) और (ख) भारत का प्रचार करने और भारत अभिमुखी पर्यटक यातायात में तेजी लाने के लिये इस समय विदेशों में 20 पर्यटक कार्यालय कार्यरत हैं। विभिन्न क्षेत्रों में पर्यटक कार्यालयों की अवस्थिति दर्शाने वाला एक **विवरण** सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(ग) विदेश स्थिति कार्यालयों की अवस्थिति की निरंतर पुनरीक्षा की जाती है और विदेशों की विभिन्न मार्केटों की बदलती हुई जरूरतों के आधार पर मौजूदा कार्यालयों को बन्द किया जाता है अथवा उनके स्थानों में परिवर्तन किया जाता है और नए कार्यालय खोले जाते हैं।

विवरण

आपरेशन-वार कार्यालय

अमरीका

1. न्यूयार्क
2. शिकागो
3. लास एंजेल्स
4. टोराटों

यू. के.

5. लंदन

यूरोप

6. जनेवा
7. पैरिस
8. ब्रुसल्ज
9. स्टाकहोम
10. वीयाना
11. मिलान
12. फ्रेंकफर्ट

आस्ट्रेलिया

13. सिडनी
14. सिंगापुर
15. कुआला लामपुर

पूर्वी एशिया

16. टोकियो
17. बैंकाक

पश्चिम एशिया

18. कुवेत
19. दुबई

इसके अलावा, एक सूचना सहायक काठमांडु, नेपाल में तैनात किया गया है।

श्री चिन्तामणि जेना : महोदय, मैं माननीय मंत्री तथा उनके मंत्रालय का अपने देश में आने अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक यातायात को बढ़ाने में रुचि लेने के लिए बहुत ही कृतज्ञ हूं। इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री से क्या यह जान सकता हूं कि क्या उनके मंत्रालय ने 1990 तक (अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या) मिलियन को बढ़ाकर 25 लाख करने का एक बड़ा कार्यक्रम तैयार किया है ? यदि हां, तो जब माननीय मंत्री जी पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे थे तो आपने सुना होगा, वे बता रहे थे कि जापान इस पर प्रतिवर्ष 10 बिलियन अमरीकी डालर खर्च कर रहा है। अतः इस संदर्भ में आप विवरण से देखेंगे कि पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया, जो कि तेल के क्षेत्र में प्रमुख उत्पादक देश हैं, दोनों जगह वे केवल दो-दो कार्यालय दे रहे हैं। अतः क्या मैं माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूँ कि क्या वह पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया में कार्यालयों की संख्या को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक तथा कितने कार्यालय खोले जाएंगे ?

श्री एच. एल. के. भगत : महोदय, मैं माननीय सदस्य महोदय से सहमत हूँ कि यदि भारत द्वारा पर्यटकों को पेश किये गए आकर्षणों की तुलना की जाये तो विश्व पर्यटक व्यापार में निश्चित रूप से भारत का हिस्सा बहुत ही कम है। ऐसे कदमों को उठाये जाने की अत्याधिक आवश्यकता है जिनसे न केवल जापान से प्रत्युत विश्व के विभिन्न भागों से भारत में पर्यटक यातायात की दर में वृद्धि हो। हमें न केवल परम्परागत क्षेत्रों का ही अपितु कुछ अपरम्परागत क्षेत्रों का दोहरा भी करना है। कार्यालयों का होना एक आवश्यक है। किन्तु केवल कार्यालयों की स्थापना कर देना ही पर्याप्त नहीं है। जैसा कि मैंने कहा है, कि सरकार ने हाल ही में एक समिति गठित की है जिसने कार्यालयों के स्थान निर्धारण के प्रश्न पर विचार किया। हमारा प्रस्ताव कार्यालयों को बढ़ाने का नहीं है। दूसरी ओर, हम कुछ कार्यालयों कम करने, मौजूदा कार्यालयों को और अधिक प्रभावशाली बनाने तथा विदेशी मुद्रा की बचत करने के बारे में विचार कर रहे हैं। किन्तु जहां कहीं भी पर्यटक यातायात को बढ़ावा देने के लिए कार्यालय आवश्यक समझा गया, निश्चित रूप से उस बारे में विचार किया जाएगा।

श्री चिन्तामणि जेना : मैं माननीय मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि अपने अनुभवों से हमने यह नोट किया है कि विदेशी पर्यटक विमान से तथा रेलवे से यात्रा करते हुए तथा कोनार्क, पुरी, भुवनेश्वर आदि टूरिस्ट होटलों में अच्छा आवास प्राप्त करने में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इन सबको देखते हुए क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूँ कि उनका मंत्रालय सभी मत्रालयों, जैसे गृह मंत्रालय आदि के साथ समन्वय करने के लिए एक अन्तर मंत्रालय समिति के गठन करने पर विचार कर रहा है। महोदय, आप जानते ही होंगे···

अध्यक्ष महोदय : आप स्पष्ट मत करिये, केवल प्रश्न ही पूछिये।

श्री चिन्तामणि जेना : क्या वह गृह मंत्रालय सहित अन्य सभी मंत्रालयों के साथ समन्वय करेंगे क्योंकि विभिन्न स्थानों पर दलालों द्वारा पर्यटकों का शोषण किया जा रहा है। इसे देखते हुए क्या मैं माननीय मंत्री से पूछ सकता हूं कि क्या वह विभिन्न बातों का समन्वय करने हेतु, अन्तर मंत्रालय समन्वय समिति का गठन कर रहे हैं।

श्री एच. के. एल. भगत : हमारा प्रस्ताव केन्द्रीय स्तर पर न केवल मंत्रालयों के बीच समन्वय का करने है, अपितु अन्य स्तरों पर भी करने का है। इसके लिए समन्वय प्राधिकरण की स्थापना करने का प्रस्ताव विचाराधीन है हमने राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि सभी सम्बन्धित प्रतिनिधियों को लेकर एक पर्यटक सलाहकार बोर्ड बनाएं तथा हम इस बात के बहुत ही उत्सुक है कि पर्यटकों का शोषण नहीं किया जाना चाहिए तथा उन्हें शिकायत का कोई भी यथार्थ कारण नही मिलना चाहिए। हमने राज्य सरकारों को यह भी सुझाव दिया है कि वे इस सम्बन्ध में किसी उपयुक्त कानून बनाने के प्रश्न पर विचार करें; जम्मू और काश्मीर में ऐसा कानून है इस कानून को सामने रखकर उन्हें यह विचार करना चाहिए कि क्या इसी प्रकार के और भी कानून की आवश्यकता है।

किन्तु मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ कि समन्वय का किया जाना बहुत जरूरी है तथा हम इस समन्वय को यथासम्भव हर ढंग से प्राप्त करने पर विचार कर रहे हैं।

सैयद शाहबुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न वास्तव में विदेश में संवर्द्धनात्मक अभियान से सम्बन्धित है। अब, हमारे पास ऐसे 20 कार्यालय हैं तथा मुझे माननीय मंत्री महोदय से यह जानकर प्रसन्नता है कि उनके स्थान निर्धारण पर निरंतर विचार किया जा रहा है।

किन्तु मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर यह जानता हूँ कि किसी विशेष कार्यालय द्वारा किए गए व्यय तथा इसके परिचालन के क्षेत्र में आकर्षित पर्यटकों के बीच कोई अधिक पारस्परिक सम्बन्ध दिखाई नहीं दे रहा है। अत: मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि क्या वह हमें इन 20 कार्यालयों के सम्बन्ध में प्रत्येक कार्यालय द्वारा उस क्षेत्र के प्रत्येक पर्यटक पर किए गए संवर्द्धनात्मक व्यय का ब्यौरा दे सकते हैं।

श्री एच. के. एल. भगत : महोदय, मुझे यह अवश्य ही कहना चाहिए कि मेरे पास प्रत्येक कार्यालय से सम्बन्धित यह सूचना नहीं है कि उसने इस पर कितना खर्च किया है तथा उसके नियंत्रणाधीन क्षेत्र से कितने पर्यटक आए हैं। इसका निर्धारण करते समय इस बात को ध्यान में रखा गया है। किन्तु किसी विशेष कार्यालय तथा विशेष जोन से आये पर्यटक यतायात से संबंधित किये गए व्यय के बारे में सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

सैयद शाहबुद्दीन : आप प्रति पर्यटक प्रति वर्ष या पिछले तीन वर्षों के व्यय के बारे में बता सकते हैं।

श्री एच. के. एल. भगत : उदाहरणार्थ, मैं आपको सामान्य रूप से बता सकता हूँ···

सैयद शाहबुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, मैं सारे व्यय के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। मैं प्रति पर्यटक किये गए व्यय के बारे में पूछ रहा हूँ···

अध्यक्ष महोदय : इसे एकत्र करके आपको दिया जा सकता है।

डा. डी. एन. रेड्डी : महोदय, यह एक आम शिकायत है कि विदेश में हमारे देश के विदेशी दूतावास हमारे देश के पर्यटकों को सहायता नहीं देते हैं। हमारे देश से अन्य देशों में गये पर्यटकों के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ? क्या आप हमारे दूतावासों को निर्देश देंगे ? कि वे उनके प्रति और अधिक सहायक तथा सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनायें। यह एक आम शिकायत है कि—वे हमारे पर्यटकों को बिल्कुल ही सहायता नहीं देते हैं। मैं सरकार की नीति जानना चाहूँगा। क्या आप हमारे देश से अन्य देशों को या पश्चिमी देशों को जाने वाले पर्यटकों को प्रोत्साहन देंगे अथवा नहीं ?

श्री एच. के. एल भगत : निश्चित रूप से, मैं माननीय सदस्य महोदय के साथ सहमत हूं कि हमारे देश से पर्यटक जब तक दूसरे देशों को जाएं तो उन्हें विदेशों में स्थित हमारे कार्यालयों के सभी सम्भव सौजन्य तथा सहयोग मिलना चाहिए।

रबड़ के पेड़ उगाने संबंधी अनुसंधान

*897. **प्रो. पी. जे. कुरियन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ बोर्ड ने रबड़ के पेड़ उगाने के विभिन्न पहलुओं पर कोई अनुसंधान किया है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में किये गए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस अनुसंधान का लाभ उत्पादकों को प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (घ) जी हां, रबड़ बोर्ड का रबड़ अनुसंधान संस्थान रबड़ की खेती के सभी सम्बन्धित पहलुओं के सम्बन्ध में अनुसंधान कर रहा है। उल्लेखनीय कार्य रबड़ की अधिक उपज देने वाली किस्मों को तैयार करने और अनुकूल अंतर्निविष्ट साधनों तथा पौध संरक्षण पद्धतियों का विकास करने से सम्बन्धित है। रबड़ उपजकर्ताओं को इस अनुसंधान से लाभ हुआ है और रबड़ की खेती के अन्तर्गत पर्याप्त क्षेत्र, जिसमें छोटे उपजकर्ताओं के क्षेत्र शामिल हैं, में अब अधिक उपज देने वाली किस्में लगी हैं। सिफारिश किये गए अन्तर्निविष्ट साधनों के पैकेज और पौध संरक्षण उपायों को अपनाने के क्षेत्र का भी विस्तार किया है।

प्रो पी. जे. कुरियन : महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने विवरण में कहा कि हमारे अनुसंधानकर्ताओं ने रबड़ की अधिक उपज वाली किस्में तैयार की हैं तथा इस अनुसंधान का पर्याप्त लाभ उत्पादकों को मिला है।

मैं यह जानना चाहूँगा कि इस अधिक उपज वाली किस्मों से कितना उत्पादन हुआ तथा इस सम्बन्ध में अन्य रबड़ उत्पादक देशों की तुलना में इसकी स्थिति क्या है।

यह भी कहा जाता है कि इसका अधिकतर लाभ बड़े भू-सम्पत्ति के स्वामियों को पहुँचा है। वह यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाएंगे कि अनुसंधान का लाभ छोटे उत्पादकों को भी मिले ?

श्री पी. शिवशंकर : पहला प्रश्न उत्पदकता में वृद्धि के सम्बन्ध में है। वर्ष 1951-52 में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 298 कि. ग्रा. थी। विभिन्न उपायों के कारण वर्ष, 1984-85 में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़कर 886 कि. ग्रा. हो गई। उत्पादकता में यह वृद्धि काफी है।

प्रश्न का दूसरा भाग जो माननीय सदस्य ने पूछा है छोटे उत्पादकों के सम्बन्ध में है। विभिन्न योजनाएं अनुसंधान प्रक्रिया के द्वारा उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से बनाई गईं। जहां तक छोटे उत्पादन का सम्बन्ध है, बड़े उत्पादकों को संबंध है, बड़े उत्पाकों को 3000 रु. की राज सहायता की तुलना में उन्हें 5000 रु. प्रति हेक्टेयर की राज-सहायता से साथ-साथ में भी ब्याज 3% सहायता दी जा रही है। इस प्रकार उन्हें प्रति हेक्टेयर 2000 रुपये अधिक मिलने के साथ-साथ के मामले में भी ब्याज 3% की राज-सहायता मिलती हैं।

इसके अलावा उन छोटे उत्पादनकर्त्ताओं को जिनके पास 6 हेक्टेयर से भी कम भूमि है उन्हें अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाते हैं जैसे कि आदान राज-सहायता, वृक्षारोपण की लागत की प्रतिपूर्ति, मृदा संरक्षण राज-सहायता तथा उर्वरकों के लिए :0% राज-सहायता दी जाती है। ये लाभ छोटे उत्पादकों को प्राप्त होते हैं।

प्रो. पी. जे. कुरियन : वास्तविकता यह है कि अधिकांश छोटे उत्पादनकर्त्ता अभी भी रबड़ की अधिक उपज देने वाली किस्म का प्रयोग नही कर रहे हैं और बागान मालिक ही इसकी अधिक उपज वाली किस्म का प्रयोग कर रहे हैं। यह मेरे पहले पूरक प्रश्न के संबध में है।

मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि अनुसंधान के परिणामों से यह पता चला है कि रबड़ के पौधे की नई किस्म का प्रयोग गैर परम्परागत क्षेत्र में किया जा सकता है। यह कहा गया है कि मरुस्थल में भी रबड़ की खेती की जा सकती है। लेकिन हमारे देश में इस दिशा में कोई व्यवहारिक रूप में कोई अनुसंधान नहीं किया गया है।

मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस संबध में हमारे देश में कोई अनुसंधान किया गया है। यदि नहीं हुआ है, तो क्या आप संबंधित रबड़ बोर्ड और विभाग से इस बारे में बात करेंगे ताकि इस दिशा में भी अनुसंधान किया जाए।

श्री पी. शिव शंकर : हमारे देश में इस दिशा में अनुसंधान किया गया है। इस अनुसंधान के परिणामस्वरूप हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र में रबड़ की खेती के विकास के उद्देश्य से विभिन्न कदम उठाए गए हैं। वर्ष 1984 में नर्सरियां, अनुसंधान फार्म, मुख्य रबड़ बगान और व्यापारिक केन्द्र स्थापित करने के उद्देश्य से 3 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। उस क्षेत्र में कार्यालय आदि स्थापित करने के लिए भी विभिन्न कदम उठाऐ गए हैं। यह विशेष अनुसंधान

कोई गैर परम्परागत क्षेत्रों में रबड़ की खेती करने के उद्देश्य से क्षेत्र को विकसित करने का प्रयास कर रहा है और जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने कहा है, इन क्षेत्रों में से एक पूर्वोत्तर क्षेत्र है।

सहकारी बैंकों की सहकार वित्त व्यवस्था

*898. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में राष्ट्रीय सहकारी संगठनों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहकारी बैंकों की सहकार वित्त व्यवस्था करने हेतु राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक का क्या भूमिका अदा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने राष्ट्रीय स्तर के सरकारी संगठनों के वित्त पोषण में राज्य सहकारी बैंकों को बैंकों के विभिन्न संघों के साथ मिलने की अनुमति देने का पहले ही निर्णय कर लिया है। राज्य सहकारी बैंकों को विभिन्न संघों के साथ मिलने की अनुमति तब दी जाएगी जब वे निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों :—

(1) उन्होंने अपने ऋण योग्य साधनों का 25 प्रतिशत अल्पकालीन कृषि ऋणों के लिए उपलब्ध कराए जाने की शर्त पूरी कर ली हो।

(2) उनके पास दिए जाने योग्य पर्याप्त दीर्घ कालीन साधन हों जिन्हें वे बैंकों के संघों के साथ मिलकर भाग लेने के लिए आसानी से अलग रख सकते हों।

(3) उनके पास दीर्घकालीन प्रकार के साधन होने चाहिए जिससे वे कम के कम 3 से 5 वर्ष की अवधि के लिए बैंकों के साथ मिलकर संघ बनाने की व्यवस्था में भाग ले सकें, ताकि इस व्यवस्था से उनके द्वारा अचानक धन निकालने की संभाव्यता से बचा जा सके।

राज्य सहकारी बैंकों/केन्द्रीय सहकारी बैंकों से अपने-अपने कार्य-निष्पादन बजट और ऋण योजनाएं सतत आधार पर तैयार करने के लिए कहा गया है। इस पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा नजर रखी जाएगी।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछ सकता हूं कि क्या यह सच है कि कृषि पुनर्वित्त विकास निगम देश में किसानों को दिए गये कृषि ऋणों पर उनसे 10 से 11 प्रतिशत की दर से ब्याज ले रहा है जबकि विश्व बैंक दीर्घकालीग कृषि ऋणों के लिए 0.75 प्रतिशत की दर से ब्याज ले रहा है। इस संबंध में मैं यह जानना चाहूंगा कि इतनी ऊंची दर पर ब्याज लेने के क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार देश में कृषि प्रयोजनों के लिए दीर्घ-कालीन ऋणों पर ब्याज की दर कम करने का है।

श्री जनार्दन पुजारी : राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक राज्य सहकारी बैंकों से

7% की दर पर ब्याज लेता है और ये सहकारी बैंक जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को 7.5 % की ब्याज की दर पर ऋण देते हैं।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय बैंक 9 % की ब्याज दर से सोसायटी को ऋण देते हैं। अत: ब्याज दर कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में सहकारी बैंकों और अनुसूचित बैंकों द्वारा ऋण दिए जाने के समय कृषि भूमि की कीमत बहुत कम नहीं आंकी जाती है। इसका क्या कारण है ?

श्री जनार्दन पुजारी : हम कृषि भूमि और औद्योगिक भूमि के बीच भेदभाव नहीं कर रहे हैं।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम को हुई हानि

*899. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधीन चल रहे मिलों में कितने मूल्य के माल का उत्पादन हुआ तथा वर्ष 1986-87 के दौरान कितने मूल्य के माल के उत्पादन होने की सम्भावना हैं;

(ख) क्या वर्ष 1985-86 के दौरान राष्ट्रीय कपड़ा निगम को कोई हानि हुई है और यदि हां, तो कितनी; और

(ग) उक्त निगम के अधीन चल रहे मिलों के कार्य-निष्पादन को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) 1985-86 के दौरान राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अन्तर्गत मिलों का उत्पादन मूल्य अनुमानत: 967.76 करोड़ रु. है। 1986-87 के दौरान उत्पादन मूल्य अनुमानत: 1010.00 करोड़ रु. रहने की संभावना है।

(ख) वर्ष 1985-86 (अप्रैल-85 से फरवरी 86) के दौरान राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत मिलों को 117.44 करोड़ रु. मूल्य का घाटा हुआ और उपरोक्त की अवधि के दौरान प्रबन्धित मिलों को 49.95 करोड़ रु. मूल्य का घाटा हुआ।

(ग) सीमित साधनों के साथ राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अन्तर्गत मिलों के निष्पादन में सुधार के लिए जो महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं वे निम्नलिखित अनुसार हैं :—

(I) विभिन्न उपलब्ध माध्यमों से काटक की समय पर अधिप्राप्ति के लिए प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

(II) ऐसी हानियों को पूरा करने के लिए कार्यशील पूंजी की प्रतिपूर्ति की गई है।

(III) बिजली की कमी को पूरा करने के लिए सेल्फ जैनेरेटिंग क्षमता उपलब्ध कराई गई है।

(IV) परिणामाभिमुख लाभों के लिए, सीमित साधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए चयनात्मक आधुनिकीकरण कार्यक्रम अपनाए गए हैं।

(V) सभी स्तरों पर उत्पादन लागत में कमी करने के लिए लागत-नियन्त्रण उपाय किये गये हैं।

(VI) गैर प्रचालनीय प्रशासनिक खर्चों में कमी करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(VII) ऊंची उत्पादकता प्राप्त करने के लिए प्रबन्ध में कामगार भागेदारी योजना को प्रोत्साहित किया जा रहा है, तथा

(VII) लागतों को घटाने के लिए, कार्यकुशलता तथा क्वालिटी में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम के कार्य निष्पादन की ध्यानपूर्वक निगरानी की जा रही है।

श्री उत्तम राठोड़ : उत्तर के भाग (ग) के (i) में मंत्री महोदय ने बताया है कि विभिन्न उपलब्ध माध्यमों से काटन की समय पर अधिप्राप्ति के लिए प्रबंध किए जा रहे हैं।

क्या मैं यह जान सकता हूँ कि ये कौन से माध्यम हैं ? गैर सरकारी संस्थायें हैं या सहकारी समितियां या भारतोय रुई निगम ?

श्री खुर्शीद आलम खां : वे सहकारी समितियां और भारतीय रुई निगम हैं।

श्री उत्तम राठोड़ : क्या मैं यह जान सकता हूँ कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम के कौन से एककों में सबसे अधिक हानि हो रही है और इनमें कौन से शहरी क्षेत्रों में हैं ?

श्री खुर्शीद आलम खां : 8 एकक हैं जिनमें 25 करोड़ रुपये की वार्षिक हानि हो रही है।

श्री डी. बी. पाटिल : उत्तर में यह बताया गया है, कि वर्ष 1985-86 (अप्रैल-85 से फरवरी 86) के दौरान राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत मिलों को 117.14 करोड़ रुपए मूल्य का घाटा हुआ और प्रबंधित मिलों को 49.95 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। क्या मैं इतनी अधिक हानि का कारण जान सकता हूं ?

श्री खुर्शीद आलम खां : इन यूनिटों की अवधि मेरे आपके जीवन से बहुत अधिक है। हम इन एककों से यह आशा नहीं कर सकते कि ये आर्थिक रूप से सक्षम हों लेकिन हानियों को कम करने के लिए हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रो. के. के. तिवारी : महोदय, यह आपत्तिजनक है। इसका अर्थ यह है कि आप उत्पादक कार्य कर रहे हैं और वे नहीं कर रहे हैं और लोगों को बदला जाना चाहिए। उनके कहने का ऐसा ही कुछ अर्थ है।

अध्यक्ष महोदय : वे केवल हमारे जीवन की तुलना कर रहे हैं न कि हमारी उत्पादकता की।

श्री के. एस. राव. : राष्ट्रीय वस्त्र निगम में हुई भारी हानियों को देखते हुए अब तक मंत्री महोदय ने इन हानियों के कारणों पर गम्भीरता से विचार किया होगा—मैं माननीय मंत्री जी से केवल यह जानना चाहता हूँ कि क्या वे अभी भी निराशावादी हैं या उन्हें यह पक्का विश्वास है कि ये मिलें उनके कार्यकाल में इस स्थिति को बदल देंगी।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : तिवारी जी, यह जीरो आवर से पहले कैसे बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आज इनको पहले कर देते हैं, जीरो आवर में इनको क्षमा कर देंगे।

[अनुवाद]

श्री खुर्शीद आलम खां : इस मंत्रालय में बहुत से मंत्रियों का ऐसा ही भाग्य रहा है। मैं नहीं सोचता कि मैं कुछ करिश्मा कर पाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : कम से कम कृपया आप आशावादी बनें।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न : प्रो. तिवारी।

प्रो. के. के. तिवारी : प्रश्न संख्या 900।

एक माननीय सदस्य : वे जीरो आवर के नजदीक हैं।

अध्यक्ष महोदय : महोदय क्या वे उसके अग्रदूत हैं।

राज्य व्यापार निगम द्वारा अर्जित लाभ और इसके द्वारा किये जा रहे निर्यात में वृद्धि करने के उपाय

*900. **प्रो. के. के. तिवारी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम को वर्ष 1985-86 के दौरान लाभ हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम ने वर्ष 1986-87 में अपनी एजेन्सियों के माध्यम से निर्यात में वृद्धि करने के लिए कोई योजनाएं तैयार की हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी. शिवशंकर) : (क) तथा (ख) 1985-86 के लिए कर देने के बाद अनन्तिम रूप से अनुमानित लाभ, 32 करोड़ रुपये है।

(ग) तथा (घ) राज्य व्यापार निगम ने, 1985-86 के लिए अनन्तिम रूप से अनुमानित 377 करोड़ रुपये के सीधे निर्यात की तुलना में वर्ष 1986-87 के दौरान सीधे निर्यात को 554 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है जिसमें 385 करोड़ रुपये का गैर सरणी बद्ध निर्यात भी सम्मिलित है।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : इनके प्रश्न में डबल जीरो है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने सोचकर किया है।

[अनुवाद]

प्रो. के. के. तिवारी : जैसा कि मेरे लिए कम समय है मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि बताये गये 32 करोड़ रुपये के कुल लाभ में से (1) सरणीबद्ध मदों (2) असरणीबद्ध मदों (3) औद्योगिक मदों और औद्योगिक कच्चे माल की बिक्री से हुए कुल लाभ की राशि कितनी है।

श्री पी. शिवशंकर : वर्ष 1985-86 में 2,522.7 करोड़ रुपये की कुल बिक्री हुई थी, व्यापारिक लाभ 104.5 करोड़ रुपये का था। कर देने से पहले 59 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था और कर देने के बाद जैसा कि मैंने बताया है 32.5 करोड़ रुपये का लाभ हुआ। जहां तक मदवार विवरण का संबंध है सरणीबद्ध भाग में यह 141.21 करोड़ रुपये की है, असरणीबद्ध में 231.78 करोड़ रुपये और अपतटीय 3.92 करोड़ रुपये हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

काजू का आयात और उसका उत्पादन बढ़ाने के उपाय

*887. **श्री थम्पन थामस** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में काजू का आयात बढ़ाया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं अथवा क्या प्रोत्साहन देने का विचार है, ताकि काजू उत्पादक काजू का उत्पादन बढ़ाने से प्रयास करें।

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी शिवशंकर) : (क) तथा (ख) उपलब्ध सांख्यिकियां (1982-83 तक) कच्चे काजू के आयात में गिरावट के रुख को दर्शाती है।

(ग) काजू के विकास के लिए कई राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में केन्द्र द्वारा प्रयोजित

एक योजना को अमल में लाया जा रहा है। इसके अलावा, एक बहु-राज्य काजू परियोजना को विश्व बैंक की सहायता से आरंभ किया गया है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा कपड़े का उत्पादन

*890. डा. वेंकटेश : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 और 1985 के दौरान तथा 30 अप्रैल, 1986 तक राष्ट्रीय कपड़ा निगम की प्रत्येक सहायक मिल में कपड़ा उत्पादन की दर क्या है और उनमें कितने धागे का निर्माण किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त अवधि के दौरान जनता कपड़े का उत्पादन बहुत कम किया गया है और इस प्रकार उसका वितरण भी कम हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(घ) राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने और उसके एककों को बन्द होने से बचने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) 1984, 1985 तथा 1986 (जनवरी से मार्च तक) वर्ष है और यार्न का सहायक निगम-वार उत्पादन निम्नवत था :—

सहायक निगम का नाम	मार्केट यार्न			कपड़े क उत्पादन		
	1984	1985	1986 (जनवरी मार्च) (अनन्तिम)	1984	1985	1986 (जनवरी-मार्च) (अनन्तिम)
1	2	3	4	5	6	7
एन. टी. सी. (डी. पी. आर.)	7.40	7.84	1.95	27.30	27.29	5.03
एन. टी. सी. (यू. पी.)	6.24	6.76	1.88	44.72	45.53	12.14
एन. टी. सी. (डब्लू बी. ए. बी. एण्ड. ओ.)	5.06	8.08	1.81	21.67	37.61	10.34
एन. टी. सी. (टी. एम. एण्ड पी.)	16.99	15.76	4.53	32.67	27.50	8.0

1	2	3	4	5	6	7
एन. टी. सी. (ए. पी. के. के. एण्ड. एम.)	13.57	14.81	3.69	59.40	58.73	15.33
एन. टी. सी. (एस. एम.)	5.97	6.95	1.92	162.37	173.70	42.31
एन. टी. सी. (एम. एम.)	2.58	4.17	0·86	147.09	167.35	41.91
एन. टी. सी. (गुज)	—	0.30	0.12	137.35	143.03	33.30
एन. टी. सी. (एम. पी.)	0.82	1.36	0.38	116.48	130,60	29.14
योग :	58.63	66.03	17.14	749.05	811.44	197.53

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सीमित साधनों के साथ राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अंतर्गत मिलों के निष्पादन में सुधार के लिए जो महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। उठाये जा रहे हैं वे निम्नलिखित अनुसार है :—

(1) विभिन्न उपलब्ध माध्यमों के काटन की समय पर अधिप्राप्ति के लिए प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

(2) ऐसी हानियों को पूरा करने के लिए कार्यशील पूंजी की प्रतिपूर्ति की गई है।

(3) बिजली की कमी को पूरा करने के लिए सैल्फ-जेनेरेटिंग क्षमता उपलब्ध करायी गयी है।

(5) परिणामामुख लाभों के लिए सीमित साधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए चयनात्मक आधुनिकीकरण कार्यक्रम अपनाये गये हैं।

(5) सभी स्तरों पर उत्पादन लागत में कमी करने के लिये लागत नियंत्रण उपाय किये गये हैं।

(6) गैर-प्रचालनीय प्रशासनिक खर्चों में कमी करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(7) ऊंची उत्पादकता प्राप्त करने के लिए प्रबन्ध में कामगार भागीदारी योजना को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

लौंग का आयात

*901. **श्री एन. डेनिस** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "ओपन जनरल लाइसेंस" (खुले सामान्य लाइसेंस) योजना के

अन्तर्गत लौंग का आयात करने की अनुमति दी है

(ख) किन-किन देशों से लौंग का आयात करने की अनुमति दी गई है;

(ग) लौंग के आयात सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसका आयात किये प्रयोजन अर्थात् वाणिज्यक, चिकित्सा अथवा वैयक्तिक प्रयोग के लिए किया गया है;

(घ) फर्मों अथवा व्यक्तियों को एक समय में कितनी मात्रा में इसका आयात करने की अनुमति दी गई है; और

(ङ) लौंग के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा का व्यय होगा ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी. शिवशंकर) : (क) जी हां।

(ख) जबकि ऐसे सभी देशों से, जिन देशों के साथ भारत के व्यापार सम्बन्ध हैं, आयात की अनुमति है, जो देश भारत को लौंग का निर्यात करते हैं उनके नाम हैं : इन्डोनेशिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, जाम्बिया तथा जैरे।

(ग) से (ङ) लौंग के आयात की अनुमति वाणिज्यक, चिकित्सा सम्बन्धी और व्यक्तिगत प्रयोग के लिए सभी व्यक्तियों द्वारा खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत है। 1981-82 और 1982-83 के दौरान आयात की गई लौंग की मात्रा और मूल्य सहित उसके आयात का संलग्न विवरण है। 1982-83 के बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

आयात आंकड़े राज्यवार तथा फर्म/आयातक वार नहीं रखे जाते।

विवरण

मात्रा हजार किग्रा में मूल्य

(लाख रुपये में)

क्र. सं. मद/देश का विवरण	1981-1982		1982-1983	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5
1. लौंग निस्सारित				
इंडोनेशिया	7	3.78	—	—
पाकिस्तान	4	5.63	1	1.33
सिंगापुर	381	297.84	563	470.80
श्रीलंका	6777	728.84	448	595.80
तंजानिया गणराज्य	53	44.88	523	:53.42
जाम्बिया	20	15.87	16	15.46

1	2	3	4	5
जैरो गणराज्य	13	12.67	10	9.56
अन्य	15	10.84	27	26.14
योग	1170	1120.35	1588	1671.76
2. लौंग अनिस्सारित				
सिंगापुर	30	28.28	57	46.94
श्रीलंका	94	113.61	54	72.38
जाम्बिया	5	3.93	3	3.12
अन्य	—	—	6	6.86
योग	129	145.82	120	129.30

स्रोत: 1. 1981-82 के लिए : डी. जी. सी. आई. एण्ड एस कलकत्ता द्वारा प्रकाशित मंथली स्टेटिस्टिक्स आफ फारन ट्रेड आफ इंडिया वाल्यूम II (आयात)

II. 1982-83 के लिए : डी. जी. सी. आई. एण्ड एस, कलकत्ता से आर्थिक सलाहकार के कार्यालय में प्राप्त किय गए अग्रिम आंकड़े।

चौथे वेतन आयोग का प्रतिवेदन

*902. **श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव :**
श्री कमला प्रसाद सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1983 में नियुक्त किए गए चौथे वेतन आयोग का प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किए जाने में विलम्ब होने के कारण सरकारी कर्मचारियों में व्याप्त गम्भीर चिन्ता की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(ग) कब तक प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) इसे किस तारीख से कार्यान्वित किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्शदाता तंत्र) का कर्मचारी पक्ष चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग से अपनी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने का अनुरोध करने के लिए सरकार से आग्रह करता रहा है। तथापि, यह बताया जाता है कि पिछली परम्पराओं के आधार पर चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के लिए समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) और (घ) : इस अवस्था में समय बताना सम्भव नहीं है कि आयोग की रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत की जाएगी और किस तारीख से उसे कार्यान्वित किया जाएगा।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों का आधुनिकीकरण और विस्तार

*903. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम की कितनी मिलों का अब तक आधुनिकीकरण किया जा चुका है;

(ख) राष्ट्रीय कपड़ा निगम की रिलों के आधुनिकीकरण तथा विस्तार पर अब तक कितनी धनराशी खर्च की गई है;

(ग) इस आधुनिकीकरण तथा विस्तार कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप इन मिलों की उत्पादन क्षमता में कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) इन मिलों की बेकार पड़ी मशीनों के निपटान के लिये क्या कदम उठाये गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत इकाइयों में मशीनों का आधुनिकीकरण / नवीकरण एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। दिसम्बर, 1985 तक, आधुनिकीकरण और नवीकरण पर रु. 330.20 करोड़ खर्च किए गए हैं।

(ग) आधुनिकीकरण के पहले और बाद में उत्पादन क्षमता का एक तुलनात्मक चित्र नीचे दिया गया है :—

उत्पादन क्षमता	1975-76	1985-86 (जनवरी 86)
कताई		
(I) संस्थापित	28,42,414	30,49,272
(II) आरम्भ	27,21,826	29,04,856
करघे		
(I) संस्थापित	44,012	42,261*
(II) आरम्भ	41,674	39,256

(*अलाभकारी क्षमताएं हटा दी गई है)

(घ) राष्ट्रीय कपड़ा निगम की सहायक निगमें पुरानी और बेकार पड़ी मशीनों और उपकरणों का उनको दिए गए निर्देशों के अनुसार निपटान करती हैं।

केरल को "जनता" कपड़े पर दी गई आर्थिक राज सहायता

*904. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985-86 में केरल और अन्य राज्यों को "जनता" कपड़ा दिया

गया था;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार "जनता" कपड़े पर कोई आर्थिक राज सहायता देती है; और

(ग) यदि हां, तो केरल को दिए गए "जनता" कपड़े पर आर्थिक राज सहायता के रूप में कितनी राशि दी गई ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां । 1985-86 में "जनता" कपड़ा केरल तथा अन्य राज्यों को आबंटित किया गया था।

(ख) "जनता" कपड़े की बिक्री पर 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर पर उपदान दिया जा रहा है।

(ग) 1985-86 के दौरान केरल द्वारा उत्पादित और बेचे गए जनता कपड़े के लिए दी गई उपदान राशि 17.99 लाख रुपए रही।

राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक में निधियां

*905. **श्री सुभाष यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक के पास इस समय जो निधियां हैं उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) 31 दिसम्बर, 1985 को इन निधियों में कितनी धनराशि थी;

(ग) उसमें से कितनी धनराशि का उपयोग निर्धारित प्रयोजनों के लिए किया गया; और

(घ) ये निधियां किस प्रयोजन के लिए स्थापित की गई थीं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की निधियों और 31.12.1985 को इन निधियों में उपलब्ध राशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। जिन प्रयोजनों के लिए ये निधियां स्थापित की गई हैं, उनका ब्यौरा और 31.12.1985 को इनमें से दिए गए ऋणों और अग्रिमों की बकाया रकम तथा इन निधियों में से 31.12.1985 को दिए गए अनुदानों, जैसी भी स्थिति हो, का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की निधियों का ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

	निधि का नाम	31.12.1985 को उपलब्ध राशि
	1	2
1.	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालीन परिचालन) निधि	2292

1		2
2.	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	653
3.	अनुसंधान और विकास निधि	20.05
4.	प्रारक्षित निधि और अन्य निधियां :	
	(I) प्रारक्षित निधि	89.03
	(II) पूंजी प्रारक्षित निधि	74.80
	(III) ब्याज अन्तर निधि	0.55
	(IV) मार्जिन मनी के लिए उदार ऋण सहायता निधि	2.00

विवरण-II

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में स्थापित विभिन्न निधियों के प्रयोजनों को दर्शाने और इन प्रयोजनों के उपयोग को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए)

निधि का नाम	प्रयोजन	31.12.1985 को बकाया राशि
1	2	3
1. राष्ट्रीय ग्रामीण कृषि ऋण (दीर्घकालीन परिचालन) निधि	(i) राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय बैंकों को ऋण तथा अग्रिम।	170.39
	(ii) राज्य भूमि विकास बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, अनुसूचित बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित अन्य वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त के रूप में ऋण और अग्रिम।	1663.54
	(iii) राज्य भूमि विकास बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, अनुसूचित बैंकों अथवा	0.59

1	2	3
	रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए बांडों अथवा ऋण पत्रों की खरीद अथवा बिक्री अथवा अंशदान ।	
	(iv) कारीगरों, लघु उद्योगों, अति लघु और विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के उद्योगों, ग्राम्य और कुटीर उद्योगों तथा हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्पों में कार्यरत व्यक्तियों को ऋण और अग्रिम उपलब्ध कराने के लिए राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, अनुसूचित बैंकों और रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित अन्य वित्तीय संस्थाओं को ऋण और अग्रिम तथा इन ऋणों की वापसी अदायगी के पुनर्निधारण के लिए ऋण और अग्रिम ।	शून्य
	(v) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कृषि और ग्रामीण विकास से संबद्ध कृषि संस्था की प्रतिभूतियों में निवेश अथवा शेयर पूंजी में अंशदान अथवा शेयरों की बिक्री और खरीद ।	शून्य
	(vi) सहकारी समितियों की शेयर पूंजी में अभिदान के लिए राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम ।	102.90

1	2	3
2. राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	राज्य सहकारी बैंकों या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित अन्य वित्तीय संस्थाओं को ऋण और अग्रिम, ताकि वे राष्ट्रीय बैंक की उन मामलों में बकाया रकमें चुका सकें जिनमें प्राकृतिक विपदाओं, सैनिक कार्रवाई आदि द्वारा ऐसे बैंकों/संस्थाओं द्वारा वापसी अदायगी पर प्रभाव पड़ा हो।	134.33
3. अनुसंधान और विकास निधि	कृषि, कृषि कार्यों और ग्रामीण विकास में महत्व के मामलों पर खर्च, जिनमें प्रशिक्षण और अनुसंधान सुविधाओं के लिए व्यवस्था, प्रशिक्षण के लिए अनुदान देने, सूचना के प्रसार और अनुसंधान को बढ़ावा देने की व्यवस्था भी शामिल है। इसमें ग्रामीण बैंकिंग कृषि और कृषि विकास के क्षेत्र में अध्ययन, अनुसंधान, तकनीकी आर्थिक तथा अन्य सर्वेक्षण शामिल हैं और अधिछात्रवृत्तियों और पीठों की स्थापना भी शामिल है।	0.48 (31.12.1985 तक अनुदान के रूप में दी गई राशि)
4. प्रारक्षित निधि और अन्य निधियां :		
(i) प्रारक्षित निधि (ii) पूंजी प्रारक्षित निधि	राष्ट्रीय बैंक के सामान्य साधनों को बढ़ाना।	चूंकि सामान्य परिचालनों की आवश्यकताओं का खर्च सामूहिक रूप से किया जाता है, इसलिए प्रारक्षित निधियों में से

1	2	3
		साधनों द्वारा किए गए व्यय को अलग से दिखाया जाना कठिन है।
(iii) ब्याज अन्तर-निधि	के. एफ. डब्ल्यू. के साथ किए गए विकास ऋण के करार के अनुसार इस निधि का प्रयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाना है :—	
	(i) होशंगाबाद जिले में बैंकों के कर्मचारियों का प्रशिक्षण। (ii) होशंगाबाद जिले में जरूरतमंद किसानों के लिए ऋण संवर्धन उपायों में आर्थिक सहायता। (iii) होशंगाबाद जिले में विकास नीति की दृष्टि से संवर्धन के योग्य कृषि क्षेत्र के अन्य उपाय।	0.008 (31.12.1985 तक अनुदान के रूप में दी गई राशि)
(iv) मार्जिन मनी के लिए उदार ऋण सहायता निधि	सम्भावित उद्यमियों को उदार ऋण ताकि वे कुटीर, अति लघु और ग्राम्य उद्योगों को राष्ट्रीय बैंक के पुनर्वित्त योजना के अधीन मार्जिन मनी की अपेक्षाओं को पूरा कर सकें।	शून्य

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा विदेशों में चलाए जा रहे होटल-रेस्तरां

*906. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा विदेशों में कितने होटल-रेस्तरां चलाए जा रहे हैं;

(ख) ये किन-किन स्थानों पर चलाए जा रहे हैं;

(ग) इन होटलों और रेस्तराओं के खोले जाने के समय से लेकर अब तक इनसे प्रति वर्ष कितनी आय हुई है;

(घ) क्या वर्ष 1986 के दौरान सरकार का विदेशों में और होटल खोलने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम विदेशों में कोई होटल/रेस्तरां नहीं चला रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को यूनिलीवर की सहायक कम्पनी का दर्जा बनाए रखने की अनुमति

8484. **श्री सोडे रमैया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को यूनिलीवर पी. एल. सी. (यू. के.) की सहायक कंपनी का दर्जा बनाये रखने के बारे में दी गई अनुमति पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां। कुछ क्षेत्रों से इस आशय के सुझाव प्राप्त हुए हैं कि मेसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि. को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की धारा 29(2) (क) के अन्तर्गत 51 प्रतिशत अनिवासी हिताधिकारों को धारित करने की जो अनुमति दी जा चुकी है उस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

(ख) ऐसी स्थिति को छोड़कर जिससे कम्पनी अनुमोदन की किसी शर्त/उपबंध का उल्लंघन करे, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम उसके अन्तर्गत बनाए गए दिशानिर्देशों में इस अधिनियम के अन्तर्गत दी गई किसी अनुमति का पुनरीक्षण करने अथवा उस पर पुनः विचार करने की व्यवस्था करने के लिए कोई उपबंध विद्यमान नहीं है।

आयकर का अपवंचन रोकने के उपाय

8485. **श्री सनत कुमार मंडल** :

श्री आनन्द सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 फरवरी, 1986 के "इकानोमिक टाइम्स" नई दिल्ली में "बिगैस्ट आई. टी. कैच इन डिकेड्स" शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) इतने वर्षों तक स्थानीय आयकर अधिकारियों के निष्क्रिय रहने और उसके द्वारा इस प्रकार की धोखाधड़ी पहले नहीं पकड़े जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) आयकर के इस प्रकार के अपवंचन और धोखाधड़ी को रोकने के लिए विभागीय स्तर पर सुधारात्मक उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) और (ख) जी, हां। इस आशय की प्राप्त सूचना के आधार पर कि मै. नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि., हैदराबाद ने अपनेप्राइवेट प्लेस्मेंट इशू में पर्याप्त शेयरधारिता जाली नामों में आवंटित कर रखी है, आयकर विभाग द्वारा बम्बई और हैदराबाद में मै. नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि. और अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों के मामले में 13 फरवरी, 1986 को तलाशियां ली गई थीं। इन तलाशियों में प्रथम दृष्टया लगभग 5 लाख रुपये मूल्य की अन्य लेखा-बाह्य परिसम्पत्तियों के पकड़े जाने के अतिरिक्त, प्रथम दृष्टया 2.54 करोड़ रुपये से अधिक के अंकित मूल्य की शेयर-रसीदें जारी करने में की गई हेराफेरी का पता चला है।

(ग) और (घ) आयकर विभाग द्वारा प्रारंभिक जांच दिसम्बर, 1985 में की गई थी और कंपनी द्वारा औपचारिक रूप से व्यापार आरंभ करने से पहले ही कंपनी द्वारा किए गए कपटपूर्ण लेनदेन का पता चला लिया गया था। इसलिए आवश्यक कार्रवाई करने में कोई देरी नहीं हुई है।

जब भी कभी ऐसे कर-अपवंचन के बारे में कोई विशिष्ट जानकारी मिलती है या अन्यथा एकत्र की जाती है तब आयकर विभाग उसका पता लगाने के लिए सर्वेक्षण/तलाशी की कार्रवाई करता है।

बांड जारी करने की नई योजना के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा वित्तीय सहायता की मांग

8486. **श्री अनादि चरण दास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने बांड जारी करने की नई योजना के लिए वित्तीय सहायता और विदेशी उपकरण सप्लायरों से उपकरण के लिए ऋण की मांग की है;

(ख) प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकार ने विभिन्न विदेशी उपकरण सप्लायरों से प्राप्त प्रस्ताव भी भेजे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) उड़ीसा सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया था कि वह उड़ीसा विद्युत प्रजनन निगम को अपनी आई. बी./ तापीय परियोजना का वित्त पोषण करने के लिए निम्नलिखित योजनाओं में से किसी स्कीम को अपनाने की अनुमति दे।

(1) इक्विटी जारी करने, उपस्कर ऋण (मुख्य उपस्करों के लिए) जुटाने और शेष राशि के लिए ऋण बांड जारी करने की स्कीम।

(2) इक्विटी और ऋण बांड स्कीम।

चूंकि यह निर्णय लिया गया था कि फिलहाल विद्युत क्षेत्र के राज्य सरकारों के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बांडों के निर्गम के जरिए संसाधन जुटाने के लिए सुविधा नहीं दी जानी चाहिए, इसलिए उड़ीसा सरकार को आई. बी. तापीय परियोजना के वित्त पोषण के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने को कहा गया था।

[हिन्दी]

मै. गुप्ता कैबल्स प्राइवेट लिमिटेड, भुवनेश्वर द्वारा कर अपवंचन

8487. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या वित्त मंत्री मै. गुप्ता कैबल्स प्राइवेट लिमिटेड, भुवनेश्वर द्वारा करों के अपवंचन के बारे में दिनांक 16 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4164 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंपनी द्वारा कर अपवंचन के सम्बन्ध में इस बीच जांच पूरी कर ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि की कर-चोरी की गई है; और

(ग) यदि अभी तक जांच पूरी नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) इस ग्रुप से सम्बन्धित मामले कलकत्ता में एक कर-निर्धारण अधिकारी के पास केन्द्रीयकृत कर दिए गए थे जिससे बारीकी से तथा समन्वित जांच की जा सके। की गई जांच-पड़ताल के आधार पर, 1972-73, 1974-75 और 1975-76 वर्षों के सम्बन्ध में पर्याप्त वृद्धियां की गई हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

संचयनी सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट (इं.) लिमिटेड के विरुद्ध शिकायतें

8488. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें वर्ष 1985-86 के दौरान मै. संचयनी सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट (इं.) लिमिटेड, कलकत्ता के विरुद्ध संचयनी इन्वेटर्स एसोसिएशन, खेत्री नगर (राजस्थान) से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों का स्वरूप क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निवेशकर्ताओं के हितों की रक्षा करने हेतु कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो निवेशकर्ताओं को धोखा देने के आरोपों पर उक्त कंपनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) संभवतः माननीय सदस्य प्रधान मंत्री को सम्बोधित दिनांक 6 अक्तूबर, 1985 के अपने पत्र और वित्त मंत्री को सम्बोधित दिनांक 23 फरवरी, 1986 और 11 मार्च, 1986 के अपने उन पत्रों का उल्लेख कर रहे हैं जिनके साथ उन्होंने जमशेदपुर नागरिक परिषद संचयनी इन्वेस्टर्स एसोसिएशन, खेतड़ी नगर जिला झुंझनू (राजस्थान) और कलकत्ता की श्रीमती ममता गुहा के अभ्यावेदनों भेजे हैं। इन अभ्यावेदनों में अन्य बातों के साथ-साथ मैसर्स संचयनी सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट (प्राई.) लिमिटेड द्वारा परिपक्व सर्टिफिकेटों का भुगतान न करने, चैकों के न काटे जाने और लाभांश अदा न करने के आरोप लगाए गए हैं।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इस कंपनी का प्रधान कार्यालय कलकत्ता में है और यह 23-9-1978 को निगमित की गई थी। इनामी चिट और धन परिचालन योजनाएं (पाबन्दी) अधिनियम, 1978 के लागू हो जाने के तुरंत बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने, जिसे इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिकार प्राप्त हैं, कंपनी के अपने अधिकार का परिसमापन करने के लिए नोटिस जारी किया था। इसके बाद कंपनी ने अपनी गतिविधियों पर अधिनियम के लागू होने को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर दी थी। यह याचिका उच्च न्यायालय में अभी विचाराधीन है इसलिए यह मामला न्यायाधीन है।

शत्रु सम्पत्ति के दावों की राशि का वितरण

8489. **श्री साइमन तिग्गा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान कलकत्ता से प्रकाशित 6 मार्च, 1986 के "टेलीग्राफ" में "एनिमी प्रोपर्टी एक्सग्रेसिया रूपीयन 30 करोड़ डिस्बर्स्ड विदआउट वैरीफिकेशन" शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो बिना जांच-पड़ताल के कोई राशि वितरति की गई है, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ग) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षेएण के पास कितने मामले लम्बित पड़े हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) जी हां।

(ख) सभी अनुग्रही भुगतान रिपोर्टों का सत्यापन प्राप्त होने के बाद अधिकृत करने होते हैं।

(ग) प्रतिरूपण तथा जाली दस्तावेजों से सम्बन्धित कथिक अनियमितताओं के कुछ मामलों की जांच हो रही है।

(घ) लगभग 14,600 मामले लम्बित है।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा सी. जे. इंटरनेशनल होटलों को दिए गए ऋण

8490. **श्री आनन्द पाठक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा सी. जे. इन्टरनेशनल होटलों को कितनी राशि के ऋण दिये गये हैं;

(ख) ब्याज और किश्त के भुगतान के रूप में उनकी ओर कितनी राशि देय है; और

(ग) यह ऋण कितनी गारन्टी पर दिये गये और गारन्टी का मूल्य क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार वित्तीय संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम और भारतीए औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक ने दिनांक 31 जनवरी, 1986 तक सी. जे. इंटरनेशनल होटलस को ऋणों के रूप में कुल1423.95 लाख रु. की राशि संवितरित की है ।

(ख) और (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले कानूनों के उपबन्धों तथा सरकारी वित्तीय संस्थाएं (विश्वस्तता और गोपनीयता के प्रति बाध्यता) अधिनियम, 1983 के उपबन्धों के अनुसरण में सरकारी क्षेत्र के बैंकों और सरकारी वित्तीय संस्थाओं के ग्राहकों के संबंध में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती ।

टैक्समार्क के लिए लाइसेंस

8491. **श्री आर. एम. माने** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टैक्समार्क के लाइसेंस के लिए महाराष्ट्र से विशेषकर कोल्हापुर से प्राप्त कितने आवेदन पत्र केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़े हुए हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार 31 मार्च 1986 के अन्त तक महाराष्ट्र राज्य वस्त्र आयुक्त के कार्यालय में प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या 725 थी जिसमें से 91 आवेदन कोलापुर जिले के थे ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित किये जाने वाले पंजीकरण प्राधिकारियों पंजीकरण के प्रमाणपत्रों के मामले पर विचार करेंगे ।

भारतीय खाद्य निगम के जोनल ढांचे का पुनर्गठन

8492. **श्री कल्याण सिंह सोलंकी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम ने अपने उत्तरी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र का विभाजन करने और अपने क्षेत्रीय ढांचे का पुनर्गठन करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या क्षेत्रीय ढांचे के पुनर्गठन हेतु विशेषकर कर्मचारियों को क्षेत्र आवंटित करने और उनकी वरीयता निर्धारित करने आदि के मामले में कर्मचारी यूनियनों से परामर्श किया गया है उन्हें विश्वास में लिया गया है ?

योजना मन्त्रालय में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बीड़ियों पर कर

8493. **श्री आयनल अबेदिन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बीड़ी उद्योग द्वारा प्रतिवर्ष तम्बाकू और केन्दु-पत्तों की कितनी मात्रा का प्रयोग किया जाता है तथा उनका मूल्य रुपयों में कितना है;

(ख) बीड़ी उद्योग में प्रयोग किये जाने वाले तम्बाकू की प्रत्येक किलोग्राम मात्रा पर तथा प्रति 1000 ब्रांड नाम वाली बीड़ियों पर उत्पादन-शुल्क की दरें क्या हैं ;

(ग) तम्बाकू और ब्रांड नाम वाली बीड़ियों पर पृथक-पृथक सरकार द्वारा उत्पादन शुल्क के रूप में प्रति वर्ष कुल कितनी राशि वसूल की जाती है;

(घ) केन्द्रीय सरकार को बीड़ी उद्योग से आयकर के रूप में कुल कितनी धनराशि प्राप्त होती है तथा राज्यों के राजकोष को चुंगी के रूप में कितनी प्राप्त होती है;

(ङ) क्या सरकार ने बीड़ी उद्योग को दोहरे कराधान, अर्थात् कच्चे माल (तम्बाकू) और तैयार माल (ब्रांड नाम वाली बीड़ियों) पर कराधान से मुक्त करने का निर्णय किया है; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्ष 1979 में देश में बीड़ी उद्योग द्वारा उपयुक्त तम्बाकू तथा केन्दु पत्तियों की वार्षिक अनुमानित लागत मात्रा क्रमशः 1.3 लाख मी. टन तथा 4.0 लाख मी. टन था। तम्बाकू का औसत मूल्य 3/- रुपये प्रति किलोग्राम से 5/- रुपये प्रति किलोग्राम के बीच था तथा केन्दु पत्तियों का औसत मूल्य 1.10 रुपये प्रति किलोग्राम था।

(ख) बीड़ियों के विनिर्माण में प्रयुक्त किये जाने वाले तम्बाकू पर कोई उत्पादन शुल्क नहीं लगता है। ब्रांड वाली बीड़ियों पर प्रति एक 1000 बीड़ियों के अनुसार उत्पादन शुल्क की दर निम्नानुसार है :—

	हाथों से बनाई गई बीड़ियां	मशीन द्वारा बनाई गई बीड़ियां
मूल उत्पादन शुल्क	2.85	6.30
औसत उत्पादन शुल्क	0.90	2.00
उपकर	0.10	0.10

(ग) वर्ष 1983-84, 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान ब्रांड वाली बीड़ियों पर वसूल किए गए उत्पादन शुल्क की कुल राशि (उपकर सहित) क्रमश: 132.69 करोड़ रुपये, 131.74 करोड़ रुपये तथा 144.87 करोड़ रुपये थी। ऊपर (ख) को देखते हुए तम्बाकू से वसूली गई राशि "कुछ नहीं" है।

(घ) जहां तक बीड़ी उद्योग से आयकर की वसूलियों का सम्बन्ध है, यह सूचना विभाग के रजिस्टरों में तत्काल उपलब्ध नहीं है। इस ब्यौरा को सारे देश में अलग-अलग बीड़ी निर्माताओं के मामलों की छानबीन करके एकत्र किया जाना होगा जिस पर लगने वाली कुल लागत तथा समय और धन, उससे प्राप्त की गई सूचना के महत्व के अनुरूप नहीं होगी। बीड़ी उद्योग में लगे किसी निर्धारित विशेष के बारे में सूचना एकत्र करके प्रस्तुत की जा सकती है।

(ङ) तथा (च) चूंकि बीड़ी निर्माण में प्रयुक्त अनिर्मित तम्बाकू पर कोई शुल्क नहीं लगता है, इसलिए बीड़ी उद्योग को दोहरी कराधान प्रणाली की सीमा से पहले ही छूट प्राप्त है।

हिप्पी पर्यटक

8494. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के क्या नाम हैं जो भारत हिप्पी पर्यटक भेजते हैं;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान कितने हिप्पी भारत आये और देश-वार तथा वर्ष-वार उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हिप्पी पर्यटकों के भारत में ठहरने की अवधि पर कोई पाबन्दी है यदि हां, तो ऐसे पर्यटक अधिक से अधिक कितनी अवधि तक भारत में ठहर सकते हैं;

(घ) क्या देश में ऐसे पर्यटकों की जीवन शैली तथा गतिविधियों के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) गत पांच वर्षों के दौरान ऐसे कितने हिप्पी पर्यटकों को, भारत से निकाला गया और उनका वर्ष-वार तथा देश-वार ब्यौरा क्या है और उनके निकाले जाने के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य और पर्यटक मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क), (ख) और (च)

पर्यटक विभाग ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखता। इसके अलावा, 'हिप्पी' की किसी एक स्वीकृत परिभाषा के अभाव में ऐसे आंकड़े संकलित कर पाना संभव नहीं है।

(ग) सभी पर्यटक पर्यटक वीजा सम्बन्धी सामान्य नियमों द्वारा शासित होते हैं।

(घ) और (ङ) सभी पर्यटकों की जीवन-शैली और गतिविधियों पर सम्बन्धित राज्य सरकारें/ संघ शासित क्षेत्र निगरानी रखते हैं। गोआ सरकार ने इनके विरुद्ध मादक-द्रव्यों के अपराध से कई मामले दर्ज किये हैं। तथापि, किसी अन्य राज्य/संघ शासित क्षेत्र ने पर्यटकों की वजह से कानून और व्यवस्था की कोई समस्या नहीं बताई है।

ओपन जनरल लाइसेंस के अन्तर्गत आयात की मांग

8495. **श्री रेणुपद दास :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ओपन जनरल लाइसेंस के अंतर्गत दिये जाने वाले सभी आयातों को वास्तविक आयात से पूर्व तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकृत कराना आवश्यक होता है;

(ख) वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान पंजीकरण योजना के अंर्गत किस-किस देश से जितनी मात्रा और मूल्य के आयात किये गये; और

(ग) आयातकों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक द्वारा किए गए आयात की मात्रा लागत बीम-भाड़ा दर, कुल मूल्य, आयात की तारीख और मूल देश का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी. शिवशंकर) : (क) जी नहीं।

खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत केवल कुछ मदों के आयात को डी. जी. टी. डी. में पंजीकृत कराना आवश्यक है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) आयात आंकड़े आयातक-वार नहीं रखे जाते हैं।

विवरण

क्रमांक	मद का नाम	1984-85		1985-86		आयातक देश
		मात्रा (एमटी)	मूल्य	मात्रा	मूल्य रु.	
1		2	3	4	6	7
1.	कास्टिक सोडा	305	19,82,500 रु.	1,21,040	1,53,72,000	बेल्जियम, सऊदी अरब, ब्रिटेन, स्वीडन

1	2	3	4	5
2. सोडा ऐस	72.390	91,93,530 अ.डालर	1,92,654	2,31,18,480 अ.डालर सं. रा. अमरीका, बल्गारिया, पूर्वी अफ्रीका, रूमानिया, पोलैंड, सिंगापुर, प. जर्मनी, हांगकांग, द. अरेबिया, जापान
3. तांबा स्क्रेप	21,197	2,56,69,567 डालर	35,977	3,31,34,817 द. अरेबिया, सिंगापुम, ब्रिटेन, दुबई, युगोस्लाकिया कुवैत, मलयेशिया।
4. पी बी. सी. रेजिन	2,05,866	12,31,07,868,,	1,79,728	11,28,69,184 द. कोरिया, यूगोस्लाविया, स्पेन, मैक्सिको, रूमानिया द. जर्मनी, बल्गारिया सिंगापुर, जैनेवा, स. रा. अमरीका।
5. लकड़ी की लग्दी	43,958	2,70,34,170,,	43,895 (अप्रैल से सितम्बर, 85)	2,25,62, 030 स्वीडन, जापान, कनाडा, स. रा. अमरीका, आस्ट्रेलिया, स्विजटरलैंड
6. संश्लिष्ट रबड़	14,397	4,85,46,684,,	—	— जापान, फ्रांस, सिंगापुर, स्विजटलैंड, चीन, स. रा. अमरीका, नीदरलैंड।

फटे-पुराने करेन्सी नोटों का दुर्विनियोग

8496. श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फटे पुराने करेन्सी नोटों के दुर्विनमोग के मामले सरकार की जानकारी में लाये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) तथा (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने यह बताया है कि 1983, 1984 और 1985 में उसके विभिन्न कार्यालयों में फटे पुराने करेंसी नोटों की उठाईगिरी, चोरी, प्रतिस्थापन आदि के आठ मामले पकड़े गए हैं, इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। बताया गया है कि इनमें से प्रत्येक मामले में रिजर्व बैंक ने कार्रवाई की है।

विवरण

फटे पुराने नोटों की उठाईगिरी चोरी, प्रतिस्थापन के मामलों का ब्यौरा :

क्रम सं.	तारीख	कार्यालय	संक्षिप्त विवरण
1	2.	3.	4.
1.	12. 1. 83	भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर	सौ-सौ रुपये के पांच कटे-फटे नोट जिनका नोट प्रत्यर्पण नियमों के अधीन बैंक के हैदराबाद कार्यालय द्वारा पहले भुगतान कर दिया गया था, भुगतान के लिए पुनः बैंक के नागपुर कार्यालय में प्रस्तुत किए गए।
2.	24. 3. 83	भारतीय रिजर्व बैंक जयपुर	जांच के बाद रद्द किए गए शेष नोटों को अपने अधिकारा में लेते समय संयुक्त अभिरक्षकों द्वारा 9,800 रुपये के नोट कम पाए गए।
3.	2. 5. 83	भारतीय रिजर्व बैंक, हैदराबाद	एक टेलर द्वारा लिए दिए गए नोटों की जांच के दौरान 29,933 रुपये के मूल्य के नोट कम पाए गए और ऐसे कटे फटे नोट पाये गये जिन्हें उनके स्तर पर अच्छे नोटों में नहीं बदला जा सकता था।
4.	7. 9. 83	भारतीय रिजर्व बैंक, हैदराबाद	पांच रुपये के मूल्य का एक फटा नोट जिसका नोट प्रत्यर्पण अधिनियम के नियमों के अनुसार भुगतान कर दिया गया था, भुगतान के लिए पुनः बैंक के काउंटर पर प्रस्तुत किया गया।
5.	5. 11. 83	भारतीय रिजर्व बैंक, मद्रास	भारतीय स्टेट बैंक की मद्रास मुख्य शाखा से प्राप्त फटे पुराने नोटों की विस्तृत जांच के दौरान 100 रुपये का एक ऐसा नोट पाया गया जिसके मुख भाग पर नोट जांच कर्त्ता की मुहर लगी थी

1	2	3
		जिसमें यह बताया गया था कि इसे बैंक के कार्यालय में पहले देख लिया गया है लेकिन जो उड़ा लिया गया था।
6. 24. 1. 84	भारतीय रिजर्व बैंक, बंगलौर	फटे पुराने नोटों के एक व्यापारी से प्राप्त पांच रुपये मूल्य वर्ग के दो हजार नोटों में से पांच रुपए मूल्य वर्ग के पंच किए हुए ऐसे दो नोट पाये गये जिन पर यह लिखा था कि ये नोट भारतीय रिजर्व बैंक के किसी कार्यालय में रद्द किये जा चुके हैं और चुरा लिये गये थे।
7. 20. 6. 84	भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर	भारतीय रिजर्व बैंक के जयतुर कार्यालय में स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर की संगनेरी दरवाजा शाखा, जयपुर से प्राप्त फटे पुराने नोटों के खेप की जांच के दौरान 100 रुपये मूल्य वर्ग के 76 ऐसे कटे फटे पुराने नोट पाये गये जिनका नोट प्रत्यर्पण नियमों के अनुसार बैंक के बम्बई कार्यालय द्वारा पहले ही भुगतान किया जा चुका था और जो उस कार्यालय द्वार नष्ट कर दिए जाने चाहिये थे। इससे यह पता चला कि ये नोट चुरा लिए गए थे।
8. 28. 11. 84	भारतीय रिजर्व बैंक, पटना	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, जमशेदपुर के प्रतिनिधि द्वारा जो अपने द्वारा प्रस्तुत किये गये नोटों की जांच की प्रक्रिया को देख रहा था, यह आरोप लगाया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक के जांच करने वाले कर्मचारियों द्वारा उसके द्वारा प्रस्तुत किए नोटों के स्थान पर 100 रुपये के मूल्य वर्ग के 10 नोट बदल कर रख लिए गए हैं।

साबुन बनाने के लिए गाय की चर्बी और अन्य अखाद्य तेलों का आबंटन

8497. **श्री सोमनाथ रथ :**

श्री एन. टोम्बी सिंह :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान साबुन बनाने के लिए कितनी गाय की चर्बी और अन्य अखाद्य तेलों का आबंटन किया गया था;

(ख) उन एजेंसियों के नाम क्या हैं जिन्हें ये आबंटित किये गये थे;

(ग) क्या सप्लाई राज्य सरकार की एजेंसियों के माध्यम से की गई थी;

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि अधिकांश आबंटन को काले बाजार में दिया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, साबुन बनाने के लिए प्रयुक्त पशु चर्बी तथा अन्य अखाद्य तेलों की निम्नलिखित मात्रा आबंटित की गई :—

(मात्रा मीटरी टनों में)

वर्ष	मद	आबंटित मात्रा
1980-81	भेड़ की चर्बी/ वसा अम्ल	12593
1981-82	—वही—	9634.5
1982-83	—वही—	20117
1983-84	भेड़ की चर्बी/ पी. एफ. ए. डी./एस. पी. एस. एफ. ए.	25639.7
1984-85	पी. एफ. ए. डी./एस. पी. एस. एफ. ए.	53872

पी. एफ. ए. डी. = पाम फैटी एसिड डिस्टीलेट

एस. पी. एस. एफ. ए. = स्पलिट पाम स्टिऐरिन फैटी एसिड

(ख) पशु चर्बी/पी. एफ. ए. डी./एस. पी. एस. एफ. ए. का आबंटन अलग-अलग यूनिटों को वितरित करने के लिए राज्यों के उद्योग निदेशालयों को किया गया।

(ग) पशु चर्बी/पी. एफ. ए. डी./एस. पी. एस. एफ. ए. का आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत किया जाता है। यह सामग्री अलग-अलग यूनिटों को राज्य सरकार के कामितियों के माध्य से सप्लाई की जाती है। ये नामित आमतौर पर राज्य लघु उद्योग निगम है।

(घ) व (ङ) केन्द्रीय सरकार को इस सामग्री के दुरुपयोग के बारे में राज्य उद्योग निदेशालयों से कोई शिकायत/रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

भारतीय खाद्य निगम के अलाभप्रद क्रय केन्द्रों और गोदामों का बन्द किया जाना

8499. श्री अण्णा साहेब शिंदे पाटिल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 मार्च, 1986 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्ध निदेशक ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा है कि भारतीय खाद्य निगम अलाभप्रद क्रय केन्द्रों और गोदामों को बंद करेगा;

(ख) यदि हां, तो जिन केन्द्रों और गोदामों को बन्द करने का विचार है उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा इन क्षेत्रों में क्रय बन्द किए जाने पर इन क्षेत्रों में खरीद कार्य किस प्रकार किया जाएगा;

(घ) इन केन्द्रों/गोदामों में वर्ष 1983, 1984 और 1985 में कितना घाटा हुआ है;

(ङ) क्या भारतीय खाद्य निगम का एकमात्र उद्देश्य लाभ अर्जित करना है और यदि हां, तो वर्षानुवर्ष हो रहे भारी घाटे के क्या कारण हैं; और

(च) क्या प्रबंध निदेशक का उक्त वक्तव्य सरकार की अनुमति से दिया गया था ?

योजना, मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय खाद्य निगम के परिचालनों में किफायत करने के अभियान को चलाने के लिए इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि किसानों को सरकारी एजेंसियों द्वारा पर्याप्त समर्थन खरीदारी करने के प्रबन्धों की कमी के कारण हानि न उठानी पड़े, यथा-व्यवहार्य लाभकारी क्रय केन्द्रों को खोलने और असक्षम गोदामों को चलाने के बारे में समीक्षा करने का निर्णय किया गया था। चूंकि वसूली मौसम के प्रारम्भ और अन्त में क्रय केन्द्र खोले और बन्द किए जाते हैं, इस-लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा अभी तक कोई विशिष्ट केन्द्र बन्द नहीं किया गया है। गोदामों की आर्थिक समक्षता का जायजा लेने के लिए समीक्षा भी की जा रही है और अभी तक इस वजह से कोई गोदाम बन्द नहीं किए गए हैं।

(ग) उत्तर के भाग (ख) की दृष्टि में वैकल्पिक प्रबन्ध करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रत्येक केन्द्र/गोदाम के लाभ और हानि के लेखे अलग से तैयार नहीं किए जाते हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम की इन गतिविधियों की समीक्षा करने की

आवश्यकता को सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया है ताकि इसके परिचालनों में बेहतर कार्य-कुशलता और किफायत को सुनिश्चित किया जा सके।

भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य निष्पादन

8500. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्र सेवा में अपने 50 सफल वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हाल ही में अपनी स्वर्ण जयन्ती मनाई है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में निहित इस अवधि के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक की क्या भूमिका रही और मुख्य व्यापारिक कार्यकलापों और राष्ट्रीय नीति के लक्ष्यों और उनकी लाभकारिता ग्राहक सेवा उत्पादकता और सामान्य संचालन कार्य-कुशलता के सम्बन्ध में प्रत्येक राष्ट्रीयकृत अनुसूचित बैंक के कार्यकरण का मुल्यांकन करने में उसका क्या कार्य है; और

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने आगामी 10 वर्षों के दौरान देश के सभी क्षेत्रों में उपलब्ध स्वस्थ बैंकिंग आधार भूत ढांचा तैयार करने और अनुसूचित बैंकों के पिछले अनुभवों पर आधारित व्यावहारिक ऋण नीति बनाने और उसे कार्यान्वित करने हेतु अपनी भूमिका को कारगर बनाने के लिए कोई योजनाएं तैयार की हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) देश के केन्द्रीय बैंकिंग प्राधिकरण के रुप में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका वाणिज्यिक और सहकारी बैंकिंग प्रणालियों का स्वस्थ बैंकिंग दिशाओं के अनुसार विकास को बढ़ावा देना, उस पर नजर रखना और उसका विनियमन करना, नोट जारी करने वाले प्राधिकरण के रूप में कार्य करना, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना और सरकार द्वारा निर्धारित आर्थिक तथा सामाजिक उद्देश्यों के समूचे ढांचे के अन्दर-अन्दर ऋणनीति तैयार करना और उसे कार्यान्वित करना, मुद्रानीति तैयार करना और उसका विनियमन करना तथा देश के मुद्रा सम्बन्धी साधनों का इस प्रकार विनियमन करना है ताकि देश की आंतरिक और बाह्य मुद्रा स्थिरता को बनाए रखने की आवश्यकता के अनुरूप विकासशील अर्थव्यवस्था की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके। देश के केन्द्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक सभी वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों के कार्य-निष्पादन पर नजर रखता है और उनका विनियमन करता है तथा उनके परिचालनों के सभी पहलुओं में स्वस्थ बैंकिंग रीतियां अपनाने/उनका विकास करने के लिए परामर्श देता है।

(ग) बैंकिंग प्रणाली के आधारभूत ढांचे के स्वास्थ्य में सुधार करने और यह सुनिश्चित करने का कार्य कि मुद्रा तथा ऋण नीतियां परिवर्तनशील आर्थिक वातावरण की आवश्यकताओं से सीधे संबंधित हों ऐसा निरंतर चलते रहने वाला कार्य है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बराबर अपना ध्यान देता रहता है।

दिल्ली में शीत संग्रहागार क्षमता को बढ़ाना

8501. **श्री टी. बालगौड़ : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में विकसित शीत संग्रहागार क्षमता शहर की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में काफी कम है और इसके परिणामस्वरूप फल, सब्जियां अण्डे आदि उचित मूल्यों पर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं; और

(ख) शीत संग्रहागार क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या उपाए किए जा रहे हैं और इसका उपयोग कब तक किया जाएगा ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) ग्रामीण विकास विभाग ने सूचित किया है कि दिल्ली में विकसित की गई शीत-गृह क्षमता शहर की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सहायता

8502. **श्री हरिहर सोरन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कुछ विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से सहायता प्राप्त होने के लिए क्या प्रयत्न किये गए हैं;

(ग) वर्ष 1986-87 में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से कितनी राशि की सहायता प्राप्त होने की आशा है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) विश्व बैंक का वित्तीय वर्ष पहली जुलाई से अगले वर्ष की 30 जून तक होता है। भारत सरकार विश्व बैंक ग्रुप (अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ) को सहायता प्राप्त करने के लिए हर वर्ष परियोजनाओं की एक सूची प्रस्तुत करती है। यह सूची बैंक ग्रुप के पास वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध धनराशि पर आधारित होती है। बैंक ग्रुप के पास 1986-87 के लिए उपलब्ध राशि का अभी निर्धारण नहीं हुआ है, इसलिए इस समय 1986-87 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से मिलने वाली प्रत्याशित सहायता की स्थिति स्पष्ट तौर पर बताई नहीं जा सकती।

चालू वर्ष 1985-86 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा वित्तपोषण के लिए अभी तक अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने अपने राजकोषीय वर्ष 1986 (पहली जुलाई, 1985 से 30 जून, 1986 तक) के दौरान उधार देने के लिए अभी तक निम्नलिखित परियोजनाओं का अनुमोदन किया है :—

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	उधार की रकम लाख संयुक्त राज्य अमरीकी डालरों में
1.	जनसंख्या परियोजना IV	51.0
2.	केरल जल आपूर्ति	41.0
3.	पश्चिम बंगाल लघु सिंचाई	99.0
4.	महाराष्ट्र सिंचाई-III	160.0
5.	राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना-II	72.1
6.	गुजरात शहरी विकास	62.0
7.	आन्ध्र प्रदेश सिंचाई	140.0
	जोड़	625.10

ऋण पर प्रतिबन्ध के कारण कृषि तथा प्राथमिकता क्षेत्रों पर प्रभाव

8503. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह पाया है कि ऋण पर प्रतिबन्धों के कारण कृषि तथा अन्य प्राथमिकता क्षेत्रों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय बैंक ने सूचित किया है कि ऋण प्रतिबन्धों के कारण कृषि और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के कार्य निष्पादन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है।

भारतीय कम्पनियों द्वारा विदेशों में कार्यान्वित की जा रही परियोजनाएं

8504. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की गैर सरकारी कम्पनियों और सरकारी उपक्रमों द्वारा विदेशों में ठेके के आधार पर कितनी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) क्या सरकार ने विश्व बाजार में निर्माण सामग्रियों के मूल्यों में हुई वृद्धि को

ध्यान में रखते हुए विभिन्न परियोजनाओं की लागत में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिए उन देशों की सरकारों से अभ्यावेदन किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सम्बन्धित देश ठेके की दरों में वृद्धि करने के लिए तैयार हो गए हैं; और

(घ) क्या सरकार ने उन देशों की सरकारों के पास दावे दायर करने के लिए मार्गनिर्देश जारी किए हैं जहां पर उनके उपक्रम ठेके के आधार पर निर्माण कार्य में लगे हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी. शिवशंकर) : (क) इस समय विदेशों में भारतीय सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा क्रमशः 94 तथा 96 परियोजनाएं निष्पादित की जा रही हैं।

(ख) से (ग) विदेशों में निष्पादित की जा रही परियोजनाओं के मामले में मूल्य वृद्धि भारतीय कम्पनियों तथा विदेशी ग्राहकों के बीच तक की गई सम्बन्धित संविदात्मक शर्तों के अधीन होती हैं। अतः सरकार अथवा उसके अभिकरणों का, विदेशी ग्राहकों के पास दावे प्रस्तुत करने के लिए विदेशी कम्पनियों अथवा भारतीय कम्पनियों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करने के मामले को हाथ में लेने का प्रश्न नहीं उठता।

स्वरोजगार योजना में संशोधन

8505. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेरोजगारी की समस्याओं के बावजूद स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत दिए गए ऋणों का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों की जांच की है और उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार अपने पिछले अनुभव को ध्यान में रखकर स्वरोजगार योजना में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तात्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार देने की योजना के अन्तर्गत बैंकों ने वर्ष 1983-84 में 401.54 करोड़ रुपए और वर्ष 1984-85 में 429.53 करोड़ रुपए की राशि के ऋणों की मंजूरी दी थी। उद्योग मंत्रालय में दिनांक 2[illegible] अप्रैल, 1986 तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1985-86 के लिए बैंकों द्वारा 263 करोड़ रुपए (आंकड़े अन्तिम) मंजूर किए जा चुके हैं।

(ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य सरकारों द्वारा इस योजना के तहत मंजूर किए गए धन का लाभार्थियों द्वारा वास्तव में उपयोग किया जा रहा है या नहीं; इस बात का पता लगाने के सीमित उद्देश्य से वर्ष 1983-84 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत मंजूर किए गए मामलों का

मूल्यांकन किया गया था। इससे पता चला कि योजना का पहले वर्ष प्रभाव पड़ा और अधिकांश लाभार्थियों ने उस काम के लिए ऋण का उपयोग किया है जिसके लिए उन्हें ऋण दिया गया था।

(ग) और (घ) किसी संशोधन के साथ, यदि कोई हो, इस योजना का कार्यकाल मार्च 1986 के बाद बढ़ाने के सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

राज्यों में छठी योजना के दौरान उद्यान परियोजनाओं का विकास

8506. **श्री आर. एम. भोये :** क्या **संसदीय कार्य और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उद्यान परियोजनाओं के विकास के लिए धनराशि आबटित की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य-वार हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री : (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में उद्यान परियोजनाओं के विकास जैसी कोई योजना नहीं थी। छठी योजना के दौरान निम्नलिखित पर्यटक केन्द्रों में भू-दृश्यांकन/सौदर्यकरण/पुनः प्रदीप्तिकरण आरम्भ किया गया था।

(लाख रुपयों में)

क्रम सं.	स्कीम का नाम	छठी योजना के दौरान रिलीज की गई राशि
1.	बोध गया में गीतभवन की स्थापना	3.00
2.	मामल्लापुरम में भू-दृश्यांकन	5.00 (1985-86 में पुनः 5.00 लाख की दूसरी किस्त रिलीज की गई)
3.	बृन्दावन उद्यान में पुनः प्रदीप्तिकरण	40.00

आंध्र प्रदेश में प्रकाशम जिले में मछुआरों को ऋण

8507. **श्री सी. सम्बु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछुआरों को राज-सहायता/सहायता और ऋण देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और उक्त योजना से आंध्र प्रदेश में कितने मछुआरों को लाभ पहुंचा है; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं को मछुआरों को ऐसे ऋण देने के अनुदेश दिये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार मछली पकड़ने से लेकर, मछलियों के निर्यात तक तथा साथ ही गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए आवश्यक उपकरण प्राप्त करने, तालाबों को ठीक करने (ताजे पानी में मछली पालन), मछली प्रजनन आदि जैसे मत्स्य उद्योग सम्बन्धी कार्यों के लिए अग्रिमों को, कृषि से सम्बद्ध कार्यों की भांति प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में शामिल किया गया है। बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उनके अग्रिमों का 0% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को मिले बैंकों से, कृषि की भांति मत्स्य उद्योग में लगे ऋणकर्ताओं के आवेदनों का तेजी से निपटारा करने के लिए, प्रक्रियाओं को सरल बनाने की अपेक्षा की जाती है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्त पोषित मत्स्य उद्योग सम्बन्धी कार्य उक्त कार्यक्रम में की गई व्यवस्था के अनुसार, आर्थिक सहायता के पात्र हैं। जून 1985 के अन्त तक अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार आंध्र प्रदेश में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लगभग 22322 मछुआरों को मत्स्य उद्योग के विकास के लिए 11.77 करोड़ रुपये के अग्रिम दिये गए।

(ग) हालांकि प्रकाशम जिले में बैंकों को अलग से कोई हिदायतें जारी नहीं की गई हैं, लेकिन समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और कृषि ऋण समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋणों के बारे में वर्तमान हिदायतें, प्रकाशम जिले में स्थित शाखाओं पर समान रूप से लागू होती हैं।

साम्पला सहकारी बैंक, पुणे में धोखाधड़ी

8508. **प्रो. मधु दण्डवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साम्पला सहकारी बैंक, पुणे में करोड़ों रुपये की अनियमितताओं का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या कोई दोषी अधिकारी अभी भी कार्यरत है;

(घ) यदि हां, तो क्या इससे मुकदमे में बाधा आयेगी; और

(ङ) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि दस्तावेजों/कागजातों में हेरा-फेरी न होने पाये कोई पर्याप्त कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) साम्पला सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे के निरीक्षण के दौरान उचित प्रलेखन के बिना अनाप-सनाप ऋण मंजूर करने, कतिपय फर्मों द्वारा आहरित हुण्डियों की सहस्वीकृति जो बाद में नकार दी गई, कुछ हाथों में जमा राशियों और अग्रिमों का केन्द्रीकरण आदि जैसी कुछ अनियमितताओं का पता चला था।

(ख) अनियमितताओं का पता चलने के बाद सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा बैंक के निदेशक बोर्ड को भंग कर दिया गया और नवम्बर, 1983 में प्रशासकों की एक समिति नियुक्त कर दी गई। तत्पश्चात् उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 25 मार्च, 1984 को निर्वाचित निदेशक बोर्ड ने प्रबंध सम्भाल लिया और तब से बैंक के कार्यकरण पर भारतीय रिजर्व बैंक और सहकारी विभाग द्वारा नजर रखी जा रही है। बैंक ने कुछ व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा भी दायर किया है जो अग्रिमों की राशि नहीं चुका रहे हैं और निर्णय से पूर्व कुरकी के आदेश भी प्राप्त कर लिए हैं। बैंक को धोखा देने के लिए बैंक के मुख्य प्रवर्तक सहित 10 व्यक्तियों के खिलाफ चार्जशीट भी दायर किए गए हैं।

(ग), (घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने यह बताया है कि केवल एक अधिकारी को छोड़कर जिसे जांच में सहायता देने के लिए रख लिया गया है, कोई दोषी अधिकारी इस समय बैंक में ड्यूटी पर नहीं है। चूंकि सम्बन्ध दस्तावेजों को कब्जे में ले लिया गया है और बैंक भारतीय रिजर्व बैंक तथा सहकारिता विभाग की सतत निगरानी के अधीन कार्य कर रहा है इसलिए दस्तावेजो में हेराफेरी अपेक्षाकृत काफी मुश्किल है।

[हिन्दी]

अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी एसोशिएशन से प्राप्त ज्ञापन

8509. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी एसोसिएशन ने अपनी मांगों के सम्बन्ध में उन्हें कोई ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) माननीय संसद सदस्य के मन में जो बात है, उसके विशेष संदर्भ के बिना अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ से ऐसे किसी ज्ञापन की प्राप्ति की पुष्टि करना, जैसे कि प्रश्न में उल्लेख किया गया है, या इस सम्बन्ध में कोई ब्यौरा देना सम्भव नही है।

[अनुवाद]

पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक द्वारा ट्रकों/बसों के लिए ऋण को स्वीकृति

8510. **श्री मति लाल हंसदा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि वर्ष 1983 से उत्तरार्ध में पंजाब एण्ड सिंध बैंक के पूर्वी क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी ने ट्रकों/बसों के लिए 4.00 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किये थे;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त अवधि के दौरान बैंक की नकदी की विपरीत स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऋण स्वीकृत करने पर रोक लगी हुई थी और बैंक के किसी भी अन्य क्षेत्र में एक ही श्रेणी को इतनी अत्यधिक धनराशि के ऋण नहीं दिये गए थे;

(ग) क्या यह भी सच है कि ट्रकों/बसों के लिए दिये गए सभी ऋण अशोध्य ऋण हो गए हैं और उनकी बसूली नहीं हो रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस बात का पता लगाने के लिए मामले की इस बीच कोई जांच की गई है कि यह ऋण कैसे और किसके प्राधिकार से स्वीकृत किये गए थे; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) पंजाब और सिंध बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1983 के उत्तरार्ध में बैंक के पूर्वी क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी ने प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों के अंतर्गत सामान्य बैंक व्यवसाय के अंग के रूप में 128 ट्रकों/बसों के लिए 2.23 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किये थे।

(ख) और (ग) बैंक ने यह भी बताया है कि उक्त अवधि के दौरान ये ऋण प्रधान कार्यालय द्वारा अनुमोदित ऋण इसके लिए निर्धारित बजट के अनुसार दिये गए थे। उनकी वसूली की स्थिति संतोषजनक थी।

(घ) और (ङ) इस सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत की जांच बैंक द्वारा की गई थी। चूंकि शिकायत में कोई सार नहीं था, इसलिए जांच के बाद मामले को समाप्त कर दिया गया। ऐसे ही एक संदर्भ में मुख्य सतर्कता आयोग ने भी आवश्यक जांच के बाद मामले को समाप्त कर दिया था।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कालीकट में पर्यटन का विस्तार

8511. **डा. के. जी. अदियोडी** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में कालीकट, कायनाड और कन्नानोर जिलों में पर्यटन के विस्तार हेतु सम्मिलित किये गए स्थानों की संख्या क्या है तथा प्रत्येक के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ख) "कुन्जली मारिकार", "थटचालि अथेयमान" और "पझास्सी राज" स्मारकों के बारे में प्रस्ताव क्या है तथा इनके निर्माण की समय सारिणी और इसके लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, केन्द्रीय पर्यटन विभाग स्थान-वार आधार पर निधियों का आवंटन नहीं करता। तथापि, यह राज्य सरकार द्वारा भिजवाई गई अलग-अलग परियोजनाओं के लिए ऐसी परियोजनाओं के गुणों पर आधारित रहते हुए केन्द्रीय सहायता प्रदान करता है। केरल राज्य सरकार के अनुरोध पर, 1985-86 के दौरान वाइनाद और कन्नानोर के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं मंजूर की गई थीं:—

	स्वीकृति राशि	जारी की गई राशि
1. कन्नानौर में आवास सहित मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	10.‿8 लाख रु.	4.00 लाख रु.
2 वाइनाद में आवास सहित मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	10.28 लाख रु.	4.00 लाख रु.

(ख) पर्यटन विभाग को इन केन्द्रों का विकास करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

अनिवासी भारतीयों द्वारा बैंकों में जमा राशि

8512. **श्री एस. जयपाल रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनिवासी भारतीयों के विदेशी मुद्रा में प्राप्त हुई बैंकों में जमा राशि की नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) किन-किन विदेशी मुद्राओं में यह राशियां जमा की गई और इसके भुगतान के बारे में हमारा क्या दायित्व है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन जमा राशियों से वर्षवार कुल कितनी राशि निकाली गई है; और

(घ) इन जमा राशियों पर अदा की जाने वाली ब्याज की दर क्या है और क्या वह राशि करमुक्ति है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सूचना सम्भव सीमा तक इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

भारतीय खाद्य निगम के सेवा-निवृत अधिकारियों को पेंशन और सेवा-निवृत्त लाभ

8513. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1985 के पश्चात् भारतीय खाद्य निगम के कितने अधिकारी सेवा-निवृत्त हुए जिन्हें कोई पेंशन तथा अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ नहीं दिये गए हैं; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए.के. पांजा) (क) 60।

(ख) विभिन्न स्थानों पर तैनाती के कारण सेवा रिकार्डों का पूरा न होना, दावेदारों

द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत न करना, सतर्कता सम्बन्धी मामले लम्बित पड़े होना, आदि ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से सेवा-निवृत्ति के लाभों का भुगतान नहीं किया गया है।

कर अपवंचित आय का प्रकटीकरण

8514. **श्री आनन्द सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर अपवंचित आय के प्रकटीकरण की पूर्व निर्धारित तारीख अर्थात् 31 मार्च, 1986 तक कितनी कर अपवंचित आय का प्रकटीकरण किया गया है;

(ख) क्या कर अपवंचित आय के प्रकटीकरण की अन्तिम तारीख को और आगे बढ़ा दिया गया है; और

(ग) सरकार के अनुमान अनुसार कितनी कर अपवंचित आय का प्रकटीकरण किया जाना है और इससे केन्द्रीय सरकार के चालू वर्ष के बजट घाटे को किस सीमा तक कम किये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) इस बात को दर्शाने के लिए सरकार कोई आंकड़े नहीं रख रही है कि सम्बन्ध में जारी किये गए परिपत्रों पर हुई प्रतिक्रिया के फलस्वरूप 31 मार्च, 1986 तक बिना कर लगी कितनी आय प्रकट की गई है।

(ख) जी, हां। 30-9-1986 तक बढ़ाई गई है।

(ग) इस सम्बन्ध में कोई अनुमान नहीं लगाये गए हैं।

उद्योग पर "माडवैट" के प्रभाव के सम्बन्ध में भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल परिसंघ की कार्यशाला

8515. **श्री कृष्ण सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्यिक और उद्योग मंडल परिसंघ ने उद्योग विशेषकर लघु उद्योग पर "माडवैट" के प्रभाव के सम्बन्ध में 11 अप्रैल, 1986 को नई दिल्ली में एक कार्यशाला का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यशाला में किन विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा हुई थी; और

(ग) उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यदि कोई निर्णय लिये गए थे, तो वे क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कार्यशाला में माडवैट स्कीम से सम्बन्धित अनेक मामले उठाये गए थे। सरकार ने माडवैट स्कीम से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों को पहले ही स्पष्ट कर दिया है। लघु उद्योग एककों के लिए छूट सीमाओं में वृद्धि करने सहित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में विभिन्न रियायतों की पहले ही घोषणाएं की जा चुकी हैं।

टाटा बरोज लिमिटेड द्वारा शेयरों का आवंटन

8516. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा बरौज लिमिटेड ने वर्ष 1985 में एक विज्ञापन जारी किया था जिसमें लोगों से शेयर खरीदने का आह्वान किया गया था परन्तु इस विज्ञापन के उत्तर में जिन लोगों ने धनराशि जमा की थी उन्हें न तो इस कम्पनी के शेयर आबटित किए और न ही जमा की गई धनराशि लोगों को वापस की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ग) क्या प्रभावित लोगों ने मैसर्स एम. ए. एस. एम. प्राइवेट लिमिटेड ए. बी. 4 सफदरगंज एन्कलेव नई दिल्ली के माध्यम से जमा की गई धनराशि वापस न किये जाने के बारे में अनेक शिकायतें की हैं;

(घ) यदि हां, तो उनकी धनराशि वापस न करने के क्या कारण हैं और ऐसी शिकायतों की संख्या कितनी है;

(ङ) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें भी मिली हैं कि शेयर खरीदने के लिए धनराशि जमा करने वाले वास्तविक लोगों को रुपया वापस करने के बजाय अन्य व्यक्तियों को रुपया वापस किया गया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ये टाटा बरौज लिमिटेड ने ऐसे कितने मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरों के पास जांच के लिये भेजे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (च) बम्बई स्टाक एक्सचेंज से प्राप्त सूचना के अनुसार, मैसर्स टाटा बरौज लिमिटेड ने, अपने 28 जून, 1985 के विवरण पत्र के माध्यम से 62.60 लाख रुपये की राशि के 10 रुपया प्रति शेयर मूल्य के 6,26,000 इक्विटी शेयर 15 रुपये प्रति शेयर के प्रीमियम पर, जो 250.40 लाख रुपये की राशि के 100 रुपया प्रति ऋण पत्र मूल्य के 12 प्रतिशत ब्याज वाले 2,50,400 प्रत्याभूत और शोध्य गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र से सहबद्ध थे, जारी किए। आबटन के आधार के अनुसार, जो कि कम्पनी ने बम्बई स्टाक एक्सचेंज के साथ परामर्श करके निर्धारित किया था, 9390 आवेदकों को शेयर/ऋणपत्रो आवंटित किए गए और शेष 3,30,304 आवेदकों को कोई शेयर/ऋणपत्र आबटित नहीं किये गये। आवेदकों को उनके द्वारा दिये गये पत्रों पर 2 नवम्बर, 1985 और 11 नवम्बर, 1985 के बीच धन वापसी आदेश मैसर्स एम. ए. एस. सर्विसेज प्रा. लि. द्वारा भेज दिये गये थे, जिन्होने "निर्गम गृह" के रूप में कार्य किया था।

दिसम्बर, 1985/जनवरी. 1986 में किसी समय कम्पनी को कुछ एक आवेदकों से शिकायतें प्राप्त हुई कि न तो उन्हें शेयरों/ऋणपत्रों के आबंटन की ही कोई सूचना प्राप्त हुई है और न ही धन-वापसी आदेश प्राप्त हुए हैं। बाद में की गई जांच-पड़ताल से पता चला कि 164 आवेदकों के धन-वापसी आदेशों को कानपुर, पिन कोड-208001 में स्थित एक बैंक विशेष की शाखा विशेष से यानी पंजाब नेशनल बैंक की लखनऊ स्थित विधान सभा मार्ग शाखा से किसी अनधिकृत व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा भुना लिया गया।

कम्पनी के अधिकारियों ने सूचित किया है कि वे पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष और लखनऊ स्थित जोनल मैनेजर से मिले थे और उनसे यथाशीघ्र इस मामले में संपूर्ण जांच करने का अनुरोध किया। कम्पनी ने लखनऊ पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है।

कम्पनी के रिकार्ड के अनुसार जिन आवेदकों ने धन-वापसी आदेशों को नहीं भुनाया है, उन्हें, इन्डेमनिडी बांड प्रस्तुत करने पर, डुप्लीकेट धन-वापसी आदेश जारी किए जा रहे हैं। अब तक एम. ए. एस. सर्विसेज प्रा. लि. द्वारा 1413 आवेदकों को 60,07,625 रुपए के धन-वापसी आदेश नए सिरे से दुबारा जारी किये गये हैं।

कर्नाटक में क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशाला की स्थापना

8518. **श्री एन. सुन्दर राजन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दक्षिणी क्षेत्र में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के उद्योगों को मौसम विज्ञान माप पद्धति की सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कर्नाटक में क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशाला की स्थापना करने के लिए सहमत हो गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये अस्थायी स्थान में बंगलौर में प्रयोगशाला स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गउ है। राज्य सरकार ने प्रयोगशाला के स्थायी भवन के लिए लगभग 3.2 हैक्टेयर भूमि का एक प्लाट अन्तरित किया है। कुछ कार्यात्मक (फन्कशनल) पदों का सृजन किया गया है तथा आधारभूत उपकरण मुहैया करा दिये गये हैं। प्रयोगशाला के शीघ्र ही कार्य आरंभ करने की आशा है।

पंजाब नेशनल बैंक में धोखाधड़ी

8519. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 7 फरवरी, 1986 के "इकोनामिक टाइम्स" फ्राड इन पी. एन. बी." शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशी मुद्रा के "बेनामी" लेनदेन के बारे में उसमें उल्लिखित गम्भीर आरोपों की सूचना प्राधिकारियों द्वारा जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो उनके निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) क्या उक्त आरोप बैंक के एक गैर-सरकारी निदेशक के बारे में हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाउपलब्ध सूचना सभापटल पर रख दी जाएगी।

विजयवाड़ा में रुई के गोदामों में आग लगना

8520. **श्री के. एस. राव : क्या वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विजयवाड़ा और वारंगल स्थित गोदामों में आग दुर्घटनाओं में 2.5 करोड़ रुपये की कपास नष्ट हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आग अवांछित तत्वों द्वारा निगम को धोखा देने के उद्देश्य से लगायी गयी थी;

(घ) क्या सरकार का इस प्रकार की दुर्घटनाओं के विरुद्ध कोई सुरक्षापाय करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) तथा (ख) वारंगल स्थित जिनिंग तथा प्रेसिंग फैक्टरी में आग दुर्घटना हुई है। एक करोड़ रु. मूल्य की 5240 रुई की गांठे नष्ट हो गई हैं। विजयवाड़ा में आग की कोई दुर्घटना नहीं हुई।

(ग) आग के सही कारण की जांच की जा रही है।

(घ) तथा (ङ) जिनिंग तथा प्रेसिंग फैक्टरियों में अग्नि दुर्घटनाओं से बचाव के लिए सामान्यतः सुरक्षा संबंधी उपायों की व्यवस्था की जाती है। जिनिंग तथा प्रेसिंग फैक्टरियों में पानी के नलों, अग्निशमकों तथा अन्य आग बुझाने के उपस्करों की व्यवस्था की जाती है। बीमा कम्पनियों द्वारा आग बुझाने वाली सुविधाओं का निरीक्षण भी किया जाता है। सुरक्षात्मक उपायों की निरन्तर समीक्षा की जाती है।

आंध्र प्रदेश में जीवन बीमा निगम के और डिवीजन स्थापित करना

8521. **श्री वेंजवाड़ा पपी रेड्डी : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में इस समय जीवन बीमा निगम के कितने डिवीजन कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश में जीवन बीमा निगम के और डिवीजन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) आंध्र प्रदेश में इस समय जीवन बीमा निगम के चार डिवीजन, अर्थात हैदराबाद, कुड्डापा, विशाखापट्टनम और मसूलीपट्टम में कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। जीवन बीमा निगम ने हाल ही में वर्तमान हैदराबाद डिवीजन में से वारांगल में एक नया डिवीजनल कार्यालय खोला है जो आदिलाबाद, करीमनगर और खमम जिलों के शाखा कार्यालयों के कार्य की देख रेख करेगा।

पटसन उद्योग में सुधार करने हेतु कदम

8522. **श्री नारायण चौबे** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटसन मिल उद्योग में घाटा कम करने और सामान-सूची का न बढ़ने देने के लिए उत्पादन में लगभग 10 प्रतिशत की कटौती कर दी है; और

(ख) यदि हाँ, तो पटसन सामान की बिक्री में सुधार लाने हेतु सहायता करने तथा श्रमिकों की जबरी छुट्‌टी से उत्पन्न स्थिति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग में उत्पादन में ऐसी कोई संगठित कटौती नहीं हुई है। तथापि, निम्नलिखित विभिन्न कारणों से हाल में उत्पादन में कुछ सीमा तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है :—

(1) श्रमिकों द्वारा छुट्‌टी पर अपने गांवों को प्रस्थान जो कि प्रतिवर्ष अप्रैल से जून के दौरान एक नियमित बात है;

(2) घरेलू बाजार में कम उठान के कारण इस अवधि के दौरान मंद बाजार मांग;

(3) श्रमिक असंतोष के कारण अप्रैल, 1986 के दौरान अब तक 6 जूट मिलों का बंद होना।

(ख) सरकार द्वारा घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में विभिन्न उपायों द्वारा जूट उद्योग की सहायता जारी है जिनमें शामिल हैं :—

(1) सरकार (डी. जी. एस. एंड. डी.) द्वारा लागत तथा नियत लाभ के आधार पर जूट उद्योग से जूट माल की खरीद और इन्डेन्टिंग अभिकरणों से अनुरोध करना कि मई, 1986 से आगे 1986 को खरीद फसल की पैकिंग के लिए जूट बोरों की खरीद का कार्यक्रम पहले से बना लें ताकि कुछ अतिरिक्त मांग उत्पन्न हो सके और टाट के बाजार भाव सुधारे जाएं;

(2) अन्य प्रयोक्ता विभागों से अनुरोध करना कि वे उर्वरकों की पैकिंग के लिए सिन्थेटिक प्रतिस्थापनों की बजाय जूट बोरों का अधिकाधिक प्रयोग करें तथा सीमेंट उद्योग द्वारा 100.1 नए जूट बोरों के अनिवार्य प्रयोग को प्रोत्साहित करें;

(3) जूट माल के गतिशील क्षेत्रों को अधिक नकद मुआवजा सहायता (सी. सी. एस.) देना;

(4) वित्तीय तथा आर. एण्ड. डी. प्रयासों द्वारा सिन्थेटिक प्रतिस्थापन वस्तुओं की अपेक्षा जूट माल की प्रतियोगिता क्षमता में सुधार करना;

(5) कच्चे जूट के बाजार स्टाक की योजना आरम्भ करना ताकि मिलों को उचित कीमतों पर कच्चे जूट की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर "ड्राइव इन" होटलों का निर्माण

8523. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **संसदीय कार्य और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर "ड्राइव इन" होटलों के निर्माण करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) जी. नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

सर्वोत्तम बजट सुझाव के लिए पुरस्कार

8524. **डा. डी. एन रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री सर्वोत्तम बजट सुझाव के लिए पुरस्कार के बारे में दिनांक 7 मार्च, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1877 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वोत्तम बजट सुझाव के लिए पुरस्कार को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार प्राप्त प्रविष्टियों की संख्या सहित उनके परिणामों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां।

(ख) निर्धारित परपत्रों में पूरित 589 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थी, जिनमें आयोजनागत परिव्यय के स्तरों और निधिकरण आदि के लिए स्रोतों के सम्बन्ध में सुझाव दिये गये थे। एक विवरण संलग्न है, जिसमें प्रविष्टियों का राज्यवार/संघीय राज्य क्षेत्रानुसार ब्यौरा दिया गया है। इन प्रविष्टियों में से सर्वश्री वाई. जी पारविकार और वी. के. श्री वास्तव द्वारा प्रेषित प्रविष्टियों को सर्वोतम निर्णीत किया गया और दोनों प्रविष्टियों पर पांच-पांच हजार रु. का पुरस्कार दिया गया। साधन जुटाने और उपयोग आदि के विषयों पर अलग से करीब 3000 से अधिक व्यक्तियों ने अपने सुझाव भेजे थे और इनमें से डा. एम. रामदास द्वारा दिए गए सुझावों को सर्वोत्तम ठहराया गया। उनको भी 5000 रुपये का पुरस्कार दिया गया।

विवरण	
आंध्र प्रदेश	45
आसाम	4
बिहार	23
गोआ	3
गुजरात	50
हरियाणा	4
हिमाचल प्रदेश	7
जम्मू और कश्मीर	2
कर्नाटक	19
केरल	16
मध्य प्रदेश	34
महाराष्ट्र	52
मेघालय	2
दिल्ली	51
उड़ीसा	18
पंजाब	11
पांडीचेरी	2
राजस्थान	39
तमिलनाडु	42
त्रिपुरा	1
उत्तर प्रदेश	53
पश्चिम बंगाल	59
पता स्पष्ट नहीं	52
जोड़	589

फूड स्पैशियलिटी के उत्पादों का सील किए बिना पैकेटों में विपणन

8525. **डा. टी. कल्पना देवी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्लूकोस, पनीर, टमाटर की चटनी, शोरबा, नूडल्स जैली आदि

जैसे फूड स्पैशियलिटी के खाद्य उत्पादों के निर्माता इनकी बिक्री अपनी इच्छानुसार सील बि. बिना पैकेटों में कर सकते हैं और पदार्थ का भार पैकिट पर अंकित करना पड़ता है;

(ख) क्या वर्तमान नियमों के अनुसार टमाटर की चटनी और 2 मिनट नूडल (बिना पका) और शोरबा बिना किसी रोक-टोक के कितनी भी मात्रा मे बोतलों में पैक किया जा सकता है;

(ग) क्या उक्त भाग (ख) में उल्लिखित मदों के भार के सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और किन नियमों कानूनो के अंतर्गत ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) जी नहीं। इन वस्तुओं को बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 में विनिर्दिष्ट मात्राओं में पैक करना होता है और वस्तु का भार पैकेज पर उपयुक्त तौर पर अंकित करना होता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) व (घ) जी हां। बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के वर्तमान उपबंधों के अंतर्गत टमाटर की चटनी, 2 मिनट नूडल (बिना पका) तथा शोरबों को संलग्न **विवरण** में दिए आकारों में पैक करना होता है।

विवरण

टमाटर की चटनी :	50 ग्राम, 1000 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम, 600 ग्राम, 700 ग्राम, 800 ग्राम, 900 ग्राम, और 1 कि. ग्रा.।
2 मिनट नूडल : (जो अनाज से बनी वस्तु है)	50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम, 1 कि. ग्रा., 2 कि. ग्रा., 5 कि. ग्रा. तथा उसके बाद 5 कि. ग्रा. के गुणजों में। उपर्युक्त मात्राओं के अलावा, तुरन्त पकने वाली जई को 800 कि. ग्रा. में भी पैक किया जा सकता है।
शोरबा (जिसे शाक रस माना जाए)	200 मि. ली., 500 मि. ली., 700 मि. ली. तथा 1 ली.

बाट और माप (डिब्बा बन्द वस्तु) मानक नियम, 1977 में त्रुटियां/कमियां

8526. **डा. जी. विजय रामा राव** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाट और माप (डिब्बा बन्द वस्तु) मानक नियम, 1977 में अनेक त्रुटियां/कमियां हैं, जिनके कारण लम्बे समय तक रखे रहने से खराब होने वाले उत्पादों, जैसे कीटाणुरहित दूध, मक्खन, घी, पनीर, खाद्य जिलेटिन, खमीर पाउडर, टेट्रापेक दूध आदि अनेक डिब्बा बन्द प्रमुख उत्पादों के निर्माताओं को पैकिंग के समय उनके निर्माण के मास तथा वर्ष की मुहर न लगाने का अवसर मिलता है;

(ख) क्या इसे अनिवार्य बनाने के लिए नियमों में उपयुक्त संशोधन करने का सरकार का विचार है; और

(ग) क्या सर्वथा शाकाहारियों के संरक्षणार्थ पनीर, लिपिस्टिक तथा 'फूड जैली' में क्रमश: पशुओं के शरीर से लिए गये तत्व, जैसे रैनेट/और पशु चर्बी तथा पशु जिलेटिन के अंश मिलाने अथवा इनमें उनकी विद्यमानता के सम्बन्ध में घोषणा करना अनिवार्य बनाने हेतु नियमों में संशोधन करने का भी सरकार का विचार है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए.के. पांजा): (क) बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के तहत कुछ श्रेणी की खाद्य वस्तुओं पर विनिर्माण/पैकिंग के महीने की घोषणा नहीं करनी होती है। इस श्रेणी में मक्खन, पनीर के पैकेज, जो डिब्बा बन्द न हों और बोतलों व थैलियों में तरल दूध आते हैं। खाद्य जिलेटिन, खमीर चूर्ण तथा घी के पैकेजों और साथ ही डिब्बा बन्द मक्खन तथा पनीर पर विनिर्माण पैकिंग के महीने तथा वर्ष की सूचना देनी आवश्यक है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जिलेटिन को लेबल पर खाद्य ग्रेड जिलेटिन के रूप में घोषित करना होता है। पशुमूल के उत्पाद जैसे रैनेट के खाद्य पदार्थों के विनिर्माण में संसाधन सहायक होने के कारण लेबल पर उसके बारे में घोषणा करनी आवश्यक नहीं समझी जाती है।

यात्री-सामान नियम को उदार बनाना

8527. **श्री टी. बशीर :** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यात्री सामान नियम को उदार बनाने, तथा भारत में निवेश, आदि के सम्बन्ध में खाड़ी के देशों में रहने वाले भारतीयों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इन मांगों के सम्बन्ध में कोई कदम उठाये गए हैं; अथवा उठाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) : विदेश में रहने वाले भारतीयों से असबाब नियमों को उदार बनाने के लिए या भारत में निवेश करने के लिए प्राय: अनेक सुझाव प्राप्त होते रहते हैं। सरकार द्वारा इनकी जांच की जाती है और जहां कहीं आवश्यक होता है समुचित कार्रवाई की जाती है।

भारतीय काजू निगम के बोर्ड में तमिलनाडु सरकार का मनोनीत सदस्य

8528. **श्री एस. सिंगरावडीवेल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय काजू निगम के बोर्ड में तमिलनाडु के सदस्य की नियुक्ति के लिए तमिलनाडु सरकार ने कोई मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मांग पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) भारतीय काजू निगम के बोर्ड में तमिलनाडु सरकार के सदस्य को शामिल करने के लिए केन्द्रीय सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा खाद्य नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारतीय काजू निगम के बोर्ड में राज्य सरकार के नामिती की नियुक्ति के लिए तमिलनाडु सरकार ने इस आधार पर अनुरोध किया था कि राज्य में काजू के संसाधन एककों की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं किया जा रहा है और वे कच्चे माल की कमी के कारण नुक्सान उठा रहे हैं। कच्चे काजू के आयातों को, जो पहले भारतीय काजू निगम की मार्फत सरणीबद्ध थे, अब असरणीबद्ध कर दिए गए हैं। भारतीय काजू निगम कच्चे काजू के आयातों के लिए एकमात्र पंजीकरण अभिकरण है। इस निगम के बोर्ड में राज्य सरकार ने नमिति की उपस्थिति राज्य से काजू संसाधन एककों की उनकी कच्चे काजू की आवश्यकता को पूरा करने में अधिक सहायक नहीं होगी। तथापि, भारतीय काजू निगम के बोर्ड में एक नामिती होने की राज्य सरकार की इच्छा को देखते हुए भारतीय काजू निगम के बोर्ड के अगले पुनर्गठन के समय इस मामले पर विचार करने का निर्णय लिया गया।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम (डब्ल्यू बी. ए. बी. ओ.) लिमिटेड के आधुनिकीकरणों के कार्यक्रम में कटौती

8529. **श्री एच. जी. रामुलू :**
श्री बी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम (डब्ल्यू बी. ए. बी. ओ.) लिमिटेड, कलकत्ता ने धारक कम्पनी के निर्देश के अन्तर्गत अपनी विभिन्न इकाइयों के आधुनिकीकरण के कुछ कार्यक्रमों में कटौती की है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप विभिन्न इकाइयों में सिविल इन्जीनियरी कार्यों से संबधित दिए गए काम में भी कटौती कर दी गई है अथवा किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और आधुनिकीकरण के कार्यक्रमों में इस प्रकार की कटौती के क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(क) तथा (ग) यह निर्णय लिया गया है कि जो निर्माण पहले पूरा हो चुका है, उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक सीमा तक सिविल निर्माण कार्य निष्पादित किया जाए।

यह निर्णय लिया गया कि सीमित संसाधनों तथा कताई क्षेत्र की तत्कालीन क्षमता को देखते हुए एन. टी. सी. (डब्ल्यू. बी. ए. बी. ओ.) के दो एककों के मामले में तकुओं की संख्या में ही रही वृद्धि को कम कर दिया जाए।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वाशिंगटन में हुई बैठक में लिये गए निर्णय

8530. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड आफ गवर्नर्स की अप्रैल, 1986 में वाशिंगटन में हुई बैठक की कार्यसूची की मुख्य मदें क्या थी और उन पर क्या निर्णय लिया गया अथवा क्या निष्कर्ष निकले,

(ख) क्या विशेष आहरण अधिकारों के नये निर्गम के बारे में कोई निर्णय लिया गया था;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पुनर्गठन के सम्बन्ध में 24 देशों के गुट (ग्रुप आफ 24) की मांग को स्वीकार कर लिया गया है; और

(घ) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष गुट-निर्पेक्ष सम्मेलन द्वारा की गई मांग के अनुसार विकास के लिए धन और वित्त सम्बन्धी एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने पर सहमत हो गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नरों के बोर्ड की आन्तरिक समिति ने 9-10 अप्रैल, 1986 को वाशिंगटन में हुई अपनी बैठक में विश्व की आर्थिक सम्भावनाओं; ऋण सम्बन्ध स्थिति तथा नीति; एस. डी. आर. के आबटन के प्रश्न तथा मुद्रा दर प्रणाली क कार्य चालन संबंधी मामलों, कोष की निगरानी अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान साधनों (लिक्विडिटी) का प्रबन्ध तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली पर 10 देशों के समूह (ग्रुप आफ 10) तथा 24 देशों के समूह (ग्रुप आफ 24) की रिपोर्टों में दी गई एस. डी. आर. की भूमिका पर विचार विमर्श किया।

(ख) से (घ) जी, नहीं।

पंजाब नेशनल बैंक की लन्दन स्थित शाखाओं द्वारा दिये गए ऋण

8531. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पंजाब नेशनल बैंक की लन्दन स्थित शाखाओं द्वारा विभिन्न पार्टियों को कुल कितनी राशि के ऋण दिए गए हैं;

(ख) कितनी धनराशि की वसूली की गई है; और

(ग) कितनी धनराशि बकाया है; और

(घ) सन्देहास्पद मामलों में ऋण की वसूली करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) पंजाब नेशनल बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1983, 1984 और 1985 के अंत में उसकी लंदन स्थित शाखा की बकाया ऋण राशियां निम्नानुसार थीं :—

वर्ष	बकाया धनराशि (हजार पौंड)
1983	294,302
1984	254.051
1985	185,793

(ख) से (ग) ऋणों का संवितरण और उनकी वसूली एक निरंतर प्रक्रिया है। बैंक ने सूचित किया है कि लन्दन में उसके आंचलिक प्रबन्धक को अतिदेय राशियों की वसूली के लिए ठोस उपाय करने के लिए कह दिया गया है।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा स्वीकृत की गई परियोजनाएं

8532. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा वर्ष 1984-85 (जुलाई-जून) और पहली जुलाई, से 31 दिसम्बर, 1985 तक मंजूर की गयी वित्तीय सहायता का विवरण निम्नानुसार है :—

	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर की गई सहायता (करोड़ रुपए में)
1984-85 (जुलाई-जून)	418	450.64
1985-86 (जुलाई-दिसम्बर)	164	194.37

राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार और क्षेत्रवार विवरण संलग्न विवरण I और II में दिये गए हैं।

विवरण I

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, नई दिल्ली

वर्ष 1984-85 (जुलाई-जून) और वर्ष 1985-86 (जुलाई-दिसम्बर) के दौरान मंजूर की गयी वित्तीय सहायता के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संवितरण को दर्शाने वाला विवरण:

(करोड़ रुपए में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मंजूर की गई सहायता			
	1984-85 (जुलाई-जून)		1985-86 (जुलाई-दिसम्बर)	
	परियोजनाओं की संख्या	रकम	परियोजनाओं की संख्या	रकम
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	35	45.79	17	15.81
असम	1	3.20	2	2.17
बिहार	7	4.76	2	5.97
गुजरात	33	34.13	17	13.20
हरियाणा	11	6.42	11	11.47
हिमाचल प्रदेश	7	5.71	2	0.21
जम्मू और कश्मीर	5	7.66	2	1.55
कर्नाटक	27	24. 1	7	4.81
केरल	13	16.28	—	—
मध्य प्रदेश	24	23.11	7	12.77
महाराष्ट्र	57	65.88	17	44.69
नागालैण्ड	1	1 41	—	—
उड़ीसा	10	20.61	5	4.92
पंजाब	23	17.81	15	17.25
राजस्थान	32	25.51	10	14.60
सिक्किम	—	—	—	—

1	2	3	4	5
तमिलनाडु	42	32.41	17	20.26
उत्तर प्रदेश	54	84.81	23	1[illegible].79
पश्चिम बंगाल	20	21.33	5	3.72
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0.30	—	—
चंडीगढ़	2	0.41	—	—
दादर और नगर हवेली	1	0.61	1	0.79
दिल्ली	8	5.17	4	2.39
गोआ	2	1.25	—	—
पाण्डिचेरी	2	1.36	—	—
कुल	418	450.64	164	194.37

विवरण-II

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, नई दिल्ली

वर्ष 1984-85 (जुलाई-जून) और 1985-86 (जुलाई-दिसम्बर) 1985 के दौरान मंजूर की गयी वित्तीय सहायता के क्षेत्रवार संवितरण को दिखाने वाला विवरण

(रकम करोड़ रुपए में)

	मंजूर की गयी सहायता			
	1984-1985 (जुलाई-जून)		1985-86 (जुलाई-दिसम्बर, 1985)	
	परियोजनाओं की संख्या	रकम	परियोजनाओं की संख्या	रकम
सहकारी	28	26.45	9	8.43
संयुक्त	52	56.25	17	23.97
सरकारी	24	36.93	9	7.61
निजी	314	331.01	129	154.36
	418	450.64	164	194.37

नई दिल्ली के पांच सितारा होटलों में कथित जुआ और नशीली दवाओं का प्रयोग

8533. **श्री राम भगत पासवान :** क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि नई दिल्ली के कुछ पांच सितारा होटल जुआ खेलने की व्यवस्था करते हैं और प्रायः जाने वालों को नशीली दवाईयों की व्यवस्था भी करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य और पर्यटक मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सिगरेट कम्पनियों पर छापे

8534. **श्रीमती कृष्णा साही :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिगरेट उद्योग में भारतीय कम्पनियों पर तो छापे मारे गए और विदेशी कम्पनियों को छोड़ दिया गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि त्रिवेन्द्रम, जयपुर, कोचीन आदि स्थानों में कुछ थोक व्यापारियों पर मारे गए छापों के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी कानूनी अपेक्षाएं पूरी किए बिना थोक व्यापारियों के प्रतिनिधियों को अपने साथ ले गए; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे और कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) विशेष सूचना के आधार पर, देश के विभिन्न भागों में मैसर्स जी. टी. सी., इसके वितरकों और थोक व्यापारियों के परिसरों की तलाशियां ली गई थीं। इन तलाशियों को राजस्व गुप्तचर्या के महानिदेशक द्वारा समन्वित किया गया था। किसी विशेष सूचना के न होने के कारण, विदेशी सिगरेट कम्पनियों सहित किसी भी अन्य सिगरेट कम्पनी की तलाशी नहीं ली गई थी।

(ग) और (घ) विभाग के ध्यान में ऐसे मामले नहीं आए हैं जहां कानूनी अपेक्षाओं को पूरा किए बिना ही केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अधिकारियों द्वारा थोक व्यापारियों के प्रतिनिधियों को अपने साथ ले जाया गया हो।

आदिवासी भारतीयों के लिए समाचार-पत्रों के अन्तर्राष्ट्रीय संस्करण

8535. श्री **रामस्वरूप राम :**
श्री उत्तम राठौड़ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "हिन्दुस्तान टाइम्स" "टाइम्स आफ इण्डिया" "हिन्दू" और "स्टेट्समैन" जैसे कुछ भारतीय समाचार-पत्र विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले अप्रवासी भारतीयों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संस्करण प्रकाशित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन समाचार-पत्रों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या इस प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय संस्करण प्रकाशित करने के लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिए विदेशी मुद्रा मंजूर करानी होती है;

(ङ) अन्तर्राष्ट्रीय संस्करण प्रकाशित करने के लिए उपर्युक्त प्रत्येक समाचार-पत्र को मंजूर की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है;

(च) उपर्युक्त समाचार-पत्रों ने अपने अन्तर्राष्ट्रीय संस्करणों के परिचालन (सर्कयूलेशन) से यदि कोई विदेशी मुद्रा अर्जित की है तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(छ) विभिन्न देशों में इन समाचार-पत्रों के परिचालन (सर्कयूलेशन) के आंकड़े क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (छ) सूचना, सम्भव सीमा तक, इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

[हिन्दी]

छापों के बारे में पूर्व सूचना मिल जाना

8536. श्री **राज कुमार राय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क विभाग, राजस्व आसूचना निदेशालय, आयकर विभाग और स्वापक पदार्थ (नारकोटिक्स) को उनके द्वारा मारे गए छापों के अच्छे परिणाम प्राप्त होने के पश्चात इन विभागों के कुछ कर्मचारियों की गतिविधियों ने असमंजस की स्थिति में डाल दिया है क्योंकि वे छापों के बारे में औद्योगिक गृहों को पूर्व सूचना दे देते हैं जिसके फलस्वरूप औद्योगिक गृह इन छापों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं; और

(ख) क्या यह भी सच है कि बम्बई के अनेक औद्योगिक गृहों ने सरकार का मुकाबला करने के लिए ख्यातिप्राप्त वकीलों को नियुक्त कर लिया है जिसके परिणामस्वरूप सरकार को इस संबंध में पर्याप्त सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार की जानकारी में ऐसा कोई उदाहरण नहीं आया है ।

(ख) सरकारी प्रयासों की सफलता का मामला पूर्णतया इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि प्रतिष्ठित अधिवक्ता कर-दाताओं की ओर से पैरवी करते हैं :

[अनुवाद]

निर्यात धोखाधड़ी में लिप्त पाई गई बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां

8537. **श्री बी. एस. कृष्ण अय्यर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात धोखाधड़ी में लिप्त पाई गई अग्रणी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ख) उनमें अन्तर्ग्रस्त राशि कितनी है; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बिहार सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा विदेशी मुद्रा का गैर कानूनी लेन-देन

8538. **श्री एम. रघुमा रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 मार्च, 1986 के टेलीग्राफ में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि पिछले दिनों बिहार सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी पर सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम के साथ 32 लाख रुपये से अधिक की धोखा-धड़ी करने का आरोप लगाया गया था;

(ख) क्या यह भी कहा गया है कि वह अधिकारी विदेशी मुद्रा के चोरी-छिपे और गैर-कानूनी लेन-देन में लगा हुआ था;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) प्रवर्त्तन निदेशालय (फेरा), बिहार सरकार के अधिकारी द्वारा विदेशी मुद्रा के गैर-कानूनी लेन-देन के मामले में जांच पड़ताल कर रहा है । कानून के अन्तर्गत जांच-पड़ताल के आधार पर यथोपेक्षित उचित कार्यवाही की जाएगी ।

कपड़ा और बागान उद्योग में रुग्णता

8539. **श्री बी. के. गढ़वी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कपड़ा उद्योग और बागान उद्योग में विगत में आधुनिकीकरण और पुरानी और बेकार हो गई मशीनों को बदलने के लिए मूल्य ह्रास निधि का

विनिवेश नहीं किया जिसके कारण इन दोनों उद्योगों को रुग्णता का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या अब सरकार का विचार यह देखने के लिए कि लोगों द्वारा मूल्य ह्रास निधि का उपयोग आधुनिकीकरण और मशीनों के बदलने के लिए किया जाये, कोई निगरानी एजेंसी स्थापित करने का है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नये बजट के अन्तर्गत अनुज्ञेय मूल्य ह्रास छूट का सही उपयोग किया जाये और उसकी पहले की तरह की स्थिति न हो; और

(ग) क्या सरकार का विचार एक ऐसी एजेंसी स्थापित करने का है जो किसी एक उद्योग की परिसम्पत्तियों के दूसरे उद्योग में अन्तरण पर नजर रख सके और क्या सरकार परिसम्पत्तियों के एक उद्योग से दूसरे उद्योग में गलत तरीके से अन्तरण को रोकने के लिए किसी दाण्डिक खण्ड का प्रावधान करेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध तथा कानूनों के अन्तर्गत अनुज्ञेय सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कोयले की सप्लाई

8540. **डा. चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कोयला सप्लाई करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले को कोयले की सप्लाई की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो कितना कोयला सप्लाई किया गया था और इसके वितरण के लिए क्या मानदण्ड अपनाया जाता है तथा इससे कितने लोग लाभान्वित हुए ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए.के. पांजा): (क) जी हां। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केवल साफ्ट कोक सप्लाई किया जाता है।

(ख) व (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीयकृत बैंकों के उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन पड़े मामले

8541. **श्री दौलतसिंह जी जडेजा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय में ऐसे कितने मामले विचाराधीन पड़े हैं, जिनमें राष्ट्रीयकृत बैंकों ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपील की है;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि राष्ट्रीयकृत बैंक न्यायालयों में मुकदमेबाजी में अधिक न पड़ें, मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) क्या यह सच है कि बैंक में महज मामलों तथा समस्याओं को जटिल बनाने और विलम्ब करने के लिए अदालतों में जाते हैं;

(घ) बैंकों द्वारा मामलों को आपसी विचार-विमर्श से निपटाने की कोशिश न करने के क्या कारण हैं, ताकि न्यायालयों में न जाना पड़े;

(ङ) उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध बैंकों द्वारा अपील करने पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ताकि न्यायालयों के कार्यभार को कम किया जा सके; और

(च) क्या आय कर विभाग के लिए कोई ऐसा मार्गदर्शी निदेश हैं ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) से (च) बैंक अदालतों का सहारा तभी लेते हैं जब ऐसा करना आवश्यक हो जाता है और आमतौर पर बैंक अग्रिमों की वसूली/अपने अधिकारों के प्रवर्तन के सभी उपाय समाप्त हो जाने के बाद अदालतों में जाते हैं, जिनमें समझौतों/राजनामे के प्रस्तावों पर किया जाना भी शामिल है।

सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित सभी सरकारी उद्यमों से कहा है कि किसी सरकारी विभाग और सरकारी क्षेत्र के उद्यम तथा सरकारी क्षेत्र के किसी उद्यम और अन्य उद्यम के बीच विवादों को परस्पर परामर्श या सरकार की अधिकार प्राप्त एजेंसियों के माध्यम से या मध्यस्थता के माध्यम से सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाए जाने चाहिए और मुकदमेबाजी से बचना चाहिए।

ये मार्ग निर्देश आय-कर विभाग पर भी लागू होते हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बैंक ट्रेड यूनियनों को वित्तीय सहायता देना

8542. **श्री अनूपचन्द शाह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में अपने ट्रेड यूनियन संगठनों को वित्तीय सहायता देने की परिपाटी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो बैंक आफ बड़ौदा के प्रबन्धक आल इण्डिया बैंक आफ बड़ौदा इम्पलाईज यूनियन नामक यूनियन को वित्तीय सहायता कैसे दे रहा है; और

(घ) ऐसे संगठनों के विरुद्ध सरकार का क्या कारंवाई करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय बैंक सं॰ द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों में अपने ट्रेड यूनियन संगठनों की वित्तीय सहायता देने की परिपाटी नहीं है।

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र बैंकों को नियंत्रित करने वाले कानूनों और बैंकों में प्रचलित रीति रिवाजों के अनुसार ग्राहकों से सम्बन्धित या उनके कार्यकलापों से सम्बन्धित सूचना प्रकट नहीं की जा सकती। इस प्रकार मांगी गई सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।

भारतीय स्टेट बैंक की सिंगापुर शाखा द्वारा जहाज की खरीद के लिए अनिवासी भारतीयों को ऋण

8543. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक की सिंगापुर शाखा ने एक अनिवासी भारतीय द्वारा जहाजों की खरीद में कोई सहायता की थी जिससे वहां बैंक की शाखा को काफी घाटा हुआ था;

(ख) यदि हां, तो जहाज की खरीद के लिए दिए गए ऋण की वसूल के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाएं संदग्ध सौदों में सहायता देने में अधिक सावधानी बरतते हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक ने दूसरे बैंकों के साथ मिलकर, जिनमें एक विदेशी बैंक भी शामिल है, सिंगापुर स्थित एक जहाजी कंपनी को आस्थगित भुगतान गारंटी सुविधा प्रदान की थी। गारंटी की मांग किए जाने पर बैंकों के सिंडिकेट को गारंटी की कुल रकम अदा करनी पड़ी। बैंकों के सिंडिकेट ने गारंटी के अन्तर्गत परिसम्पत्ति का अधिग्रहण कर लिया है और वह उसे उचित मूल्य पर निपटाने के लिए उपाय कर रहा है।

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की विदेशी शाखाओं के कार्य-निष्पादन की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा "निरंतर" आधार पर समीक्षा की जाती है और कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के वास्ते समय-समय पर उचित उपायों पर विचार किया जाता है उपाय किए जाते हैं।

रेशम के कोट वृक्षों की देखभाल

8544. **श्री के. वी. शंकर गौड़** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राज्यीय टस्सर रेशम उद्योग ने विकास के लिए स्विटजरलैंड से सहायता प्राप्त परियोजना की पांच वर्ष की खाद्य समाप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्विटजरलैंड की सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस योजना को तीन वर्ष के लिए और बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(ग) क्या इस योजना से लाभान्वित हुए राज्यों को इस योजना के समाप्त हो जाने से अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और इसका उन पर कितना प्रभाव पड़ा है;

(ङ) क्या सरकार इस योजना की अवधि बढ़ाने के लिए सहमत हो गई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) · (क) जी हां।

(ख) स्विश डेवलपमेंट कोआपरेशन ने योजना का तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने के सम्बन्ध में भारत सरकार से अनुरोध नहीं किया है। तथापि, केन्द्रीय रेशम बोर्ड और स्विश डेवलपमेंट कोआपरेशन का प्रस्ताव है कि जब वर्तमान अव्वस्थापना एकक राज्यों को सौंप दिए जाएं और प्रयुक्त पिछली निधियों सम्बन्धित लेखा-परीक्षित लेखा विवरण उनके द्वारा उपलब्ध करा दिया जाए उसके बाद रेशम रीलिंग तथा प्रौसेसिंग एककों की स्थापना सम्बन्धी परियोजना कार्यक्रम के अनुवर्तीचरण के रूप में कुछ अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाये।

(ग) जी नहीं। केन्द्रीय सरकार को ऐसे कोई अभ्यावेदन नहीं मिले हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) तथा (च) इस योजना की अवधि की ओर आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि अन्तर्राज्य टसर परियोजना की मूल परियोजना अवधि पहले ही 31-3-1986 को समाप्त हो गई है। परियोजना अवधि की समाप्त पर अलग-अलग राज्यों को अपने सामान्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत अब टसर विकास कार्यक्रम जारी रखने होंगे। तथापि, केन्द्रीय रेशम बोर्ड नवीनतम प्रौद्योगिकी में किसानों को प्रशिक्षण देने के अलावा क्षेत्र का अनुसंधान से निष्कर्षों के प्रसार हेतु अनुसंधान एवं विस्तार सहायता देना जारी रखेगा।

आयकर अधिकारियों द्वारा अधिक निर्धारण

8545. **डा. ए. के. पटेल** : क्या वित्त यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनकी जानकारी में यह बात आई है कि कई बार आयकर अधिकारी अधिक आयकर संग्रह दिखाने के उद्देश्य से जानबूझ कर अधिक निर्धारण करते हैं जिसके परिणामस्वरूप ईमानदार करदाताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इंगलैंड में ऐसे आवश्यकता से अधिक उत्साही अधिकारियों को दंड देने के लिए कानून हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या करदाताओं को परेशान किया जाना रोकने के लिए उनका विचार इसी प्रकार के अंकुश लगाने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने, कुछ मामलों में, कर-निर्धारण अधिकारियों की कस कर कर लगाने की प्रवृत्ति नोट

की है। अधिकारियों पर इस बात के लिए जोर डालने हेतु समय-समय पर उपयुक्त अनुदेश जारी किए गए हैं, ताकि वे कस कर कर न लगाएं।

(ग) और (घ) इस सम्बन्ध में सरकार को कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है इसलिए ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

खाद्य तेलों का आयात

8546. **श्रीमती उषा चौधरी :**

श्री मनोरंजन भक्त :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न किस्म के खाद्य तेलों का कितना आयात किया गया और उन देशों के नाम क्या हैं जहां से इनका आयात किया गया तथा कितने मूल्य का और कितनी मात्रा में आयात किया गया ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पांजा) : पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान, राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात किए गए खाद्य तेलों की मात्रा तथा मूल्य (तेलवार) नीचे दिए गए है :—

मात्रा लाख मीटरी टन में
(मूल्य करोड़ रुपये में)

तेल	1983-84	
	मात्रा	मूल्य
सोयाबीन तेल	5.52	348.00
निर्विष्मीकृत, ताड़ का तेल	0.76	35.00
रेपसीड तेल	2.00	127.00
परिष्कृत, विरजित, निर्गन्धीकृत ताड़ का तेल	1.76	86.00
परिष्कृत, विरजित, निर्गन्धीकृत पामोलीन	3.55	208.00
परिष्कृत सोयाबीन तेल	0 31	27.00
सूरजमुखी तेल	0.19	15.00
परिष्कृत, विराजित, निर्गन्धीकृत नारियल का तेल	—	—
योग :	14.09	846.00

मात्रा लाख मी. टन में
(मूल्य करोड़ रुपये में)

तेल	1984-85	
	मात्रा	मूल्य
सोयाबीन का तेल	5.52	464.00
निर्विष्मीकृत ताड़ का तेल	0.83	68.00
रेपसीड तेल	2.81	230.00
परिष्कृत, विरंजित, निर्गन्धीकृत ताड़ का तेल	1.35	1.06.00
परिष्कृत, विरंजित, निर्गन्धीकृत पामोलीन	4.96	408.00
परिष्कृत सोयाबीन तेल	—	—
सूरजमुखी तेल	0.29	21.00
परिष्कृत, विरंजित निर्गन्धीकृत नारियल का तेल	0.09	12.00
योग	15.85	1309.00

तेल	1985-86 (अनन्तिम)	
	मात्रा	मूल्य
सोयाबीन तेल	3·67	290.00
निर्विष्मीकृत ताड़ का तेल	0.56	26.00
रेपसीड तेल	1.72	132.00
परिष्कृत विरंजित, निर्गन्धीकृत ताड़ का तेल	0.69	49.00
परिष्कृत विरंजित, निर्गन्धीकृत पामोलीन	4.08	269.00
परिष्कृत सोयाबीन तेल	—	—
सूरजमुखी तेल	—	—
परिष्कृत, विरंजित, निर्गन्धीकृत नारियल का तेल	—	—
योग :	10 72	766.00

जिन देशों से विक्रेताओं द्वारा खाद्य तेलों का आमतौर पर जहाजों पर लदान किया जाता है, वे ये हैं :—

तेल	देश
सोयाबीन तेल (एस. बी. श्रो.)	संयुक्त राज्य श्रमरीका, ब्राजील, श्रर्जेन्टीना श्रौर नीदरलैण्ड ।
रेपसीड तेल (एस. एफ. श्रो)	कनाडा श्रौर फ्रांस
सूरजमुखी का तेल (एस. एफ. श्रो)	संयुक्त राज्य श्रमरीका श्रौर श्रर्जेन्टीना
निर्विष्मीकृत ताड़ का तेल (एन. पी. श्रो)) परिष्कृत, विरंजित, निर्गन्धीकृत ताड़ का तेल) परिष्कृत, विरंजित, निर्गन्धीकृत पामोलीन)	मलेशिया श्रौर इण्डोनेशिया ।

तटीय तस्करी में वृद्धि

8547. **श्री चिन्त महाता** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तटीय तस्करी में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार इस संबंध में क्या निवारात्मक उपाय करने का है ।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) श्रौर (ख) सरकार को प्राप्त हुई रिपोर्टों तथा किए गए श्रभिग्रहणों से पता चलता है कि हमारे देश के पश्चिमी तथा पूर्वी तट तस्करी सम्बन्धी गतिविधियों के लिए श्राकर्षण का केन्द्र बने हुए हैं ।

वर्ष 1983, 1984, 1985 तथा 1986 (मार्च तक) के दौरान पश्चिमी श्रौर पूर्वी तट से पकड़े गए निषिद्ध माल का मूल्य नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	पश्चिमी तट	पूर्वी तट
1983	58.01	19.78
1984	59.75	20.71
1985	108.56	39.47
1986 (मार्च तक)	34.41	8.99

(1986 के श्रांकड़े श्रनन्तिम हैं)

(ग) देश के संपूर्ण पश्चिमी तथा पूर्वी तट पर तस्करी-रोधी श्रभियान तेज कर दिया

गया है। तटीय क्षेत्रों में लगाए गए सीमा शुल्क विभाग के निवारक और आसूचना तन्त्र को और जन शक्ति और उपस्कर लगाकर सुदृढ़ कर दिया गया है। तटीय क्षेत्रों में तस्करी की प्रवृत्तियों तथा किए गए अभिग्रहणों की सतत् समीक्षा की जाती रहती है ताकि सम्बन्धित केन्द्रीय और राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ घनिष्ट ताल मेल बैठा कर उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई की जा सके।

[हिन्दी]

खाड़ी के देशों में रह रहे भारतीयों को राजस्थान और गुजरात में पूंजी निवेश करने हेतु आमंत्रण

854. **प्रो. निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह गुजरात और राजस्थान की सरकारों ने खाड़ी के देशों में रह रहे भारतीयों को पूंजी निवेश करने हेतु आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रवासियों की संख्या कितनी है जो इन राज्यों में उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से यहां आए और इनके क्या परिणाम निकले हैं ?

(ग) क्या अन्य देशों में रह रहे भारतीय मूल के उद्योगपतियों को भी यहां उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने इन लोगों को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान करने का वचन दिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) जनवरी/फरवरी, 1986 के महीनों के दौरान 18 अनिवासी भारतीयों ने गुजरात राज्य का यह देखने के लिए दौरा किया कि औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए राज्य सरकार क्या सुविधाएं दे रही है। अब तक एक अनिवासी भारतीय ने एक इकाई की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो विचाराधीन है। प्रवासी भारतीयों के राजस्थान के दौरे के विषय पर राज्य सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार ने भारतीय राष्ट्रिकता/भारतीय मूल के अनिवासियों से प्रेषण आकर्षित करने तथा उनके द्वारा निवेश करने के लिए विभिन्न सुविधाएं प्रदान की है। 198 से प्रवृत्त सभी सुविधाएं अभी तक जारी हैं। इनमें नए उद्योगों की स्थापना करने, सामान्य शेयरों/ऋणपत्रों सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने तथा बैंकों में रकम जमा कराने आदि की सुविधाएं शामिल है। इसके अतिरिक्त, इस देश में अनिवासी भारतीयों को पूंजी निवेश करने की कार्यवाही को पूरा करने में जिस विलम्ब का सामना करना पड़ता था, उसको समाप्त करने के लिए भी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए हाल ही में कई एक उपाय प्रारम्भ किए गए हैं।

[अनुवाद]

सख्त ड्यूटी भत्ते को आयकर से छूट दिलाने हेतु अभ्यावेदन

8549. **श्री वी. एस. विजयराघवन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान द्वीप समूह में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा संचालित "सागर प्रभात" से कर्मचारियों को दिए जा रहे सख्त ड्यूटी भत्ते को आय-कर लगाने हेतु आय में शामिल किया जाता है;

(ख) क्या सरकार को ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें यह मांग की गई है कि इसको आयकर से छूट दी जानी चाहिए;

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है;

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है जिसे यथा संभव शीघ्र सदन-पटल पर रख दिया जाएगा।

सम्पदा शुल्क के लम्बित पड़े मामले

8550. **श्री के. वी. थामस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्पदा शुल्क के कितने मामले निर्णयार्थ लम्बित पड़े हैं; और

(ख) क्या स्वैच्छिक रूप से अपने शुल्क की विवरणी भरने वाले लोगों को छूट देने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) दिनांक 28-2-1986 की स्थिति के अनुसार, निपटान के लिए बकाया पड़े सम्पदा शुल्क के मामलों की संख्या 14,120 है।

(ख) जी नहीं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में शहतूत पर आधारित रेशम के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन

8551. **श्री हरीश रावत** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में शहतूत की खेती पर आधारित रेशम के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए कोई विशेष योजना तैयार की है;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर रेशम के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए कितनी राशि व्यय करने का विचार है;

(ग) क्या इस अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में कुछ नए पर्वतीय क्षेत्रों में रेशम का उत्पादन करने के उद्देश्य से शहतूत के बाग लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे स्थानों के नाम क्या हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में रेशम की खेती के विकास के लिए प्रारम्भ में 4.68 करोड़ रु. की लागत की एक विशेष परियोजना बनाई थी। राज्य सरकार द्वारा किए गये सुझावों के अनुसरण में राज्य के समतल जिलों को भी शामिल करने के लिए इस परियोजना में सशोधन किया जा रहा है। इसके अलावा, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रेशम उद्योग का विकास करने और साथ ही उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर रेशम के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से योजना आयोग के राज्य योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत 15.40 करोड़ रु. के एक आबंटन का अनुमोदन किया है।

(ग) तथा (घ) राज्य सरकार के साथ परामर्श करके केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा अन्तिम रूप दी जा रही विशेष परियोजना उत्तर प्रदेश के कतिपय पर्वतीय जिलों को कवर करेगी।

[अनुवाद]

अशोधित चीनी का आयात

8552. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा :**

श्री एच. एन. नन्जे गौडा :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चीनी निर्माताओं की ओर से ऐसे अनेक प्रस्ताव हुए हैं कि निर्मित चीनी के बजाय अशोधित चीनी का आयात किया जाये, ताकि बन्द पड़ी और रूग्ण चीनी मिलों में इस अशोधित चीनी को साफ किया जा सकें;

(ख) क्या देशी चीनी मिलों द्वारा अशोधित चीनी को साफ किये जाने के उद्देश्य से इसका आयात करने से बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत की जा सकती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

योजना, मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) सफेद परिष्कृत चीनी के स्थान पर अशोधित चीनी (कच्ची चीनी) का आयात करने और देश की कुछेक चीनी फैक्ट्रियों द्वारा इसका सफेद चीनी में विधायन करने सम्बन्धी तमाम मामले की जांच की गई है और इस सुझाव को स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया है।

इलायची बोर्ड द्वारा इलायची की खरीद प्रक्रिया को सुधारा जाना

8553. **श्री वी. तुलसीराम** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलायची बोर्ड ने देश में इलायची की खरीद प्रक्रिया को सुधारा है;

(ख) यदि हां, तो देश में इलायची उत्पादकों को अपने उत्पाद की कीमत शीघ्र प्राप्त कराने में इस नई प्रक्रिया से कितनी सहायता मिलेगी;

(ग) क्या नई प्रक्रिया में बिचौलिया व्यवस्था को बिल्कुल समाप्त किया गया है; और

(घ) इस नई प्रक्रिया से देश में इलायची के मूल्य में कितनी कमी हो जाएगी ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) (क) इलायची का प्राथमिक विपणन सार्वजनिक नीलामियों की प्रणाली द्वारा किया जाता है जो कि विशेष रूप से अधिसंख्य विक्रेताओं तथा खरीदारों में प्रतिस्पर्धा द्वारा मुक्त लेन-देन तथा कीमत निर्धारण की दृष्टि से लघु उपकर्ताओं के लिए लाभकारी समझी जाती है।

(ख) नीलामी प्रणाली के यथोचित विनियमन और नीलामी क्रेता। नीलामी एजेन्ट लाइसेंसों के निलम्बन करने से उपजकर्ताओं का बकाया अदायगियां न्यूनतम करने में सहायता मिली है।

(ग) उत्पादन का लगभग 65 प्रतिशत भाग नीलामियों द्वारा बेचा जाता है और इसी सीमा तक बिचौलियों की भूमिका में कमी कर दी गई है।

(घ) कीमतें पूर्ति तथा मांग की सापेक्ष स्थिति पर निर्भर करती हैं। तथापि, नीलामी प्रणाली से मुक्त प्रतिस्पर्धा द्वारा कीमत निर्धारण सुनिश्चित होती है और सट्टेबाजी, जमाखोरी तथा कदाचार कम से कम होते हैं।

योजना और गैर-योजना व्यय में कटौती

8554. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार वित्तीय संसाधनों के दबाव के कारण अपने योजना और गैर-योजना व्यय में भारी कटौती करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या विकास सम्बन्धी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के लिए ऐसे अन्य संसाधनों का उपयोग करना अब सम्भव है जिससे आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं रहेगी; और

(ग) सरकार द्वारा जनता से ऋण लेने और निवेशकर्ताओं को अपने काले धन को परिचालन में लाने की अनुमति देने पर विचार न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अनावश्यक और अनुत्पादक व्यय में कमी करने के उपाय करना सरकार के लिए एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। वर्ष 1985-86 के लिए योजना भिन्न व्यय में 5 प्रतिशत की कटौती करने के लिए सितम्बर, 1985 में हिदायतें जारी की गई थीं।

(ख) अनेक उपायों के माध्यम से संसाधनों में वृद्धि की जा रही हैं। लागू किए गए मूल्यों के बारे में नीतिपरक पत्र तैयार किया जा रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे मूल्यों के मामले में संशोधन के मानदण्डों के बारे में बताया जायेगा।

(ग) सरकार का बाँड/ऋण जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है जिससे इस प्रकार के बांडों में धन लगाकर कर अपवंचकों को छुटकारा मिले। इसके अलावा, पहले उठाये गए अनेक कदमों के अतिरिक्त सरकार ने हाल ही में उपाय किए हैं जिनका उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, काले धन को रोकने के लिए एक ओर कर का भुगतान करना और दूसरी ओर कर अपवंचन की लागत में वृद्धि करना है।

उड़ीसा में न्यू बैंक आफ इण्डिया की शाखाएं खोलना

8555. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में उन केन्द्रों के नाम क्या हैं जहां 1985-86 के दौरान न्यू बैंक आफ इण्डिया ने शाखा खोलने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक को लाइसेंस देने का सुझाव दिया है;

(ख) उन केन्द्रों के नाम क्या है जिनके लिए 1985-86 के दौरान न्यू बैंक आफ इण्डिया उड़ीसा के लिए मंजूर किए गये हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य सरकार की विकास सम्बन्धी कार्यवाही योजना के त्वरित कार्यान्वयन के लिये भुवनेश्वर में बैंक का एक नियन्त्रण कार्यालय खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कब तक खोले जाने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : वर्ष 1985-90 की शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत उन सम्भावित विकास केन्द्रों का जिनमें बैंकिंग सुविधाएं देने की आवश्यकता है, पता लगाने का काम अग्रणी बैंकों द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित दलों को सौंपा गया है। उसके बाद पता लगाये गये केन्द्रों की सूचियों का सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा अन्तिम रूप दिया जाना होता है और सूचियों का भारतीय रिजर्व बैंक के पास शाखा लाइसेंसिंग नीति के अनुसार, बैंक शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस जारी करने के वास्ते विचारार्थ भेजना होता है। अतः किसी भी राज्य में बैंक कार्यालय खोलने के लिए बैंकवार अथवा वर्षवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं। वर्ष 1982-85 की पुरानी शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत, भारतीय रिजर्व बैंक ने, मार्च 1985 में न्यू बैंक आफ इण्डिया को, उड़ीसा के धेनकनाल जिले में सतमिले और कंजाला नाम के दो केन्द्रों में शाखाएं खोलने के लिये प्राधिकृत किया था।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे न्यू बैंक आफ इण्डिया से, भुवनेश्वर में नियंत्रण कार्यालय खोलने के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी बताया है कि बैंकों का, क्षेत्र विशेष में बैंक की शाखाओं की संख्या, इन शाखाओं के कारोबार के स्तर, लागत-लाभ समीकरण, कारगर निरीक्षण की आवश्यकता, प्रशासनिक सुविधा आदि को ध्यान में रखते हुए, नियंत्रण कार्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक का यह मत है कि चूंकि न्यू बैंक आफ इण्डिया की उड़ीसा में केवल सीमित संख्या में शाखाएं हैं, अतः बैंक का भुवनेश्वर में एक नियंत्रक कार्यालय खोलना फिलहाल जरूरी नहीं है।

चीन का दौरा करने वाला व्यापार प्रतिनिधिमण्डल

8556. **श्री एन. वेंकट रत्नम** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके नेतृत्व में एक व्यापार प्रतिनिधिमण्डल ने हाल ही में चीन का दौरा किया है; और

(ख) प्रतिनिधिमण्डल का दौरा करने का प्रयोजन क्या था, उसके सदस्य कौन-कौन थे और इस दौरे के परिणामस्वरूप यदि कोई उपलब्धियां हुई हैं तो वे क्या हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य व्यापार निगम के पूर्णकालिक चेयरमेनों की नियुक्ति

8557. **श्री सी. माधव रेड्डी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम में गत दस वर्षों के दौरान नौ चेयरमैनों में से केवल चार ही पूर्णकालिक चेयरमैन थे;

(ख) क्या इसके चेयरमैनों की तदर्थ आधार पर नियुक्ति करने तथा लम्बी अवधि तक पूर्णकालिक चेयरमैन के न होने के कारण इस संगठन की प्रगति में कोई बाधा नहीं आई है; और

(ग) राज्य व्यापार निगम में लम्बी अवधि से पूर्णकालिक चेयरमैन नियुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) 1975-76 से 1984-85 तक के 10 वर्षों की अवधि में कुल व्यवसाय 981.00 करोड़ रु. से बढ़कर 2865.53 करोड़ रु. तथा कर पूर्व लाभ 14.5 करोड़ रु. से बढ़कर 61.13 करोड़ रु. हो गया है।

(ग) राज्य व्यापार निगम के लिए पूर्णकालिक अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है।

केरल में इलायची की जोतों की गणना

8558. **श्री के मोहन दास** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में इलायची की जोतों की गणना करने का कोई कार्यक्रम है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी, ब्यौरा क्या है, और

(ग) अधिकतम उत्पादन करने के उद्देश्य से छोटी जोतों को क्या विशेष सहायता की जा रही है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) तथा (ख) जी नहीं। तथापि, इलायची बोर्ड ने इलायची के अधीन क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए तत्काल एक सांख्यकीय सर्वेक्षण कराने के उद्देश्य से केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु की राज्य सरकारों से अनुरोध किया है।

(ग) इलायची बोर्ड लघु उपजकर्ताओं की सहायतार्थ से इलायची पुनरोपण उपदान योजना, विस्तार सलाहकार योजना, प्रमाणित नर्सरी योजना और कापर सल्फेट, पौध संरक्षण उपस्कर, सिंचाई पम्प सेट तथा मधु मक्खी छत्ता आदि की आर्थिक सहायता प्राप्त सप्लाई योजना जैसी अनेक योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है।

सरकारी क्षेत्र और गैर सरकारी क्षेत्र में पांच सितारा होटलों को हानि

8559. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या **संसदीय कार्य और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र में कितने पांच सितारा होटल चल रहे हैं और उनके नाम क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि सरकारी अभिकरणों द्वारा चलाये जा रहे कई पांच सितारा होटल घाटे में चल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो उन होटलों के नाम क्या हैं और इन्हें कितनी वार्षिक हानि हो रही है;

(घ) इसके क्या कारण हैं जब कि गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा चलाये जाने वाले होटलों को लाभ हो रहा है; और

(ङ) क्या सरकार ने मध्यवर्गीय लोगों के लाभ के लिए जो बड़े होटलों में नहीं ठहर सकते हैं, सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान बड़े होटलों की बजाय जनता होटलों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र में 55 पांच सितारा होटल चल रहे हैं। इनके नाम संलग्न विवरण I में दिये गये हैं।

(ख) जी, हां। सरकारी क्षेत्र में दो वर्गीकृत पांच सितारा होटल घाटे में चल रहे हैं।

(ग) इन होटलों के नाम और हानियों ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गये हैं।

(घ) ये हानियां प्रमुखतः निम्नअधिभोग (आकुपैंसी) और मरम्मत, रख-रखाव पर हुए भारी खर्च तथा मूल्य ह्रास के कारण हुई है।

(ङ) भारत पर्यटन विकास निगम का सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जनता होटलों का निर्माण करने के लिए कोई विशिष्ट प्लान प्रावधान नहीं है। तथापि, यह निम्न बजट पर्यटकों

की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक मितव्ययी (इकनानी) होटल अशोक यात्री निवास, नई दिल्ली) चला रहा है।

इसी प्रकार भारतीय होटल निगम का भी सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जनता होटलों अथवा 5-सितारा होटलों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, पर्यटन विभाग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी राज्यों में यात्री निवासों का निर्माण करने हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए 600 लाख रुपए का प्रावधान किया है। इससे निम्न आय वर्ग के पर्यटकों को निम्न बजट आवास मिलेगा। गोआ, पोर्ट ब्लेयर, कुरुक्षेत्र, डाकोर, सतपदा, कांचीपुरम और दिल्ली में यात्री निवासों के निर्माण के लिए निधियां पहले ही रिलीज कर दी गई हैं। अन्य स्थानों पर यात्री निवासों के सम्बन्ध में कार्रवाई की जा रही है।

विवरण-I

निजी क्षेत्र

1	2
1. होटल ओबराय नई दिल्ली	10. होटल ओबराय टावर्स बम्बई
2. होटल मौर्य पैलेस नई दिल्ली	11. ताज-इन्टर-कांटिनेंटल बम्बई
3. होटल ताज महल नई दिल्ली	12. होटल ताज महल बम्बई
4. होटल ताज पैलेस नई दिल्ली	13. होटल ऐसीडेंट बम्बई
5. होटल सिद्धार्थ काटिनेंटल नई दिल्ली	14. होटल हालीडे इन्न बम्बई
6. होटल हयात रिजेंसी नई दिल्ली	15. होटल पालम ग्रोव बम्बई
7. होटल क्लैरिज नई दिल्ली	16. होटल सीराक बम्बई
8. होटल इम्पीरियल नई दिल्ली	17. होटल सन-एन-सैंड बम्बई
9. होटल सिद्धार्थ नई दिल्ली	18. होटल हिन्दुस्तान इन्टरनेशनल कलकत्ता

1	2
19. होटल ओबराय ग्रांड कलकत्ता	34. होटल चोला शेराटन मद्रास
20. होटल पार्क कलकत्ता	35. होटल ब्राडवे श्रीनगर
21. होटल रामबाग पैलेस जयपुर	36. होटल ओबराय पैलेस श्रीनगर
22. होटल क्लार्क्स आमेर जयपुर	37. होटल क्लार्क्स अवध लखनऊ
23. होटल वेलकमग्रुप मानसिंह जयपुर	38. होटल ताज गैंजिस वाराणसी
24. होटल शिवनिवास पैलेस उदयपुर	39. होटल क्लार्क्स वाराणसी वाराणसी
25. होटल मुगल शेराटन आगरा	40. होटल ब्लू डायमण्ड पुणे
26. होटल क्लार्क्स शिराज आगरा	41. होटल रामा इन्टरनेशनल औरंगाबाद
27. होटल फेरियाज हालीडे रिसार्ट लोनावला	42. होटल अजंता अम्बैसेडर औरंगाबाद
28. होटल चन्देला खजुराहो	43. होटल सन-एन-सी पार्क विशाखापत्तनम
29. होटल जस ओबराय खजुराहो	44. होटल बंजारा हैदराबाद
30. होटल फोर्ट अगोदा बीच रिसार्ट गोआ	45. होटल विंडसर मनोर बंगलोर
31. होटल सिदादे-दे गोआ	46. होटल मौर्य पटना
32. होटल ओबराय, डैबोलिम गोआ	47. होटल कोणार्क भुवनेश्वर
33. होटल ताज कोरोमण्डल मद्रास	

1	2
सार्वजनिक क्षेत्र भारत पर्यटन विकास निगम	52. होटल कोवलम अशोक त्रिवेन्द्रम
48. होटल अशोक नई दिल्ली	53. होटल एयरपोर्ट अशोक कलकत्ता
49. होटल कुतब नई दिल्ली	भारतीय होटल निगम
50. होटल अशोक बंगलौर	54. होटल सेन्टौर बम्बई
51. होटल ललित महल मैसूर	55. होटल सेन्टौर दिल्ली हवाई अड्डा

विवरण-II

क्रम सं.	होटल का नाम	1984-85 में हानियां
		(लाख रुपए में)
(i)	होटल अशोक बंगलौर (भारत पर्यटन विकास निगम)	59.84
(ii)	सेन्टौर होटल दिल्ली हवाई अड्डा (भारतीय होटल निगम)	278.10

दिल्ली में मिट्टी के तेल के व्यापारियों द्वारा माप तोल में जनता के साथ धोखा

8560. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का ध्यान व्यापारियों द्वारा माप-तोल में जनता के साथ धोखा करने के बारे में 6 अप्रैल, 1986 को प्रसारित किया गया "रजनी" नामक साप्ताहिक धारावाहिक की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली में मिट्टी के तेल के व्यापारियों की यह आम बात है कि

काडंधारियों को तेल देते समय उसमें झाग की मात्रा को बढ़ाकर कम तेल देते हैं तथा इस प्रकार बचे हुए तेल को काले बाजार में बेचते हैं ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि इस प्रकार की आम बात के मामले उनके ध्यान में नहीं आए हैं। लेकिन, दिल्ली में बाट तथा माप के प्रवर्तन कर्मचारियों को जांच के दौरान मिट्टी के तेल के व्यापारियों द्वारा काडंधारियों को तेल की कम मात्रा देने के मामलों का पता चला है।

उचित दर की दुकानों के आयातित खाद्य तेलों को वितरण न किए जाने के बारे में शिकायतें

8561. **श्री भट्टम श्रीराममूर्ति** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में तथा अन्य स्थानों पर उपभोक्ताओं को सप्लाई करने के लिए रियायती मूल्य पर आयातित खाद्य तेल उचित दर की दुकानों को जारी किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उचित दर की दुकानों से आयातित खाद्य तेल का वितरण न किए जाने के बारे में शिकायतें मिली हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने अपनी निरीक्षण तथा निगरानी व्यवस्था को सशक्त करने हेतु क्या कार्यवाही की है, ताकि उचित दर की दुकानों से आयातित खाद्य तेलों तथा अन्य वस्तुओं का उचित वितरण सुनिश्चित किया जा सकें ?

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) जी हां।

(ख) हरियाणा से एक शिकायत प्राप्त हुई है कि आयातित तेल चोर-बाजारी में बेचा जाता है। राज्य सरकार को इस मामले की जांच करने के लिए कहा गया है।

(ग) केन्द्रीय सरकार उचित दर की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को वितरित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेलों का आबंटन करती है। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए कि उपभोक्ताओं को आयातित तेलों का वितरण उचित दर की दुकानों के माध्यम से किया जाए। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुप्रवाही यथा क्रियाशील बनायें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आयातित तेल वास्तव में उपभोक्ताओं को पहुँचे और उनसे यह भी कहा गया है कि वे एक मासिक प्रमाण-पत्र भेजें, जिसमें यह सूचित किया गया हो कि आयातित खाद्य तेल की पूरी मात्रा उठा ली गई है और उस का उपयोग उस प्रयोजन के लिए उचित रूप से किया गया है, जिसके लिए वह आवंटित की गई थी। केन्द्रीय सरकार के अधिकारी भी इस बात की जांच करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा करते हैं कि आयातित तेल आदि उचित दर की दुकानों पर उपलब्ध है तथा उसका वितरण उपभोक्ताओं को, जिनके लिए वह है, किया जाता है।

पान के पत्तों का निर्यात

8562. **श्री सुधीर राय** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पान के पत्तों को निर्यात के लिए विशिष्ट व्यवस्था है;

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान पान के पत्तों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(क) क्या सरकार का विचार और अधिक मात्रा में पान के पत्तों का निर्यात करने हेतु कदम उठाने का है, क्योंकि इस वर्ष पान के पत्तों का मूल्य असाधारण रूप से कम है;

(घ) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी शिव शंकर) : (क) जी नहीं।

(ख) 1985-86 के दौरान पान के पत्तों के निर्यात अनन्तिम अनुमानों के अनुसार 61 लाख रु. मूल्य के थे।

(ग) से (ङ) पान के पत्तों की निर्यात संभावना सीमित है। निर्यात मुख्यतः मध्य पूर्व देशों को किए जा रहे हैं जिनमें ऐसा बड़ा समुदाय है जो इस मद का उपभोग करता है। पान के पत्तों की खपत सीमित होने से इसके निर्यातों को बढ़ाने के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

तस्करी का माल बरामद किया जाना

8563. **श्री एस. जी. घोलप** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 में बरामद किए गए माल का कुल कितना मूल्य है तथा इस माल को किन-किन देशों से तस्करी की गई;

(ख) तस्करी की गई मुख्य वस्तुयें कौन-सी हैं और उनका स्तर व उनकी कीमत क्या है; और

(ग) जब्त किए गए सामान को निपटाने की क्या प्रक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) वर्ष 1983-84, 1984-8. और 1985-86 के दौरान अभिग्रहीत निविष्ट माल का कुल मूल्य, अभिगृहीत मुख्य जिन्सों को दिखाते हुए, संलग्न विवरण-पत्र में दिया गया है।

(ख) निपटान के लिए तैयार जब्त उपभोक्ता माल (न्यायनिर्णय न अपील कार्रवाई आदि के पूपा होने के पश्चात) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ राज्य सिविल आपूर्ति निगमों, राज्य सहकारी संघों, केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित तथा सहकारी समिति अधिनियम के तहत विधिवत् पंजीकृत सहकारी समितियों, सैनिक/अध/सैनिक, पुलिस कैन्टीनों, विभागीय खुदरा दुकानों आदि के माध्यम से जनता को बेचा जाता है। सोना और चांदी भारत सरकार की टक्साल में जमा करा दिया जाता है। भारतीय और विदेशी मुद्रा रिजर्व बैंक में जमा करा दी जाती है। व्यापारिक माल का निपटान सार्वजनिक नीलामी द्वारा किया जाता है।

सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा अफीम के अलावा जब्त मादक औषध द्रव्य सामान्यतया नष्ट कर दिए जाते हैं। जब्त की गई अफीम को संसाधित तथा निपटान हेतु सरकारी अफीम कारखाना, गाजीपुर को भेज दिया जाता है।

विवरण

(क) और (ख) वर्ष 1983-84, 1984-85, 1985-86 के दौरान अभिगृहीत निषिद्ध माल का कुल मूल्य कभिगृहीत मुख्य जिन्सों को दिखाते हुए, नीचे दिया जा रहा है :—

(मूल्य : करोड़ रुपयों में)

वर्ष	सोना		चांदी		हीरे	घड़ियां	टैक्सटाइल	भारतीय मुद्रा	विदेशी मुद्रा	अन्य	कुल
	मात्रा कि. ग्रा. में	मूल्य	मात्रा कि. ग्रा.	मूल्य में							
1993-84	331	6.65	17683	6.24	0.58	7.15	18.05	1.18	1.78	56.13	97.73
1984-85	1111	21.90	673	0.24	0.20	9.13	17.93	1.45	2.87	66.15	119.87
1985-86	2569	51.31	64	0.02	0.67	8.81	17.57	3.2)	4.65	105.24	191.471 674 कि. ग्रा. हिरोईन

(वर्ष 1985-86 के आंकड़े अनन्तिम हैं।)

प्राप्त हुई रिपोर्टों से पता चलता है कि अधिकतर अभिगृहीत माल खाड़ी क्षेत्र के देशों, हांगकांग, सिंगापुर, पकिस्तान, नैपाल, श्रीलंक और बंगलादेश से अथवा इन से होकर चोरी छिपे लाया जाता है।

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा एजेंटों की नियुक्ति

8564. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 और 1985 की अवधि के बीच भारतीय जीवन बीमा निगम के कितने नए एजेंट नियुक्त किए गए और नियुक्त एजेंसियों में से कितनी एजेंसियां समाप्त कर दी गयी हैं;

(ख) इन एजेंसियों को समाप्त करने क्या कारण है;

(ग) उपर्युक्त एजेंटों में से कितने अर्हता प्राप्त एजेंट थे और क्या उन एजेंसियों को समाप्त करने से पहले उन्हें कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था;

(घ) वर्ष 1980-81 से 1984-85 की अवधि में प्रति वर्ष कितनी पालिसियां प्रदत्त मूल्य प्राप्त किए बिना व्यपगत हो गई थीं;

(ङ) क्या यह सच है कि अर्हता प्राप्त एजेंट उपलब्ध न होने के कारण व्यपगत होने वाली नई पालिसियों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ रही है; और

(च) यदि हां, तो पालिसियों के बार-बार व्यपगत होने को रोकने के लिए निगम का क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) जीवन बीमा निगम द्वारा पहली अप्रैल, 1980 और 31.3.1985 के बीच नए भर्ती किए गए ऐजेंटों की कुल संख्या 165942 है इस संख्या में से जिन ऐजेंटों की सेवाएं समाप्त की गई और इनमें से योग्यता प्राप्त ऐजेंटों की संख्या तत्काल उपलब्ध नहीं है तथा इसको तैयार करने में काफी समय लग जाएगा तथापि, काम कर रहे ऐजेंटों की कुल संख्या, और किसी वर्ष विशेष के अन्तिम दिन उनमें से योग्यता प्राप्त ऐजेंटों की संख्या तथा वर्ष के दौरान काम से हटाये गये, नए भर्ती किए गए और 31 3.1985 की स्थिति के अनुसार नए भर्ती किए गए ऐजेंटों में से काम कर रहे ऐजेंटों का प्रतिशत का ब्यौरा संलग्न **विवरण** में दिया गया है। ऐजेंसियां मुख्य रूप से न्यूनतम कारबार गारंटी संबंधी शर्तों को पूरा न कर पाने पर रद्द की जाती हैं। अन्य कारणों में लाइसेंस का नवीकरण न करना, प्रीमियम का दुर्विनियोग, बेनामी/व्यक्तिगत ऐजेंसियां आदि कारण शामिल हैं। योग्यता प्राप्त ऐजेंटों के सभी मामलों में ऐजेंसी रद्द करने से पहले कारण बताओ नोटिस दिया जाता है, सिवाए उन मामलों के जहां ऐजेंट के विरुद्ध कार्रवाई (ऐजेंट) नियमावली, 1972 के नियम 14,15 और 17 (1) के अन्तर्गत की गई हो। इन नियमों के अनुसार ऐजेंसी निम्नलिखित कारणों से रद्द की जा सकती है :—यदि ऐजेंट का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए या उसका नवीकरण न किया जाए, या उसमें कोई दिमागी खराबी पाई जाए या वह किसी समक्ष कोर्ट द्वारा अपराधजनक दुर्विनियोग अथवा अमानत में ख्यानत, या धोखाधड़ी या जालसाजी आदि के मामले में अपराधी पाया जाए, या सक्षम प्राधिकारी किसी ऐजेंट की ऐजेंसी रद्द करने के लिए लिखित रूप से एक महीने का नोटिस दे या फिर ऐजेंट अपनी ऐजेंसी बन्द करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को एक महीने का ऐसा ही नोटिस दे।

(घ) 1980-81 से 1984-85 के दौरान चुकता मूल्य शर्त पूरी किए बगैर व्यपगत पालिसियों की वर्ष वार निवल संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	व्यपगत पालिसियों की निवल संख्या
1980-81	5,26,130
1981-82	5,44,122
1982-83	6,18,953
1983-84	6,53,837
1984-85	7,00,412

(ङ) जी, नहीं। यह सच नहीं है कि व्यपगत नई पालिसियों की संख्या में बढ़ोतरी का कारण ऐजेंटों का अयोग्य होना है। हालांक व्यपगत पालिसियों की निवल कुल संख्या में प्रत्येक वर्ष मामूली सी वृद्धि होती रही है, परन्तु चालू बीमा कार्य माध्य के प्रतिशत के रूप में निवल व्यपगत पालिसियों का प्रतिशत 4% और 5% के बीच स्थिर रहा है जैसाकि निम्नलिखित आंकड़ों से देखा जा सकता है। वास्तव में वर्ष 1984-85 में इसमें कमी आई है।

1982-83	4.3 प्रतिशत
1983-84	4.5 प्रतिशत
1984-85	4.2 प्रतिशत

(च) निगम ने अपने बिक्री संगठन के अन्तर्गत वृत्तक ऐजेंटों की नियुक्ति का कार्य शुरू किया है। जीवन बीमा निगम ने एजेंट विनियम और कारबार की किस्म तथा एजेंसी बल में सुधार करने की दृष्टि से क्लब की सदस्यता जैसी स्कीमों को लागू करके अपने ऐजंसी बल का भी व्यावसायकीकरण कर दिया है निगम ने व्यपगमन को नियत्रण में रखा है। आशा है कि कार्य का विकेन्द्रीकरण करके शाखाओं को सौंपने और बड़ी-बड़ी शाखाओं में माईक्रो प्रोसेसर पर आधारित मशीनों को लगाकर व्यपगमन पर काबू पा लिया जाएगा।

विवरण

भर्ती का वर्ष	काम कर रहे एजेंटों की कुल संख्या	योग्यता प्राप्त एजेंटों की संख्या	प्रत्येक वर्ष के दौरान सेवा से हटाए गए एजेंटों की संख्या	प्रत्येक वर्ष नए भर्ती किए गए एजेंटों की संख्या	31.3.1985 की स्थिति के अनुसार नए भर्ती किए गए एजेंटों में से काम कर रहे एजेंटों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1980-81	1,21,257	66,968	25,641	22,823	29.62
1981-82	1,24,589	70,798	29,386	26,908	38.85
1982-83	1,34,742	76,263	27,091	32,310	50.06
1983-84	1,46,473	80,957	30,927	33,004	70.35
1984-85	1,62,478	91,907	34,438	45,897	98.38

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को अनुदान

8565. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के पहले परन्तुक के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य योजना निधि अथवा कुल राज्य योजना आकार के भाग के अलावा सहायता अनुदान दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के विकास की विशेष योजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि जारी कर रहा है अथवा धनराशि की स्वीकृतियां जारी करने की केवल औपचारिकता पूरी कर रहा है जो कि पहले ही राज्य योजना आकार का एक हिस्सा है; और

(ग) छठी योजना अवधि के दौरान इस अनुदान को राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है और सातवीं योजना के दौरान राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के पहले परन्तुक के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के कल्याण के संबंध के प्रयोजन के लिए जो सहायता अनुदान दिया जा रहा है, वह राज्य की संपूर्ण योजना आकार का एक भाग है।

(ख) कल्याण मंत्रालय अनुसूचित जनजाति के विकास की विशिष्ट स्कीमें राज्यों से प्राप्त करता है और इस मन्त्रालय को निधियां जारी करने के लिए सिफारिश करता है जिसके आधार पर राज्यों को सहायता जारी की जाती है।

(ग) छठी योजना और 1985-86 के दौरान राज्यवार जारी की गई राशियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। 1986-87 के लिए 20 करोड़ रुपये का एक मुश्त प्रावधान किया गया है और कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्यवार नियतन अभी किया जाना है। योजना के बाकी के तीन वर्षों के लिए नियतन वार्षिक योजना बनाते समय किया जाएगा।

विवरण

छठी योजना (1980-85 और वर्ष 1985-86) के दौरान संविधान के अनुच्छेद 285 (1) के पहले परन्तुक के अन्तर्गत राज्यवार जारी की गई राशियां

(लाख रुपए)

	राज्य	छठी योजना (1980-85)	1985-86
	1.	2.	3.
1.	आन्ध्र प्रदेश	965,55	130.75
2.	असम	476.00	76.87

1		2	3
3.	बिहार	649.00	204.34
4.	गुजरात	459.00	261.60
5.	हिमाचल प्रदेश	31.36	6.92
6.	कर्नाटक	118.50	64.17
7.	केरल	142.50	12.83
8.	मध्य प्रदेश	1806.78	421.53
9.	महाराष्ट्र	920.00	202.97
10.	मणिपुर	131.00	13.64
11.	मेघालय	9.36	37.83
12.	नागालैण्ड	—	22.99
13.	उड़ीसा	868.02	208.00
14.	राजस्थान	332.48	147.07
15.	सिक्किम	3.47	33.50
16.	तमिलनाडू	266.00	18.28
17.	त्रिपुरा	206.48	20.53
18.	उत्तर प्रदेश	66.50	8.19
19.	पश्चिमी बंगाल	548.00	107.99
	जोड़ :—	8000.00	2000.00

[हिन्दी]

आयकर अधिकारियों के परिसरों पर छापे

8566. श्री सोमजी भाई डामर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान कितने आयकर अधिकारियों के घरों पर छापे मारे गए और इन छापों में वहां से किस प्रकार के दस्तावेज तथा कितने मूल्य का सामान बरामद हुआ;

(ख) इन छापों के परिणामस्वरूप कितने अधिकारियों को दोषी पाया गया तथा गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध क्या कारंवाई की गई; और

(ग) इस प्रकार गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में से कितने व्यक्तियों के विरुद्ध अदालत में मामले दायर किए गए हैं तथा इन मामलों की मौजूदा स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) आयकर अधिकारियों द्वारा

अपनी आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात से अधिक परिसम्पत्तियां रखने, बेईमानी करने जालसाजी करने, घूसखोरी तथा आपराधिक कदाचार करने आदि जैसे विभिन्न आरोपों के सिलसिले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की विभिन्न शाखाओं द्वारा पंजीकृत किए गए 18 मामलों में ग्रस्त 31 आयकर अधिकारियों के रिहायसी/कार्यालय परिसरों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो की विभिन्न शाखाओं द्वारा 1-1-1985 से 31-3-1986 तक की अवधि के दौरान 47 तलाशियां ली गई थीं उक्त तलाशियों के दौरान बरामद हुई चल/अचल संपत्तियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :···

नकदी, बैंक बचत, सावधि जमा प्राप्तिग्रां, राष्ट्रीय बचत पत्र, शेयर आदि	25,15,987.00 रु.
जेवर-जवाहिरात, घरेलू तथा चल सम्पत्तियां	18,36,049.00 रु.
अचल सम्पत्तियां	17,39,321.00 रु.

इसके अलावा अनेक अपराध-आरोपणीय दस्तावेज भी पकड़े गए थे जिनकी छानबीन की जा रही है।

(ख) ऊपर उल्लिखित तलाशियों के परिणामस्वरूप 4 आयकर अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था तथा जमानत पर रिहा किया गया था। जिन 31 आयकर अधिकारियों के रिहायशी/कार्यालय परिसरों की तलाशियां ली गई थीं उनमें से 2 अधिकारियों के खिलाफ अदालतों में आरोप-पत्र दाखिल कर दिए गए हैं तथा 2 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है। एक अधिकारी के खिलाफ मामले को बन्द कर दिया है क्योंकि आरोपों की पुष्टि नहीं हो पाई थी। शेष 26 आयकर अधिकारियों के खिलाफ मामलों की जांच पड़ताल की जा रही है।

(ग) जिन 2 अधिकारियों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किए गए हैं वे अदालतों में पेशियां भुगत रहे हैं।

[अनुवाद]

चीनी का आयात

8567. **श्री एच. एन. नन्जे गौडा** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान उपभोक्ताओं को आयातित चीनी का वितरण करने तथा उक्त वर्ष के दौरान होने वाली सम्भावित कमी को पूरा करने के लिए आयात की जाने वाली चीनी की मात्रा के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए.के. पांजा) (क) और (ख) आन्तरिक खपत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष 1986-87 के दौरान चीनी का और आयात करना चीनी वर्ष 1986-87 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान होने वाले चीनी के सम्भावित उत्पादन पर निर्भर करेगा। चूंकि उक्त वर्ष 1986-87 के दौरान चीनी के उत्पादन का विश्वसनीय अनुमान लगाना बहुत जल्दबाजी होगी, इसलिए वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए आयातित चीनी की कुल आवश्यकता के बारे में फिलहाल अन्दाजा लगाना सम्भव नहीं है।

[हिन्दी]

बिहार में बैंक सेवा भर्ती बोर्ड की स्थापना

8568. **श्री कुंवर राम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में बैंक सेवा भर्ती बोर्ड स्थापित करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, पटना के अध्यक्ष के चयन और नियुक्ति के सम्बन्ध में कारंवाई की जा रही है और अध्यक्ष की नियुक्ति के तुरंत बाद बोर्ड की स्थापना कर दी जाएगी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

पायलट टैस्ट हाउस परियोजना का कार्यचालन

8569. **श्री शांता राम नायक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या पायलट टेस्ट हाउस परियोजना ने कार्य प्रारंभ कर दिया है;

(ख) क्या उक्त परियोजना में इंजीनियरी उत्पादों के अतिरिक्त अन्य उत्पादों की जांच करने की सुविधाएं उपलब्ध करने का विचार है; और

(ग) यह परियोजना किस वर्ष की कितनी तारीख तक पूरी तरह कार्य करना आरंभ कर देगी ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) से (ग) पायलट टेस्ट हाउस का भवन निर्माण कार्य इस बीच प्रारम्भ हो गया है। प्रारंभ में इन्जीनियरी उत्पादों के लिए परीक्षण सुविधाएं दी जाएंगी। 1987 के कार्य चालू होने की संभावना है।

शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों द्वारा मछली पकड़ने की नौकाओं का आयात

8570. **श्री बी. बी. पाटिल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों को विदेशों से मछली पकड़ने की नौकाओं के आयात की अनुमति दी गई है;

(ख) क्या यह सच है कि मछली पकड़ने की नौकाओं को आयात की अनुमति इस शर्त पर दी गई है कि शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों को एक देशी नौका की खरीद का आर्डर देना होगा;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त शर्त को वापस ले लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो कब से और उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) तथा (घ) गहरे-समुद्र में मछली पकड़ने के क्षेत्र में शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों के लिए हाल ही में एक निर्णय लिया गया है कि उन्हें इस शर्त से छूट दी जाए कि उनके पास मछली पकड़ने के उतने ही स्वदेशी जलपोत प्राप्त करने चाहिएं जितनों के आयात की उन्हें अनुमति दी गई है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा शिल्पकारों को ऋण सुविधा

8571. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिल्पकार योजना के अन्तर्गत शिल्पकारों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण सुविधा दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो योजना का कार्यान्वियन कब किया गया था;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए ऋण की सीमा बढ़ाकर इस योजना को अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब और ऋण की सीमा कितनी बढ़ाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि शिल्पकार योजना के नाम से कोई योजना नहीं है। अलबत्ता, राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा शिल्पकारों को दिसम्बर 1978 से लागू संयुक्त ऋण-योजना के अन्तर्गत ऋण सुविधाएं प्रदान की जाती है। बैंकों तथा राज्य वित्तीय निगमों जैसी वित्तीय संस्थाओं को संयुक्त ऋण योजना के अन्तर्गत शिल्पकारों, कुटीर तथा ग्रामोद्योग एककों को मिले-जुले ऋण के रूप में, 25000/- रुपए तक के ऋण मंजूर करने के लिए कहा गया है। चाहे ऋण उपकरण वित्तपोषण अथवा कार्यशील पूंजी अथवा दोनों के लिए है। इस योजना के अन्तर्गत ऋणों की वापसी अदायगी की अवधि ब्याज और मूलधन के लिए शुरू में 12 से 18 महीने की अधिस्थगन अवधि सहित 7 से 10 वर्ष अथवा उससे अधिक भी हो सकती है। ऐसा ऋण की सहायता से पैदा होने वाले छोटे-छोटे अधिशेषों और ऋणकर्ताओं की सतत अनिवार्य भरणपोषण आवश्यकताओं पर

निर्भर करता है। इस श्रेणी के लिए मार्जिन मनी पर जोर नहीं दिया जाता। इन ऋणों पर पिछड़े क्षेत्रों में 10 प्रतिशत तथा अन्य क्षेत्रों में 12 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाता है जो अन्य लघु औद्योगिक एककों से ली जाने वाली ब्याज दरों से कम है। ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं का मूल्यांकन उत्पादन के दौरान, शिल्पकारों की उपभोग सम्बन्धी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उदारतापूर्वक किया जाता है और इसकी समय-समय पर समीक्षा की जानी होती। ऐसे ऋणों के लिए निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम द्वारा गारंटी-कवच प्रदान किया जाता है। ऐसे ऋणों के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा स्वत: आधार पर रियायती ब्जाज दरों पर पुनर्वित्त व्यवस्था की जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

जयपुर शेयर बाजार की स्थापना

8572. **श्री शांति धारीवाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जयपुर स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1983 में मंत्रालय के दिनांक 25-10-1983 के पत्र संख्या 1/60/एस.ई./83 के तहत की गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि जयपुर स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड ने प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के उपबन्धों में अपेक्षित सारी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर ली है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सारी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर लिए जाने के बावजूद सरकार जयपुर स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड को मान्यता नहीं दे रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार का विचार उसे कब तक मान्यता देने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार ने जयपुर के प्रस्तावित स्टका एक्सचेंज की संस्थान एवं प्रतिष्ठान नियमावली को 25-10-1983 को अनुमोदित कर दिया था। संवर्धकों से कह दिया गया था कि वे स्वीकृत संस्थान एवं प्रतिष्ठान नियमावली के आधार पर, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 12/25 के अन्तर्गत स्टाक एक्सचेंज के निगमन के लिए आवश्यक उपाय करे। उनको यह सूचना भी दे दी गई थी कि प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अन्तर्गत मान्यता प्रदान किए जाने के प्रश्न पर सरकार द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत आनश्यक आवेदन प्राप्त होने पर, विचार किया जाएगा।

(ख) संवर्धकों ने जयपुर स्टाक एक्सचेंजों को मान्यता दिए जाने के लिए प्रतिभूति (संविदा) विनियमन अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत 10-1-1986 को आवेदन-पत्र दिया।

(ग) से (च) सरकार को जयपुर में स्टाक एक्सचेंज की स्थापना करने के लिए संवर्धकों

के विभिन्न वर्गों से चार प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों पर इस मंत्रालय में राजस्थान सरकार के साथ परामर्श करते हुए विचार किया जा रहा है। संवर्धकों के विभिन्न वर्गों के दावों और प्रति-दावों में भी सामंजस्य स्थापित करना है। संवर्धकों के विभिन्न वर्गों के मतभेदों के एक बार दूर हो जाने पर, सरकार जयपुर में. स्टाक एक्सचेंज की स्थापना करने का निश्चय करेगी। इस बीच कंपनी विधि बोर्ड, कानपुर के प्रादेशिक निदेशक ने सूचना दी है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433/439 के अधीन एक याचिका जयपुर स्थित सम्माननीय उच्च न्यायालय में 12 फरवरी, 1986 को दायर की गई है जिसमें याचना की गई है कि जयपुर स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड, जयपुर का अनिवार्यत: समापन कर दिया जाए और यह सूचना भी दी गई है कि याचिका न्यायालय ने सुनवाई के लिए ग्रहण भी कर ली है।

[अनुवाद]

आटा मिलों को सप्लाई किये जाने वाले गेहूँ के मूल्य में वृद्धि

8573. **श्री प्रकाश वी. पाटिल :**
श्री आर. एस. माने. :
क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आटा पीसने के मिल मालिकों ने सरकार द्वारा उन्हें सप्लाई किए जाने वाले गेहूं के मूल्य में वृद्धि के कारण अपनी कठिनाइयां सरकार को बताई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उनके अनुरोध पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) और (ख) रोलर फ्लोर मिलों की कुछेक एसोसियेशनों ने रोलर फ्लोर मिलों के लिए गेहूँ के निर्गम मूल्य में वृद्धि के खिलाफ इस आधार पर अभ्यावेदन दिए हैं कि इसका गैर-गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में स्थित रोलर फ्लोर मिलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(ग) और (घ) जी, हां। निर्गम मूल्यों में वृद्धि करने विषयक लिए गए निर्णय में परिवर्तन करना सम्भव नहीं है और इस सम्बन्ध में एसोसियेशनों को सूचित कर दिया गया है।

ऊनी सामान का निर्यात

8574. **श्री चिरन्जी लाल शर्मा :** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय ऊनी सामान विदेशों में काफी लोकप्रिय है; और

(ख) यदि हां, तो ऊनी वस्त्र निर्यात के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) भारत के ऊनी उत्पाद

सोवियत संघ, कनाडा, संयुक्त राज्य अमरीका, मध्य पूर्व और इथोपिया जैसे कुछ विदेशों में लोकप्रिय हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

ऊनी सामान के निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम

ऊनी सामान के निर्यात को बढ़ाने के लिये निम्नलिखित उपाय किए गये है :—

1. गारमेंट्स और होजरी की वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक 114 मशीनें ओ. जी. एल. के अन्तर्गत लाई गई हैं, उनमें से 97 को आयात एवं निर्यात नीति, 1985-88 के परिशिष्ठ। भाग (ख) द्वारा आयात शुल्क में रियायत दी गई है ।

2. पैकिंग ऋण के लिए दिनों की संख्या में वृद्धि करने 90 दिनों से 180 दिन कर दी गई है।

3. ऊनी सामानों के निर्यात पर नकद मुआवजा सहायता उपलब्ध है।

4. निर्यात के उद्देश्य से ऊनी सामान के उत्पादन के लिए आवश्यक अन्तनिविष्ट साधनों का आयात एवं निर्यात नीति, 1985-88 के परिशिष्ठ 17, 19 तथा 21 के अन्तर्गत उपलब्ध है।

5. विनिर्माता-निर्यातकों के लिए एक नयी आयात-निर्यात पास बुक योजना निर्यातों के लिए उत्पादन को सुविभाजनक बनाने के लिए चलाई गई है।

6. आयात एवं निर्यात नीति, 1985-88 के परिशिष्ट 24 के अनुसार नये बाजारों को ऊनी सामान के निर्यात के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान की जा रही है।

7. शत प्रतिशत नियार्तोन्मुख एककों तथा मुक्त व्यापार जोन योजनाओं के अन्तर्गत, अन्य बहुत सी रियायतों के साथ पूंजीगत माल और कच्चे माल के उदार आयात के लिए सुविधाएं आवश्यक निर्यात दायित्व के साथ दी जा रही है।

8. फैशन डिजाइन के क्षेत्रों में विशेष रूप से परिधान व्यापार के लिए शिक्षा, अनुसंधान, सेवा तथा प्रशिक्षण के लिए दिल्ली में एक फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जा रही है।

9. सरकार विभिन्न संवर्धनात्मक क्रियाकलापों जिनमें, प्रदर्शनियों और अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में हिस्सा लेना, विदेशों में प्रचार, क्रेता-विक्रेता सम्मेलन, बिक्री-सह-अध्ययन दल आदि शामिल हैं के प्रयोजर और निधिकरण के लिए उदार सहायता देती रही है।

गलत बयानी कर फर्मों द्वारा आयात लाइसेंस प्राप्त किया जाना

8575. **श्री के. राममूर्ति** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों का राज्य-वार ब्योरा क्या है जिनके आयात लाइसेंस वर्ष 1984-85

में इस आधार पर रद्द कर दिए गए थे कि गलत बयानी पर कर और जाली दस्तावेजों के आधार पर लाइसेंस प्राप्त किए गए थे;

(ख) उन 396 फर्मों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिन पर वर्ष 1984-85 में आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के व उपबन्धों का उल्लंघन करने के आधार पर रोक लगा दी गई थी;

(ग) उन 13 फर्मों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें आयातित सामान का दुरुपयोग करने के लिए वर्ष 1984-85 के दौरान अर्थ-दण्ड दिया गया था; और

(घ) प्रक्रिया में कमियों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि ऐसे कदाचारों को दूर किया जा सके ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी. शिवशंकर) : (क) गुजरात की दो फर्मों के आयात लाइसेंस मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात के मुख्य कार्यालय द्वारा रद्द किए गये। मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात के कार्यालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किए गये लाइसेंसों की संख्या के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है।

(ख) मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात के मुख्य कार्यालय द्वारा वंचित की गई 144 फर्मों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा वंचित की गई शेष 252 फर्मों का राज्यवार ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है।

(ग) उन 13 फर्मों का, जिन पर रोजकोषीय अर्थ दण्ड लगाया गया था, राज्य-वार ब्यौरा विवरण-II में संलग्न है।

(घ) आयात नीति/प्रक्रिया की निरन्तर समीक्षा की जाती है। आयात लाइसेंस आवेदन पत्रों की सावधानी पूर्वक जांच करने के बाद दिए जाते है।

विवरण-I

1.	महाराष्ट्र	40
2.	कलकत्ता	19
3.	तमिलनाडु	11
4.	पंजाब	23
5.	हिमाचल प्रदेश	1
6.	दिल्ली	21
7.	गुजरात	5

8.	असम	6
9.	उत्तर प्रदेश	7
10.	आंध्र प्रदेश	2
11.	कर्नाटक	2
12.	जम्मू तथा कश्मीर	3
13.	बिहार	1
14.	केरल	1
15.	राजस्थान	1
16.	हरियाणा	1
		144

विवरण-II

उत्तर प्रदेश	4
तमिलनाडु	2
पंजाब	2
गुजरात	1
असम	1
मध्य प्रदेश	1
हरियाणा	1
दिल्ली	1

"स्वेच्छया प्रकटन योजना"

8576. **श्री विजय कुमार मिश्र :** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "स्वेच्छया प्रकट न योजना" की अवधि बढ़ाने के परिणामस्वरूप पूर्ववर्ती वर्षों में किए गए मूल्य निर्धारण के मामले खोलने पड़े हैं;

(ख) क्या ऐसा करने से करों की बकाया धनराशि एकत्रित करने में बाधा उत्पन्न हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या भारी मात्रा में बकाया धनराशि को देखते हुए "स्वेच्छया प्रकटन योजना" सफल नहीं है; और

(घ) इस योजना को सफल बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकार द्वारा दी गई "राजक्षमा" के अन्तर्गत कर निर्धारिती को विभाग द्वारा पता लगाए जाने से पहले उन वर्षों के सम्बन्ध में भी, जिनका कर-निर्धारित पहले ही पूरा किया जा चुका है, स्वेच्छा से वास्तविक आय प्रकट करने और अब घोषित की जा रही आय पर अतिरिक्त कर अदा करने का अवसर दिया गया है। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए यह समय-सीमा पहले 31-3-1986 थी। यह योजना 30-9-1986 तक बढ़ा दी गई है, इस तारीख तक कर निर्धारित 1986-87 अथवा इससे पूर्व के कर-निर्धारण वर्षों के बारे में आय अथवा धन को घोषणा कर सकता है। क्योंकि "राजक्षमा" परिपत्रों के अन्तर्गत विवरणी दाखिल करके आय का प्रकटन और देय-कर की अदायगी साथ-साथ की जाती है इसलिए बकाया राशि की वसूली की समस्या उत्पन्न नहीं होती।

(घ) सरकार द्वारा दी गई "राजक्षमा" पर अच्छी प्रतिक्रिया रही है और यह योजना सफल रही है।

थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि

8577. **श्री के. रामचन्द्र रेड्डी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी 1986 में बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद थोक मूल्य सूचकांक तथा फुटकर मूल्य सूचकांक में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इस अवधि के दौरान सभी कृषि उत्पादों के मूल्य सूचकांक में गिरावट आयी है तथा औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद 28.2.1986 से आगे सात सप्ताहों में थोक मूल्यों में 0.9 प्रतिशत की वृद्धि है जो 1985 के तदनुरुप सप्ताहों में हुई 2.9 प्रतिशत की वृद्धि की अपेक्षा बहुत कम है। खुदरा मूल्यों का कोई अलग सूचक अंक नहीं है। खुदरा मूल्यों में घटबढ़ औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक के रुख पर निर्भर करती है। तथापि, अद्यतन उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक केवल फरवरी, 1986 तक ही उपलब्ध है।

22.2.1986 से 12.4.1986 के बीच कृषि उत्पादों का सूचक अंक 305.7 से बढ़कर 309.5 और विर्मिमित उत्पादों का सूचक अंक 339.4 से बढ़कर 342.8 हो गया।

केन्द्रीय भाण्डागार निगम के कर्मचारियों की मांगें

8578. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भाण्डागार निगम के कर्मचारी अपनी मांगों के सम्बन्ध में पिछले एक वर्ष से आंदोलन कर रहे है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए.के. पांजा): (क) और (ख) जी, हां। एक विवरण संलग्न है जिसमें सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन कर्मचारी यूनियनों के मान्यताप्राप्त संघ द्वारा की जा रही प्रमुख मांगों और उनपर सरकार की प्रतिक्रिया का ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

क्र. सं.	मांग	सरकार की प्रतिक्रिया
1	2	3
1.	कर्मचारियों के वेतनमानों में वृद्धि की जाए और उनके वेतनमान उन सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतनमानों के समान होने चाहिएं जहां बेहतर वेतनमान हैं। इसके साथ-साथ उनके भत्तों, परिलब्धियों और अन्य अनुषंगी लाभों में वृद्धि की जाये।	सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन कर्मचारी यूनियनों के संघ और प्रबन्ध के बीच 30.1.84 को एक करार हुआ था जिसके अधीन संघ ने समूह "ग" और "घ" के कर्मचारियों के लिए औद्योगिक महंगाई भत्ते के पैटर्न को अपनाना स्वीकार कर लिया था। वेतनमानों में संशोधन करने के लिए प्रबन्ध ने संघ के साथ कई बार विचार-विमर्श किया है। तथापि, न्यूनतम वेतन, वेतनमानों, वेतन वृद्धि आदि के बारे में मतभेद होने के कारण अभी तक कोई समझौता नहीं हो पाया है।
2.	अन्तरिम सहायता की दूसरी किस्त का भुगतान : (क) वेतनमानों के संशोधन के अन्तिम निष्कर्षों के प्रति समायोजन करने की शर्त पर फरवरी, 1985 से 150/- रुपए का तदर्थ भुगतान किया जाए। (ख) 1.8.1983 से देय बकायों के प्रति समायोजन करने की शर्त पर प्रत्येक कर्मचारी को 1500/-	दिनांक 30.1.1984 के उपर्युक्त करार के अनुसार कारपोरेशन के "ग" और "घ" समूह के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता की पहली किस्त अदा की गई थी। उपर्युक्त करार के आधार पर कर्मचारियों के लिए अन्तरिम राहत की और किस्त अथवा तदर्थ भुगतान अनुमेय नहीं है। जब कभी सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों

1	2	4
	रुपए की बकाया राशि का तदर्थ भुगतान किया जाये।	को अन्तरिम सहायता देने की घोषणा की जाती है तब सैन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के कर्मचारियों की अन्तरिम सहायता की मांग को दिनांक 30.1.1984 के करार की दृष्टि में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी स्वीकार नहीं किया गया है। इन कर्मचारियों को करार के अनुसार औद्योगिक महंगाई भत्ते का पहले से ही भुगतान किया जा रहा है।
3.	सैन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के भाण्डागारों में 5 दिन का सप्ताह शुरू करना।	कारपोरेशन में 5 दिन का सप्ताह लागू करने से पूर्व भी कारपोरेशन के भाण्डागारों और कार्यालयों में
4.	मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों और भाण्डागारों के लिए समान कार्य समय निश्चित करना।	कार्य समय की संख्या भिन्न-भिन्न थी। भाण्डागारों के लिए यह 8 घंटे और कार्यालयों के लिए 7 घंटे था जिसमें दोनों मामलों में आधे घंटे का लंच अन्तराल शामिल है। 5 दिन का सप्ताह शुरू करने से, कार्यालयों ने इसे अपना लिया है लेकिन उनके कार्य समय की संख्या में तद्नुरूपी वृद्धि कर दी गई है। भाण्डागारों के मामलों में, परिचालन संबंधी अपेक्षाओं और जमाकर्ताओं को अपेक्षित सेवाएं सुलभ करने की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए 5 दिन के सप्ताह को लागू करना व्यवहार्य नहीं समझा जाता है।
5.	समय-बद्ध पदोन्नति की नीति को लागू करना ताकि समूह "ग" और "घ" के कर्मचारियों में कोई गतिरोध न हो।	कारपोरेशन में समयबद्ध पदोन्नति की नीति लागू नहीं की जा सकती है क्योंकि प्रत्येक ग्रेड में पदों का सृजन करना आवश्यकता पर

1	2	3
		आधारित होता है तथापि, कारपोरेशन ने संशोधित सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन (स्टाफ) विनियम, 1986 में यह व्यवस्था की है कि जो कर्मचारी अपने वेतनमान के अधिकतम वेतन पर दो अथवा उससे अधिक वर्षों से रुका हुआ है, उसे उसके वर्तमान वेतनमान में उसके द्वारा पिछली बार प्राप्त की गई वेतन वृद्धि की दर के बराबर तदर्थ वेतन वृद्धि दी जाए।
6.	स्थानान्तरण नीति श्रेणी-3 और श्रेणी-4 के कर्मचारियों के पक्ष में नहीं है क्योंकि उन्हें दूर-दराज स्थानों में स्थानान्तरित । किया जाता है। इसलिए इसे पुनः तैयार किया जाना चाहिए।	कारपोरेशन ने अपने कर्मचारियों का स्थानान्तरण करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए हुए हैं। समूह "ग" और "घ" कर्मचारियों का स्थानान्तरण सामान्यतया केवल क्षेत्र के अन्दर ही किया जाता है बशर्ते कि रिक्तियां उपलब्ध हों।
7.	सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन में दिल्ली परिवहन निगम और दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में प्रचलित योजनाओं के आधार पर ही पेंशन योजना लागू की जानी चाहिये।	सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन ऐसे मामलों में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुसरण करती है। केन्द्रीय सरकार ने अभी तक सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिये ऐसी कोई योजना लागू नहीं की है।
8.	बोनस भुगतान अधिनियम के अधीन सामान्य बोनस के अलावा प्रोत्साहन बोनस का भुगतान करना।	कारपोरेशन से कहा गया है कि वे अपनी कारपोरेशन में उत्पादकता से सम्बन्ध प्रोत्साहन योजना को लागू करने की व्यवहार्यता की जांच करें।

1	2	3
9.	कर्मचारियों को रजत जयंती पुरस्कार	नीति के एक मामले के रूप में सरकार रजत जयंती पुरस्कार सहित, किसी मंजिल तक पहुंचने विषयक पुरस्कार देने के पक्ष में नहीं है।
10.	दिहाड़ी के स्टाफ को नियमित करना	कारपोरेशन ने इस आशय के निदेश जारी किए हैं कि उन सभी दिहाड़ी के कर्मचारियों को, जिन्होंने एक वर्ष की एक अवधि के दौरान 240 दिनों से अधिक समय के लिए कार्य किया है, रिक्तियों के प्रति नियमित किया जा सकता है बशर्ते कि प्रारम्भ में उन्हें रोजगार कार्यालय के जरिये भर्ती किया गया हो और वे पद के लिए निर्धारित की गई आयु और अन्य योग्यताओं को पूरा करते हों।
11.	इस समय केवल सीमित संख्या में चौकीदारों को उनके नियुक्ति स्थानों पर निर्मित क्वार्टर अलाट किए जाते हैं। चूंकि सभी को मकान प्राप्त करने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए श्रेणी-3 और 4 के कर्मचारियों के लिये उनकी नियुक्ति के स्थान पर पर्याप्त संख्या में क्वाटरों का निर्माण किया जाना चाहिए।	कारपोरेशन अपने कर्मचारियों को या तो उपयुक्त मकान सुलभ करती है या उन्हें मकान किराया भत्ता देती है। वह अपने कर्मचारियों को मकान देने के प्रयास कर रही है और वह यथा सम्भव इस प्रयास को जारी रखेगी।
12.	समयोपरि भत्ते का भुगतान	कारपोरेशन से कहा गया है कि वे संबंधित राज्यों में लागू शाप एण्ड इस्टेबिलशमेंट एक्ट के आधार पर अपने कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता अदा करने के प्रश्न की जांच करें।

नारियल के तेल का आयात

8579. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकनाई वाले अम्लों (फटी एसिड) के निर्यातकों को पुनः पूर्ति योजना (रिप्लेनिशमेंट स्कीम) के अन्तर्गत नारियल का तेल आयात करने की सुविधा दी जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो 1984-85 के दौरान कितनी मात्रा का आयात किया गया ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के आधार पर होने वाले आयातों के प्रथक आंकड़े नहीं रखे जाते।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रधान मंत्री मुख्य मंत्री राहत कोष में दान देने के सम्बन्ध में मार्गनिदेश

8580. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक ने प्रधान मंत्री राहत कोष या किसी मुख्य मंत्री राहत कोष में कोई राशि दान की है;

(ख) यदि हां, तो कब और कितनी राशि दान की है;

(ग) यदि इस प्रकार का कोई दान दिया गया है, तो क्या ऐसा करने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति ली गई थी;

(घ) क्या रिजर्व बैंक ने इसके लिए कोई मार्ग निदेश तैयार किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन मार्गनिदेशों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) इस प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

(घ) और (ङ) विभिन्न सगठनों संस्थानों आदि को बैंकों द्वारा दिए जाने वाले दान के वास्ते रिजर्व बैंक ने मार्गनिर्देश तैयार किये हैं। इन संगठनों में प्रधान मंत्री/मुख्य मंत्रियों के राहत कोष नहीं आते।

चौथे वेतन आयोग का प्रतिवेदन

8582. **श्री के. कुन्जुम्बु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय वेतन आयोग का कार्यालय बढ़ाया जा रहा है;

(ख) क्या उनके निर्देश-पदों में नए विषय शामिल किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौर क्या है; और

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) चूंकि चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की कोई समय सीम निर्धारित नहीं की गयी है इसलिए आयोग का कार्य काल बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) और (ग) सरकार के दिनांक 29 जुलाई, 1983 के संकल्प सं. 5 (56)-संस्था. 111/83 में मूल रूप से निर्धारित चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों में दो बार संशोधन किया गया था, जो निम्न प्रकार है :—

(1) सरकार के दिनांक 16 फरवरी, 1985 के संकल्प सं. 5 (56) संस्था. 111/83 द्वारा आयोग को अपने विचार-विमर्श के दौरान अन्तरिम प्रकार की राहत मांग पर विचार करने और उस पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के अधिकार देना; और

(2) इसके साथ-साथ, सरकार के दिनांक 8 नवम्बर, के संकल्प सं. 5 (56)/संस्था. 111/83 द्वारा दोनों अतीत और भविष्य के पेंशन भोगियों के लिए उचित पेंशन ढ़ांचा अपनाने के उद्देश्य से आयोग को मृत्यु एवं सेवा-निवृत्ति के लाभों सहित वर्तमान पेंशन ढांचे की जांच करना और सिफारिश करना।

चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों और दोनों संशोधनों की पांच-पांच प्रतियां संसद पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

भारतीय स्टेट बैंक के मद्रास सर्कल के विभाजन का प्रस्ताव

8583. **श्री ए. चार्ल्स :**

श्री टी. बशीर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय स्टेट बैंक के इस समय कितने मण्डल हैं;

(ख) क्या मद्रास मण्ल को तमिलनाडु और केरल में विभाजन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि इस समय बैंक के 13 मण्डल हैं।

(ख) और (ग) बैंक ने बताया है कि उसका अपने मद्रास मण्डल को तमिलनाडु और केरल में विभाजित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित की गई ऋण नीति

8584. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल :**
श्री श्रीकांतदत्त नरसिंहराज वाडियार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल-सितम्बर, 1986 तक की अवधि के लिए नई ऋण नीति की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका देश में उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1986-87 के वित्तीय वर्ष की पहली छमाही के लिए दिनांक 3 अप्रैल, 1986 को ऋण नीति की घोषण की थी।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित ऋण नीति की मुख्य-मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :—

उपाय जो अपरिवर्तित रहेंगे :

(i) अपेक्षित प्रारक्षित नकदी निधि शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं के 9 प्रतिशत पर और वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी अनुपात मांग और मीयादी देयताओं में 11 नवम्बर 1983 के स्तर की तुलना में हुई वृद्धि के 10 प्रतिशत पर बना रहेगा। 31 अक्तूबर 1980 का रिजर्व बैंक के पास रखी गयी अतिरिक्त नकद राशियों को निकालने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(ii) सांविधिक चलनिधि अनुपात शुद्ध मांग और मीयादी देयताएं 37 प्रतिशत पर बनी रहेंगी।

(iii) जमा तथा आधार दरें और पुनर्वित्त दरें अपरिवर्तित रहेंगी।

(iV) खाद्य और निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधाओं की शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

उपायों में परिवर्तन

क. सांविधिक चलनिधि अनुपात में छूट-सीमा

अपेक्षित सांविधिक चलनिधि अनुपात के 4 प्रतिशत की छुट-सीमा 19 जुलाई, 1986 से शुरू होकर विभिन्न चरणों में हटा ली जाएगी ताकि 11 अक्तूबर, 1986 तक यह बिल्कुल समाप्त हो जाए। सांविधिक चलनिधि अनुपात में चूक के बराबर भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए पुनर्वित्त पर 3 प्रतिशत बिन्दु अतिरिक्त ब्याज न लगाने की रीति 21 जून, 1986 से बढ़ा कर 10 अक्तूबर, 1986 कर दी जाएगी। उसके बाद सांविधिक चल निधि अनुपात में दैनिक चूक की

रकम के बराबर भारतीय रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त के अंश पर दैनिक आधार पर 3 प्रतिशत बिन्दु का अतिरिक्त ब्याज प्रभार लगाया जाएगा।

ख. चयनात्मक ऋणनियंत्रण :

बैंक ऋणों को सट्टे-बाजी के लिए जमाखोरी करने के वास्ते इस्तेमाल करने से रोकने के लिए चयनात्मक ऋण नियंत्रण की व्यवस्था जारी रहेगी और अक्तूबर, 1985 को तर्क-संगत व्यवस्था बनाई गई थी उसे बनाया रखा जाएगा तथा मजबूत किया जाएगा। 4 अप्रैल, 1986 से चयनात्मक ऋण नियंत्रण में कुछ परिवर्तन किए गए हैं जो इस प्रकार हैं :

(क) ऋणों के स्तर का निर्धारण करने के लिए आधार अवधि को 1980-81 से 1982-83 (नवम्बर-अक्तूबर) की 3 वर्ष की अवधि से एक वर्ष बढ़ाकर 1981-82 से 1983-84 कर दिया गया है।

(ख) चावल की पूर्ति सम्बन्धी स्थिति में सुधार को देखते हुए और धान/चावल के पर्याप्त सरकारी भंडार को देखते हुए इन वस्तुओं को चयनात्मक ऋण नियंत्रण से बाहर एक दिया गया है।

(ग) रूई कपास के बदले दिए जाने वाले सभी बैंक ऋणों को इसी प्रकार चयनात्मक ऋण नियंत्रण में छूट दे दी गई हैं।

(घ) तिलहन अर्थव्यवस्था में सुधार हो जाने के परिणामस्वरूप बिनौले और बिनौले के तेल को चयनात्मक ऋण नियंत्रण के उपबन्धों से छूट दे दी गई है। इसके अलावा तिलहनों और बनस्पति तेलों पर न्यूनतम मार्जिनों में सीधे 15 प्रतिशत बिन्दुओं की कमी कर दी गई है, साथ ही अधिक उपज वाले और संकर बीजों के बदले, जो तिलहन उगाने के काम आते हैं, दिये जाने वाले अग्रिमों पर चयनात्मक ऋण नियंत्रण से छूट दे दी गई है। चयनात्मक ऋण नियंत्रणों के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं के स्टाक पर प्रति ऋण-कर्ता 50,000 रुपये की कुल छूट-सीमा को बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है।

(ङ) अन्य अनाजों, दालों, चीनी, गुड़ और खंडसारी पर न्यूनतम मार्जिन अपरिवर्तित रहेगा।

ग. ऋण प्राधिकार योजना में परिवर्तन

वित्तीय लेन-देनों की मात्रा आकार में गत वर्षों में हुई वृद्धि को देखते हुए ऋण प्राधिकार योजना में कुछ परिवर्तन किए गए हैं;

(i) ऋण प्राधिकार योजना कार्यशील पूंजी सीमा के लिए निर्धारित सीमा 4 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 6 करोड़ रुपये कर दी गई है।

(ii) निर्माता/व्यापारी निर्यातकों के लिए कार्यशील पूंजी की निर्धारित सीमा 7 करोड़ रुपये के एक समान स्तर तक बढ़ा दी गई है, जबकि निर्माता निर्यातकों के लिए अब तक यह सीमा 5 करोड़ रुपये और व्यापारी निर्यातकों के लिए 4 करोड़ रुपये थी।

(iii) तदर्थ सीमाएं मंजूर करने के लिए बैंकों के विवेकाधिकार बढ़ा दिए गए हैं। यह सीमा वर्तमान कार्यशील पूंजी 10 प्रतिशत तक और वर्तमान पैंकिग ऋण सीमा के 25 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है लेकिन शर्त यह है कि यह 2 करोड़ रुपये की समग्र अधिकतम सीमा के अन्दर अन्दर हो। इससे पूर्व यह अधिकतम सीमा 75 लाख रुपए थी।

(iV) मंजूरी के बाद जांच के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्ट करने के कार्यशील पूंजी के मामलों में निर्धारित सीमा एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दी गई है।

(V) भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान मार्गनिर्देशों में कुछ परिवर्तन किए गए हैं ताकि ऋणकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण-सीमाएं मंजूर करते समय शीघ्र कार्रवाई व्यवस्था में पर्याप्त लचीलापन लाया जा सके।

घ. उधार खातों का स्थानांतरण

1 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण सीमा वाले उधार खातों के एक बैंक से दूसरे बैंक को स्थानांतरण पर वर्तमान नियंत्रण की समीक्षा की गई है और उक्त प्रकार के खाते के अधिग्रहण के लिए हस्तांतरणकर्ता बैंक की सहमति को प्राप्त करने के संदर्भ में, हतांतरी बैंक की आवश्यकता को 5 करोड रुपये की सीमा तक के आधार उधार खाते तक, कतिपय निर्धारणों के साथ छूट प्रदान की गई है।

(ख) ऋण नीति इस प्रकार बनाई गई है कि बैंक से ऋणों की वैध मांगे पूर्णतः पूरी की जा सकें। ऐसी व्यवस्था में, जिसमें योजना को बहुत महत्व दिया जाता हो, वहां पर यह सुनिश्चित करना नितांत आवश्यक है कि ऋण योजना की प्राथमिकता के अनुसार दिया जाए। तदनुसार, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए ध्यान दिया जाता है कि योजना की प्राथमिकताएं ऋण आबटन में परिलक्षित हों और उत्पादक परियोजनाओं की सभी वैध ऋण आवश्यकताएं पूरी हो सकें जबकि इसके साथ-साथ सामान्य ऋण मापदण्डों और अनुशासन को भी बनाया रखा जाए।

आन्ध्र प्रदेश में श्रीराम सागर परियोजना को पूरा करने के लिए विश्व बैंक से सहायता

858. **श्री सी. जंगा रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक का विचार आन्ध्र प्रदेश में श्रीराम सागर परियोजना के चरण-II अर्थात कनकथ्य नहर के 284 से 347 किलोमीटर भाग (अकुरु नदी से समी नदी) को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता देने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं। विश्व बैंक ने दूसरी आन्ध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना के लिए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, श्रीराम सागर परियोजना के केवल निम्नलिखित संघटक शामिल हैं, 27.1 करोड़ डालर की सहायता मंजूर की गई है :—

(i) ककातिया कनाल कमाण्ड 0-146 कि.मी. तक का सारणियों संबंधी निर्माण कार्य (कन्वेऐंस वर्क्स) का उन्नयन तथा उसे पूरा करना;

(ii) ककातिया कनाल कमाण्ड की सारणियों का निर्माण कार्य ग्रौर 146 कि. मी. से 267 कि.मी. के बीच के कार्य को पूरा करना; ग्रौर

(iii) ककातिया नहर के ग्र तिम भाग को खुदाई का कार्य ताकि वह बचाव का कार्य कर सके (267 कि.मी. से 284 कि.मी.)।

(ख) बैंक को सहायता के लिए प्रस्तुत की गई परियोजना में राज्य सरकार ने 284 कि.मी. से 347 कि मी. के बीच के भाग को शामिल नहीं किया था।

बैंकों में कर्मचारियों की कमी के कारण बकाया काम का जमा होना

8586. **श्री ग्रजय विश्वास:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिज़र्व बैंक सहित राष्ट्रीयकृत बैंकों में कर्मचारियों की कमी के कारण बकाया काम जमा हो रहा है; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त स्थिति पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) ग्रौर (ख) ग्रधिकांश राष्ट्रीयकृत बैंकों ने सूचित किया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी काम बकाया नहीं है ग्रौर ग्राहक सेवाएं बराबर चल रही हैं, उनके पास पर्याप्त कर्मचारी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक सहित अन्य बैंकों ने बताया है कि वर्तमान कर्मचारियों की सेवाग्रों का इस प्रकार प्रयोग किया जाता है जिससे काम का जमा न होना ग्रौर ग्राहक सेवाग्रों का प्रभावित न होना सुनिश्चित किया जा सके।

ग्रसम के चाय बागानों का बन्द होना

8587. **श्री भद्रेश्वर तांती** : : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि ग्रसम में 35 चाय बागान एक साल से बन्द पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन्हें फिर से खोलने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ग्रथवा किए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का उक्त चाय बागानों का प्रबन्ध ग्रहण करने का विचार है; ग्रौर

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य ग्रौर नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी. शिवशंकर) : (क) से (घ) चाय उद्योग कुल मिलाकर ठीक चल रहा है ग्रौर रुग्णता की संभावना भी कम हो कर मामूली

स्तर तक रह गई है। छुट-पुट बातों अथवा समस्याओं के सिवाय 1982 के बाद लम्बे समय तक बन्द रहने के कोई मामले नहीं बताए गए हैं। लम्बे समय तक बन्द पड़े अथवा परित्यक्त स्थिति वाले बागानों का प्रबन्ध अधिग्रहण करना रुग्णता का मुकाबला करने के संबंध में एक अर्थक्षम हल नहीं होगा। अलग-अलग मामले के आधार पर उपाय करने होंगे। अपनाई जा रही नीति मुख्य रूप से अन्य उद्योगों के लिए अपनाई जा रही नीति के अनुसार है। उत्पादकता में सुधार करने अथवा रुग्णता की संभावनाओं को न्यूनतम करने के लिए विभिन्न विकासात्मक उपाय आरम्भ किए गए हैं।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क समाहर्तालयों में हिन्दी अधिकारी

8588. **श्री गंगा राम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के विभिन्न समाहर्तालियों में कितने हिन्दी अधिकामियों के पद खाली हैं; और ये पद किन-किन नगरों में खाली हैं;

(ख) उपर्युक्त रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है; और

(ग) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के अधीनस्थ कार्यालयों में पहले से ही कितने हिन्दी अधिकारी कार्य कर रहे हैं और वे किस-किस नगर में नियुक्त हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) गुन्टूर, मदुरै, मद्रास, भुवनेश्वर, शिलांग, कानपुर, मेरठ तथा चण्डीगढ़ के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालियों और गोवा और मद्रास सीमा शुल्क गृहों में इस समय हिन्दी अधिकारियों के 10 पद रिक्त पड़े हैं।

(ख) भर्ती नियमों के अनुसार रिक्तियों को भरने के लिए कार्यवाही पहले ही शुरू कर दी गई है।

(ग) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के अधीनस्थ तथा सम्बद्ध कार्यालयों में इस समय 23 हिन्दी अधिकारी कार्य कर रहे हैं। ये अधिकारी दिल्ली, जयपुर, पटना, इलाहाबाद, इंदौर, ग्वालियर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, बम्बई, पुणे, नागपुर, कलकत्ता, हैदराबाद, बंगलौर तथा कोचीन में तैनात हैं।

शाख-लाक्षा (स्टिक लैक) के उत्पादकों को सहायता

8589 **प्रो. राम कृष्ण मोरे** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा शाख-लाक्षा के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इसके उत्पादकों को प्रेरित करने हेतु किस प्रकार की सहायता/प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान शाख-लाक्षा के स्वदेशी उत्पादन से इसकी घरेलू मांग को वर्षवार किस सीमा तक पूरा किया गया है; और

(ग) वर्ष 1986-87 के दौरान शाख-लाक्षा का उत्पादन का लक्ष्य क्या है और लक्ष्य को किस प्रकार प्राप्त किये जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) उपजकर्ताओं को लाख की खेती की उन्नत विधियों की शिक्षा देने के लिए तथा उनके समक्ष समुचित प्रदर्शन करके और ब्रूड लाख, कढ़ाई छटाई उपकरणों, कीटनाशक दवाइयों आदि के रूप में प्रोत्साहन देकर स्टिक लाख का उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्हें प्रेरित करने हेतु "विभिन्न राज्यों में लाख की खेती के लिए विस्तार कार्य तथा पैकेज कार्यक्रम" की केन्द्रीय क्षेत्र योजना 100% केन्द्रीय अनुदान से कार्यान्वित की जा रही है। इस समय यह योजना लाख उगाने वाले बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्टिक लाख का उत्पादन निम्नोक्त प्रकार रहा :—

1983-84	11605 मै. टन
1984-85	12955 मै. टन
1985-86	18175 मै. टन

लाख की स्वदेशी मांग का अनुमान लगभग 2,000 मै. टन वार्षिक लगाया गया है। शेष मात्रा निर्यातों के लिए उपलब्ध है।

(ग) 1986-87 के सम्बन्ध में स्टिक लाख का उत्पादन 1985-86 के दौरान 18175 मै. टन की तुलना में 20,000 मै. टन हो सकता है। 1986-87 की बैसाखी फसल, जो कि लाख की प्रमुख फसल होती है, काफी अच्छी होने की आशा है। प्रदर्शनों द्वारा तथा ब्रूड लाख की उपलब्धता बढ़ाकर लाख की खेती के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्र को लाने का विचार है।

पामोलीन तेल की बढ़ती हुई मांग

8590. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बतने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पामोलीन तेल की मांग बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 में केन्द्रीय पूल द्वारा सप्लाई किए गए पामोलीन तेल की अधिक खपत हुई; और

(ग) जिन राज्यों में पामोलीन तेल की मांग बढ़ रही है उन राज्यों के उपभोक्ताओं को पामोलीन तेल की अधिक मात्रा में आपूर्ति हेतु उठाए गए कदम क्या हैं ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए.के. पांजा): (क) व (ख) कुछ इलाकों में पामोलीन ज्यादा पसन्द किया जाने वाला आयातित खाद्य तेल है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु पामोलीन की खपत वाले प्रमुख राज्य हैं। वित्तीय वर्ष 1984-85 और 1985-86 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पामोलीन की खपत का राज्यवार ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) खाद्य तेलों का आयात कम करने के लिए सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पामोलीन तेल सहित आयातित खाद्य तेलों का आवंटन, मांग, खपत के स्वरूप, त्योहार के मौसम, राज्य/संघ शासित क्षेत्रों अथवा क्षेत्र में देशीय खाद्य तेलों की उपलब्धता, भारतीय राज्य व्यापार निगम के पास उपलब्ध स्टाक और अन्य सम्बन्धित बातों, जिनमें राज्यों को पहले आवंटित की गई खाद्य तेलों की मात्रा को उठाने की गति भी शामिल है, को ध्यान में रखे हुए मासिक आधार पर किया जाता है।

विवरण

वित्तीय वर्ष 1984-85 तथा 1935-86 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आर. बी. डी. पामोलीन की राज्यवार आवंटित की गई तथा उठाई गई मात्रा

मात्रा : मी. टनों में
अनन्तिम

क. सं	राज्य का नाम	1984-85		1985·86	
		आबंटन	उठाई गई मात्रा	आबंटन	उठाई गई मात्रा
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	89150	78029	72600	78905
2.	बिहार	600	730	—	—
2.	दादरा नगर हवेली	390	259	400	279
4.	गुजरात	65700	57101	64500	53516
5.	गोवा दमन और दीव	6100	5102	4010	4172
6.	हरियाणा	100	95	—	—
7.	हिमाचल प्रदेश	250	248	—	—
8.	केरल	52350	47921	34850	30822
9.	कर्नाटक	36800	33068	27000	32177
10.	लक्षद्वीप	200	160	170	157
11.	मध्य प्रदेश	21800	12200	7010	6612
12.	महाराष्ट्र	106500	93170	73898	85043
13.	उड़ीसा	9335	6800	5750	5405

1	2	3	4	5	6
14.	पांडिचेरी	4300	4271	2910	3136
15.	राजस्थान	100	96	—	—
16.	तमिलनाडु	69150	62531	48700	49656
17	उत्तर प्रदेश	3C0	248	—	—
		463125	402039	341798	359880

कोटा प्राप्त करने के लिए परिधान निर्यात संवर्धन परिषद में पंजीकृत निर्यातकों की अपात्रता

8591. **श्री ए. सी. षण्मुखम** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिधान निर्यात संवर्धन परिषद में वर्ष 1983 के पश्चात् पंजीकृत निर्यातक निर्यात कोटा वाले देशों से निर्यात प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो 1983 के पश्चात् पंजीकृत निर्यातकों को निर्यात कोटा वाले देशों से क्रयादेश प्राप्त होने पर कोटा प्राप्त कराने हेतु परिषद द्वारा क्या हल निकाला गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो नये निर्यातकों के पास क्रयादेश तथा अपेक्षित आशय-पत्र होने के बावजूद उनके आवेदनों को परिधान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा अस्वीकार किये जाने के क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) "पहले—आओ—पहले—पाओ" आधारित लघु आर्डर प्रणाली के मामले में ही 1986 के लिए निर्यात हकदारी वितरण नीति में यह व्यवस्था है कि निर्यातकों को हकदारियां प्राप्त करने के लिए ए. ई. पी. सी. के पास 31 दिसम्बर, 1983 को या उससे पहले पंजीकृत किया जाना चाहिए था। तथापि निर्यातक इस प्रणाली के अन्तर्गत भी धीमी गति वाली मदों की हकदारी प्राप्त करने के पात्र हैं। चाहे उनके पंजीकरण की तारीख कुछ भी हो।

प्राकृतिक रबड़ का आयात

8592. **श्री पी. एम. सईद** ।
श्री सुरेश कुरूप :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक रबड़ का आयात करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे रबड़ आयात करने का विचार है और उसका मूल्य कितना है;

(घ) क्या सरकार द्वारा देश में उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत के कब तक आत्मनिर्भर हो जाने की संभावना है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) जी हां।

(ख) मांग और घरेलू उत्पादन के बीच अन्तराल को पूरा करने के लिए।

(ग) यह अन्तर्राष्ट्रीय बाजार कीमतों तथा अन्य वाणिज्यिक बातों पर निर्भर होगा।

(घ) जी हां।

(ङ) रबड़ बागानों की लम्बी विकास अवधि को ध्यान में रखते हुए रबड़ बोर्ड का ऐसा मत है कि शताब्दी समाप्त होने तक आत्म निर्भर होना सम्भव हो सकता है।

काली मिर्च का निर्यात

8593. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संयुक्त राज्य को काली मिर्च का निर्यात कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब से तथा काली मिर्च का निर्यात मूल्य क्या है;

(ग) क्या कुछ अन्य देश भी भारतीय काली मिर्च खरीद रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1984-85 और 1985-86 में विभिन्न देशों को कुल कितनी काली मिर्च बेची गई और उसका मूल्य क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) सरकार स्वयं किसी गन्तव्य स्थान को काली मिर्च निर्यात नहीं करती है। तथापि, सरकारी उपक्रमों/अभिकरणों सहित अलग-अलग निर्यातकों द्वारा संयुक्त राज्य को काली मिर्च निर्यात की जाती है।

(ख) भारत संयुक्त राज्य को काली मिर्च का परम्परागत निर्यातक रहा है। 1984-85 के दौरान संयुक्त राज्य को निर्यातित काली मिर्च की औसत कीमत 28-07 रु. प्रति कि.ग्रा. थी जबकि अप्रैल-दिसम्बर 1985 के दौरान यह 44.96 रु. प्रति कि.ग्रा. थी :

(ग) जी हां।

(घ) 1984-85 के दौरान भारत ने 60.51 करोड़ रु. मूल्य की 25,456.52 मै. टन काली मिर्च निर्यात की, जबकि 1985-86 के दौरान (दिसम्बर 1985 तक) 57.64 करोड़ रु. मूल्य की 13,295.50 मै. टन काली मिर्च निर्यात की गई।

डी. एम. टी./पी. टी. ए. पर आयात-शुल्क

8594. **श्री के. पी. उन्नीकृष्णन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1985 को पोलिएस्टर के उत्पादन के मूल्य पदार्थ डी.एम.टी./पी. टी. ए. पर कितना आयात शुल्क लगाया गया था;

(ख) उसी अवधि के लिए पी. टी. ए./डी. एम. टी. का प्रति टन तथा प्रति किलोग्राम घरेलू बिक्री मूल्य कितना था;

(ग) क्या डी. एम. टी./पी. टी. ए. पर प्रवृत्त आयात-शुल्क में सितम्बर, 1985 में और वृद्धि कर दी गई और यदि हां, तो उक्त शुल्क ढांचा क्या है तथा उसका क्या औचित्य है;

(घ) क्या यह वृद्धि औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो की सिफारिशों तथा सरकार द्वारा घोषित कपड़ा नीति एवं दीर्घकालीन वित्तीय नीति के अनुसरण में की गई है;

(ङ) इस वृद्धि के पश्चात् सितम्बर, 1985 से अप्रैल, 1986 तक की अवधि के दौरान डी. एम. टी./पी, टी. ए. का घरेलू बिक्री मूल्य क्या था; और

(च) क्या अप्रैल, 1986; डी. एम. टी./पी. टी. ए. को आयात शुल्क में और वृद्धि की गई है तथा उसका क्या औचित्य है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 1 अप्रैल, 1985 को डी. एम. टी. पर आयात शुल्क की प्रभावी दर मूल्यनुसार 140% (मानक)/मूल्यानुसार 130% (अधिमान्य) था और पी. टी. ए. पर यह मूल्यानुसार 140% थी।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) दिनांक 30 सितम्बर, 1985 को डी. एम. टी. पर आयात-शुल्क की प्रभावी दर को मूल्यानुसार 190% (मानक)/मूल्यानुसार 180% (अधिमान्य) तक और पी. टी. ए. पर मूल्यानुसार 190% तक बढ़ा दिया गया था।

हालांकि वर्ष 1985 की टैक्सटाइल नीति वक्तव्य में सामान्य तथा कच्ची सामग्री की कम कीमत की परिकल्पना की गई थी, फिर भी, इन कच्ची सामग्रियों के विनिर्माण करने वाले स्वदेशी उद्योग को संरक्षण देने की बहुत आवश्यकता थी। औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो (बी. आई. सी. पी.) ने सितम्बर, 1985 अथवा इससे पूर्व डी. एम. टी./पी. टी. ए. पर कोई सिफारिश नहीं की। दीर्घ कालीन वित्त नीति भी दिसम्बर, 1985 में ही घोषित की गई थी।

सिंथेटिक सूत आदि के निर्माण के लिए डी. एम. टी. और पी. टी. ए. वैकल्पिक कच्ची सामग्री है। डी. एम. टी. का उत्पादन तो पहले से ही देश में सुव्यवस्थित है और एवजी कच्ची सामग्री के रूप में पी. टी. ए. का प्रयोग किया जा सकता है। देश में निर्मित डी. एम. टी. की प्रतियोगी स्थिति को बनाए रखने के लिए, डी. एम. टी. और पी. टी. ए. पर आयात शुल्क के दर ढांचे में तदनुसार संशोधन किया गया था।

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

(च) दिनांक 16 अप्रैल, 1986 से डी. एम. टी. पर प्रभावी शुल्क बढ़ाकर मूल्यानुसार 190% जमा 3 रु. प्रति किलोग्राम (मानक)/मूल्यानुसार 180% जमा 3 रु. प्रति किलोग्राम (अधिमान्य) और पी. टी. ए. पर मूल्यानुसार 190% जमा 3 रु. प्रति किलोग्राम कर दिया गया है। देश में डी. एम. टी के स्वदेशी उत्पादन के हित में ऐसा किया गया है।

कपड़ा उद्योगों में इलेक्ट्रानिकी का प्रयोग

8595. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :**
कुमारी पुष्पा देवी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कपड़ा उद्योग में इलेक्ट्रानिकी का प्रयोग करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) इलैक्ट्रानिक्स का भारत में कुछ मशीनरी निर्माताओं द्वारा अब विनिर्मित की जा रही अद्यतन वस्त्र मशीनरी और परीक्षण उपस्करों पर पहले ही बड़ी मात्रा में उपयोग किया जा रहा है। इलैक्ट्रानिक स्टाप-मोशन, स्लैब कैचर्स, वैफ्ट फीलर्स यार्न ग्रेवेज रिकार्डर, कलर मैचिंग उपस्कर तथा इलैक्ट्रानिक सर्किट कुछ ऐसे उपकरण/साधन हैं जिनका कि वस्त्र उद्योग में बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है।

(ख) तथा (ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए उपाए किये हैं कि इस किस्म के इलैक्ट्रानिक गाडगेट्स का विनिर्माण स्वदेश में ही किया जाए और जहां कहीं आवश्यक हो, सुविख्यात विदेशी मशीनरी विनिर्माताओं के साथ सहयोग की पहले ही अनुमति दी गई है। जो मदें स्वदेश में उपलब्ध न हों/अभी विनिर्मित न हो रहीं हों उन्हें वस्त्र उद्योग के लाभ/आधुनिकीकरण के लिए आयात करने की अनुमति दी जा रही है।

औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर मूल्य वृद्धि का प्रभाव

8596. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल, गेहूं, कोयला, उर्वरक और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्गम मूल्यों में हाल ही में की गई वृद्धि का औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1985 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तुलना में मार्च, 1986 के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या हैं; और

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क), (ख) और (ग) औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक फरवरी, 1986 के महीने तक के लिए उपलब्ध है जो 633 (1960-100) है। सूचक अंक जनवरी, 1986 में 629 और मार्च में 586 था। पिछले एक वर्ष के दौरान इनमें 8.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

केरल में कुमारकम तथा पथिरुमानल का पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास

8597. **श्री पी. ए. एन्टनी : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कुमारकम तथा पथिरामानल को पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) और (ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने कुमारकम के लिए निम्नलिखित नौकाओं की स्वीकृति प्रदान की है :—

		स्वीकृत राशि
(1)	कुमारकम और कोचीन के बीच परिभ्रमण के लिये 45 सीट वाली एक लग्जरी नौका	10.44 लाख रु.
(2)	एक सीट वाली इन्बोर्ड इन्जन नौका	0.8 लाख रु.

विभाग को पथिरामनल के विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नही हुआ है ।

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीयकृत बैंकों की गतिविधियों पर निगरानी रखना

8598. **श्री सनत कुमारमंडल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया कि वह उन्हें पश्चिम बगाल में राष्ट्रीयकृत बैंकों की गतिविधियों पर निगरानी रखने की शक्ति प्रदान करें ताकि राज्य के सभी लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक लाभ मिल सके;

(ख) क्या उन्होंने आगे इस बात पर भी बल दिया है कि यदि राज्य सरकार को बैंकों के कार्य-निष्पादन पर निगरानी रखने की शक्ति प्रदान करके सक्रिय रूप से सम्बन्ध नहीं किया जाता, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित ग्रामीण विकास कार्यक्रम सफल नहीं होंगे; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने, ऋण-शिविरों के आयोजन के बारे में केन्द्रीय सरकार को पत्र लिखा है और सुझाव दिया है कि जिस क्षेत्र में ऋणशिविर लगाया जाता है वहां अनिवार्यत: स्थानीय जन-प्रतिनिधियों तथा राज्य सरकार के अधिकारियों का सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिये । सरकारी क्षेत्र के बैंक क्षेत्र पदाधिकारियों की पहल पर, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र/कमजोर वर्गों को दिये जाने वाले ऋणों के प्रवाह को बढ़ाने के लिए किये जाने वाले समग्र उपायों के एक अंग के रूप में ऋण शिविरों का आयोजन करते हैं ताकि इन क्षेत्रों के लिये दिये जाने वाले ऋणों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया जा सके । बैंक, आमतौर पर ऋण-शिविरों के बारे में किसी खास इलाके के संसद सदस्यों और विधायकों समेत जन प्रतिनिधियों/स्थानीय उच्चाधिकारियों को सूचित करते

हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को समय-समय पर जारी किये गए मार्गनिर्देशों में, शिविरों में संवितरित किये जाने वाले ऋणों समेत, लाभार्थियों का पता लगाने ऋण प्रस्तावों की जांच करने और बैंक ऋणों का मूल्यांकन करने के बारे में सुस्पष्ट प्रक्रियाएं निर्धारित की गयी हैं। अतः भारतीय रिजर्व बैंक की दृष्टि में ऋण शिविरों के माध्यम से संवितरित किये गये ऋणों पर अलग से नजर रखना न तो व्यवहार्य है और न ही जरूरी। राज्य सरकार के तंत्र को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के ऋणों पर नजर रखने के लिये पर्याप्त अवसर मिलता है क्योंकि उक्त क्षेत्र से सम्बन्धीत अनेक योजनाओं के वित्तपोषण पर, पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्यों में, जिला परामर्शदात्री समितियों और स्थायी समितियों द्वारा जिनकी अध्यक्षता जिला कलक्टरों द्वारा की जाती है, नजर रखी जाती है और सम्बन्धित राज्य सरकारों के विभागों के अधिकारी इन समितियों के सदस्य होते हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार योजना जैसे विशेष कार्यक्रमों पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों, जिला उद्योग केन्द्रों आदि द्वारा नजर रखी जाती है जो राज्य सरकार की एजेंसियां हैं। जिला स्तर पर, राज्य स्तरीय बैंकर समिति, बैंकों के कार्यनिष्पादन पर नजर रखती हैं। राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इस समिति की बैठकों में भी भाग लेते हैं।

सरकार के पास सोने का भण्डार

8600. **श्री एन. डेनिस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के कोष में पिछले पांच वर्षों के दौरान स्वदेशी खनन आयात, तस्करी, सार्वजनिक दान तथा स्थानीय खरीद के अन्तर्गत प्राप्त होने का अलग-अलग वर्ग के अनुसार कितना भण्डार है; और

(ख) क्या यह भण्डार भारतीय रिजर्व बैंक के पास आरक्षित धन के रूप में रखे सोने की मात्रा के अतिरिक्त है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) पिछले पांच वर्षों से टकसालों, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के पास, स्वदेशी खनन, तस्करी, सार्वजनिक दान; स्वर्ण बाण्ड सहित स्वर्ण की मात्रा इस प्रकार है। तथापि इसमें, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरक्षित धन के रूप में रखा गया सोना शामिल नही है।

	शुद्ध किलोग्राम
31.3.1982	58362
31.3.1983	72242
31.3.1984	74258
31.3.1985	52051
31.3.1986	53664

प्रश्न में मांगी गयी वर्ग-वार सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) इन भण्डारों का कुछ हिस्सा भारतीय रिजर्व बैंक के पास, उनके द्वारा आरक्षित धन के रूप में रखे सोने के अलावा रखा गया है।

विश्व में कृषि निर्यात में भारत का हिस्सा

8601. श्री एन. डेनिस : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1984-85 और 1985-86 के दौरान विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत द्वारा किये गए कृषि उत्पादों के निर्यात का ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : एम. ए. ओ. ट्रेड इयर बुक 1984 के अनुसार 1984 के दौरान कृषि उत्पादों के कुल विश्व निर्यात 218487.79 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के हुए । 1984 के दौरान कृषि उत्पादों के भारतीय निर्यात 2385.66 मिलियन अमरीकी डालर के आंके गये। तदनुसार कृषि उत्पादों के विश्व निर्मातों में भारत का भाग एक प्रतिशत से मामूलीसा अधिक रहा। वर्ष 1985-86 के आंकड़े अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं।

छोटे व्यापारियों द्वारा आयातित चीनी की जमाखोरी

8602. डा. वी. वेंकटेश : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रत्येक राज्य में कितनी-कितनी आयातित चीनी का वितरण करने की योजना बनाई गई है;

(ख) क्या यह सच है कि छोटे व्यापारियों के एक वर्ग को खुले बाजार में ऐसी चीनी की बिक्री न कर इसकी भारी मात्रा में जमाखोरी करते पाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए.के. पांजा):

(क) नियंत्रित माध्यमों से निर्धारित मूल्य, जो कि 5.80 रु. प्रति किलो से अधिक न हो, पर राज्य सरकारों द्वारा वितरित करने के प्रयोजन हेतु मुक्त बिक्री की आयातित चीनी के राज्यवार आवंटनों और उठान का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) व्यापरियों द्वारा आयातित चीनी की जमाखोरी करने का कोई मामला सरकार के नोटिस में नहीं आया है। लाइसेंस शुदा चीनी के थोक व्यापारियों द्वारा चीनी की खरीदारी स्टाक रखने की सीमा और 7 दिन के अवधि के अन्दर स्टाको निकालने से सम्बन्धित साविधिक उपबन्धों, जो कि देशी चीनी के बारे में भी लागू हो है, की शर्त के पूरा करने पर की जानी होती है। राज्य सरकारों को समय-समय पर सलाह दी जाती हैं कि वे इन उपबन्धों का सख्ती से पालन करवाएं और चूककर्ताओं के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करें।

विवरण

जून, 1985 से मार्च, 1986 तक के दौरान खुली बिक्री की आयातित चीनी का राज्यवार आवंटन और उठाना।

(मीटरी टन)

	राज्य	आवंटन	उठान
	1	2	3
1.	असम	18,823	6,508
2.	अरुणाचल प्रदेश	974	83
3.	त्रिपुरा	2,122	1,872
4.	नागालैंड	1,622	686
5.	मेघालय	1,348	642
6.	मिजोरम	524	260
7.	मणिपुर	1,431	464
8.	बिहार	58,813	11,531
9.	उड़ीसा	19,994	362
10.	पश्चिमी बंगाल	73,346	44.066
11.	सिक्किम	548	483
12.	दिल्ली	20,942	22,533
13.	हरियाणा	30,967	15,959
14.	हिमाचल प्रदेश	6,600	4,329
15.	पंजाब	62,532	20,690
16.	जम्मू तथा कश्मीर	5,283	2,932
17.	चण्डीगढ़	2,870	3,356
18.	राजस्थान	53,766	9,566
19.	उत्तर प्रदेश	1,39,315	80,179
20.	आन्ध्र प्रदेश	62,557	18,143
21.	कर्नाटक	52,643	6,966
22.	केरल	45,567	19,207

	1	2	3
23.	लक्षद्वीप	193	138
24.	तमिलनाडु	69,241	13,815
25.	अण्डमान	932	—
26.	पांडिचेरी	441	247
27.	दादर तथा नगर हवेली	154	116
28.	गोआ	2,760	1,314
29.	गुजरात	82,346	53,499
30.	महाराष्ट्र	1,63,820	31,147
31.	मध्य प्रदेश	59,104	14,853
	जोड़	10,41,578	3,85,946

राज्य व्यापार निगम द्वारा शस्त्रों का आयात

8603. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 नवम्बर, 1985 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "मेड रशटुबाई स्माल आमस फाम एस. टी. सी. शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य व्यापार निगम द्वारा शस्त्रों का आयात करने का निर्णय कब लिया गया था, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कुल कितने मूल्य के शस्त्रों का आयात किया गया है और प्रत्येक श्रेणी के कितने शस्त्र आयात किए गये हैं और ये किन-किन देशों से आयात किए गये हैं;

(घ) कुल कितनी धनराशि की बिक्री हुई और इनके खरीदने वालों की संख्या क्या है तथा वे किन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के निवासी हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे हथियारों के कितने सौदे हुए हैं और कितने हथियारों का आयात किया गया है; और

(च) क्या इस योजना की गृह मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त कर ली थी यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) जी हां।

(ख) केवल वर्ष 1978-79 के लिए आयात नीति के अन्तर्गत शस्त्रों तथा गोला बारूद के आयात को पहली बार लाइसेंस शुदा शस्त्र व्यापारियों/मान्यता प्राप्त राइफल संघों में वितरण

के लिए सरणीबद्ध किया गया। यह विचार किया गया कि शस्त्रों तथा गोला बारूद के काम को एस. टी. सी. जैसे एकल अभिकरण को सोंपा जाना चाहिये।

(ग) प्रत्येक प्रकार के शस्त्र की संख्या लागत और जिन देशों से उनका आयात किया गया उसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

शस्त्र को किस्म	संख्या	उतरने पर लागत	जिस देश से आयात किया गया
पिस्टल 0.32 बोर	650	रु. 17.39 लाख	स्पेन, जर्मन संघीय गणराज्य
रिवाल्वर 32 बोर	2500	रु. 41.71 लाख	जर्मन का संघीय गण-राज्य तथा संयुक्त राज्य अमरीका

(घ) शस्त्रों की बिक्री से अब तक कुल बिक्री मन्य 209.88 लाख रु. है। प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में खरीदारों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ङ) गत तीन वर्षों में शस्त्रों का कोई सौदा नहीं किया गया है।

(च) जी हां।

विवरण

प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में खरीदारों की संख्या

क्रमांक	राज्य संघ राज्य क्षेत्र	खरीदारों की संख्या (लाइसेंस शस्त्र व्यापारी)
1	2	3
राज्य		
1.	आन्ध्र प्रदेश	2
2.	आसाम	1
3.	बिहार	3
4.	गुजरात	4
5.	हरियाणा	14
6.	हिमाचल प्रदेश	1

1	2	3
7.	कर्नाटक	7
8.	केरल	1
9.	महाराष्ट्र	12
10.	मध्य प्रदेश	3
11.	उड़ीसा	1
12.	पंजाब	12
13.	राजस्थान	1
14.	तमिलनाडु	4
15.	उत्तर प्रदेश	51
16.	पश्चिम बंगाल	8
संघ राज्य क्षेत्र		
1.	दिल्ली	21
2.	गोवा	1

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधीन रुग्ण मिलें

8604. श्री मूल चन्द डागा : क्या वस्त्र मंत्री राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों को बन्द किए जाने के बारे में 4 अप्रैल, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5480 के उत्तर के संदर्भ में यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उक्त प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित सात मुद्दों के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) अभी तक कितनी खराबियां दूर की गई हैं, यदि कोई खराबी दर नहीं की गई तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उपर्युक्त प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित फालतू हुए कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाये गये हैं, तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितने कर्मचारियों का पुनर्वास किया गया है;

(घ) राष्ट्रीय कपड़ा निगम की घाटे में चल रहीं मिलों को बन्द करने के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराए जाने वाले कपड़े के मूल्य पर इन रुग्ण मिलों के कारण कोई प्रभाव पड़ता है; और

(च) क्या यह सच है कि अर्थक्षम मिलों तथा रुग्ण मिलों द्वारा उत्पादित कपड़े के मूल्य अलग-अलग होती हैं यदि हां, तो इनमें कितने प्रतिशत अंतर आता है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) तथा (ख) उपरोक्त प्रश्न के भाग (ग) में दिए गए कारण निदानसूचक स्वरूप के थे। वस्त्र नीति के अनुसार, जहां पर एकक जीवनक्षम बन सकते हैं वहां चयनात्मक आधुनिकी करण किया जाएगा। भारी घाटे में चल रही मिलों के सम्बन्ध में जीवन क्षमता तथा आगामी कार्यवाही के बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) श्रम का सुव्यवस्थीकरण एक सतत प्रक्रिया है जो कि अनेक कारणों पर निर्भर करता है यथा आधुनिकीकरण योजनाओं का कार्यान्वियन, उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन, क्षमताओं में परिवर्तन तथा कार्य मानदण्डों का संशोधन। श्रम का उक्त सुव्यवस्थीकरण, कानून के अनुसार अन्तिम लाभों का समुचित भुगतान करने पर ही किया जाता है। तथापि, कोई अलग से पुनस्थापन योजना शुरू नहीं की गई हैं।

(घ) सभी सगत पहलुओं की जांच करने के बाद आगामी कार्यवाही का निर्णय लिया जाएगा।

(ङ) और (च) कपड़े तथा धागे की निम्नगत कीमतें समय-समय पर लागत पर ध्यान दिये बिना, बाजार में अन्य मिलों की दरों तथा राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अन्तर्गत विभिन्न मिलों की दरों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती हैं और उसकी समीक्षा की जाती है और तदनुसार मिलों को ऐसी निर्धारित कीमतों पर अपना उत्पादन बेचने की सलाह दी जाती है। पुराने तथा अपप्रचलित मशीनों, बेशी श्रमिकों, आदि की वजह से भारी घाटे में चल रही मिलों में उत्पादन लागत बिक्री कीमत से अधिक है।

देश के पत्तनों पर भारी मात्रा में माल को उतारने चढ़ाने की सुविधाएं

8605. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गेहूँ के लिए विदेशी खरीदारी द्वारा अधिक रुचित से जानकारी लिये जाने के बाद भी हमारे पत्तनों पर भारी मात्रा में माल को उतारने चढ़ाने की सुविधाओं की कमी के कारण निर्यात करारों को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका; और

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नही उठता।

[हिन्दी]

सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान छात्रों को पर्यटक सुविधाएं

8606. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटन विभाग द्वारा छात्रों को भ्रमण के लिए दी गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और इन सुविधाओं की व्यवस्था किन-किन राज्यों में है और छात्रों को ये सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ख) अब तक इन सुविधाओं का लाभ कितने छात्रों ने उठाया है; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान छात्रों को और अधिक पर्यटक सुविधाएं प्रदान करने के लिए जाने वाले अतिरिक्त उपायों का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन के लिए सरकार का कितना धनराशि खर्च करने का विचार है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

[अनुवाद]

भारतीय रिजर्व बैंक के स्थापना व्यय में वृद्धि

8607. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून 1985 के अन्त में भारतीय रिजर्व बैंक में स्थापना व्यय (142 करोड़ रु.) भारतीय रिजर्व बैंक के सिवाय सरकारी क्षेत्र के किसी अन्य बैंक से अधिक था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक के स्थापना व्यय में, जो 1983-84 में 93 करोड़ रुपए था, एक ही वर्ष में 49 करोड़ रुपये की वृद्धि हो गई; और

(ख) यदि हां तो गैर-योजना व्यय में बचत करने के उपाय के रूप में वित्त मंत्रालय द्वारा 1 जनवरी, 1984 से वर्तमान रिक्त स्थानों पर भर्ती तथा नए पदों के सृजन पर लगाये गए प्रतिबन्ध तथा वाणिज्यिक बैंकों के व्यय पर निगरानी रखने तथा व्यय को कम करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में रिजर्व बैंक के हाल के व्यय पर नियंत्रण के बारे में आदेश को ध्यान में रखते हुए स्थापना व्यय में इस वृद्धि के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि रिजर्व बैंक का स्थापना व्यय जो 1983-84 में 93.34 करोड़ रुपये था, 1984-85 में बढ़कर 142.26 करोड़ रुपये हो गया अर्थात् इसमें 49 करोड़ रुपये की वृद्धि हो गई। दिनांक 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना व्यय 532. 5 करोड़ रुपये तथा सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों का स्थापना व्यय 13 64 करोड़ रुपये से 117.56 करोड़ रुपये के बीच था। भारतीय रिजर्व बैंक के 1984-85 के स्थापना व्यय में बैंक के तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को दिनांक 1 जुलाई, 1983 से 31 दिसम्बर, 1984 तक की अवधि के लिए अदा की गई 16.44 करोड़ रुपये की बकाया राशि भी शामिल है। वेतनमानों में होने वाले संशोधनों के परिणामस्वरूप पहली श्रेणी के कर्मचारियों को दी जाने वाली बकाया राशि के लिए वार्षिक लेखाओं में 15.44 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी बताया है कि भर्ती पर लगी रोक में अनुमत ढील को छोड़कर किसी भी स्तर पर कोई भर्ती नहीं की गई है ।

भारतीय जीवन बीमा निगम की नई शाखाएं तथा डिवीजनें खोलना

8608. प्रो. नारायण चन्द पराशर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने 76 नई शाखाएं तथा वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 में 11 नए डिवीजन खोलने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित नई शाखाओं के नाम क्या है तथा ये राज्यवार कहां-कहां स्थापित जानी है और प्रत्येक प्रस्तावित डिवीजनों के नाम क्या हैं;

(ग) 31 मार्च, 1986 तक खोली गई ऐसी शाखा कार्यालयों तथा डिवजनों के नाम क्या हैं और शेष शाखाओं एवं डिवीजनों को कब तक खोलने की संभावना है;

(घ) क्या हिमाचल प्रदेश में कुछ और शाखा कार्यालय खोलने तथा उसके लिए एक पृथक डिवीजन बनाने के लिए सरकार से मांग की गई है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा क्या निर्णय किया गया है तथा हिमाचल प्रदेश के लिए एक पृथक डिवीजन और वहां नई शाखाएं कब तक खोले जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) जी, हां, । भारतीय जीवन बीमा निगम ने विकास आयोजना 1985-86 के लिए 76 नई शाखाएं मंजूर की थीं और साथ ही वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान 15 नए डिवीजनल कार्यालय खोलने का निश्चय किया है । इनमें से 71 शाखाएं पहले ही खोली जा चुकी है । आशा है कि शेष 5 शाखाएं भी चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले ही खोल दी जाएगी ।

नए डिवीजनल कार्यालय खोलने के कार्य में बड़े पैमाने पर आयोजना और तैयारी की आवश्यकता होती है, इसलिए डिवीजनल कार्यालय खोलने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम निश्चित नहीं किया जा सकता । तथापि आशा है अधिकांश डिवीजनल कार्यालय 1986-87 के दौरान काम करना आरम्भ कर देंगे ।

नए शाखा कार्यालयों और नए डिवीजनल कार्यालयों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है ।

(घ) और (ङ) हिमाचल प्रदेश के लिए अलग डिवीजन बनाए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि, जीवन बीमा निगम 1986-87 के दौरान हिमाचल प्रदेश में नए शाखा कार्यालय खोलने के प्रस्तावों पर विचार कर रहा है ।

विवरण

क. 1985-86 की विकास आयोजना में स्वीकृत जीवन बीमा निगम की 76 शाखाओं की सूची :—

क्रम सं.	शाखा	मंडल	राज्य
1	2	3	4
1.	दिल्ली-पीतमपुर	दिल्ली	दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)

1	2	3	4
2.	दिल्ली-कामा प्लेस/ग्रीनलैंड	दिल्ली	दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)
3.	फरीदाबाद-II	दिल्ली	हरियाणा
4.	नकोदर	जालंधर	पंजाब
5.	डोडा	जालंधर	जम्मू तथा कश्मीर
6.	मंडी गोबिन्दगढ़	चंडीगढ़	पंजाब
7.	पंचकुला	चंडीगढ़	हरियाणा
8.	रामपुर बुसाहर	चंडीगढ़	हिमाचल प्रदेश
9.	बर्न	अजमेर	राजस्थान
10.	खेरथल मंडी	जयपुर	राजस्थान
11.	सांभर झील	जयपुर	राजस्थान
11.	जयपुर-ट्रांसपोर्ट नगर	जयपुर	राजस्थान
13.	तिलहर	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
14.	गोमती पारीय लखनऊ शहर	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
15.	खेतीमा	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
16.	साहवान	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
17.	कोशीकलां	आगरा	उत्तर प्रदेश
18.	अलीगढ़-II	आगरा	उत्तर प्रदेश
19.	फतेहाबाद	आगरा	उत्तर प्रदेश
20.	आगरा कैंट	आगरा	उत्तर प्रदेश
21.	रसारा	वाराणसी	उत्तर प्रदेश
22.	मोहमदाबाद	वाराणसी	उत्तर प्रदेश
23.	शाहगंज	वाराणसी	उत्तर प्रदेश
24.	वाराणसी मुरुवधी	वाराणसी	उत्तर प्रदेश
25.	उज्जैन-II	इन्दौर	मध्य प्रदेश
26.	भोपाल	इन्दौर	मध्य प्रदेश
27.	दांतीवाड़	रायपुर	मध्य प्रदेश
28.	मुंगली	रायपुर	मध्य प्रदेश
29.	सोडेपुर	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल
30.	फलाकता	जलपाईगुड़ी	पश्चिम बंगाल

1	2	3	4
31.	विष्णुपुर	आसनसोल	पश्चिम बंगाल
32.	रामपुरई	आसनसोल	पश्चिम बंगाल
33.	गोलपाड़ा	गोहाटी	असम
34.	दीनापुर	पटना	बिहार
35.	धनबाद-III (झरिया)	जमशेदपुर	बिहार
36.	अविस्यपुर	जमशेदपुर	बिहार
37.	गुमला	जमशेदपुर	बिहार
38.	अंगुल	कटक	उड़ीसा
39.	अस्का	कटक	उड़ीसा
40.	बंगलौर-फ्रेजर टाउन	बंगलौर	कर्नाटक
41.	हिरीपुर	उदुपी	कर्नाटक
42.	तीर्थहाली	उदुपी	कर्नाटक
43.	ब्रह्मावर	उदुपी	कर्नाटक
44.	सोमवारपेट	उदुपी	कर्नाटक
45.	साउनदात्ती	धारवाड़	कर्नाटक
46.	विकाराबाद	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
47.	मोहबोबाबाद	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
48.	सिरसिला	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
49.	भद्राचलम	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
50.	कोडड	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
51.	हैदराबाद-अमीरपेट	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
52.	पल्मानेर	कुडापाह	आंध्र प्रदेश
53.	अत्माकुर	कुडापाह	आंध्र प्रदेश
54.	रायचोट्टी	कुडापाह	आंध्र प्रदेश
55.	विशाखापत्तनम्-सिधामाधरा	विशाखापत्तनम्	आंध्र प्रदेश
56.	मद्रास शहर-अन्ना नगर	मद्रास	तमिलनाडु
57.	गुडियाथम	मद्रास	तमिलनाडु
58.	शंकरन कोयल	मदुरई	तमिलनाडु
59.	श्रीवल्लीपुट्टूर	मदुरई	तमिलनाडु

1	2	3	4
60.	मदुरई तल्लाकुल्लम	मदुरई	तमिलनाडु
61.	मदुरई तिरुनगर	मदुरई	तमिलनाडु
62.	साथियामंगलम	कोयम्बटूर	तमिलनाडु
63.	गुडालूर	कोयम्बटूर	तमिलनाडु
64.	सुलूर	कोयम्बटूर	तमिलनाडु
65.	प्रिथलमन्ना	कोजिकोड	केरल
66.	कुथालिन्दी	कोजिकोड	केरल
67.	नेडुमंगड	त्रिवेन्द्रम	केरल
68.	धोराजी	राजकाट	गुजरात
69.	बोरसद	अहमदाबाद	गुजरात
70.	प्रांतिज	अहमदाबाद	गुजरात
71.	धनसुराह	अहमदाबाद	गुजरात
72.	लूनावदा	अहमदाबाद	गुजरात
73.	सूरज-बाराच्छा	सूरत	गुजरात
74.	राजपिपला	सूरत	गुजरात
75.	उदगिर	सतारा	महाराष्ट्र
76.	औरंगाबाद (डाइरेक्ट एजेंट ब्रांच)	पुणे	महाराष्ट्र

टिप्पणी :— 5 क्रम संख्याओं अर्थात् 4,35,36,37 और 53 के सामने दी गई शाखाएं अभी नहीं खोली गई हैं।

ख. 1985-86 और 1986-87 के दौरान खोले जाने वाले जीवन बीमा निगम के 15 नए मंडलीय कार्यालयों की सूची :—

क्रम सं.	मंडल	जोन
1	2	3
1.	श्रीनगर	उत्तरी जोन
2.	करनाल	उत्तरी जोन
3.	हावड़ा	पूर्वी जोन
4.	कलकत्ता-II	पूर्वी जोन

1	2	3
5.	संभलपुर	पूर्वी जोन
6.	उत्तर पूर्वी रीजन, असम	पूर्वी जोन
7.	बरेला	केन्द्रय जोन
8.	भोपाल	केन्द्रीय जोन
9.	वारंगल	दक्षिणी जोन
10.	रायपुर	दक्षिणी जोन
11.	अर्नाकुलम	दक्षिणी जोन
12.	बड़ौदा	पश्चिमी जोन
13.	औरंगाबाद	पश्चिमी जोन
14.	गोआ	पश्चिमी जोन
15.	थाने	पश्चिमी जोन

"रेपसीड आयल" का आयात

8609. **श्री के. प्रधानी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में खपत के आधर पर विभिन्न पत्तनों से "रेपसीड आयल" का सिद्धान्त रूप में आयात करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा का आयात किए जाने की सम्भावना है;

(ग) आयात किन-किन देशों से किया जाएगा और उस पर कुल कितना अनुमानित पूंजी परिव्यय होगा;

(घ) आयात किस एजेन्सी के माध्यम से किया जाएगा और क्या यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जाएगा; और

(ङ) पूर्वी क्षेत्र के लिए, विशेषकर पारादीप पत्तन से उड़ीसा के लिए कितनी मात्रा का आयात किए जाने की सम्भावना है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए.के. पांजा) (क) सरकार खाद्य तेलों, जिनमें रेपसीड तेल भी शामिल है, का आयात प्रशासनिक सुविधा के अनुसार और विदेशी मुद्रा में आयात लागत और भाड़े को ध्यान में रखते हुए विभिन्न बन्दरगाहों, अर्थात बम्बई, काण्डला, मद्रास और कलकत्ता पर कर रही है।

(ख) खाद्य तेलों, जिनमें रेपसीड तेल भी शामिल है, की आयात की जाने वाली मात्रा

का निर्णय सरकार द्वारा देशीय खाद्य तेलों की उपलभ्यता, विदेशी मुद्रा की उपलभ्यता तथा अन्य सम्बन्धित बातों को ध्यान में रख कर समय-समय पर किया जाता है।

(ग) जिन देशों से विक्रेताओं द्वारा आम तौर पर खाद्य तेलों का जहाजों पर लदान किया जाता है, वे ये हैं :—

तेल	देश
सोयाबीन तेल (एस. बी. ओ.)	संयुक्त राज्य अमरीका, ब्राजील, अर्जेन्टीना और नीदरलैण्ड
रेपसीड तेल (आर. एस. ओ.)	फ्रांस और कनाडा
सूरजमुखी का तेल (एस. एफ. ओ.)	संयुक्त राज्य अमरीका और अर्जेन्टीना
निर्विषमीकृत ताड़ का तेल आर. बी. डी. ताड़ का तेल आर. बी. डी. पामोलीन	मलेशिया और इण्डोनेशिया

अनुमानित पूंजीगत परिव्यय वर्ष विशेष में आयात किए जाने वाले खाद्य तेल की मात्रा पर निर्भर करेगा।

(घ) इस समय, इनका आयात भारतीय राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जाता है। आयातित खाद्य तेल, जिनमें रेपसीड तेल भी शामिल है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को वितरित किए जाते हैं।

(ङ) आयात को जाने वाली मात्रा का निर्णय पूरे देश में उनकी मांग और उनकी देशीय उपलभ्यता के बीच के अन्तर को ध्यान में रखकर किया जाता है न कि एक क्षेत्र विशेष की। पारादीप बन्दरगाह के माध्यम से कोई खाद्य तेल आयात नहीं किया जा रहा है।

दक्षिण भारत तथा उत्तर भारत में ट्रावनकोर स्टेट बैंक की शाखाएं

8610. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत में पृथक्-पृथक् रूप से ट्रावनकोर स्टेट बैंक की कितनी शाखायें हैं;

(ख) 1986 के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत योजनाओं के लिए ट्रावनकोर स्टेट बैंक के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है; और

(ग) उक्त वर्ष की प्रथम तिमाही में इन लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियां क्या थीं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर ने सूचित किया है कि आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के चार दक्षिणी राज्यों में

560 शाखाएं हैं। अन्य राज्यों में, दिल्ली में 2, गुजरात में 1, महाराष्ट्र में 6 और पश्चिम बंगाल में 3 अर्थात् 12 शाखाएं हैं।

(ख) और (ग) स्टेट बैंक आफ त्रावनकोर के अनुसार उसने 1986 के दौरान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के लिए 6460 लाख रुपये का लक्ष्य रखा है। चालू वर्ष की पहली तिमाही की उपलब्धि 1431 लाख रुपये है।

विदेशों के साथ किये गए लिखित व्यापार करार

8611. **श्री आर. एम. भोये** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) गत एक वर्ष के दौरान कितने और किन-किन देशों के व्यापार दलों ने भारत की यात्रा की थी;

(ख) इन दलों के साथ कितने और किस प्रकार के करारों पर हस्ताक्षर किये गए;

(ग) क्या व्यापार सम्बन्धी इन बातचीतों के अनुसरण में देश में विदेशी सहयोग से कतिपय परियोजनायें आरम्भ कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी. शिवशंकर) : (क) मंत्री स्तरीय/अधिकारिक स्तरों पर विदेशी सरकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वर्ष के दौरान अन्य देशों के साथ-साथ निम्नोक्त देशों से व्यापार प्रतिनिधिमंडल भारत आए। सं. राज्य अमरीका, कनाडा, अर्जेंटाइना, मैक्सिको, क्यूबा, ट्रिनिडाड तथा टोबागो, पेरू, टर्की, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मन संघीय गणराज्य, नीदरलैंड, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, अल्जीरिया, टयूनिसिया, इथोपिया, ईरान, पाकिस्तान, बंगला देश, नेपाल, अफगानिस्तान, कोरिया गणराज्य, लाओस, मलेशिया, चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया लोकतंत्रीय गणराज्य, सिंगापुर, आस्ट्रेलिया, थाइलैंड, न्यूजीलैंड, सोवियत संघ, चेकोस्लवाकिया, बल्गारिया, हंगरी, रोमानिया, यूगोस्लाविया, पोलैंड तथा जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य।

(ख) भारत ने 1985-86 के दौरान सोवियत संघ, पोलैंड, जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य तथा रोमानिया के साथ व्यापार करारों का नवीकरण किया। इन देशों के साथ हुए करारों में भारत तथा इन देशों के बीच सभी वाणिज्यिक तथा गैर वाणिज्यिक सौदों के लिए कुछ समय के भीतर व्यापार को संतुलित करने के अतिरिक्त अपरिवर्तनीय भारतीय रुपयों के भुगतान करने की व्यवस्था है।

(ग) तथा (घ) ये व्यापार करार व्यापार संचलन से संबंध रखते हैं और इनमें विदेशी सहयोग से परियोजनाएं स्थापित करना शामिल नहीं हैं।

बैंकों में कम्प्यूटर लगाना

8612. **श्री सी. सम्बु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी एसोसिएशन द्वारा कड़ा विरोध करने के बावजूद बैंकों में कम्प्यूटर लगाने की बात पर दृढ़ है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी एसोसिएशन के साथ बातचीत करने के लिए कोई पहल की है;

(ग) यदि हां, तो बातचीत के क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) आंध्र प्रदेश में बैंकों की कितनी शाखाओं में कम्प्यूटर लगाये जायेंगे ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंको को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार की गई 'कारंवाई आयोजना' के अनुसार मशीनीकरण और कम्प्यूटरीकरण करने के लिए कहा गया है इस सम्बन्ध में भारतीय बैंक संघ ने अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ और राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी महासंघ के साथ कई बैठकें की थीं जिनमें संघों द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण दिए गए थे। जबकि बैंकों के आंचलिक, क्षेत्रीय और प्रधान कार्यालयों में कम्प्यूटर लगाने पर कोई मतभेद नहीं है, लेकिन शाखाओं के मशीनीकरण कार्यक्रम के मामले में संघों और भारतीय बैंक संघ के बीच थोड़ा मतभेद है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) मशीनीकरण और कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम के तहत बैंकों में इलेक्ट्रानिक लेजर पोस्टिंग मशीनें लगाई जानी हैं। यद्यपि राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गए, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार आंध्र प्रदेश में लगभग 60 शाखाओं में इलेक्ट्रानिक लेजर पोस्टिंग मशीनें लगाई गई हैं।

अल्पकालीन ऋणों को दीर्घकालीन ऋणों में बदलना

8613. **श्री सी. सम्बु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बैंकों ने कपास तथा धान उपजाने वाले जलवायु परिस्थितियों से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों पारचद, चिरोला पोन्नूर, मातुंद, अन्डाकी बोपाटेला को दिए गये अल्पकालीन ऋणों को दीर्घकालीन ऋणों में बदलने की सिफारिश की थी जहां कि कपास व धान की फसलों को जलवायु से क्षति पहुंची थी; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त 1984 में बाढ़, सूखा और अन्य प्राकृतिक विपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास सहायता प्रदान करने के लिए सभी वाणिज्यिक बैंकों को विस्तृत मार्ग-निर्देश जारी किए थे। इनमें बताये गए विभिन्न उपायों में अल्पकालीन उत्पादन ऋणों को सावधि ऋणों में बदलना भी हैं। जहां कहीं प्राकृतिक विपदाओं से फसलों को हानि हुई हो, बैंकों से वहां राहत सहायता प्रदान करने के लिए कहा गया है। वाणिज्यिक बैंकों के नाम पहले से दिए वर्तमान मार्ग-निर्देशों को देखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रश्न में उल्लिखित क्षेत्रों के लिए अलग से कोई अनुदेश जारी नहीं किये हैं।

संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा उपहार में दिए गये उपकरणों का बम्बई के राष्ट्रीय परीक्षण गृह में बेकार पड़े रहना

8614. **प्रो. मधु दंडवते** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा दिए गये उपकरणों पर तीन वर्षों से अधिक समय से राष्ट्रीय परीक्षण गृह, बम्बई में धूल जमा हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उपकरणों के बिना कार्य किस प्रकार चल रहा है;

(ग) क्या परीक्षण किये बिना नमूनों का प्रमाणीकरण करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध जांच की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो उपकरणों की मरम्मत के बाद कार्य की परिस्थितियां कब तक सामान्य हो जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के माध्यम से राष्ट्रीय परीक्षण शाला, बम्बई को अब तक केवल एक ही उपकरण प्राप्त हुआ है। उपकरण सन् 1983 में आया था, लेकिन उसके कुछ पुर्जों के अभाव। क्षतिग्रस्त होने के कारण वह उपकरण चालू नहीं किया जा सका। अब ये पुर्जे बदल दिए गये हैं और इस उपकरण को लगाने की कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

(ख) राष्ट्रीय परीक्षण शाला, बम्बई में स्वदेशी मेक का एक अन्य कम सोफिस्टिकेटिड उपकरण उपलब्ध है और उस उपकरण के प्रयोग से परिणाम दिये जाते हैं।

(ग) जी, नहीं, उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

गोवा के निकट होन्डा और तिविम में तस्करी के सामान का पकड़ा जाना

8615. **प्रो. मधु दण्डवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष फरवरी में गोवा के निकट होंडा और तिविम में 80 लाख रुपए से अधिक मूल्य का तस्करी का सामान पकड़ा गया था।

(ख) क्या गिरफ्तार किए गये व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने होंडा में पंचायत फार्म में तस्करी के समान के भण्डार किए जाने की बात स्वीकार की थी; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि भविष्य में ऐसी सम्पत्ति का दुरुपयोग न होने पाये।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) दिनांक 19/20-2-1986 को गोवा स्थित सीमाशुल्क अधिकारियों ने नमूना मपूका मछली बाजार के पास निषिद्ध माल के 141 पैकेटों से लदे हुए एक ट्रक को रोका। ट्रक के मालिक को पकड़ लिया गया था

ग्रौर उसके पश्चात् लेलिंग एजेंट को भी पकड़ लिया गया था जिसने बताया कि फार्म में कुछ ग्रौर माल भी पड़ा हुग्रा है। होन्डा सलेली गांव में उक्त फार्म एक पंचायत फार्म निकला जहां से निषिद्ध माल के 74 पैकेट घासफूस के नीचे दबाए हुए बरामद किए गये थे। ग्रभिगृहीत किए माल का मूल्य 77.82 लाख रुपये हैं।

(ग) उपयुक्त कारंवाई करने के प्रयोजनार्थ इस मामले को गोवा प्रशासन के ध्यान में लाया जा रहा है।

चीनी ग्रौर खाद्य पदार्थों का किस्म नियंत्रण

8616. **प्रो. मधु दण्डवते** : क्या खाद्य ग्रौर नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा ग्रायातित चीनी की भारी मात्रा वेची जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ग्रभाव की स्थिति पैदा करने के लिये खाद्य पदार्थों के भण्डारण की जानबूझ-कर उपेक्षा की जाती है; ग्रौर

(घ) क्या उपभोक्ताग्रों के हितों की रक्षा के लिए नीलामी से पहले वस्तुग्रों की किस्म की जांच के लिये उनके नमूने लिये जाते हैं ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य ग्रौर नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) ग्रौर (ख) खुली बिक्री की स्वदेशी चीनी की उपलब्धता में कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ग्रायातित चीनी को दो माध्यमों, ग्रर्थात (1) 5.80 रुपए प्रति किलो से कम निर्धारित मूल्य पर नियंत्रित माध्यमों के जरिये वितरित करने के लिए राज्य सरकारों को ग्राबंटन कर, ग्रौर (2) भारतीय खाद्य निगम द्वारा ग्रामंत्रित किए गये टेण्डरों के ग्राधार पर महत्वपूर्ण स्थानों पर की गई बिक्री, के जरिए खुली बिक्री के रूप में वितरण हेतु उपयोग में लाया गया है। इससे उपभोक्ताओं के लिए खुले बाजार में उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। ग्रायातित चीनी की कुछ मात्रा को उचित दर की दुकानों के माध्यम से लेवी चीनी के रूप में भी वितरित किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) भारतीय बन्दरगाहों पर ग्रायातित चीनी के पहुंचने पर इसकी गुणवत्ता की पत्तन स्वास्थ्य ग्रधिकारियों द्वारा जांच की जाती है। उनकी स्वीकृति के बाद ही ग्रायातित चीनी को बन्दरगाहों से बाहर ले जाने की ग्रनुमति दी जाती है।

तम्बाकू उत्पादों को कम समर्थन मूल्य का भुगतान

8617. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में ग्रधिकांश तम्बाकू उत्पादकों को ग्रपनी फसलों के खराब हो जाने ग्रौर कम समर्थन मूल्य के कारण गम्भीर समस्याग्रों का सामना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रति क्विंटल कितना समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि नीलामी के दौरान खरीदारों जो कि अधिकांशयः तम्बाकू के निर्यातक होते है; की आपसी मिलीभगत के कारण किसानों को समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पाता है; और

(घ) तम्बाकू के बारे में निर्यात नीति का ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) जी नहीं। तथापि अक्टूबर-नवम्बर 1985 के दौरान "सफेद मक्खी" के फैलने से तम्बाकू की फसल नष्ट होने के कुछ समाचार प्राप्त हुए हैं।

(ख) बोर्ड द्वारा स्थापित नीलामी मंचों पर बचे तम्बाकू की खरीद के लिए सरकार द्वारा आन्ध्र प्रदेश में 198। विपणन मौसम के दौरान बी एफ सी तम्बाकू के लिये निर्धारित न्यूनतम समर्थन कीमतें निम्नोक्त प्रकार हैं :—

		रु. प्रति क्विंटल
(I)	काली मिट्टी में उगाया गया एफ-2 ग्रेड (संशोधित विशिष्टताएं)	1115 रु.
(II)	हल्की मिट्टी में उगाया गया एल-2 ग्रेड (अन्य ग्रेडों के लिए कीमतें सामान्य बाजार कीमत अंतरों को देखते हुए तय की जाती हैं)	1200 रु.

(ग) चालू नीलामियों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में अभी तक किसानों को मिली औसत कीमत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन कीमत से अधिक है।

(घ) समय-समय पर घोषित न्यूनतम निर्यात कीमतों के आधार पर तम्बाकू के निर्यात की ओ. जी. एल-3 के अन्तर्गत अनुमति है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा भारत संघ बनाम मैसर्स एग्रो मिल्स लिमिटेड की अपील को खारिज करना

8618. डा. बी. एल. शैलेश : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा भारत संघ बनाम मैसर्स ओसवाल एग्रो मिल्स लिमिटेड के गाय की चर्बी के मामले में दायर की गई अपील को उच्चतम न्यायालय द्वारा इस आधार पर खरिज कर दिया कि अपील निर्धारित अवधि के बाद दायर किये जाने के कारण वर्जित हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने मामले की छानबीन की है और इस चूक के लिए उत्तर-दायित्व निर्धारित किया गया है; और

(ग) सरकार का अब इस मामले पर आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) मैसर्स ओसवाल एग्रो मिल्स लि. पर विवर्जन की कार्यवाही को स्थगित करने सम्बन्धी दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 19.4.85 के आदेश के विरुद्ध दायर की गई विशेष अनुमति याचिका 2.4.86 को खारिज कर दी गई क्योंकि वह काल वर्जित हो गई थी। फर्म की मुख्य याचिका न्यायालय में है।

(ख) तथा (ग) मामले पर विचार किया जा रहा है।

"कैनवैंसिग नान रेजिडेन्ट्स इण्डियन डिपोजिट्स" शीर्षक समाचार

8619. **डा. बी. एल. शैलेश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 5 अप्रैल, 1986 के "फाइनैंशियल एक्सप्रैस" में "कैनवैंसिग एन. आर. आई. डिपोजिट्स फार गवर्नमेंट बैंक-प्राइवेट एजेन्सीज प्लेइंग ए डुवियस रोल" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या है; और

(ग) गैर-सरकारी एजेन्सियों की इस प्रकार की संदिग्ध भूमिका रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आयात निर्यात प्रक्रिया को सरल बनाना

8620. **डा. बी. एल. शैलेश** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात-निर्यात प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 15 महीने पहले वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना भी की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आबिद हुसैन समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों को कार्यान्वित न किए जाने पर क्या प्रभाव पड़ा ?

वाणिय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) समिति आयात-निर्यात प्रक्रियाओं के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर रही हैं और उसे अपनी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत करनी है।

(ख) व्यापार-नीति सम्बन्धी आबिद-हुसैन समिति ने प्रक्रियाओं को सरल बनाने की आवश्यकता पर सिफारिश करते समय नीतियां 3 वर्ष की अवधि के लिए स्थिर रखने के महत्व का

उल्लेख किया। समिति की यह सिफारिश आयात-निर्यात नीति को अप्रैल 1986 तक की 3 वर्षों की अवधि के लिए घोषित करके पहले ही क्रियान्वित कर दी गयी है।

शेयर तथा पूंजी बाजार ढांचे का पुनर्गठित करना

8621. **डा. बी. एल. शैलेश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शेयर और पूंजी बाजार के ढांचे के पुनर्गठन सम्बन्धी उच्चाधिकार प्राप्त जी. एस. पटेल समिति द्वारा की गई कुछ प्रमुख सिफारिशों को स्वीकार किये जाने के पश्चात् उनके मंत्रालय ने क्या निर्णय लिया है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र की लिमिटेड कम्पनियों को भी स्टाक एक्सचेंजों का सदस्य बनने की अनुमति दी जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो इससे उनके दैनिक कार्यकरण में क्या लाभ होने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) स्टाक एक्सचेंजों के सम्बन्ध में श्री जी. एस. पटेल की अध्यक्षता में नियुक्त उच्चाधिकार प्राप्त समिति की विभिन्न अंतरिम रिपोर्टों में विहित की गई सिफारिशों पर निर्णय ले लिए गए है; स्टाक एक्सचेंजों को इन निर्णयों को क्रियान्वित करने के निदेश जारी कर दिए गये हैं। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय निम्नलिखित से सम्बन्धित हैं :—

(i) सार्वजनिक निर्गम की लागत;

(ii) औद्योगिक प्रतिभूमियों को सूचीबद्ध करना;

(iii) स्टाक एक्सचेंज परिसर के अधिग्रहण;
निर्माण तथा तद्विषयक वित्तपोषण से सम्बन्ध विषय;

(iv) स्टाक एक्सचेंजों की उपविधियां और विनियम;

(v) आचार संहिता,

(vi) निवेशकों को दी जाने वाली सेवाओं में सुधार,

(vii) स्टाक एक्सचेंजों की सदस्यता।

(ख) इस तरह की कोई भी सिफारिश जी. एस. पटेल समिति ने नहीं की है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

करों की वसूली करने पर व्यय

8622. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 से करों की वास्तविक वसूली की तुलना में करों की वसूली करने पर कितना तुलनात्मक खर्च हुआ है;

(ख) क्या यह सच है कि करों की वसूली पर किया जाने वाला खर्च धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या करों की वसूली पर होने वाले खर्च को कम करने की दृष्टि से कर वसूली तंत्र (टेक्स कलेक्शन मशीनरी) का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्ष 1982 से करों की वास्तविक वसूली की तुलना में करों की वसूली पर किए गये तुलनात्मक व्यय का ब्योरा निम्नानुसार हैं :—

	प्रत्यक्ष कर		अप्रत्यक्ष कर	
	कुल वसूली (करोड़ रुपयों में)	किया गया व्यय (करोड़ रुपयों में)	कुल वसूली (करोड़ रुपयों में)	किया गया व्यय (करोड़ रुपयों में)
1982-83	4138.16	80.56	13177.91	93.41
1983-84	4498.40	90.50	15805.19	109.11
1984-85	4796.95	100.82	181 91.36	131.38
1985-86	5583.09	115.74	22216.02	170 71
		(संशोधित अनुमान)		

(ख) जी, हां।

(ग) कीमतों में सामान्य वृद्धि, अतिरिक्त पदों की स्वीकृति, महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तों की स्वीकृति, अन्तरिम सहायता, अपवंचन निवारण तथा तस्करी निवारण के क्रियाकलापों में तेजी तथा विभागीय पुरस्कार नियमों में उदारीकरण आदि की वजह से करों की वसूली के व्यय में वृद्धि हुई है।

(घ) राजस्व विभाग में सभी विभागाध्यक्षों से यह अनुरोध किया गया है कि वे व्यय पर प्रत्येक माह भली-भांति निगरानी रखें तथा बजट अनुदान के भीतर रहकर व्यय को सीमित रखने के लिए प्रयास करें।

इन्जीनियरिंग उत्पादों और सिलाई मशीनों का निर्यात

8623. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योगों द्वारा निर्यात के लिये किन-किन इन्जीनियरिंग उत्पादों का निर्माण किया जाता है;

(ख) वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के दौरान कितने मूल्य की ऐसे उत्पाद का निर्यात किया गया;

(ग) ऐसी वस्तुओं के निर्यात की पद्धति क्या है;

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान कौन-कौन से ब्रांड की कितनी सिलाई मशीनें निर्यात की गई;

(ङ) क्या यह सच है कि बड़े व्यापारिक गृहों द्वारा निर्मित सिलाई मशीनें निर्यात की गई और लघु उद्योगों द्वारा मिमित मशीनों की अपेक्षा की गई है; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी. शिवशंकर) : (क) इन्जीनियरी पदों का बड़े पैमाने पर निर्यात लघु उद्योग एककों द्वारा किया जाता है। इनमें अन्य के साथ-साथ ये शामिल हैं पूंजी माल जैसे संयंत्र तथा मशीनरी, फैब्रिकेटेड स्टील स्ट्रक्चरल्स, बिजली की तारें, मशीनी औजार; लोहा तथा इस्पात पर आधारित मदें जैसे-पाइप तथा फिटिंग्स, लोह बर्तन, ए. एस. तार उत्पाद, औद्योगिक फास्नर्स, हार्डवेयर, कृषि-उपकरण; अलौह उत्पाद जैसे अल्यूमिनियम, पीतल तथा ई. पी. एन. एस. के बर्तन; और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं जैसे-आटो पुरजे, बाइसिकलें तथा पुरजे, हाथ से काटने के और छोटे औजार, डीजल इन्जिन, पम्प तथा पुरजे आदि।

(ख) 1983-84 तथा 19 4-85 के दौरान लघु उद्योग एककों द्वारा इंजीनियरी उत्पादों के अनुमानित निर्यात निम्नोक्त प्रकार हैं :—

1983-84	363.42 करोड़ रु.
1984-85	386,79 करोड़ रु.

1985-86 के लिये लघु उद्योग क्षेत्र के निर्यात आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) लघु उद्योग एककों द्वारा निर्यात की प्रणाली के अन्तर्गत निर्यात या तो लघु उद्योग एकक द्वारा अपने आप किए जाते हैं अथवा निर्यात सदनों, व्यापारी निर्मातकों आदि जैसे अन्यों के माध्यम से किए जाते हैं।

(घ) सिलाई की मशीनों के निर्यात-ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, लघु उद्योग एककों द्वारा सिलाई की मशीनों के अनुमानित निर्यात निम्नोकत प्रकार हैं :—

1983-84	13.00 लाख रु.
1984-85	35.00 लाख रु.

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

समुद्री उत्पादों का निर्यात

8624. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 में समुद्री उत्पादों के निर्यात में गिरावट होने के क्या कारण है;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जो भारतीय समुद्री उत्पादों का आयात कर रहे हैं; और

(ग) वर्ष 1986-87 के दौरान समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) 1985-86 में समुद्री उत्पादों के अनुमानित निर्यात में 1984-85 की तुलना में मामूली गिरावट आयी है। इसका मुख्य कारण पश्चिमी तट पर झींगा मछली की कम उतरायी है।

(ख) भारतीय समुद्री उत्पादों का आयात करने वाले प्रमुख आयातक देश हैं—जापान, सं. रा. अमरीका, ब्रिटेन, सिंगापुर, सं. अ. अमीरात, कुवैत, नीदरलैंड, वाइटमन, फ्रांस तथा श्रीलंका।

(ग) समुद्री उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं :— कल्चर्ड श्रिम्प्स का उत्पादन, श्रिम्पस ससाधन संयंत्रों का आधुनिकीकरण, मूल्य-वर्धित मदों जैसे आई. क्यू. एफ. के उत्पादन को प्रोत्साहन, उत्पादों की क्वालिटी में सुधार लाना तथा गहरे समुद्र में मत्स्य की स्रोतों का लाभ उठाने के उपाय।

[हिन्दी]

जाली नामों पर ऋण दिया जाना

8625. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "जनता ऋण वितरण योजना" की उपयोगिता के बारे में संदेह व्यक्त करते हुए केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने ऐसे एक मामले का उल्लेख किया है जिसमें एक राष्ट्रीय बैंक ने इस योजना के अन्तर्गत जाली नामां पर ऋण दिए हैं।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की तथा इसके साथ ही अन्य बैंकों द्वारा दिए जा रहे ऋणों के इसी तरह के अन्य मामलों की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने स्टेट बैंक आफ पटियाला से सम्बन्धित धोखाधड़ी के एक मामले की जांच के दौरान यह पाया कि नवम्बर 1976 में हरियाण में हुए एक ऋण समारोह में भेसों की खरीद के लिए मंजूर किए गए कुछ ऋण उन ऋणकर्ताओं को दिए गए जिन्होंने अपने नाम और पते गलत दिए थे। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दिनांक 14 नवम्बर, 1980 को एक मामला रजिस्टर किया और इसके पश्चात न्यायालय में चार्ज-सीट दायर किया। अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय

पर जारी किए गये मार्ग-निर्देशों के अनुसार, बैंकों से ऋण शिविरों में संवितरित ऋणों सहित सभी प्रकार के ऋणों को मजूर करते समय ऋणकर्ताओं का पता लगाने, ऋण मंजूर करने और प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के वास्ते कहा गया है।

[अनुवाद]

पटसन मिलों को बन्द किया जाना

8626. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पटसन मिलों के नाम क्या हैं जो 31 दिसम्बर, 1985 को पड़ी थीं और वे कितनी अवधि से बंद बड़ी है;

(ख) इन मिलों को बंद किये जाने के मूख्य कारण क्या हैं;

(ग) इनको बंद किये जाने के कारण उत्पादन में कितना नुकसान होने का अनुमान है और कितने श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं;

(घ) पटसन की खेती, पटसन उत्पादों की बिक्री तथा पटसन के मूल्यों पर उक्त मिलों के बन्द किये जाने का क्या प्रभाव पड़ा हैं; और

(ङ) इन बंद पड़ी मिलों को पुन: चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये है।

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) चूंकि 31.12.85 की स्थिति के अनुसार बन्द पड़ी मिलों की संख्या सीमित थी और वे एक लम्बी अवधि तक बन्द पड़ी रही, अत: इनके बन्द रहने से जूट की खेती, उत्पादन की बिक्री और कच्चे जूट की कीमतों पर मुश्किल से ही कोई प्रमाव पड़ा है।

(ङ) औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार ही उचित प्राधिकारी है जो औद्योगिक विवादों को निपटाए। अत: इस मामले में उचित कार्यवाही करना उनपर निर्भर करता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में हमेशा आवश्यक सहायता दी जाती है।

विवरण

31 दिसम्बर, 1985 की स्थिति के अनुसार बन्द पड़ी जूट मिलों के नाम उनसे प्रभावित कामगारों की आनुमनित संख्या, मासिक उत्पादन में अनुमानित हानि और बन्द होने के कारण निम्नोक्त प्रकार है :—

क्रम सं.	मिल का नाम	बन्द होने की तारीख	प्रभावित कामगारों की अनुमानित सं.	औसत मासिक उत्पादन में अनुमानित हानि (मै. टन में)	बन्द होने के कारण
1	2	3	4	5	6
1.	श्री गौरी शंकर	9.12.81	20000	1210	श्रमिक अशान्ति तथा वित्तीय आधार
2.	नार्थ बूक	27.1.82	3,500	1650	श्रमिक अशान्ति तथा वित्तीय बाधाएं ऋण-दाताओं द्वारा बन्द करने सम्बन्धी की गई याचिकाओं के आधार पर अब ये दोनों मिलें बन्द होने वाली है और अब ये मिलें कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार सरकारी प्राप्तकर्ताओं के अधीन है।
3.	रम्पायर	17.3.85	3,000	703	

4.	मेग्ना	15.4.85	6,200	2146	श्रमिक अशान्ति। मिल वित्तीय कठिनाइयों से पीड़ित भी बताई गई है।
5.	असम कोग्रोपरेटिव जूट मिल्स, सिलघाट	5.3.84	1,000	150	मिल खर्चीले प्रचालन तथा इसके उत्पादों के लिए अपर्याप्त बाजार दुकानों की वजह से बन्द रही। मिल असम समझौते के अनुसार 1.1.86 से पुन: शुरू की गई है।
6.	बेल्ली	23.4,85	4,000	1804	श्रमिक अशान्ति। मिल 8.1.86 से पुन: खुल गई है।

सिगरेटों पर उत्पाद शुल्क की वसूली

8627. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सिगरेटों के खुदरा मूल्य के आधार पर उत्पाद-शुल्क वसूल कर सकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की उच्चतम स्तर पर कानूनी दृष्टि से जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कानूनी सलाह दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या मुकदमेबाजी की सम्भावनाओं से बचने के लिए सरकार का विचार कानूनी सलाह लेने का है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सिगरेटों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, सिगरेटों के पैकेठों पर मुद्रित विक्रय मूल्य के सम्बन्ध में निश्चित की गई विनिर्दिष्ट दरों पर लगाया जा सकता है।

(ख) और (ग) सरकार को सलाह दी गई थी कि सिगरेटों के पैकेटों पर मुद्रित विक्रय मूल्य पर निर्भर करते हुए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की विनिर्दिष्ट दरें नियत किए जाने पर कोई कानूनी आपत्ति नहीं होगी।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

टैपर रौलर बेयरिंग के डीलरों द्वारा आयात शुल्क का अपवंचन

8628. **श्री वी एस कृष्ण अय्यर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि टैपर रौलर बेयरिंग का पुर्जों के रूप में आयात करके आयात शुल्क का अपवंचन किया है जबकि बेयरिंग के आयात पर प्रतिबंध लगा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इन डीलरों ने आयात शुल्क की कितनी राशि का अपवंचन किया है; और

(ग) यह राशि वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ख) कथित "टैपर रौलर बेयरिंग के संघटक", लेकिन जो प्रथम दृष्टया पूर्ण टैपर रोलर बेयरिंग लगते थे, की कुछ खेपों का कलकत्ता में पता चला है। मामलों की जांच की जा रही है, और जांच-पड़ताल पूरी हो जाने पर किसी भी प्रकार की कम लगाई गई लेवी की वसूली सहित, कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

बैंक अधिकारियों के उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण विकास कार्यों का रुकना

8629. **श्री काली प्रसाद पांडेय :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3-4 मार्च, 1986 के "पाटलीपुत्र टाइम्स" में "कहां मिली

मिली राहत अफसरों के मारे बेरोजगारों को" शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों द्वारा उपेक्षापूर्ण रवैये अपनाये जाने के कारण सीतामढ़ी और अनेक अन्य जिलों में विकास कार्य रुक गया है और क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही की गई है या किए जाने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार का विचार जिला उद्योग केन्द्रों से प्राप्त ऋण के सभी आवेदनों की उच्च स्तरीय जांच कराने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने "पाटलीपुत्र टाइम्स" के दिनांक 3 मार्च, 1985 के संस्करण में प्रकाशित इस समाचार को देखा है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार, जिला प्रशासन और राष्ट्रीयकृत बैंकों के सहयोगपूर्ण रवैये के कारण सीतमढ़ी जिले का विकास कार्य रुक गया है। जिले के अग्रणी बैंक अर्थात् सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ने सूचित किया है कि बैंक ने वर्ष 1985-86 के लिए रखे गए 136 मामलों के लक्ष्य के मुकाबले 124 मामलों के अधीन 21.81 लाख रुपये की मंजूरी दी है। मंजूर किये गए मामलों में से बैंक ने दिनांक 31 मार्च 1986 तक 60 मामलों में 9.23 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया था। सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की धुम्रा शाखा को वर्ष 1985-86 के लिए 15 मामलों का लक्ष्य दिया गया है जिसमें से सभी को कुल मिलाकर 3.18 लाख रुपये के ऋण मंजूर किये गए हैं। मंजूर किये गए 5 मामलों में बैंक ने दिनांक 31 मार्च, 1986 तक 0.55 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया था। वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार बैंक दिनांक 31 मार्च, 1986 तक मंजूर किये गए मामलों में मार्च 1986 के बाद भी ऋणों का भुगतान करते रहेंगे।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

बैंक कर्मचारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

8630. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बैंकों के बेहतर तथा व्यावसायिक कार्य-निष्पादन के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि बैंक कर्मचारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के माध्यम से उनका ज्ञान अद्यतन रखा जाए, जैसा कि अब मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के मामलों में किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि बैंक के मुख्य अधिकारियों को ठोस वाणिज्यिक पद्धति तथा बैंक की शाखा के मुनाफे में वृद्धि करने की दृष्टि से काम नहीं करने दिया जाता, क्योंकि उनके कार्यों में बैंक के नियंत्रक, नौकरशाही द्वारा प्रायः हस्तक्षेप किया जाता है तथा उन पर अन्य प्रकार से दबाव डाला जाता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि बैंकों के कार्यकरण सम्बन्धी नियम अभी भी पुराने चले आ रहे हैं तथा उनमें काफी परिवर्तन करने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो पूरी प्रक्रिया को सरल तथा युक्ति संगत बनाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) बैंक कर्मचारियों की कार्य-कुशलता बढ़ाने और उनके कौशलों को अद्यतन बनाने के वास्ते बैंकों के अपने-अपने प्रशिक्षण संस्थान हैं जहां सभी स्तर के बैंक कर्मचारियों के लिए विभिन्न विषयों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाये जाते हैं। पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सार्थकता आदि की बैंकों द्वारा लगातार समीक्षा की जाती है ताकि प्रशिक्षण सुविधाओं का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा, इस उद्योग में बैंकर्स ट्रेनिंग कालेज, कालेज आफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग और राष्ट्रीय प्रबन्ध संस्थान जैसे विशेषज्ञता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थाएं भी कार्य कर रही हैं।

(ख) भारत में बैंक, उन्हें सौंपी गई कुछ सामाजिक जिम्मेदारियों को भी पूरा करते हैं। इनका सम्बन्ध विभिन्न विकासोन्मुख कार्यक्रमों और गरीब तथा उपेक्षित क्षेत्र के लोगों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं के कार्यान्वयन से हैं। बैंक अलबत्ता, वाणिज्यिक दृष्टिकोण के अनुसार काम करते हैं और उनके कार्यों पर नौकरशाही का हस्तक्षेप/प्रभाव नहीं होता है।

(ग) और (घ) बैंकों के कार्यकरण को नियंत्रित करने वाले नियमों और विनियमों की बराबर समीक्षा की जाती है और बदलती हुई परिस्थितियों से निपटने के लिए उनमें संशोधन किए जाते हैं।

बिन्नीज लिमिटेड के बंगलौर एकक को आर्थिक सहायता

8631. **श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिन्नीज लिमिटेड के बंगलौर स्थित एकक ने अपने आधुनिकीकरण के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या बिन्नी लिमिटेड एक सरकारी उपक्रम है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार गैर-सरकारी कपड़ा मिलों को भी सहायता प्रदान करती है, यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) तथा (ख) 1978 में सरकार ने बिन्नी लि. मद्रास तथा बंगलौर के दो वस्त्र एककों को आधुनिकीकरण के लिए 700 लाख रु. का सावधिक ऋण मंजूर किया।

(ग) बिन्नी लि. सरकारी उपक्रम नहीं है लेकिन बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और राज्य सरकारों के पास इसके 50 प्रतिशत से अधिक इक्विटी शेयर हैं।

(घ) आधुनिकीकरण के लिए वस्त्र मिलों को वित्तीय सहायता सामान्यतः अखिल भारतीय संस्थाओं जैसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दी जाती है। सरकार आमतौर पर इस प्रयोजन के लिए सहायता नहीं देती है।

महाराष्ट्र में विद्युतचालित करघा क्षेत्र की दयनीय दशा

8632. **श्री सुभाष यादव** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार द्वारा नई कपड़ा नीति घोषित किये जाने के बाद विद्युतचालित करघा क्षेत्र की दयनीय दशा से सरकार को अवगत कराया है;

(ख) विद्युत चालित करघा उद्योग को हो रही कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या और तत्काल उपाय करने का विचार है; और

(घ) उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार कब तक उपाय करेंगी ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) तथा (ख) महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार को अन्य बातों के साथ-साथ यह भी लिखा है कि पोलियेस्टर फाइबर दर शुल्क कटौती से सिन्थैटिक फिलामेंट यार्न पर ऐसी ही कटौती किये बिना उनके राज्य में बिजली करघों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ग) तथा (घ) सरकार यार्न की कीमतों तथा शुल्क सम्बन्धी स्थिति पर बराबर निगरानी रखे हुए हैं।

कृषि पुनर्वित्त विकास निगम द्वारा किसानों को दिए गए ऋणों पर लिया गया ब्याज

8633. **श्री सुभाष यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि पुनर्वित्त विकास निगम देश में किसानों को दिए गए कृषि ऋणों पर 10 से 11 प्रतिशत ब्याज वसूल कर रहा है जबकि विश्व बैंक दीर्घावधिक ऋणों पर केवल 0.75 प्रतिशत ब्याज ले रहा है;

(ख) यदि हां, तो इतना अधिक ब्याज लेने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार देश में कृषि प्रयोजन के लिए दिए गए दीर्घावधिक ऋणों पर ब्याज की दर कम करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना से कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम का अस्तित्व समाप्त हो गया है। राष्ट्रीय बैंक ने भूतपूर्व निगम की सभी गतिविधियों को अपने हाथ में ले लिया है।

राष्ट्रीय बैंक आमतौर पर किसानों को सीधे कृषि ऋण नहीं देता है। यह बैंक प्रायः वाणिज्यिक बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, राज्य भूमि विकास बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को

पुनर्वित्त के रूप में ऋण और अग्रिम देता है। बैंकों को पुनर्वित्त सहायता पर राष्ट्रीय बैंक द्वारा लिए जाने वाले ब्याज की दर और अंतिम ऋणकर्ताओं से इन संस्थाओं द्वारा लिए जाने वाले ब्याज की दर नीचे दी गई है :—

प्रयोजन	राष्ट्रीय बैंक की पुनर्वित्त दर	अंतिम ऋणकर्ताओं से लिए जाने वाले ब्याज की दर
छोटे किसानों को दिए जाने वाले सभी ऋण	6.5%	10%
लघु सिंचाई, भूमि विकास और बायो-गैस संयत्र के लिए सभी किसानों को दिए जाने वाले ऋण	6.5%	10%
छोटे किसानों को छोड़कर अन्य किसानों को अन्य विविध प्रयोजनों के लिए दिए जाने वाले ऋण	8%	15%

भूतपूर्व कृषि पुनर्वित्त विकास निगम ने विश्व बैंक से सीधे कोई रकम नहीं ली है। विश्व बैंक से धनराशि भारत सरकार द्वारा प्राप्त की गई थी और उसके बराबर रुपया राशियां निगम को उधार दी गई थीं। ये ऋण राशियां सरकार द्वारा निगम को पहले की ब्याज दर पर दी गई थीं। 9 वर्ष की अवधि वाले ऋणों के लिए भारत सरकार की चालू ब्याज दर 7.75 प्रतिशत और 15 वर्ष से ऊपर के ऋणों के लिए 8.5 प्रतिशत है।

(ग) और (घ) अंतिम ऋणकर्ताओं से लिए जाने वाले ब्याज की दरें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समूची ऋण और मुद्रा नीति के परिप्रेक्ष्य में, निर्धारित की जाती हैं। गैर कृषि प्रयोजनों के लिए ब्याज की चालू दरों की तुलना में कृषि अग्रिमों के ब्याज की दरें पहले ही कम हैं। इन परिस्थितियों में फिलहाल कृषि प्रयोजनों के लिए दिए जाने वाले ऋणों के ब्याज की दरों में कटौती करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक से आए तथा नए भर्ती किए गए लोगों के वेतनमानों में असमानता

8634. **श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक में श्रेणी 3 और श्रेणी चार के पदों पर भारतीय रिजर्व बैंक से आए तथा नए भर्ती किए गए लोगों के वेतनमानों और परिलब्धियों में असमानता है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक में श्रेणी तीन और श्रेणी चार के पदों पर भारतीय रिजर्व बैंक से आए तथा सीधे भर्ती किए गए लोगों की परिलब्धियों में कितना औसत अन्तर है;

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक के श्रेणी तीन और श्रेणी चार के कर्मचारियों के वेतनमानों और परिलब्धियों में असमानता के क्या कारण हैं जबकि भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक के कर्मचारियों के कार्य का स्वरूप तथा मात्रा बिल्कुल एक जैसा है और उनके पद नाम भी समान हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार उनके वेतनमानों में असमानता दूर करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक और समूह (ख) और (ग) के कर्मचारियों की प्रतिनिधि संस्था यानी अखिल भारतीय नाबार्ड कर्मचारी संघ के बीच हुए समझौते की शर्तों के अनुसार वेतनमानों और अन्य भत्तों के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समानता की व्यवस्था भर्ती किए गए नए कर्मचारियों पर लागू कर दी गई है । यह समझौता 1 जुलाई, 1983 से लागू हो गया है और इस प्रकार तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक से आए कर्मचारियों तथा राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक के कर्मचारियों के वेतनमानों और परिलब्धियों में अब कोई अन्तर नहीं है ।

सरकारी अधिसूचनाओं के माध्यम से राहतों/रियायतों की घोषणा

8635. **डा. ए. के. पटेल** :क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी अधिसूचनाओं के माध्यम से छठी पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में तथा चालू वर्ष में अब तक दी गई राहतों/रियायतों की धनराशि कितनी है;

(ख) क्या संसद सदस्यों की समिति से इन रियायतों की जांच कराए जाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है क्योंकि इन रियायतों से संसद द्वारा स्वीकृत राजस्व राशियों में फेर-बदल होता है;

(ग) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ था; और

(घ) इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में सरकारी अधिसूचनाओं (बजट अधिसूचनाओं को छोड़ कर) के माध्यम से अप्रत्यक्ष करों के अधीन राहत/रियायतों के रूप में दी गई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

क्र.सं.	वर्ष	राशि
		(करोड़ रुपयों में)
1.	1980-81	163.01
2.	1981-82	37.50
3.	1982-83	83.45
4.	1983-84	339.23
5.	1984-85	453.53
6.	1985-86	326.29

प्रत्यक्ष करों के अधीन राहतों/रियायतों के रूप में दी गई निश्चित राशि का ब्यौरा देना संभव नहीं है।

(ख), (ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। फिर भी छूट-प्रदायी सभी अधिसूचनाएं संसद में प्रस्तुत की जाती हैं तथा जो अधिसूचनाएं बजट प्रस्तावों का ही भाग होती हैं, उन पर संसद में विस्तृत रूप से चर्चा की जाती हैं।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम का लौह अयस्क निर्यात लक्ष्य

8636. **श्री के. वी. शंकर गौडा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने वर्ष 1986-87 के लिए लौह अयस्क के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में यह कितना है;

(ग) क्या वर्ष 1985-86 के दौरान खनिज तथा धातु व्यापार निगम का कार्य-निष्पादन काफी बेहतर था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) तथा (ख) एम. एम. टी. सी. ने 1986-87 के लिए लौह अयस्क का निर्यात लक्ष्य 19 मिलियन मी. टन निर्धारित किया है, जबकि 1985-86 के दौरान 18 मिलियन मी. टन निर्धारित किया गया था;

(ग) तथा (घ) एम. एम.टी.सी. ने 1985-86 के दौरान 16.396 मिलियन मी. टन लौह अयस्क का निर्यात किया जोकि एक अभूतपूर्व रिकार्ड है।

[हिन्दी]

विद्युत चालित करघों द्वारा रंगीन चादरें, तौलिए बनाना

8637. **डा. चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों द्वारा विद्युतचालित करघों का रंगीन चादरों, तौलिए, गिलाफ आदि बनाने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने विद्युत-चालित करघों द्वारा उक्त रंगीन कपड़ों के उत्पादन पर प्रतिबध लगाया है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का प्रतिबन्ध उठाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कोई निर्देश जारी करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो कब; श्रौर

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ङ) हथकरघों द्वारा अनन्य उत्पादन के लिए कतिपय मदों के आरक्षण के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा हथकरघा (उत्पादन के लिए मदों का आरक्षण) अधिनियम, 1985 के अधीन आदेश जारी किए गए हैं। राज्य सरकारों को कोई ऐसे आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है।

[अनुवाद]

काजू का आयात

8638. **श्री टी. बाल गौड़** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे काजू का आयात करने वाले देशों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण भारत को इसका आयात करने में कठिनाई हो रही है; श्रौर

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य श्रौर नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) तथा (ख) कच्चे काजू के विश्व उत्पादन में गिरावट के प्रमुख कारण से भारत कच्चे काजू के आयात करने में कठिनाई का सामना करता रहा हूं। कच्चे काजू का विश्व उत्पादन जिसका अनुमान 1969-70 के दौरान 5.2 लाख मे. टन का था 1984 के दौरान घटकर 3.97 लाख मे. टन रह गया। यह गिरावट मौजाम्बिका, तंजानियां तथा कीनिया जैसे देशों में हुई जोकि हमारे आयातों के परंपरागत स्रोत थे।

गत कुछ वर्षों के दौरान कच्चे काजू के हमारे आयात निम्नोक्त प्रकार थे :—

1981	—	31298 मे. टन
1982	—	3212 मे. टन
1983	—	14070 मे. टन
1984	—	33283 मे. टन
1985	—	27749 मे. टन

पट्टादायक कम्पनियों द्वारा आयकर नियमों का उल्लंघन

8639. **श्री थम्पन थामस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में पट्टादायक कम्पनियों ने आयकर नियमों का उल्लंघन किया है और ये कम्पनियां समय पर आयकर विवरणियां दाखिल करने असफल रही हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इनमें से अधिकांश कम्पनियां दिवालिया हो चुकी हैं; और

(ग) क्या इन पट्टादायक कम्पनियों के कार्याचलन पर और अधिक वित्तीय प्रतिबंध लगाने का सरकार का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार के पास इस आशय का कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रत्यक्ष करों सम्बन्धी स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना का विस्तार

8640. **श्री थम्पन थामस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्यक्ष करों सम्बन्धी स्वेच्छिक प्रकटीकरण योजना का विस्तार किया है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना की निरर्थकता का अनुमान लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त योजना के लागू होने के समय से अब तक करों की वसूली में कितनी वृद्धि हुई है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां। 30-9-1986 तक बढ़ा दी गई है।

(ख) ऐसा, देश के विभिन्न भागों से समय-सीमा बढ़ाने के लिए प्राप्त हुए बहुत से अनुरोधों के कारण किया गया था।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा जारी किए गए "राजक्षमा" परिपत्रों पर अच्छी प्रतिक्रिया रही है। वित्तीय वर्ष 1984-85 में हुई निगम कर सहित आयकर की 4,483.66 करोड़ रु. की वसूली की तुलना में वित्तीय वर्ष 1985-85 में 5,352.73 करोड़ रु. (अनन्तिम आंकड़े) की वसूली हुई थी जिससे 869.07 करोड़ रु. की वृद्धि हुई।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूंजी आधार का विस्तार

8641. **श्री के. प्रधानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनकी स्थापना के समय से घाटा हो रहा है और

कर्मचारियों के वेतनों में वृद्धि किये जाने के पश्चात् यह घाटा और बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो इन बैंकों के संचित घाटों के कारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पूंजी आधार का विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की साधारण अंश पूंजी चुनींदा आधार पर अथवा अन्यथा बढ़ाई जाएगी; और

(घ) उड़ीसा में ऐसे कितने बैंक है, जिनके पूंजी आधार का विस्तार किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) बताया गया है कि दिसम्बर 1984 के अंत में देश में 173 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक काम कर रहे थे। इनमें से 130 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को घाटा हुआ है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में घाटे का एक कारण कर्मचारियों के वेतनों में लगातार वृद्धि होना है।

(ख) से (घ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अर्थक्षमता को बढ़ाने के लिए प्रत्येक राज्य में ऐसे बैंकों के लिए, जिनका 31 दिसम्बर, 1984 की स्थिति के अनुसार घाटा 25 लाख रुपये से 50 लाख रुपये के बीच है, अतिरिक्त शेयर पूंजी मंजूर करने का निश्चय किया गया है। तदनुसार 34 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अतिरिक्त शेयर पूंजी अंशदान का पात्र पाया गया है। इन 34 बैंकों में से दो अर्थात् कालाहांडी आंचलिक ग्राम्य बैंक और वेतरणी ग्राम्य बैंक उड़ीसा में स्थित हैं।

इन 34 बैंकों में से 29 बैंकों के लिए अब तक अतिरिक्त शेयर पूंजी मंजूर की जा चुकी है और इनमें से एक उड़ीसा में है।

इंजीनियरी माल निर्यात समिति की स्थापना

8642. **श्रीमती माधुरी सिंह :**

श्री मुरलीधर माने :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरी माल निर्यात संवर्धन समिति की स्थापना करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन होंगे तथा उसके कृत्य और प्रयोजन क्या होंगे ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) तथा (ख) इंजीनियरी निर्यात समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, इंजीनियरी माल सम्बन्धी निर्यात नीति से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय में एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है। इस समिति के अध्यक्ष वाणिज्य सचिव हैं। समिति के अन्य सदस्य ये हैं :—

1. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग।

2. सचिव, योजना आयोग।

3. सचिव, सरकारी उपक्रम विभाग।

4. सचिव, इस्पात विभाग।

5. सचिव आर्थिक कार्य विभाग।

6. सचिव, राजस्व विभाग।

7. अध्यक्ष, केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमाशुल्क का केन्द्रीय बोर्ड।

8. आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक, नई दिल्ली।

9. संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय में इंजीनियरी प्रभाग के प्रभारी। | सदस्य सचिव

इस समिति के मुख्य कार्य निम्नोक्त हैं :—

(क) बदलती हुई बाजार स्थिति को देखते हुए "थ्रस्ट" उद्योगों तथा उत्पादों का पता लगाना।

(ख) "थ्रस्ट" बाजारों को निर्दिष्ट करना तथा इन बाजारों को होने वाले निर्यातों के संवर्धन के लिए सापेक्ष महत्व वाली नीति तथा आवश्यक योजनाएं तैयार करना।

(ग) निर्यात लक्ष्यों तथा "थ्रस्ट" उद्योगों तथा अलग-अलग एककों के निर्यात निष्पादन की समय-समय पर समीक्षा करना।

(घ) निर्यात निष्पादन के लिए समुचित निर्यात नीति का सूत्रपात करना तथा कार्यवाही सम्बन्धी कार्यक्रम तैयार करना;

(ङ) समुद्र तथा हवाई दोनों परिवहन की आवश्यकताओं का निर्धारण करना तथा परिवहन के विकास के लिए तथा निर्यात संबंधी अवस्थापना आवश्यकताओं के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करना;

(च) क्रियाविधि को सरल और कारगर बनाने के लिए तथा निर्यात के क्षेत्र में बाधाओं को दूर करने के लिए नीति सम्बन्धी पहल करना;

(छ) गोदाम स्थापित करने, विदेशी कार्यालय खोलने, विदेशों में वाणिज्यिक मिशनों को सुदृढ़ करने के सम्बन्ध में नीति सम्बन्धी पहलों की समीक्षा करना तथा उन्हें शुरू करना।

(ज) इन्जीनियरी माल के क्षेत्र में ब्रांड तथा सामान्य निर्यात प्रचार के लिए आवश्यक नीति सम्बन्धी पहलों को शुरू करना तथा इस सम्बन्ध में समुचित संवर्धनात्मक उपायों तथा आवश्यक पहलों की सिफारिश करना;

(झ) विदेशी बाजारों को निर्यातों के संवर्धन के लिए ऋण के तरीकों के विस्तार की समीक्षा करना तथा सिफारिश करना; तथा

(न) भारत से परियोजनाओं तथा परामर्शी एव तकनीकी सेवाओं के निर्यातों को बढ़ाने के लिए नीति संबधी समुचित पहल करना एवं सिफारिश करना।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा विकास योजनाओं का वित्त पोषण

8643. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या वित्त मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम जैसी वित्तीय संस्थायें सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान देश में विभिन्न विकास योजनाओं के वित्त पोषण के लिए विदेशी वाणिज्यिक बाजारों में से ऋण प्राप्त करने हेतु सभी प्रयास करेंगी;

(ख) यदि हां, तो उन विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि ऋण लेने, विशेप रूप से ऋण सेवाओं के सम्बन्ध में भारत के पिछले अभिलेख से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी बिश्वसनीयता काफी बढ़ी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) अखिल भारतीय तीन वित्तीय संस्थाएं अर्थात भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम अपनी सहायता-प्राप्त परियोजनाओं की विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं के वित्त पोषण के लिए सरकार के अनुमोदन से, विदेशी वाणिज्यिक बाजारों में विदेशी मुद्रा ऋण जुटाती रही हैं। ये संस्थाएं सरकार के अनुमोदन से भविष्य में भी ऐसा करती रहेंगी। इन सस्थाओं द्वारा नई औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना करने तथा वर्तमान उपक्रमों के विस्तार, विविधीकरण, आधुनिकीकरण या नवीनीकरण के लिए भी आवश्यक विदेशी मुद्रा की वित्त व्यवस्था करने के वास्ते पात्र औद्योगिक संस्थाओं को विदेशी मुद्रा ऋण मंजूर किए जाते हैं। कई विदेशी बैंकिंग एजेंसियों ने आकर्षक शर्तों पर भारत के लिए ऋण व्यवस्था करने में अपनी गहरी दिलचस्पी दिखाई है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा किया गया आयात और निर्यात व्यापार

8644. **श्री चिन्तामणी जेना** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के दौरान कितने मूल्य के सामान का आयात और निर्यात किया गया;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने निर्यात को बढ़ाने के लिए विदेशी खरीददारों के साथ विशेष व्यापार करार किये हैं और व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किये हैं;

(ग) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं, जिनके साथ राज्य व्यापार निगम इस प्रकार के करार करने का विचार कर रहा है और उन देशों का ब्यौरा क्या है, जिनके साथ वस्तु विनिमय प्रणाली अपनाई जाएगी;

(घ) निर्यात/आयात की जाने वाली वस्तुओं का ब्यौरा क्या है और भारत को इन सौदों से किस सीमा तक लाभ होगा; और

(ङ) राज्य व्यापार निगम द्वारा वर्ष 1986-87 के दौरान निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या अन्य उपाय किये जा रहे हैं और इस वर्ष के दौरान कितना निर्यात होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी. शिवशंकर) : (क) 1983-84 से 1985-86 के दौरान राज्य व्यापार निगम का आयात तथा निर्यात का कारोबार निम्नोक्त प्रकार है :—

(करोड़ रु. में)

1983-84	—	2215
1984-85	—	2866
1985-86	—	2522 (अनन्तिम अनुमान)

(ग) तथा (घ) राज्य व्यापार निगम किसी भी देश के साथ कोई वास्तुविनिमय करार नही कर रहा है। तथापि, राज्य व्यापार निगम के विभिन्न देशों में सप्लायरों के साथ विभिन्न प्रकार के व्यापारिक प्रबन्ध हैं।

(घ) प्रति व्यापार सौदों के अन्तर्गत खाद्य तेल, रसायन, चीनी, अखबारी कागज, सीमेंट आदि आयात किए जाने हैं तथा कृषि उत्पाद, प्रशीतित श्रिम्प्स, प्रशीतित मास, चाय संसाधित मशीनीरी, वस्त्र, शू-अपर्स, लोह अयस्क, ट्रक तथा बसें आदि निर्यात के लिए अभिज्ञात की गई है।

(ङ) 1986-87 के दौरान निगम ने निर्यातों के लिए 554 करोड़ रु. का लक्ष्य निर्धारित किया है। निर्यात बढ़ाने के लिए किए जा रहे उपाय हैं; विभिन्न नई निर्यात मदों की शुरूआत, प्रति-व्यापार में प्रवेश, विपक्षीय व्यापार करना, नए बाजारों को विकसित करना, मूल्य-वर्धित मदों को प्रारम्भ करना, सहयोगियां को वित्तीय सहायता, निर्यातों के लिए सप्लाई आधार बढ़ाना आदि।

केरल में रबड़ पर आधारित उद्योगों की स्थापना

8645. **प्रो. पी. जे. कुरियनः** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की केरल में केन्द्रीय क्षेत्र में रबड़ पर आधारित उद्योगों की स्थापना करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस तरह का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रबड़ के बागान

8646. **प्रो. पी. जे. कुरियन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रबड़ बोर्ड ने रबड़ बागान विकास योजना के अन्तर्गत नए पेड़ लगाने और पुनरोंपण के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि निर्धारित की है; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितने एकड़ अधिक भूमि में रबड़ के बागान लगाये जायेंगे ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) तथा (ख) सातवीं योजना में नए रोपण तथा पुनरोपण पर उपदान के लिए 38 करोड़ रु. का प्रबन्ध किया गया है। यह आशा की जाती है कि सातवीं योजना में छठी योजना के दौरान हुए कार्य की तुलना में अधिक प्रगति होगी।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रबड़ का उत्पादन

8647. **प्रो. पी. जे. कुरियन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्रति हैक्टेयर रबड़ का उत्पादन कितना है और उसकी उत्पादन लागत क्या है;

(ख) क्या प्रति हैक्टेयर उपज को बढ़ाने तथा उसकी उत्पादन लागत कम करने हेतु कोई उपाय किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक रबड़ के उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए कोई भावी योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रयोजन के लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) (क) प्रति हैक्टर पैदावार स्थान-स्थान पर भिन्न होती है। 1984-85 के दौरान रबड़ की प्रति हैक्टर औसत पैदा-वार 886 कि. ग्रा. थी। रबड़ बोर्ड के अनुमानों के अनुसार खेती की लागत 18,800 रु. से 27700 रु. प्रति हेक्टर के बीच है।

(ख) जी हां। नए उच्च पैदावार वाले क्लोन विकसित किए गए हैं; पुनरोपण तथा अन्य आवश्यक अन्तर्निविष्ठ साधनों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) रबड़ के पौधे के विकास की 7 वर्ष लम्बी अपरिपक्वता अवधि को देखते हुए सातवीं योजनावधि के दौरान आत्म निर्भर होना सम्भव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सातवीं योजना में रबड़ के लिए अनुमोदित परिव्यय 53.40 करोड़ रु. का है।

"रसिका" फल के रस का प्रचार

8648. **प्रो. पी. जे. कुरियन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "रसिका" फल रस के प्रचार के लिए वर्ष 1985-86 में कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) प्रचार माध्यमों पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) वर्ष 1986-87 में इसके प्रचार हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) क्या यह सच है कि दूरदर्शन, आकाशवाणी आदि पर इस फल रस का प्रचार रोक दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पांजा) (क) से (ग) माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड ने 1985-86 के दौरान "रसिका" फल पेयों के प्रचार पर 4.76 लाख रुपये खर्च किए हैं जबकि उस वर्ष के लिए 5.0 लाख रुपये का आबटन किया गया था। वर्ष 1986-87 के लिए कम्पनी ने 7.0 लाख रुपये आबंटित किए हैं।

(घ) और (ङ.) यद्यपि "रसिका" फल पेयों का प्रचार किसी न किसी रूप में लगभग सारा साल किया जाता है, किन्तु दूरदर्शन के माध्यम से गर्मियों के महीनों के दौरान ही प्रचार किया जाता है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्य-निष्पादन

8649. **श्री एन. डेनिस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक को पता लगा है कि वर्ष 1985-86 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्य-निष्पादन प्रोत्साहजनक नहीं रहा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रबंध व्यवस्था निदेशक मण्डल के रूप में केवल अधिकारियों द्वारा चलाई जाती है; और

(घ) इन बैंकों के लिए पूर्ण निदेशक मण्डलों का गठन करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि वर्ष 1985 में राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्य-निष्पादन संतोषजनक रहा है।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970 और 1980 में, राष्ट्रीकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों में केन्द्रीय सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के सरकारी प्रतिनिधियों के अलावा, गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति का भी प्रावधान है। राष्ट्रीयकरण की योजनाओं के उपबंधों के अनुसार ऐसे गैर-सरकारी निदेशकों के संबंध में, जिन्होंने तीन वर्ष का अपना कार्य-काल पूरा कर लिया था, तीन वर्ष की अवधि पूरी कर लेने की तारीख से निदेशक न रहने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। लेकिन जिन छः गैर सरकारी निदेशकों ने तीन वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है, वे अपने-अपने बैंकों के निदेशक-मण्डलों में काम कर रहे हैं। इन खाली पदों पर उपयुक्त व्यक्तियों के चयन की प्रक्रिया चल रही है।

उद्योगपतियों और कृषकों को ऋण देने के मानदण्ड

8650. **श्री एन. डेनिस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा उद्योगपतियों तथा कृषकों को ऋण देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या मानदन्ड निर्धारित किये गए हैं;

(ख) क्या सहकारी बैंकों तथा अनुसूचित बैंकों द्वारा ऋण देते समय औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में कृषि भूमि की लागत बहुत कम आंकी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ऋण मंजूर करते समय बैंकों को ऋणकर्ताओं द्वारा शुरू की जाने वाली प्रस्तावित परि-योजना की अर्थक्षमता और तकनीकी व्यवहार्यता के संबंध में अपने आपको संतुष्ट करना होता है। कृषकों या उद्योगपतियों को ऋण देने के मानदण्डों में कोई अन्तर नही है।

(ख) और (ग) जमीन की कीमत सामान्यतया बाजार भाव के आधार पर आंकी जाती है और इस संबध में कृषि भूमि और औद्योगिक क्षेत्र की भूमि में कोइ भेद नही किया जाता है।

कपड़े का उत्पादन और निर्यात

8651. **श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव** :
श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कुल कितने मूल्य के कपड़े का उत्पादन हुआ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश से प्रतिवर्ष कितने मूल्य के कपड़े का निर्यात किया गया और कुल उत्पादन की तुलना में इसकी प्रतिशतता क्या है;

(ग) क्या कपड़े के कारगर निर्यात और उत्पादन के लिए तथा कपड़ा मिलों में प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण के लिए सरकार की कोई योजना है ?

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) क्या कपड़े के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा कोई भूमिका निभाई जा रही है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) तथा (ख) गत तीन वर्षों में वस्त्रों के उत्पादन, निर्यातों के कुल मूल्य और देश में वस्त्रों के कुल उत्पादन में उसकी प्रतिशतता का ब्योरा इस प्रकार है :—

वर्ष	उत्पादन (एम. मीटर)	उत्पादन का मूल्य (करोड़ रु.)	निर्यात (करोड़ रु.)	उत्पादन में निर्यात की प्रतिशतता
1982-83	11,758	8643.50	1118.50	12.94
1983-84	12,014	10530.08	1225.80	11.64
1984-85	12,366	11052.59	1642.45	14.86

(ग) तथा (घ) सरकार ने वस्त्रों और वस्त्र उत्पादों के निर्यात बढ़ाने के लिए व्यावहारिक तथा उदार नीति ढांचे की व्यवस्था की है। कुछ महत्वपूर्ण उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. वस्त्र निर्यात हकदारी वितरण नीति को लोचशील ढंग से तैयार करना और उसका संचालन करना।

2. नकद मुआवजा सहायता योजना।

3. विभिन्न अन्तर्निविष्ट साधनों और कच्चे माल के आयात के लिए आयात नीति को उदार बनाना।

4. शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों तथा मुक्त व्यापार जोनों में एककों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाता है।

5. संवर्धनात्मक कार्यकलापों के प्रायोजन और वित्त व्यवस्था के लिए उदार सहायता।

वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने वस्त्र नीति 1985 में व्यवस्था किए गए रूप में कई उपाय किए हैं। इन में से कुछ इस प्रकार हैं (1) आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय स्तर की स्थायी सलाहकार समिति की स्थापना। (2) वस्त्र मशीनरी विनिर्माण उद्योग को प्रोत्साहन, (3) उच्च प्रौद्योगिकी की मशीनरी के आयात की अनुमति देना।

(ङ) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के उत्पादों का निर्यात बढ़ता रहा है। 1982-83 में 10.54 करोड़ रु. के निर्यातों की तुलना में 1984-85 में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के उत्पादों के निर्यात

29.57 करोड़ रु. के हुए। 1985-86 (अप्रैल-नवम्बर 1985) में निर्यात 25.89 करोड़ रु. के हुए।

तम्बाकू के निर्यात में गिरावट

8652. श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव :
श्री एम. रघुमा रेड्डी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे तम्बाकू के निर्यात में न केवल ब्राजील और जिम्बाबे से प्रतिस्पर्दा के कारण बल्कि कम्पनियों के एक समूह द्वारा कुछ वर्ष पहले चीन को घटिया किस्म के तम्बाकू का निर्यात किए जाने के कारण भी गिरावट आई हैं;

(ख) क्या कम्पनियों के इसी समूह द्वारा वर्ष 1984 और 1985 में सोवियत रूस को निर्यात किये गए तम्बाकू की किस्म के सम्बन्ध में कोई दावे किये गए हैं;

(ग) यदि हां, तो दोषी कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध कितनी राशि के दावे, वर्ष-वार, लम्बित पड़े हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) अन्य कारणों में क्वालिटी शिकायतों के कारण चीन को निर्यातों में कमी आई।

(ख) जी नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर सीमा-शुल्क विभाग के अधिकारियों द्वारा जब्त किया गया सामान

8653. श्री वक्कल पुरुषोत्तमन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर सीमा-शुल्क विभाग के अधिकारियों द्वारा जब्त किए गए सामान का अनुमानित मूल्य कितना है; और

(ख) ऐसे सामान के निपटान के लिए सीमा-शुल्क विभाग द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्ष 1985-86 के दौरान, त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर 2.69 करोड़ रुपये मूल्य का निषिद्ध माल जब्त किया गया था।

(ख) निपटान के लिए तैयार जब्त उपभोक्ता माल (न्यायनिर्णयन अपील की कार्रवाई पूरा होने के पश्चात्) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, राज्य सिविल आपूर्ति निगमों, राज्य

सहकारी संघों, केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित तथा सहकारी समिति अधिनियम के तहत विधिवत् पंजीकृत सहकारी समितियों, सैनिक/अर्ध-सैनिक, पुलिस कैन्टीनों, विभागीय खुदरा दुकानों आदि के माध्यम से जनता को बेचा जाता है। सोना और चांदी भारत सरकार की टकसाल में जमा करा दिया जाता हैं। भारतीय मुद्रा और विदेशी मुद्रा और विदेशी मुद्रा रिजर्व बैंक में जमा करा दी जाती है।

समेकित जनजातीय विकास परियोजना क्षेत्रों में ग्रामीण रियायती दामों पर खाद्यान्नों का वितरण

8654. **श्री बक्कल पक्खोसमन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

समेकित जनजातीय विकास परियोजना क्षेत्रों में ग्रामीण परिवारों को रियायती दरों पर खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए केरल को कितना गेहूं तथा अन्य सहायता दी गई ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए.के. पांजा) : समन्वित आदिवासी विकान परियोजना क्षेत्रों में विशेष सहायता प्राप्त दरों पर वितरित करने के लिए भारतीय खाद्य निएम द्वारा केरल सरकार को पहली दिसम्बर, 1985 से 15 अप्रैल, 1986 तक की अवधि के दौरान 1887 मीटरी टन गेहूं और 16227 मीटरी टन चावल की मात्रा जारी की गई है। इस योजना के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम विशेष निर्गम मूल्यों पर खाद्यान्नों की आपूर्ति करता है, जोकि गेहूं के मामले में 125 रुपये क्विटल और साधारण चावल के मामले में 160 रुपये प्रति क्विटल है तथा राज्य सरकार इन्हें उपभोक्ताओं को गेहूं 1.0 रुपए प्रति के मूल्य पर और साधारण चावल 185 रुपये प्रति क्विटल के मूल्य पर वितरित करती है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा सहकारी क्षेत्र की सहायता

8655. **श्री सुभाष यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से सम्बद्ध समूचे वित्तीय संस्थानों (ए.एफ.आई.) द्वारा संचयी ऋण स्वीकृतियों में सहकारी क्षेत्र का कितना अंश प्राप्त है और उसको कम अंश प्राप्त होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का विचार (ए.एफ.आई.) सहकारी क्षेत्र को समुचित स्तर तक धनराशि उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध करने का हैं;

(ग) क्या यह सच है कि सहकारी क्षेत्र को सहायता देने में ए.एफ.आई. के ढुलमुल दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है;

(घ) क्या यह सच है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक राष्ट्रीय सहकारी विकास कोआपरेशन को एक समूचा वित्तीय संस्थान (ए.एफ.आई.) न मान कर इसके साथ उपयुक्त व्यवहार नहीं कर रहा है;

(ङ) क्या सरकार का इस सम्बन्ध में कोइ कार्यवाही करने का विचार है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि मार्च 1985 के अन्त तक सभी वित्तीय संस्थाओं को मजूर की गई कुल सहायता की राशि 998.1 करोड़ रुपये थी जो इन संस्थाओं द्वारा स्वीकृत कुल सहायता का 3.9 प्रतिशत बैठती है।

(ख) से (घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सहकारी क्षेत्र में लगाए जाने वाले अर्थक्षम एककों को वित्तीय सहायता दे रहे हैं। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं की राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के साथ मिलकर औद्योगिक कम्पनियों को ऋण देने की कोई व्यवस्था नहीं है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के निदेशक मण्डल में औद्योगिक सहकारी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व

8656. **श्री सुभाष यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम में औद्योगिक सहकारी संस्थाओं के एक प्रतिनिधि को इस बैंक के निदेशक मण्डल में सम्मिलित करने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के निदेशक मण्डल में, इस बैंक की स्थापना के समय से ही औद्योगिक सहकारी संस्थाओं से सम्बद्ध किसी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है;

(ग) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के निदेशक मण्डल में औद्योगिक सहकारी संस्थाओं से एक प्रतिनिधि को नियुक्त करने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) से (घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 के उपबंधों के अनुसार, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के निदेशक मण्डल में औद्योगिक सहकारी समितियों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष रूप से कोई स्थान नहीं रखा गया है। उक्त अधिनियम की धारा 6(1)(ग)(V) में यह व्यवस्था की गई है कि "कम से कम से कम पांच ऐसे निदेशक होंगे जिन्हें विज्ञान, टेक्नालोजी, अर्थशास्त्र, उद्योग, औद्योगिक सहकारी समितियां, कानून, औद्योगिक वित्त, निवेश, लेखापालन, विपणन अथवा किसी अन्य विषय में विशेष ज्ञान और व्यावसायिक अनुभव हो और केन्द्रीय सरकार की दृष्टि में उनका विशेष ज्ञान और व्यावसायिक अनुभव, विकास बैंक के लिए लाभप्रद हो।"

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के निदेशक मण्डल में मनोनयन के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन करते समय अधिनियम में उल्लिखित सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों पर विचार किया जाता है।

कला, शिक्षा अथवा सांस्कृतिक गतिविधियों संबंधी अनुसंधान कार्यों के लिए दिए गए दान की राशि के लिए कटौती

8657. **प्रो. के. वी. थामस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कला, शिक्षा अथवा सांस्कृतिक गतिविधियों संबंधी अनुसंधान कार्य को आय कर अधिनियम की धारा 35 में शामिल करके, इसके लिए दिए गए दान की राशि पर शत-प्रतिशत कटौती अथवा कर में छूट देने हेतु इसमें संशोधन करने का सरकार का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी नहीं। इन रूपरेखाओं पर आयकर अधिनियम की धारा 35 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उक्त धारा में, अन्त बातों के साथ-साथ, कोई ऐसी राशि जो बराबर के ऐसे वर्ग, के जो चलाया जा रहा हो, अनुसंधान के लिए प्रयुक्त किए जाने के लिए किसी ऐसे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्था है जो विहित प्राधिकारी द्वारा इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए तत्समय अनुमोदित है, सदित्त की गई हो, कटौती की पहले ही अनुमति दी गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

लक्षद्वीप द्वीपसमूह में पर्यटन को बढ़ाने का प्रस्ताव

8658. **प्रो. के. वी. थामस** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्षद्वीप द्वीपसमूह में पर्यटन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ख) क्या इस द्वीपसमूह में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोचीन और लक्षद्वीप के बीच हेलीकाप्टर सेवा आरम्भ करने का विचार है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) परिस्थिति और पर्यावरण संबंधी तथ्यों और आधार-संरचना की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सरकार का लक्षद्वीप द्वीपसमूह में पर्यटन का संवर्धन करने का प्रस्ताव है।

(ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

टैक्सी के रूप में चलाने हेतु नई कारें खरीदने के लिए ऋण

8659. **प्रो. के. वी. थामस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि बीजक मूल्य की 25 प्रतिशत राशि अन्तर राशि के रूप में जमा करवाने के बाद भी केरल में राष्ट्रीयकृत बैंक टैक्सी के रूप में प्रयोग करने के लिए नई कारें खरीदने हेतु ऋण देने से इन्कार करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने वाहनों के लिए ऋण न देने के बारे में कोई निदेश जारी किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे कोचीन टैक्सी आपरेटर्स एसोसिएशन, कोचीन से दिनांक 7 नवम्बर, 1985 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लिए जाने वाले ब्याज की दर को घटाकर 6 प्रतिशत वार्षिक करने के अनुरोध के अलावा इस अभ्यावेदन में टैक्सी के प्रयोजन के लिए नई कारें लेने के वास्ते कई राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण देने से इनकार करने का प्रश्न भी उठाया गया था चाहे टैक्सी चालक मार्जिन मनी के रूप में बीजक मूल्य के 25 प्रतिशत के बराबर राशि देने के लिए तैयार हों।

भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसोसिएशन को बताया है कि अधिक से अधिक 6 वाहनों के फ्लाट के मालिक, जिसमें वित्त पोषित किया जाने वाला प्रस्तावित एक वाहन भी शामिल है छोटे सड़क परिवहन चालक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत आते है। तदनुसार, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऐसे ऋण कर्ताओं को मजूर किए जाने वाले अग्रिमों के संबंध में दो वाहनों तक 12.5 प्रतिशत वार्षिक और दो से अधिक वाहनो पर 15 प्रतिशत वार्षिक की रियायती दर पर ब्याज लिया जाता है। जहां तक टैक्सी के प्रयोजनों के लिए नई कारें लेने का सवाल है, एसोसिएशन से भारतीय रिजर्व बैंक ने त्रिवेन्द्रम स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से पूरे ब्यौरे सहित उन विशिष्ट मामलों के साथ संपर्क करने के लिए कहा गया है जिनमें ऋण देने से इन्कार किया गया हो ताकि बैंक उन मामलों की जांच कर सके।

विदेशों की और देश की सेवाओं संबंधी नियमों में परिवर्तन

8660. **श्री चिन्त महाता :**

श्रीमती ऊषा चौधरी :

श्री बलवंतराव गडाख पाटिल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रक्षित बैंक ने विदेश की पड़ोस की यात्रा सेवाओं के लिए दो वर्षों में एक बार का प्रावधान संबंधित नियमों में परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) अब तक ये नियम किस सीमा तक लागू किए गए है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) 6 अप्रैल, 1986 तक विदेश यात्रा योजना के अंतर्गत, भारतीय निवासी दो कैलेन्डर वर्षों में एक बार विदेश यात्रा करने के पात्र थे और उन्हें नेपाल और भूटान की यात्रा को छोड़ कर अन्य देशों की यात्रा के लिए प्रति व्यक्ति 500/- अमेरिकी डालर के बराबर की विदेशी मुद्रा लेने का अधिकार दिया गया था। इसी प्रकार पड़ोसी देशों की यात्रा योजना के अंतर्गत, भारतीय निवासी पड़ोसी देशों

के ग्रुप (अर्थात् बांगलादेश, बर्मा, मलएशिया, मालद्वीप द्वीप समूह, मारीशस, पाकिस्तान, सेषिल्स द्वीप समूह और श्री लंका) में से किसी भी देश की दो वर्ष में एक बार यात्रा करने के पात्र थे और उन्हें प्रति व्यक्ति 250/- अमेरिकी डालर के बराबर विदेशी मुद्रा लेने का अधिकार दिया गया था।

इस योजना के क्रियान्वयन में प्राप्त अनुभव के आधार पर, विदेश यात्रा योजना और पड़ोसी देशों की यात्रा योजना में 7 अप्रैल, 1986 से निम्नलिखित परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है :—

(I) विदेश यात्रा योजना तथा पड़ोसी देशों की यात्रा योजना की सुविधा दो वर्ष में एक बार की बजाए तीन वर्ष में एक बार उपलब्ध होगी। कोई भी निवासी जिसने पूर्ववर्ती दो कैलेन्डर वर्षों के आरंभ होने से अब तक इस योजना के अन्तर्गत किसी देश की यात्रा न की हो तो वह विदेश यात्रा योजना के अन्तर्गत यात्रा करने का पात्र है।

पड़ोसी देशों की यात्रा योजना के अन्तर्गत अब तीन कैलेण्डर वर्षों के खण्ड में यात्रा की अनुमति दी जाएगी, अर्थात् पहले तीन वर्षों का खण्ड जनवरी, 1985 से 31 दिसम्बर, 19 7 तक होगा और इसके बाद दूसरा खण्ड पहली जनवरी, 1988 से 31 दिसंबर, 1990 तक होगा और यह क्रम ऐसा ही चलता रहेगा।

(II) विदेश यात्रा योजना और पड़ोसी देश यात्रा योजना परस्पर विभिन्न होंगी, दूसरे अर्थों में जब यात्रा विनिर्दिष्ट पड़ोसी देशों के समूह के देशों में की जाती है, तो यात्री केवल पड़ोसी देश यात्रा योजना के अधीन विदेशी मुद्रा के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे न कि विदेश यात्रा योजना के अन्तर्गत। तथापि, यदि कोई यात्री विदेश यात्रा योजना के अधीन आने वाले देशों पर यात्रा के लिए जाते हुए मार्ग में पड़ोसी देश यात्रा योजना समूह के देश/देशों में जाना चाहे, वह केवल विदेशी यात्रा योजना के अन्तर्गत ही विदेशी मुद्रा पाने का पात्र होगा। विदेशी मुद्रा लेने के लिए विदेशी यात्रा योजना और पड़ोसी देश यात्रा योजना को जोड़ लेना अनुमत्य नहीं होगा।

(III) 12 वर्ष की आयु वाले नाबालिग बच्चे विदेशी यात्रा योजना/पड़ोसी देश यात्रा योजना के सामान्य कोटा के आधे के बराबर विदेशी मुद्रा लेने के पात्र होंगे, अर्थात विदेशी यात्रा योजना के मामले में 250 अमरीकी डालर या उसका समकक्ष और पड़ोसी देश यात्रा योजना के मामलों में 125 डालर या उसके समकक्ष राशि।

पास्पोर्ट के खो जाने या नष्ट हो जाने के मामलों में, इसका नाजायज फायदा उठाने को रोकने के लिए अब यह निर्णय लिया गया है कि संबंधित तीन वर्षों के खण्ड की अवधि में स्कीम के अन्तर्गत यात्रा के लिए नवीकृत पास्पोर्ट धारक को विदेशी मुद्रा की पात्रता का निर्धारण करने के लिए पुराना पास्पोर्ट दिखाना आवश्यक होगा और यदि वह पुराना पास्पोर्ट दिखाने में असमर्थ है तो वह इस

स्कीम के अन्तर्गत नये वर्तमान पासपोर्ट को जारी किए जाने से दो कैलेण्डर वर्ष पूरे करने पर ही विदेशी मुद्रा लेने के पात्र होगा। इसके अतिरिक्त इस बात पर पुनः जोर दिया गया है कि प्राधिकृत डीलरों और पूर्णकालिक मुद्रा बदलने वालों के लिए यह अति आवश्यक है कि विदेशी यात्रा योजना/पड़ोसी देश यात्रा योजना के अधीन विदेशी मुद्रा विक्रय के मामले में यात्री की व्यक्तिगत उपस्थिति और पहचान को सुनिश्चित करें, यह इस बात को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि विदेशी मुद्रा केवल वास्तविक यात्रियों को बेची जाए और उन्हें प्राप्त विदेशी मुद्रा के सही इस्तेमाल और लेखे जोखे के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाए।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में अफीम का उत्पादन

8661. **श्री हरीश रावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश 1984-85 के दौरान कुल कितने हेक्टेयर भूमि में अफीम की खेती हुई और अनुमानित कितने मूल्य की अफीम का उत्पादन हुआ;

(ख) क्या चालू वर्ष में उक्त राज्य में अफीम की खेती करने के लिए लोगों को निरुत्साहित किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1984-85 के दौरान कुल 5,697 हेक्टेयर में अफीम पोस्त की खेती की गई थी और पैदा की गई अफीम के लिए काश्तकारों को लगभग 3.17 करोड़ रु. की कीमत अदा की गई थी।

(ख) और (ग) भारत में अफीम का उत्पादन मूलतः निर्यातोन्मुखी है। विश्वभर में व्यापक कच्ची सामग्री की अत्यधिक सप्लाई की वजह से, भारतीय अफीम को वैकल्पिक कच्ची सामग्री और खासकर पोस्त की भूसी के सांद्र से अधिकाधिक मुकाबला करना पड़ रहा है। इसके कारण सरकारी कारखानों में बड़ा स्टाक जमा हो गया है। अतः सरकार को पोस्त की काश्त करने वाले तीन राज्यों में, जिनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, पिछले तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से पोस्त की काश्त के रकबे को कम करने के लिए बाध्य होना पड़ा है।

बलूत के वृक्षों पर पले रेशम के कीड़ों से रेशम तैयार करना

8662. **श्री हरीश रावत** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बलूत के वृक्षों पर पले रेशम के कीड़ों से बढ़िया किस्म का रेशम तैयार किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बलूत के वृक्ष बड़ी संख्या में कुदरती तौर पर उगते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र में वाणिज्यिक दृष्टि से रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिए बलूत के बागानों को बढ़ावा देने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा कोई विशेष योजना तैयार की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो इस योजना का ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां, । विश्व के कुछ देशों में यह स्थिति है ।

(ख) से (ङ) केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा भीमताल में एक क्षेत्रीय टसर अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया गया है । इस केन्द्र को आसपास के क्षेत्रों में ओक बागान के फैलाव का मूल्यांकन करने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण कार्य करने का काम सौंपा गया है । इसके अतिरिक्त, अनुसंधान केन्द्र ओक टसर रेशम कीट उत्पादन में अद्यतन प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण दे रहा है और वाणिज्यिक आधार पर ओक टसर रेशम का उत्पादन करने के लिए राज्य रेशम उत्पादन विभाग के प्रयासों का समर्थन दे रहा है ।

[अनुवाद]

उड़ीसा में और अधिक बस-डिवीजनों की स्थापना के लिए धनराशि

8663. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में और अधिक बस डिवीजनों की स्थापना करने हेतु धनराशि के लिए आठवें वित्त आयोग के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन सब डिवीजनों के नाम क्या हैं और सरकार ने इस संबध में क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार ने आठवें वित्त आयोग को भेजे गए अपने ज्ञापन में राज्य 8 और उप-मंडल स्थापित करने के लिए सहायता मांगी है, तथापि उनके स्थान का उल्लेख नहीं किया गया था ।

आठवें वित्त आयोग ने इस प्रयोजन के लिए कोई सहायता अनुदान देने की सिफारिश नहीं की ।

स्वर्ण आभूषण व्यापार पर नियंत्रण

8664 **श्री बी. तुलसी राम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार काले धन को बाहर निकालने की दृष्टि से देश में स्वर्ण आभूषण व्यापार पर नियंत्रण लगाने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम में कतिपय संशोधन करने का भी विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह संशोधन कल तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है; और

(ङ) देश में काले धन को निकलवाने में ऐसे नए उपायों से कितनी सहायता मिलने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकार के पास इस तरह के कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

चार्य समिति का प्रतिवेदन

8665. **श्री वी. तुलसीराम :**
डा. टी. कल्पना देवी :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूंगफली के तेलों में सोयाबीन का तेल मिलाकर उसे सीधे मानव उपयोग के लिए बनाने और बेचने की अनुमति सरकार ने दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) डा. के. टो. चार्य समिति का प्रतिवेदन कब तक कार्यान्वित किए जाने की आशा है ?

योजना, मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) जी हां।

(ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 6 दिसम्बर 1985 को एक अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 892 (ई) जारी की गई है, जिसमें सोयाबीन के तेल (परिष्कृत) के साथ मूंगफली के तेल का सम्मिश्रण बनाने और बेचने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन दी गई है :—

(1) सम्मिश्रण में मूंगफली के तेल का अनुपात वजन में 20 प्रतिशत से कम नहीं है;

(2) सम्मिश्रण का संसाधन और विक्रय भारत सरकार के नागरिक पूर्ति विभाग या उस विभाग के प्राधिकृत अभिकरणों और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को तिलहनों तथा वनस्पति तेल परियोजनाओं के अन्तर्गत स्थापित राज्य सरकारी तिलहन

उत्पादक संघ द्वारा तोल में 5 कि. ग्रा. से अनधिक तथा उपयुक्त लेबल घोषणा लगे सीलबन्द पैकेजों में किया जाता है;

(3) सम्मिश्रण में प्रयुक्त सोयाबीन (परिष्कृत) और मूंगफली के तेल की क्वालिटी खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है।

(ग) इस बारे में अध्ययन किए गए हैं। इनसे सम्मिश्रित तेलों की अनुरक्षण किस्म में सुधार होने का पता चला है। उपभोक्ता स्वीकृति भी संतोषजनक पाई गई है।

(घ) तेलों के सम्मिश्रण के बारे में इस प्रकार की कोई समिति नहीं है।

[हिन्दी]

भारत-सोवियत व्यापार

8666. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ वर्षों के दौरान भारत तथा सोवियत संघ के बीच आर्थिक सहयोग तथा निर्यात/आयात व्यापार के क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि हुई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत ने वर्ष 1986 में सोवियत संघ को 2,500 करोड़ रुपये के मूल्य का निर्यात किया है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1986-87 के दौरान निर्यात बढ़ाने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं और इस सम्बन्ध में सोवियत संघ की प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) क्या सरकार का चालू वित्तीय और आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सोवियत संघ आयात निर्यात व्यापार में कुछ गैर-पारम्परिक वस्तुयें जोड़ने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) से (ङ) जी हां। 1981-85 की पांच वर्ष की अवधि में दोनों देशों के बीच व्यापार कारोबार की मात्रा में पिछली पांच वर्ष की तुलना में ढाई गुने से अधिक वृद्धि हुई। उपलब्ध अनंतिम आंकड़ों के अनुसार 1985 के दौरान सोवियत संघ को भारत के निर्यातों का मूल्य 2200 करोड़ रु. से अधिक है। सोवियत संघ के प्राधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से यह कार्यक्रम बनाया गया है कि 1986-90 के वर्षों में निर्यात और आयात दोनों ही उत्तरोत्तर बढ़ेंगे ताकि 1986-90 की पांच वर्ष की अवधि में व्यापार कारोबार की मात्रा 1981-85 में प्राप्त कारोबार की तुलना में डेढ़ गुने से लेकर दो गुना अधिक होगी।

सोवियत संघ को भारत के निर्यात के ढांचे में काफी विविधीकरण हुआ है। कवर की गई नई मदों में विभिन्न विनिर्मित तथा मूल्यवर्धित मदों और साथ ही इन्जीनियरी में शामिल हैं जैसे जूट का सजावटी सामान, खाद्य संसाधन तथा डेरी उपस्कर, दूर संचार उपस्कर और समुद्री उपस्कर। इसी प्रकार सोवियत संघ के आयात में विविधता लाने के प्रयास किए गए हैं और नई

मशीनरी मदें एवं तरल अमोनियां और मैथानोल, पोलीथिलीन आदि जैसी वस्तुएं शामिल की गई हैं।

[अनुवाद]

उपभोक्ता वस्तुओं में मिलावट और उनकी माप-तोल के दोषयुक्त बाट

8667. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने या किसी अन्य पंजीकृत संस्था ने यह जानने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है कि दोषयुक्त माप-तौल के जरिए भारतीय उपभोक्ता के साथ किस हद तक धोखा किया जाता है।

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के क्या परिणाम हैं; और

(ग) खाद्य सामग्री, उर्वरकों जैसी विभिन्न वस्तुओं इत्यादि में मिलावट रोकने और माप तोल के दोषयुक्त बाटों के प्रचलन को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और उर्वरक (नियंत्रण) आदेश खाद्य पदार्थों और उर्वरकों में मिलावट रोकने के लिए लागू हैं। दोषयुक्त बाटों तथा मापों के प्रचलन को रोकने के लिए राज्यों के बाट तथा माप (प्रवर्तन) अधिनियमों के उपबन्धों के अनुसार अवधिक सत्यापन और अचानक निरीक्षण किये जाते हैं। राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जो इन कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं, को समय-समय पर सलाह दी जाती है कि वे उन्हें कड़ाई से लागू करने हेतु उपयुक्त उपाय करें। इसके अलावा, देश में मजबूत उपभोक्ता संरक्षण आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

आन्ध्र प्रदेश में जाली करेंसी नोटों का छपना

8668. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश के गुण्टूर, प्रकाशन, नेल्लौर और चित्तूर जिलों में जाली करेंसी नोट छापने का गैर-कानूनी धंधा बेरोक-टोक चल रहा है तथा इसका मुख्य अड्डा गुण्टूर जिले के चिलकालूरीपेट नामक स्थान में है;

(ख) क्या यह सच है कि इस क्षेत्र के कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस गैर-कानूनी धंधे में शामिल हैं;

(ग) क्या इस गैर-कानूनी धंधे के बारे में कोई जांच की गई है और राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अनुदेश दिए गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) आन्ध्र प्रदेश पुलिस ने अब तक केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों को ऐसे किसी मामले के सम्बन्ध में सुचित नहीं किया जिसमें जाली करेंसी नौटों की छपाई शामिल हो।

(ख) से (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु पांच तारा होटलों के निर्माण के लिए कार्यक्रम

8670. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने विदेशों से पर्यटकों के आवागमन को आकर्षित करने हेतु छठी पचवर्षीय योजना के दौरान अपने पांच तारा होटलों के निर्माण करने हेतु महत्व-कांक्षी कार्यक्रम आरम्भ किया है;

(ख) ऐसे कितने होटल स्वीकृत किए गये हैं और उनके निर्माण में क्या प्रगति हुई है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन होटल परियोजनाओं पर भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा अब तक कुल कितना खर्च किया गया है; और

(घ) ऐसे होटलों के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करने पर कितना खर्च किये जाने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) और (ख) छठी योजना के दौरान, भारत पर्यटन विकास निगम ने केवल एक 5-स्टार होटल का निर्माण प्रारम्भ किया था जो नवम्बर 1982 में चालू हो गया था।

(ग) और (घ) छठी योजना के दौरान, इस होटल परियोजना पर कुल 19.18 करोड़ रु. खर्च किए गये। सातवीं योजना के दौरान, छोटे-मोटे कार्य करने, बकाया बिलों का निपटान करने, आदि पर 26 लाख रु. खर्च करने का अनुमान है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा गेहूं तथा गैर-बासमती चावल का निर्यात

8671. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम का विचार विश्व बाजार में गेहूं तथा गैर-बासमती चावल बेचने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने गेहूं और गैर-बासमती चावल का यदि कोई न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया है तो क्या;

(ग) गेहूं और गैर-बासमती चावल के पता लगाये गये बाजारों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 1985-86 के दौरान गेहूं तथा गैर-बासमती चावल की कितनी मात्रा का निर्यात किये जाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : जी हां

(ख) गेहूं का निर्यात चल रही अन्तर्राष्ट्रीय कीमत पर होगा और इस प्रकार कोई न्यूनतम निर्यात कीमत नहीं है। गैर-बासमती चावल का निर्यात 4000 रु. प्रति मैं. टन एफ. ओ. बी. की न्यूनतम निर्यात कीमत के अध्यधीन होता है।

(ग) समय-समय पर बाजारों का पता लगाना एक सतत प्रक्रिया है और इसमें स्थान संबधी लाभ सप्लाई और मांग स्थिति में मौसमी अन्तर, आदि बातों को ध्यान में रखा जाता है।

(घ) 1985-86 के दौरान राज्य व्यापार निगम ने गेहूं तथा गैर-बासमती चावल का निर्यात नहीं किया है।

राज्य व्यापार निगम के निर्यात लक्ष्य में कमी

8672. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम द्वारा वर्ष 1985-86 में कितना निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इस सम्बन्ध में वास्तविक निष्पादन क्या था;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम के निर्यात निष्पादन में तेजी से कमी हुई है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1985-86 के दौरान राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किये गये आयात का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) से (ग) एस. टी. सी. ने 1985-86 के लिए सीधे निर्यातों के लिए 329 करोड़ रु. का लक्ष्य निर्धारित किया। इस लक्ष्य के आधार पर वास्तविक निष्पादन 277 करोड़ रु. (अनन्तिम) है।

(घ) 1985-86 में एस. टी. सी. के आयात 2131 करोड़ रु. (अनन्तिम) बैठते हैं। आयात की प्रमुख मदें थीं खाद्य तेल, चीनी, अखबारी, कागज, रसायन, प्राकृतिक रबड़, बसा अम्ल, सीमेंट, औषधियां आदि ।

इमारती लकड़ी का निर्यात

8673. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देश भारत से इमारती लकड़ी आयात करते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन देशों के नाम क्या है ?

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन देशों को इमारती लकड़ी की कुल कितनी मात्रा का निर्यात किया गया; और

(घ) वर्ष-वार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) से (घ) लट्ठों तथा चिरे हुए रूप में सभी प्रकार की लकड़ी तथा इमारती लकड़ी के निर्यात पर 27.5,80 से रोक है। तथापि, निर्यात नीति में ढील से कुछ निर्यातों को अनुमति दी गई हैं। मुख्य नियंत्रक आयात तथा निर्यात द्वारा पत्तन लाइसेंसिंग अधिकारियों को निर्यात लाइसेंस जारी करने के लिए जारी किए गए अनुदेशों के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण सलग्न है।

विवरण

क्र. सं.	देश	मात्रा तथा	मूल्य	पत्तन लाइसेंसिंग कार्यालयों को जारी किए गए अनुदेश
1	2	3	4	5
1.	जापान	भारतीय शीशम तोकोबेसहिरा के 164 अदद	29478 अमरीकी डालर	9.2.83
2.	स्वीडन	500 कि ग्रा. गन्ध सफेदा/कीकट इमारती किस्म का लकड़ी	250/- रु.	16.9.83
3.	हमवर्ग	200 कि ग्रा. गन्ध सफेद/कीकट इमारती किस्म की लकड़ी	100/- रु.	23.2.84
4.	कुवैत	100 एम. टी. सागौन की लकड़ी	8,37,500/- रु. पोत पर्यन्त निशुल्क	30.5.84

1	2	3	4	5
5.	स्वीडन	20 घन मीटर टीक लकड़ी	1,20,000/- रु. पोत पर्यन्त निःशुल्क	7.5.85
6.	दुबई	1625 टीक लकड़ी के खम्भ	1,48,000/- रु. पोत पर्यन्त निःशुल्क	3.12.85
7.	कुवैत	100 एम. टी. टीक लकड़ी	9,56,250/- रु. पोत पर्यन्त निःशुल्क	4.2.86
8.	सिंगापुर	2 एम. टी. चन्दन लकड़ी गोल टुकड़ों के रूप में	1,56,507/- रु. बीमा भाड़ा सहित लागत	6.2.86

सिंथेटिक फाइबर का आयात और कपड़ा उद्योग पर इसका प्रभाव

8674. **श्री एन. वेंकट रत्नम** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान हमारे देश में कितना सिंथेटिक फाइबर आयात किया गया है और हमारे कपास व्यापार और कपडा उद्योग पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या एक लाख टन जाइलीन और एक लाख तीस हजार टन पी. टी. ओ का उत्पादन करने के लिए संयुक्त क्षेत्र में एक एरोमेटिक संयंत्र की स्थापना करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को आशय पत्र दिया गया था और उक्त परियोजना इस समय किस स्थिति में हैं;

(ग) क्या ऐसे कोई आशय पत्र दिये गये थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) आयात-आंकड़े 1983-85 तक के लिए संकलित किए गए हैं। 1985-86 के दौरान सिन्थेटिक फाइबर के आयात सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) निम्नोक्त मदों के उत्पादन हेतु संयुक्त क्षेत्र में सलीमपुर में एक परोमेटिक काम्प्लेक्स स्थापित करने के लिए मैसर्स प्रदेशिया इण्डस्ट्रियल एण्ड इनवेस्टमेन्ट कार्पो. यू. पी. लिमिटेड को दिनांक 3-3-86 को एक आशय-पत्र दिया गया है :—

1. बेन्जीन—1,00,000 टी. पी. ए.

2. आर्थो-जीलीन...35,000 टी. पी. ए.

3. साइक्लो-हेक्सेन—58,000 टी. पी. ए.

4. पी. टी. ए.—1,50,000 टी. पी. ए.

(ग) पी. आई. सी. यू. पी को आशय-पत्र जारी करने के बाद ऐरोमेटिक काम्प्लेक्स के लिए कोई और आशय-पत्र जारी नहीं किए गए हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सातवीं योजना के दौरान केरल में इलायची की खेती का विस्तार

8675. **श्री के. मोहन दास** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में तथा केरल के बाहर अधिक क्षेत्रों में इलायची की खेती का विस्तार करने की मसाला बोर्ड की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) प्रयोगात्मक रोपण के अलावा सातवीं योजना में नई खेती को शुरू करने की बजाय उत्पादकता को बढ़ाकर इलायची के उत्पादन की लागत को कम करने पर बल दिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

इलायची का वार्षिक उत्पादन

8676. **श्री के. मोहन दास** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इलायची का औसत वार्षिक उत्पादन कितना हुआ;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इसका क्या उत्पादन लक्ष्य रखा गया है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान अधिक उपज वाली किस्में उपलब्ध कराने के लिए कितना धन व्यय किया जा रहा है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) से (ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इलायची का औसत वार्षिक उत्पादन, सातवीं योजना के लिए उत्पादन का लक्ष्य और सातवीं योजना अवधि के दौरान ऊंची उपज उपलब्ध कराने वाली किस्मों की निर्धारित राशि नीचे देखे जा सकते हैं :—

छठी योजना के दौरान इलायची का औसत वार्षिक उत्पादन।	3380 मे. टन
7वीं योजना के अंत तक उत्पादन का लक्ष्य।	6500 मे. टन

7वीं योजनावधि के दौरान ऊंची उपज उपलब्ध कराने वाली किस्मों के उत्पादन और पूर्ति के लिए निर्धारित राशि।	126.50 लाख

डोगियों तथा मत्स्य नौकाओं का आयात

8677. **श्री रेणु पद दास** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डोगियों मत्स्य नौकाओं तथा इसी प्रकार की अन्य मदों का आयात करने का निर्णय किया है, जिनका देश में पहले से निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त मदों का स्वदेशी उत्पादन अपर्याप्त अथवा घटिया किस्म का है;

(ग) यदि नहीं, तो इनका आयात किए जाने के क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार को देश में इन मदों के निर्माताओं से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(च) यदि कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) से (ग) डोगियों तथा मत्स्य नौकाओं के आयात की अनुमति गुणावगुण के आधार पर प्रत्येक मामले की छानबीन करने के बाद जहां परिस्थितियां उसका औचित्य दर्शाती हो दी जाती है।

(घ) से (च) एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें मत्स्य नौकाओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया गया है। यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

मत्स्य नौकाओं का आयात

8678. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विदेशी शिपयार्डों को, जो विश्वव्यापी गंभीर मंदी का सामना कर रहे हैं, मत्स्य नौकाओं का आयात करने के लिए निर्धारित समगति (पारी पासु) शर्तों का उल्लंघन करते हुए, मत्स्य नौकाओं नदी पर चलने वाली नौकाओं अथवा उसी प्रकार की अन्य नौकाओं का क्रयादेश देकर उनकी सहायता करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो स्वदेशी शिपयार्डों को जिन्हें अपनी अस्तित्व बनाये रखने के लिए क्रयादेशों की आवश्यकता है, नुकसान पहुंचा कर ऐसे कदम उठाने के क्या कारण है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पूर्वी यूरोपीय देश के साथ रुपये में अदायगी की व्यवस्थाओं में परिवर्तन

8679. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी पूर्वी यूरोपीय देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार के स्थान पर रुपये में भुगतान करने के बजाय अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रक्रिया आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) तथा (ख) जिन पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ भारत का रुपया भुगतान संबंध है उनके साथ इस प्रकार के विद्यमान प्रबंध में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तेल के मूल्य पर चर्चा करने हेतु "फंड बैंक की" बैठक

8680. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाशिंगटन में आयोजित फंड-बैंक की बैठक में तेल के मूल्य के प्रश्न पर चर्चा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तेल कम्पनियों को कायम रखने के लिए निम्नतम मूल्य आवश्यक समझा गया है; और

(ग) क्या इस मूल्य को स्थिर रखने हेतु कोई ठोस कार्यवाही की जाएगी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

बैंकों के अन्तःशाखा लेन-देन में असमाधेय राशियां

8681. **डा. ए. के. पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, वर्ष-वार तथा चालू वर्ष में पृथक्-पृथक् रूप से बैंकों के अन्तःशाखा लेन-देन में कितनी राशियां असमाधेय रह गई तथा ऐसी असमाधेय राशियों के कारण क्या समस्याएं/घोटाले उत्पन्न होने की सम्भावना है; और

(ख) बैंकों के अन्तःशाखा लेन-देन के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया है तथा उन बैंकों के क्या नाम हैं जो इसे कार्यान्वित करने में असफल रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसके पास छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए इस प्रकार के अपेक्षित आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं है। अलबत्ता, सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों के अन्तर शाखा लेखाओं से संबंधित 1983 के अंत तक पुराने बकाया इन्दराजों/उनमें अन्तर्ग्रस्त राशि की अद्यतन उपलब्ध स्थिति नीचे दी गई है :—

को बकाया	इन्दराजों की संख्या (लाखों में)	अन्तर्ग्रस्त राशि (करोड़ रुपए)
31-12-1983	398	297941
31-12.1984	242	1‘0075
30-6-1985	205	151740

दिनांक 31 दिसम्बर, 1983 से :0 जून, 1985 की अवधि के दौरान इन्दराजों की संख्या और अन्तर्ग्रस्त राशि में क्रमशः 48.49 प्रतिशत और 49.07 प्रतिशत की कमी हुई है।

अन्तर-शाखा लेन-देनों के मिलान न होने से घोटाले हो सकते हैं।

(ख) अन्तर-शाखा लेन-देनों के मिलान के वास्ते बैंक या तो पारस्परिक लेखा-प्रणाली या केन्द्रीयकृत लेखा प्रणाली या इन दोनों की मिली-जुली प्रणाली का अनुसरण करते हैं। यद्यपि प्रत्येक बैंक की प्रक्रिया अलग-अलग है, लेकिन अन्तर-शाखा लेन-देनों में विभिन्न बैंकों द्वारा अपनाई गई मूल प्रक्रिया कमाबेश एक जैसी है।

भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार ने बैंकों से इन बकायों को माफ करने और प्रक्रियाओं तथा प्रणालियों को एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार दोष रहित बनाने के लिए कहा है।

ग्रेफाइट इलैक्ट्रोडों का निर्यात

8682. डा. ए. के. पटेल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से ग्रेफाइट इलैक्ट्रोडों के निर्यात की काफी गुंजाइश हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार कितना ग्रेफाइट निर्यात किया गया तथा उसका मूल्य कितना था;

(ग) इन निर्यातकों को वर्ष-वार कितने अग्रिम लाइसेंस दिए गए थे; और

(घ) ग्रेफाइट इलैक्ट्रोडों के निर्यात से देश कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) रासायनिक एवं संबंध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (कैपेक्सिल) के अनुसार ग्रेफाइट इलैक्ट्रोडस के निर्यात की गुंजाइश है।

(ख) तथा (घ) केपैक्सिल द्वारा भेजी गई सूजना के अनुसार ग्रेफाइट इलैक्ट्रोडस के निर्यात और उनसे प्राप्त की गई विदेशी मुद्रा आय निम्नोक्त प्रकार है :—

	(लाख रु.)
वर्ष	निर्यात (एफ.ओ.बी.मूल्य)
1982-83	411.0
1983-84	505.9
1984-85	5 9.8
1985-86 (जनवरी, 1986 तक)	342.8

(ग) ग्रेफाइट उत्पादों के संबंध में जारी किए गए अग्रिम लाइसेंसों के सम्बन्ध में जानकारी अलग से नहीं रखी जाती है।

उपभोक्ता वस्तुओं पर निर्माण की तारीख/बिक्री दर की मोहर

8683. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी उपभोक्ता वस्तुओं पर निर्माता का नाम, बिक्री दर तथा निर्माण की तारीख नहीं होती; और

(ख) यदि हां, तो उनका मंत्रालय उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने के लिए कैसे और किस तरह से विचार कर रहा है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए.के. पांजा): (क) व (ख) बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के अंतर्गत अन्तर-राज्य व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान पैकेज रूप में विक्रय की जाने वाली अथवा विक्रय के लिए आशयित सभी उपभोक्ता वस्तुओं पर अन्य बातों के अलावा विनिर्माता/पैकर के नाम व पते, विनिर्माण/पैकिंग के महीने तथा वर्ष और विक्रय मूल्य की घोषणा होनी चाहिए।

मकान किराया भत्ता के लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की पात्रता

8684. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में किन-किन श्रेणियों के कर्मचारी (ग्रेड वार) स्वयं तथा उनके पति या पत्नी दोनों मकान किराया भत्ता पाने के पात्र हैं;

(ख) क्या यह छूट सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, अस्पतालों और शिक्षा संस्थानों के कर्मचारियों पर, जहां अधिकांश मामलों में या तो उन्हें सरकारी आवास दिया गया है या उनके वेतन का 30 से 35 प्रतिशत तक मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है, स्वतः लागू होती है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकारी अस्पताल और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारी जो अपने उस पति/पत्नी के साथ एक ही आवास (निजी तौर पर अधिग्रहित या अपना स्वयं का, लेकिन सरकारी नहीं) में रह रहे हैं जो नगरपालिका, पत्तन न्यास आदि जैसे केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त/ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/अर्द्ध-सरकारी संगठनों के भी कर्मचारी हैं, वे अपने पति/पत्नी के साथ-साथ पूरा मकान किराया, भत्ता प्राप्त करने के पात्र हैं :-

(1) 1009/-रु. प्रतिमाह या उससे कम का वेतन पाने वाले कर्मचारी बशर्ते कि वे किराये की रसीद प्रस्तुत किए बिना किराये पर कुछ वर्ष करते हों,

(2) 1059/-रु. प्रतिमाह से अधिक का वेतन पाने वाले कर्मचारी, बशर्ते कि किराये की रसीद प्रस्तुत किए बिना उसका दावा उस सी. तक सीमित है। जो 1069/-रु. प्रति माह के वेतन पर ग्राह्य है।

(3) 1069/-रुपये प्रति माह से अधिक वेतन पाने वाले वे कर्मचारी जो उतना किराया देते हों कि दिये गए किराये में से 40% की कमी करने के बाद भी,

पति, कम किए गए किराये के आधार पर, पूरा मकान किराया भत्ता प्राप्त करने का हकदार है और पत्नी 60% की कमी करने के बाद निकाले गए किराये के आधार पर पूरा मकान किराया प्राप्त करने की हकदार है या इससे उलट, बशर्ते कि वे अपने दावे के समर्थन में रसीद प्रस्तुत करें।

ये आदेश सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त अस्पतालों और स्वायत्त शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों पर स्वतः लागू नहीं होते।

आदिवासी क्षेत्रों में टसर (रेशम) के उत्पादन का प्रस्ताव

8685. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के आदिवासी क्षेत्रों में टसर (रेशम) के उत्पादन की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत उड़ीसा उप-योजना पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) तथा (ख) 1981-82 से 1985-86 तकी 5 वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा क्रियान्वित किए जाने के लिए स्विस डेवलपमेंट कारपोरेशन की सहायता से एक अन्तःराज्य टसर परियोजना प्रारंभ की गई

थी। परियोजना के क्रियान्वयन में 10.50 करोड़ रु. की राशि का निवेस किया गया है। इस परियोजना के अतर्गत आठ राज्यों में अर्थात् (1) बिहार, (2) उड़ीसा, (3) मध्य प्रदेश, (4) आन्ध्र प्रदेश, (5) उत्तर प्रदेश, (6) महाराष्ट्र, (7) पश्चिम बंगाल, (8) राजस्थान में 7945 हैक्टर बागान क्षेत्र बढ़ाया है।

(ग) तथा (घ) परियोजना के अन्तर्गत 2500 हैक्टर के ब्लाक बागान का एक क्षेत्र बढ़ाने के लिए उड़ीसा राज्य ने 283.16 लाख रु. की राशि का उपयोग किया है। परियोजना अवधि के समाप्त होने पर अलग-अलग राज्यों द्वारा अपने सामान्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत टसर विकास गतिविधियां जारी रखी गई हैं।

कपड़ा मिलें बन्द करने के सम्बन्ध में निर्णय लेने में विलम्ब

8686. **श्री के. वी. शंकर गौडा** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम घाटे में चल रही कपड़ा मिलों की प्रथम खेप बन्द करने के बारे में सरकार के निदेशों का इन्तजार कर रहा है;

(ख) निरंतर घाटे में चल रही कपड़ा मिलों को बन्द करने के संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(ग) निर्णय लेने में हुए विलम्ब के क्या कारण है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) वस्त्र नीति में यह व्यवस्था है कि जहां पर एककों को जीवनक्षम बनाया जा सके वहां पर चुनिन्दा आधार पर आधुनिकीकरण किया जाएगा। ऐसे एककों का, जिन्हें जीवनक्षम नहीं बनाया जा सकता है, कार्यचालन जारी रखे जाने से दुर्लभ संसाधनों का अपक्षय होता रहेगा और आगे घाटों को रोकने के लिए ऐसे एककों अथवा उनके हिस्सों को बंद करना पड़ सकता है। सभी संगत पहलुओं का अध्ययन करने के बाद आगामी कार्यवाही करने के संबंध में विनिश्चय किया जाएगा। इस संबंध में कोई विशेष तारीख बताना संभव नहीं है।

नई कपड़ा नीति के अन्तर्गत कपड़ों का निर्यात

8687. **श्री के. वी शंकर गौडा** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ये आशाएं कि जून, 1985 में घोषित नई कपड़ा नीति से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा सत्य सिद्ध नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो कपड़ों के निर्यात को बढ़ावा न मिलने के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि काटन यार्न मेड-अप और फैब्रिक्स के निर्माण में स्थिरता आई है;

(घ) यदि हां, तो कपड़ों का निर्यात बढ़ाने में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) नई कपड़ा नीति से कपड़ा निर्यात को कब बढ़ावा मिलेगा?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ङ) हालांकि नई वस्त्र नीति के निर्यातों पर प्रभाव का मूल्यांकन करना अभी संभव नहीं है परन्तु 1984 की तुलना में 1985 के दौरान सभी देशों के वस्त्रों तथा परिधानों के निर्यातों में वृद्धि हुई है। मिल निर्मित तथा बिजली करघा सूती यार्न, तैयार वस्त्रों और वस्त्रों के मामले में भी गत वर्ष की तुलना में वर्ष 1985 में निर्यात अधिक हुए थे।

वस्त्र निर्यातों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वस्त्र निर्यातों को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम

वस्त्र निर्यातों को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

1. उन आधुनिक वस्त्र मशीनों के ओ जी एल के अंतर्गत आयात की अनुमति है जिनका देश में निर्माण नहीं होता।

2. निर्यात दायित्व से जुड़े हुए बड़े पने के शटल रहित करघों और रोटर कताई मशीनों के रियायती आयात शुल्क पर आयात की अनुमति है।

3. वस्त्र उद्योग के आधुनिकी करण के लिए सुलभ ऋण योजना उपलब्ध है।

4. घरेलू वस्त्र मशीनों को आधुनिक बनाने के लिए विदेशी सहयोग की अनुमति है ताकि निर्यातक आधुनिक मशीने प्राप्त कर सकें। ऐसी आधुनिक मशीनों की खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत आयात की अनुमति है जिसका देश में विनिर्माण नहीं होता। परिधानों तथा हौजरी की वस्तुओं के लिए लगभग 114 आवश्यक मशीनों का खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत रखा गया है, जिनमें से 97 को आयात निर्यात नीति 1985-86 के परिशिष्ट- भाग ख के द्वारा रियायती आयात शुल्क की छूट प्राप्त है।

5. पैकिंग ऋण के लिए दिनों की संख्या को 90 से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है।

6. पहली जनवरी, 1984 से नकद मुआवजा सहायता की दरें काफी बढ़ा दी गई है। ये दरें 1985 के दौरान जारी रही। इन दो को मार्च, 1986 तक पूरी होने वाली समीक्षा के अध्यधीन 31 दिसम्बर, 1986 तक बढ़ा दिया गया है।

7. परिधानों के लिए शुल्क वापसी की दरों को उदार बनाया गया है। दरों को 7.5% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है।

8. आयात निर्यात नीति 1985-86 के परिशिष्ट-17 के द्वारा आई' ई. पी. लाइसेंसों के अंतर्गत आयात हकदारियों को उदार बनाया गया है। 1985-88 के लिए

आयात निर्यात नीति के परिशिष्ट 21 के द्वारा अग्रिम लाइसेंसिंग योजना और शुल्क मुक्त आर. ई. पी. की कुछ मदों की अनुमति है।

9. नई आयात निर्यात नीति के अन्तर्गत विनिर्माता-निर्यातकों के लिए नई आयात निर्यात पास बुक योजनाएं लागू करने की घोषणा की है।

10. नए उत्पादों तथा नए बाजारों के लिए अतिरिक्त सहायता दी जा रही है। नए उत्पादों तथा नए बाजारों के लिए अधिक आ. ई. पी. दी जाती है।

11. शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एकक तथा मुक्त व्यापार जोन योजनाओं के अंतर्गत कई अन्य रियायतों के साथ-साथ अनिवार्य निर्यात दायित्व के साथ पूंजी माल कच्चे माल के उदार आयात की सुविधाएं दी जाती हैं।

12. फैशन, डिजाइन के क्षेत्रों में विशेष रूप से परिधान व्यापार के लिए शिक्षा, अनुसंधान, सेवा तथा प्रशिक्षण के लिए दिल्ली में एक फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का विनिश्चय किया है।

13 सरकार बाजार अध्ययन क्रेता-विक्रेता बैठकों, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने आदि जैसी संवर्धनात्मक गतिविधियों के प्रयोजन के लिए तथा उनको धन की व्यवस्था करने के लिए उदार सहायता तथा राजस्व देती रही है।

"एक बैंक-एक कलक्टरों" योजना आरम्भ करना

8688. श्री के. वी. शंकर गौडा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय अप्रत्यक्ष करों को जमा करने के लिए निर्धारितियों को पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए "एक बैंक-एक कलक्ठरी" योजना आरम्भ करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह एक नई योजना है अथवा संशोधित योजना है;

(ग) यह संशोधित योजना कितनी और अधिक लाभकारी होगी; और

(घ) क्या इस योजना में पूर्व की सभी कमियों को दूर कर दिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) अप्रत्यक्ष करों की वसूली करने के लिए 1.4.86 से संशोधित स्कीम लागू कर दी गई है जिसके तहत निर्धारितियों को अप्रत्यक्ष कर जमा करवाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) संशोधित स्कीम का उद्देश्य सरकारी राजस्व को शीघ्र सरकारी रोकड़ शेष में जमा करना तथा बैंकों के साथ लेखों का शीघ्र मिलान तथा निपटान करना है।

[हिन्दी]

नियन्त्रित कपड़े का गरीब लोगों को वितरण

8689. प्रो. निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीब लोगों को नियंत्रित दरों पर कपड़ा उपलब्ध

कराने के लिए वर्ष 1986-87 के दौरान कुल कितना कपड़ा (वर्ग मीटर में) आबंटित किया गया;

(ख) क्या केरल राष्ट्रीय कपड़ा निगम (एन. टी. सी.) द्वारा निर्मित कपड़ा ही आबंटित किया जाता है अथवा अन्य मिलों द्वारा निर्मित कपड़ा भी आबंटित किया जाता है; और

(ग) उन क्षेत्रों में जहां यह कपड़ा नहीं पहुंच पाता है, लोगों की सामान्य शिकायतों को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ताकि आम जनता को यह कपड़ा उपलब्ध कराया जा सके ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नियंत्रित रूप मूल्य पर कन्ट्रोल का कपड़ा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1986-87 के दौरान कन्ट्रोल के कपड़े का उत्पादन लक्ष्य 200 मि. वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है।

(ख) विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों को आबंटित किया गया कन्ट्रोल का कपड़ा फिलहाल राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों द्वारा ही निर्मित किया जा रहा है।

(ग) कन्ट्रोल के कपड़े के वितरण का दायित्व मुख्यत: राज्य सरकारों का है। तथापि उनसे दूर दराज तथा ग्रामीण क्षेत्रों को अधिक से अधिक शामिल करने के उद्देश्य से ऐसे कपड़े के वितरण सम्बन्धी प्रबन्धों को सुदृढ़ करने के लिए अनुरोध किया गया है।

राजस्थान में "मेवाड़ परिसर" योजना के अंतर्गत स्थानों का विकास

8690. **प्रो. निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में "मेवाड़ परिसर" के अंतर्गत चित्तौड़, उदयपुर, डुंगरपुर तथा बांसावाड़ा में पर्यटन के विकास के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चित्तौड़गढ़ किले के, जो पर्यटकों का मुख्य आकर्षण केन्द्र है, विकास के लिए कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है तथा पर्यटकों को क्या-क्या सुविधाएं देने का विचार है; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार ध्वनि तथा प्रकाश कार्यक्रमों के माध्यम से मेवाड़ के वीरों तथा वीरांगनाओं की गाथाओं को दिखाकर पर्यटकों का मनोरंजन करने के लिए विशेष व्यवस्था करने का है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) पर्यटन विभाग ने नगर व ग्राम आयोजना संगठन के माध्यम से राजस्थान में मेवाड़ परिसर की जो मास्टर प्लान तैयार कराई है उसमें चार केन्द्रों यथा हल्दी घाटी, कुम्भलगढ़, चावांद और गोगुंदा को शामिल किया गया है।

(ख) चित्तौड़गढ़ किला परिसर की देखभाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की जाती

है। इस परिसर में पर्यटकों के लिए विशेष रूप से सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु पर्यटन विभाग में अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

बिहार में "व्यापारिक प्रतिष्ठानों" पर छापे

8691. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1984, 1985 और 1986 में मार्च तक के दौरान, बिहार में कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर छापे मारे गये थे और उनके परिसरों से आपत्तिजनक कागजात बरामद किए गए;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन प्रतिष्ठानों के पास बड़ी मात्रा में काला धन है;

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रतिष्ठानों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं और क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) जी, हां। आयकर विभाग ने वर्ष 1984,1985 और 1986 (मार्च तक) के वर्षों के दौरान बिहार में व्यापारिक प्रतिष्ठानों के मामलों में बहुत सी तलाशियां ली हैं और प्रथमदृष्ट्या पर्याप्त मूल्य की लेखा बाह्य परिसंपत्तियों के अलावा बड़ी संख्या में अपराध आरोपणीय लेखा पुस्तकें और दस्तावेज पकड़े हैं।

प्रत्यक्ष कर अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत ऐसे सभी व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई है जिनकी तलाशी ली गई थी।

सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान बिहार में पर्यटन स्थानों का विकास

8692. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पर्यटन स्थलों को विकास करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि का आबंटन किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि बिहार में पर्यटन स्थलों का सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विकास किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो बिहार में किन-किन स्थानों पर पर्यटन स्थलों का विकास करने का विचार है और इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उस अवधि दौरान गया में एक यात्री निवास का निर्माण करने का है; और

(च) यदि हां, तो उक्त यात्री निवास में कितने लोगों को ठहराया जा सकता है और इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) (क) और (ख) पर्यटक आधार-संरचनात्मक सुविधाओं का सृजन व पर्यटक बिहार स्थलों का विकास करना, एक सतत प्रक्रिया है और विभाग, केन्द्र की पर्यटन संभाव्यता, पारस्परिक प्राथमिकता और राशियों की उपलब्धता के आधार पर प्रस्तावों/स्कीमों को प्रारम्भ करता है।

(ग) और (घ) विभाग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक निम्नलिखित प्रस्ताव केन्द्रीय सहायता पाने हेतु प्राप्त किए हैं :—

		लाख रु. में
1.	हिसुआ बहिया में मार्गस्थ सुख सुविधाएं	10.65
2.	सासाराम में पर्यटक भवन	25.38
3.	पटना में यात्री निवास	32.45
4.	मानर शरीफ में कैफेटेरिया का निर्माण	3.43

विभाग ने उपर्युक्त में से मानरशरीफ में 3.43 लाख रुपये की एक राशि से कैफेटेरिया का निर्माण करने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है जिसमें से 3.00 लाख रुपयों की राशि पहले ही रिजील की जा चुकी है।

(ङ) और (च) गया में एक यात्री निवास के लिए पर्यटन विभाग को कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। विभाग की नीति यह है कि प्रथमतः प्रत्येक राज्य में एक यात्री निवास के निर्माण पर विचार किया जाए। फिलहाल राज्य सरकार ने पटना में 60 शय्या वाले एक यात्री निवास के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। पर्यटन विभाग को विस्तृत अनुमानों और ब्लू प्रिन्ट्स की अभी प्रतीक्षा है।

घोड़ों का आयात

8693. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अच्छी नस्ल के घोड़ों के आयात के लिए कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं और जिन पार्टियों को गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार लाइसेंस जारी किए गए उनके नाम क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितने मूल्य के घोड़ों को आयात किया गया है; और

(ग) इन घोड़ों को आयात करने सम्बन्धी नीति को जारी रखने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी. शिवशंकर) : (क) तथा (ख) गत तीन वर्षों में अच्छी नस्ल के घोड़ों के आयात के लिए जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या जिन पार्टियों को लाइसेंस जारी किए गए उनके नाम तथा आयातों के सी आई एफ मूल्य को दर्शाने वाले वर्षवार विवरण सभा-पटल पर रखे गये ।

[ग्रन्थालय में रखे गए देखिए संख्या एल. टी.-2730/86]

(ग) स्टेलियन/प्रजनन घोड़ियों के आयात की प्रजनन उद्देश्यों के लिए पंजीकृत घुड़सालों को एक समिति यात्रा मे अनुमति है ताकि घरेलू स्टाक की क्वालिटी को सुधारा जा सके ।

जनता को पौष्टिक आहार की आपूर्ति

8694. **डा. चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत को पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार उन्हें पौष्टिक आहार प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाने का है;

(ग) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का उन्हें किस प्रकार पौष्टिक आहार देने का विचार है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए.के. पांजा) (क) योजना आयोग द्वारा अपनायी गई ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति दिन 2,400 और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति दिन 2,100 कैलोरी ग्रहण करने के मानदण्डों के संदर्भ में, 1984-85 में पर्याप्त पोषाहार न ले रही आबादी की प्रतिशतता 36.9 थी ।

(ख) से (घ) सरकार ने निम्नलिखित पग उठाए हैं :—

(i) उचित दर की दुकानों के बिछे व्यापक जाल के माध्यम से उपभोक्ताओं को खाद्यान्नों, चीनी और खाद्य तेल मुहैया करना;

(ii) सभी समन्वित आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रों तथा आदिवासी बहुल राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रमों के अधीन विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्न का वितरण करना;

(iii) स्कूल-पूर्व और स्कूल जा रहे बच्चों तथा गर्भवती/धाय माताओं के लिए अनुपूरक पोषाहार की व्यवस्था करना; और

(iv) बाजार में उपलब्ध खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के खुले बाजार के मूल्यों की जांच करना और उन पर नजर रखना और दामों को उचित सीमा के अन्य बनाए रखने के उद्देश्य से यथावश्यक ऐसी वस्तुओं को निर्मुक्त करना ।

पोषक आहार की सप्लाई न किये जाने वाले स्थानों का सर्वेक्षण

8695. **डा. चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में अधिकांश लोगों को पोषक आहार नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे स्थानों और वहां के लोगों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए.के. पांजा) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है।

पोषक आहार न पाने वाले व्यक्तियों के बारे में सर्वेक्षण

8696. **डा. चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पोषक आहार न पाने वाले भारतीयों की संख्या का पता लगाने हेतु सर्वेक्षण करने के लिए किसी विभाग की स्थापना की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अब उस विभाग को समाप्त करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कुपोषण से प्रभावित स्थानों और व्यक्तियों का पता लगाने के लिए सरकार का क्या तरीके अपनाने का प्रस्ताव है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए.के. पांजा) (क) से (ग) खाद्य विभाग का आहार और पोषाहार सर्वेक्षण यूनिट विभिन्न खाद्य वस्तुओं/पौष्टिक वस्तुओं को ग्रहण करने तथा पोषणिक कमियों से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने के लिए सर्वेक्षण कर रहा है। इस यूनिट को बन्द करने का निर्णय किया गया है क्योंकि इसी प्रकार के आंकड़े भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के राष्ट्रीय पोषाहार मानीटरिंग ब्यूरो, जो इसी प्रकार का सर्वेक्षण करता है, से प्राप्त किए जा सकते हैं।

[अनुवाद]

प्याज का निर्यात

8697. **श्रीमती उषा चौधरी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "नेफेड" द्वारा सोवियत संघ तथा अन्य देशों को प्याज की कितनी मात्रा का निर्यात किया और उसका प्रति क्विन्टल मूल्य कितना था; और

(ख) प्याज के निर्यात का घरेलू पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) 1985-86 के दौरान प्याज के कुल निर्यातों का अनुमान 50.69 करोड़ रु. मूल्य के .63 लाख मे. टन का है। वर्ष के लिए बिक्री का औसत इकाई मूल्य 1926 रु. प्रति मे. टन था। नेफेड और इसके सहयोगी निर्यातकों ने 3.250 रु. प्रति मे. टन सी. आई. एफ. ब्लैक सी. पोर्ट की दर पर 25000 मे. टन प्याज निर्यात करने के लिए एक संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) प्याज के निर्यात की एक सीमित सीमा में अनुमति है और इससे घरेलू सप्लाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है क्योंकि देश में प्याज के कुल उत्पादन का कुल अनुमान 28.70 लाख मे. टन लगाया गया है।

कृषि उत्पादों की निर्यात क्षमता

8698. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कृषि उत्पाद निर्यात नीति-समस्याएं और सम्भावनाएं संबंधी अध्ययन में बताया गया है कि हमारे देश में कृषि उत्पादों के निर्यात की बहुत अधिक क्षमता है; और

(ख) क्या इस संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है और इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) तथा (ख) यह बात स्पष्ट नहीं है कि कि कृषि निर्यात नीति-समस्याएं तथा परिप्रेक्ष्य नामक शीर्षक का सन्दर्भ किस विशिष्ट अध्ययन से है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आई. आई. एफ. टी.) और व्यापार विकास प्राधिकरण जैसे विशेषीकृत अभिकरणों द्वारा कृषि वस्तुओं तथा उत्पादों की निर्यात सम्भाव्यताओं के सम्बन्ध में अनेक सर्वेक्षण तथा अध्ययन किए गए हैं। इनमें शामिल है मध्य-पूर्व तथा पश्चिमी यूरोप में साधित फलों तथा सब्जी बाजारों के सम्बन्ध में आई. आई.एफ. टी. द्वारा विस्तृत अध्ययन, ताजे फलों, मशरूम तथा औषधीय बूटियों के निर्यात के बारे में हिमाचल प्रदेश के निर्यात सम्भाव्यता सर्वेक्षण, तथा साधित फलों तथा सब्जियों के लिए मध्य प्रदेश व साथ ही आन्ध्र प्रदेश के सर्वेक्षण व्यापार विकास प्राधिकरण ने भी सऊदी अरब तथा कुवैत में साधित फलों एवं सब्जियों के लिए एक सम्पर्क कार्य क्रम सचालित किया है। इन सर्वेक्षणों से विदित होता है कि सऊदी अरब, कुवैत तथा यू. ए. को फलों एवं सब्जियों के निर्यात की अच्छी सम्भाव्यता है। फलों के रस, फलों के मकरन्द तथा पेयों तथा डिब्बा बन्द फलों और फलों के गुदे और साथ ही जेम मुरब्बों, अचारों तथा चटनियों के लिए अच्छी मांग है।

केरल हथकरघा विकास निगम को वित्तीय सहायता

8699. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में काफी अधिक ग्रामीण जनता पारम्परिक हथकरघा उद्योग पर आश्रित है; और

(ख) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केरल में हथकरघा उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिये केरल हथकरघा विकास निगम को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार कर्नाटक, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि आदि।

(ख) जी नहीं। राज्य-सरकारो को सहायता उनसे प्रस्ताव प्राप्त हो जाने पर रिलीज की जाती है और केरल सरकार से 1986-87 के दौरान अभी तक कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का सहायता

8700. **श्री मूल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने यदि केरल सरकार को राज्य में उन क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विस्तार के लिए, जिनमें इसका अभाव है और जिनमें यह बिल्कुल नहीं है, कोई अनुदेश जारी किए हैं तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में नागरिक पूर्ति निगम स्थापित की गई हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां ये स्थापित की गई हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए किसी राज्य/संघ क्षेत्र को किसी प्रकार की सहायता दी है; और

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) सरकार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिनमें केरल भी शामिल है, को सलाह देती रही है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की समीक्षा करें और 2000 व्यक्तियों के लिए एक उचित दर की दुकान के आधार पर इसका विस्तार करें, जिसमें दूरस्थ तथा दुर्गम क्षेत्रों को इसके अन्तर्गत लाने पर विशेष बल दिया जाए। उन्हें यह सलाह भी दी गई है। कि वे दूर-दराज तथा दुर्गम क्षेत्रों, जहां छितरी हुई आबादी है, में चलती-फिरती दुकानें चलायें ताकि उपभोक्ता आवश्यक वस्तुएं आसानी से प्राप्त कर सकें।

(ख) व (ग) अब तक 12 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली द्वारा नागरिक आपूर्ति निगमों की स्थापना की गई है। जिन राज्यों में नागरिक आपूर्ति निगम है, उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) व (ङ) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, सिक्किम और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह को नागरिक आपूर्ति निगमों को मजबूत बनाने/स्थापित करने तथा गोदामों का निर्माण करने के लिए सहायता देने की एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। वित्तीय वर्ष 1985-86 में हिमाचल प्रदेश सरकार को 14 लाख रुपये की राशि निर्मुक्त की गई है। इस स्कीम के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

विवरण

राज्यों के नाम जिनमें नागरिक आपूर्ति निगम हैं।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	नागरिक आपूर्ति निगम का नाम
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम।
2.	बिहार	बिहार राज्य नागरिक आपूर्ति निगम।
3.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड।
4	केरल	केरल राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड।
5.	कर्नाटक	कर्नाटक खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड।
6.	पंजाब	नागरिक आपूर्ति निगम पंजाब।
7.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश वस्तु व्यापार निगम लिमिटेड।
8.	तमिलनाडु	तमिलनाडु नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड।
9.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य और आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड।

1	2	3
10.	उड़ीसा	उड़ीसा राज्य नागरिक आपूर्ति निगम।
11.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल आवश्यक वस्तु आपूर्ति निगम।
12.	गुजरात	गुजरात राज्य नागरिक आपूर्ति निगम।
13.	दिल्ली	दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम।

उत्तरी केरल में पर्यटन के विकास के लिए वित्तीय मंजूरी

8701. **श्री मूल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने उत्तरी केरल में पर्यटन के विकास के लिए चालू वित्तीय वर्ष में कुछ धनराशि मंजूर की है; और

(ख) यदि हां, तो उन विशिष्ट परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनके लिए धनराशि मंजूर की गई है और कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) और (ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने 1985-86 के दौरान उत्तरी केरल में निम्नलिखित परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

	स्कीम	मंजूर की गई राशि (रु.)	रिलीज़ की गई राशि (रु.)
1.	कन्ननोर में आवास सहित मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	10.28 लाख	4.00 लाख
2.	पालघाट में आवास सहित मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	10. 8 लाख	4.00 लाख
3.	वाइनाड में आवास सहित मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	10.28 लाख	4.00 लाख

ड्राफ्टों और चैकों पर बैंक प्रभार

8702. **डा. डी. एन. रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबन्धक के अनुसार बैंक को प्रत्येक ड्राफ्ट पर कम से कम 23 रुपये और प्रत्येक चैक पर 13 रुपये खर्च करने पड़ते हैं जैसा कि 26 मार्च, 1986 के इकोनामिक टाइम्स में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रभार ग्राहकों से वसूल न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या हमारे बैंकों की तुलना में और देशों के बैंकों के ड्राफ्टों और चैकों पर अनुमानित खर्च की कोई तुलना की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या डाक घरों को भी ड्राफ्टों और चेकों पर उतनी ही राशि खर्च करनी पड़ती है; और

(च) क्या बैंकों में कम्प्यूटर का प्रयोग प्रारम्भ होने के बाद बैंक प्रभार कम करने अथवा बढ़ाने का कोई विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) भारतीय स्टेट बैंक ने समुचित किया है कि 1984 के एक लागत विश्लेषण के अनुसार ड्राफ्टों पर की जाने वाली सभी प्रक्रियाओं की लागत 14 रुपये और चालू खातों के चैकों की लागत 8 रुपये है। बैंक अपने सभी परिचालनों के परिप्रेक्ष्य में, जिनमें जमा राशियां जुटाने और ऋण देने के परिचालन भी शामिल है, अपनी विभिन्न सेवाओं के लिए प्रभार लगाते हैं। ये प्रभार उनके परिचालनों की सम्पूर्ण लागत और आय पर आधारित होते हैं और इनकी विदेशी बैंकों के अनुभव के साथ कोई प्रासंगिकता नहीं होती।

(ङ) चैकों के आदान-प्रदान में डाकघरों का भी खर्च आता है। लेकिन, इसकी बैंकों की लागत से तुलना नहीं की जा सकती।

(च) सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने हाल ही में अपने सेवा प्रभारों का संशोधन किया है।

[हिन्दी]

ब्याज की विभेदी दर योजना के अन्तर्गत आय सीमा

8703. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंक 2,000 रुपये अथवा इससे कम आय वाले परिवारों को ब्याज की विभेदी दर योजना का लाभ देते हैं;

(ख) यदि हां, तो यह सीमा कब निर्धारित की गई थी;

(ग) क्या मूल्यों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार का इस सीमा को बढ़ाकर 5,000 रुपये वार्षिक करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो यह सीमा कब तक बढ़ाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) और (ख) भारत सरकार ने 1972 में विभेदी ब्याज दर योजना के नाम से एक योजना प्रतिपादित की थी जिसके अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंक आर्थिक दृष्टि से कमजोर से कमजोर परिवारों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तथा छोटे उत्पादक धन्धों के माध्यम से आर्थिक दशा सुधारने में में उनकी मदद करते हैं। वर्ष 1972 में शुरू में इस योजना के अन्तर्गत शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के वे व्यक्ति जिनकी सभी स्रोतों से पारिवारिक आय 2000 रुपये प्रति वर्ष और ग्रामीण क्षत्रों में 1200 रुपये प्रति वर्ष से अधिक न हो, वित्तीय सहायता पाने के पात्र थे। 1977 में इस मानदण्ड में संशोधन कर दिया गया ताकि शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों के उन परिवारों को, जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय में 3000 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 2000 रुपये से अधिक न हो, इस योजना में शामिल किया जा सके।

(ग) और (घ) 1983 में सरकार ने विभेदी ब्याज दर योजना की समीक्षा करने और उसमें आवश्यकतानुसार किसी प्रकार के संशोधन करने की विशेष सिफारिशें करने के लिए एक कृतिक बल का गठन किया था। इस कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। इस कृतिक बल की सिफारिशों पर सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

[अनुवाद]

ऋण कैम्पों का आयोजन

8704. **डा. सुधीर राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसी बस्ती विशेष में ऋण कैम्पों का आयोजन किए जाते समय उस क्षेत्र के संसद सदस्यों अथवा विधायकों को इस बारे में सूचित किया जाता है;

(ख) क्या ऋण कैम्पों में वितरित किए गए ऋणों की समय पर वसूली हो जाती है; और

(ग) उक्त ऋणों की वसूली की प्रतिशत क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण शिविर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और उसके अन्तर्गत "कमजोर वर्गों" को दिए जाने वाले ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के उपाय के एक अंग के रूप में आयोजित किए जाते हैं ताकि इन क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋणों के लक्ष्य पूरे किए जा सकें। बैंक सामान्यतया जनता के प्रतिनिधियों/स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों को, जिनमें संसद सदस्य और विधायक भी शामिल हैं, ऋण शिविरों की सूचना देते हैं। ऋण शिविरों में दिए गए ऋणों की वसूली पर अलग से नजर नहीं रखी जाती। बैंक वसूली के लिए उसी प्रक्रिया का पालन करते है जो ऋण शिविरों में दिए ऋणों सहित सभी प्रकार के ऋणों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की गई है।

सरकारी क्षेत्र के किसी एकक द्वारा इण्डिया मीटर्स लिमिटेड का अधिग्रहण

8705. **श्री मानिक सान्याल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सरकारी वित्तीय संस्थाओं को इण्डिया मीटर्स लिमिटेड, मद्रास में अपने शेयरों को बम्बई सब अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाइज लिमिटेड को बेचने से रोक दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के किसी एकक द्वारा इण्डिया मीटर्स लिमिटेड का अधिग्रहण किये जाने हेतु कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इण्डिया मीटर्स लिमिटेड को सरकारी क्षेत्र के किसी एकक द्वारा अधिग्रहण किए जाने का प्रयास अब तक असफल सिद्ध हुआ है।

"इंडिजिनस बेल्टिंग इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन" का अभ्यावेदन

8706. **श्री अनिल बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें "इण्डिजिनस बेल्टिंग इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन, 74, जी. टी. रोड, डाकघर बेघवटी, जिला, हुगली, (पश्चिम बंगाल) का दिनांक 21 मार्च, 19·6 का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अभ्यावेदन में किन-किन मुख्य मांगों का उल्लेख किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) इण्डीजीनस बेल्टिंग इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन ने बजट से पूर्व बुनी हुई सूती बेल्टिंग पर उपलब्ध उत्पादन शुल्क को बहाल करने के लिए अनुरोध किया है।

(ग) से (ङ.) असंसाधित सूती बेल्टिंग बुनी हुई, और सूती बेल्टिंग (संसाधित लेपित, प्लास्टिक से ढके हुए अथवा पटलित से अन्य (जिनकी चौड़ाई 15 से. मी. से अधिक न हो, को बजट से पूर्व उपलब्ध पूर्ण छूट क्रमशः 3 अप्रैल, 1985 की अधिसूचना सं. 228/86-के. उ. शु. और 24 अप्रैल, 86 की अधिसूचना सं. 271/86 के. उ. शु. के द्वारा बहाल कर दी गई है।

बैंकों द्वारा ऋणों का वितरण

8707. **श्री अमल दत्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड्डी और मिदनापुर जिलों में आयोजित किए गए दो ऋण शिविरों में तथा जादवपुर और ममुरापुर में प्रस्तावित शिविरों में लाभार्थियों का चयन करने में पक्षपात किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऋण शिविरों के संबंध में निर्णय लेने, लाभार्थियों का चयन करने तथा ऋण मंजूर करने के तरीके के सम्बन्ध में कोई जांच की गई है; और

(ग) जलपाईगुड्डी और मिदनापुर में आयोजित किए गए दो ऋण शिविरों में कितनी राशि के ऋण मंजूर और वितरित किए गए तथा कितने लाभार्थियों को ऋण दिये गये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के विभिन्न भागों में आयोजित ऋण शिविरों का अध्ययन किया है।

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंक द्वारा ऋण शिविर क्षेत्रीय अधिकारियों की पहल पर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र/कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले ऋणों के लक्ष्य के अनुरूप ऋणों के प्रवाह को बढ़ाने के एक उपाय के रूप में आयोजित किए जाते हैं। देश के विभिन्न भागों में बैंकों द्वारा आयोजित ऋण शिविरों के माध्यम से मंजूर या संवितरित किए गए ऋणों आदि की राशि पर अलग से नजर रखना भारतीय रिजर्व बैंक की दृष्टि से व्यवहार्य या आवश्यक नहीं है। अलबत्ता, बैंकों से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी मार्ग-निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया अपनाने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

फिल्म कलाकारों, निर्माताओं और निर्देशकों द्वारा आयकर का भुगतान न किया जाना

8708. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान किन-किन फिल्म कलाकारों, निर्माताओं और निर्देशकों के विरुद्ध आय-कर का भुगतान न किए जाने के कारण कार्यवाही की गई और किन-किन के विरुद्ध एक लाख से अधिक के बकाया की वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है तथा इस संबंध में किस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) किन-किन फिल्म कलाकारों, निर्माताओं और निर्देशकों के परिसरों पर गत छः महीनों के दौरान काले धन और अघोषित सम्पत्तियों का पता लगाने के अभियान के अन्तर्गत छापे मारे गए और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है तथा इसमें से प्रत्येक व्यक्ति से कितने मूल्य का सामान पकड़ा गया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जिन फिल्मी-कलाकारों, निर्माताओं निर्देशकों आदि, की तरफ 1 लाख रु. से अधिक की आयकर की मांग बकाया है, उनके

संबंध में त्रैमासिक सूचना क्षेत्रीय कार्यक्रमों से प्राप्त की जाती है। इन सूचनाओं पर आधारित, जिन फिल्मी-कलाकारों, निर्माताओं, निर्देशकों आदि, की तरफ 1.4.1983 की स्थिति के अनुसार 1 लाख रुपये से अधिक की आयकर मांग बकाया थी, और जिनसे वसूल के लिए की गई कार्रवाई के परिणामत: 1.10.1985 से पहले वसूलियां कर ली गई थीं उनके नाम संलग्न **विवरण I** में दिए गए हैं।

जिन फिल्मी कलाकारों, निर्माताओं और निर्देशकों की तरफ 30.9.1985 की स्थिति के अनुसार, 1 लाख रुपये से अधिक की आयकर मांग बकाया थी, उनके नाम संलग्न **विवरण II** में दिए गए हैं।

इन मामलों में, प्रत्येक मामले की वस्तु-स्थिति पर निर्भर करते हुए, बकाया मांग की वसूली के लिए सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर उपयुक्त उपाय किए जाते हैं। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ ये उपाय शामिल हैं; बकाया अपीलों का शीघ्र निपटान करने के लिए अपीलीय प्राधिकारियों को अनुरोध करना और आयकर अधिनियम की धारा 226 (3) तथा 179 के अंतर्गत कार्यवाहियां भी करना और आयकर अधिनियम की धारा 222 के अंतर्गत कर-वसूली अधिकारी को वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने के बाद चल और अचल सम्पत्ति की कुर्की करना।

(ग) गत छ: महीनों के दौरान जिन फिल्मी हस्तियों के परिसरों पर छापे मारे गए उनके नाम और पकड़ी गई परिसंपत्तियों का मूल्य संलग्न **विवरण** III में दिया गया है।

प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के विभिन्न उपबन्धों के अंतर्गत ऐसे सभी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

विवरण-I

उन फिल्म कलाकारों, निर्माताओं और निर्देशकों आदि के नाम जिनकी तरफ 1.4.1983 की स्थिति के अनुसार 1 लाख रुपयों से अधिक की आयकर मांग बकाया थी तथा जिनसे वसूलियां 1.10.1985 से पहले की गई थीं।

क्र.सं.	नाम
1.	2
1.	के. जी. भट्ट
2.	मल्लिका वी. साराभाई के. एम.
3.	मोहम्मद इब्राहीम ई.
4.	संजय उर्फ अब्बास खां
5.	ए. एल. श्रीनिवासन (मृतक) कानूनी वारिस ए. एल. एस. कन्नप्पन

1	2
6.	उस्मान शरीफ के. शरीफ
7.	अजय उर्फ परीक्षित सहानी
8.	अंजना रावल (मृतक)
9.	अरविन्द सेन राय
10.	डी. के. गायवाड़
11.	श्रीमती गीता दत्त (मृतक) कानूनी वारिस तरुण दत्त
12.	इन्दुभूषण मंगतराम
13.	जोगिन्दर अरोड़ा
14.	केवल पी. कश्यप
15.	ए. आर. करदार
16.	(श्रीमती) मीना कुमारी (मृतक)
17.	मोहम्मद टी. मिया
18.	के. एम. मोदी (मृतक) कानूनी वारिस आर. के. मोदी
19	आर. के. मोदी
20.	मूसा हाली हस्सन मिया
21.	नरेश कुमार तुल्सियान
22.	आर. के. नय्यर
23	(श्रीमती) पदमा के. पटेल
24.	पीयूष कुमार गांगुली
25.	सी. एस. रावल
26.	जी. एच. सरैया
27.	(श्रीमती) सविता बहल
28.	(कुमारी) सुलक्षणा पण्डित
29.	(डा.) श्रीराम लागू
30.	टी. एम. बिहारी
31.	डी. डी. बराधा
32.	एस. सी. द्वारका
33.	एस. के. सूथरा
34.	मनमोहन के. देसाई

1	2
35.	एल. आर. मीरचन्दानी
36.	(श्रीमती) नीरा पी. मेहरा
37.	ओ. पी. रल्हन
38.	(कुमारी) रूबी सिप्पी
39.	विजय सिप्पी
40.	ए. एम. सदयुल्ला
41.	सुरेश मल्होत्रा
42.	के. एस. गोपालकृष्ण
43.	ए. पी. नागराजन कानूनी वारिस (श्रीमती) रानी नागराजन
44.	एम. आर. राधा
45.	आर. गणेशन
46.	(कुमारी) जयप्रदा

विवरण-II

1-4-1983 की स्थिति के अनुसार जिन फिल्म कलाकारों, निर्माताओं तथा निर्देशकों आदि की तरफ 1 लाख रुपयों से अधिक की आयकर मांग बकाया थी और 31.9.1985 की स्थिति के अनुसार यह बकाया अभी तक है' उनके नाम

क्र. सं.	नाम
1	2
1.	बी. सी. गणेशन
2.	हेमा मालिनी
3.	जतिन उर्फ राजेश खन्ना
4.	जितेन्द्र कुमा
5.	कल्पना के.
6.	किशोर कुमार गांगुली
7.	नासीरखान सरवरखान (मृतक) कानूनी वारिस बेगम पारा
8.	प्रकाश मेहरा

1	2
9.	राम बी. चाइवरमानी
10.	पी. के. राणा
11.	रणबीर राज कपूर
12.	कुमारी रेखा गणेशन
13.	के. षण्मुगन
14.	शशि राज कपूर
15.	अमर नाथ कपूर
16.	कमालुद्दीन काजी उर्फ दीनीबाकर
1‾.	एफ. डी. मिस्त्री
18.	के. ए. नारायण
19.	शबाना आजमी
20.	(कुमारी) स्नेहलता गडकर
21.	विजय आनन्द
22.	एन. टी. रामा राव
23.	कमला अमरोही
24.	रणधीर राज कपूर
25.	एन. वीरस्वामी
26.	टी. आर. चक्रवर्ती
27.	एम. नतेसन कानूनी वारिस एमा नीलकान्तन
28.	पी. राज बाबू
29.	टी. के. राजाबाथर
30.	एम. एस. राजेन्द्रन
31.	टी. आर. रामचन्द्रन
32.	(श्रीमती) जी. सावित्री
33.	के. टी. सुब्बैया (मृतक) उर्फ के. टी. एम. करुपय्या
34.	एस. सुन्दरम चेट्टियार
35.	एम. आर. आर. वास
36.	टी. पी. वेणुगोपाल

1	2
37.	(श्रीमती) विजयनिर्मलाजी
38.	पी. अमरतम
39.	एस. सलवाम
40.	प्रेम नज़ीर
41.	एस. पी. बालसुब्रमणियम
42.	(श्रीमती) जे. जमुना
43.	के. जे. जांय
44.	पी. के. कैमल
45.	आर. एस. सोमनाथन
46.	हीरा चन्द वस्तराम
47.	(श्रीमती) सुचित्रा सेन

विवरण III

क्र. सं.	फिल्म कलाकारों, निर्माताओं तथा निर्देशकों आदि के नाम	पकड़ी गयीं परिसंपत्तियों का लगभग मूल्य
		(रुपये लाखों में)
1.	श्री बी. आर. चोपड़ा और श्री सी. वी. के. शास्त्री	18.36
2.	श्री गुलशनराय	31.01
3.	श्री यश चोपड़ा	—
4.	श्री सावन कुमार टाक और उषा खन्ना	3.64
5.	श्री सुभाष घई	4.03
6.	श्री प्राणलाल दोषी	12.98
7.	श्री एन. एन. सिप्पी	0.48
8.	श्री पी. बी. श्री निवास	0.70

[अनुवाद]

स्वर्णकारों द्वारा स्वर्ण आभूषणों की कथित लेखबाह्य बिक्री और खरीद

8709. **प्रो. के. वी. थामस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात लाई गई है कि देश में प्रमुख स्वर्णकार स्वर्ण आभूषणों की लेखाबाह्य बिक्री और खरीद करते हैं; और

(ख) क्या किन्हीं प्रमुख स्वर्णकारों को आभूषणों की लेखा बाह्य बिक्री करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां, ।

(ख) वर्ष 1985 के दौरान, 6 व्यक्तियों को स्वर्ण आभूषणों की लेखा-बाह्य बिक्री और खरीद के सिलसिले में हिरासत में लिया गया है ।

सावधि जमा पत्रों और राष्ट्रीय बचत पत्रों को समय पूर्व भुनाने के लिए नियमों में छूट

8710. **श्री अनादि चरण दास**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपर कोलाब पन-बिजली परियोजना के विस्थापित परिवारों को पुनर्वास सहायता के रूप में दी गई धनराशि को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबधित विस्थापित लोगों और अन्य गरीब लोगों की इच्छा के विरुद्ध भारतीय स्टेट बैंक अधिकारियों द्वारा सावधि जमा पत्रों में और डाक अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय बचत पत्र में बदल दिए जाने के कारण उन लोगों को कठिनाई हो रही है जो अब भूमि खरीदने में और अपने मकान बनाने में असमर्थ हैं क्योंकि सावधि जमा पत्र और राष्ट्रीय बचत पत्र पांच वर्षों के अन्दर भुनाए नहीं जा सकते हैं;

(ख) क्या उन विस्थापित लोगों से सावधि जमा पत्रों और राष्ट्रीय बचत पत्रों के समय-पूर्व भुनाने के लिए नियमों में विशेष छूट देने के लिए काफी संख्या में आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो आवेदन-पत्र कब प्राप्त हुए थे;

(घ) क्या सरकार ने विशेष छूट देने की स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या उपर्युक्त विस्थापित परिवारों की सहायता करने के लिए सरकार के पास कोई वैकल्पिक प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) राष्ट्रीय बचत पत्रों में निवेश करना ऐच्छिक है । दिनांक पहली अप्रैल, 1986 से पूर्व खरीदे गए छठे और सातवें निर्गम के राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदने की तारीख से तीन वर्ष के पश्चात भुनाये जा सकते हैं । इस आरोप के सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार से रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया है कि क्या उन जनजातीय

लोगों को, जिन्हें पुनर्वास सहायता मंजूर की गई थी, राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदने पर मजबूर किया गया था। यह रिपोर्ट अभी आनी है।

(ख) और (ग) जनवरी 1986 में राष्ट्रीय बचत पत्रों को समयपूर्व भुनाने के 90 आवेदन प्राप्त हुए थे। डाक विभाग में अप्रैल 1986 में 17 और आवेदन प्राप्त हुए थे।

(घ) से (च) राष्ट्रीय बचत पत्रों को समयपूर्व भुनाने के नियमों में ढील देने के प्रश्न पर उड़ीसा सरकार से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद विचार किया जाएगा।

ग्राम पंचायतों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण पर निगरानी के पर्यवेक्षण रखने की शक्तियां और प्राधिकार देना

8711. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के मूल्यांकन प्रभाग के फरवरी, 1985 में ग्राम पंचायतों को देश भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण पर निगरानी रखने की शक्तियां और प्राधिकार देने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) क्या सरकार ने उपभोक्ता ग्रुपों को भी यह प्राधिकार देने का निर्णय किया है कि वह खाद्य पदार्थों और औषधियों के नमूनों की जांच कर सकते हैं और सरकार की ओर से न्यायालयों में सीधे मुकदमें दायर कर सकते हैं ?

योजना, मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) व (ख) जी हां। सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक उपभोक्ता-उन्मुख कार्यक्रम है, अतः इसके उद्देश्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए इसमें विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लेने की आवश्यकता है। केन्द्रीय सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों पर इस बात के लिए बल देती रही है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यक्रम के पर्यवेक्षण के लिए विभिन्न स्तरों, जिनमें ग्राम पंचायत स्तर भी शामिल है, पर सलाहकार/सतर्कता समितियां गठित करें। अधिकांश राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने ऐसी सलाहकार/सतर्कता समितियां गठित कर ली हैं।

(ग) जी, नहीं।

नेशनल एण्ड ग्रिंडलेज बैंक द्वारा प्रकाशित नक्शों में जम्मू और कश्मीर को भारत का भाग न दिखाया जाना

8712. **श्री अनिल बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नेशनल एण्ड ग्रिंडलेज बैंक के ए. एन. जैड. ग्रुप द्वारा प्रकाशित "वर्ल्ड न्यूज लिंक" नामक पत्रिका (अक्तूबर 1985 का अंक) में छपे भारत के नक्शे की ओर दिलाया गया है, जिसमें जम्मू और कश्मीर को भारत का भाग नहीं दिखाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) ऐसे गलत नक्शे, जिनमें जम्मू और कश्मीर को भारत का भाग नहीं दिखाया गया था, जनवरी 1985 में इसी बैंक की समीक्षा (रिव्यू) पत्रिकाओं में तथा 1958 में बैंक की 145वीं रिपोर्ट में प्रकाशित किए गए थे और बाद में बैंक ने अपनी 146वीं रिपोर्ट और अन्य प्रकाशनों में इन गलतियों को ठीक कर दिया था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने ए. एन. जैड. ग्रुप (ग्रिंडलेज बैंक पीएलसी की धार कम्पनी) द्वारा प्रकाशित गृह पत्रिका वर्ल्ड न्यूज लिंक में जम्मू और कश्मीर को छोड़कर भारत के नक्शे के प्रकाशन से संबंधित मामले को भारतमें ग्रिंडलेज बैंक पीएलसी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के साथ उठाया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि ग्रिंडलेज बैंक पीएलसी ने सूचित किया है कि पत्रिका के प्रकाशन के नक्शे की छपाई में भूल की है। ग्रिंडलेज बैंक पीएलसी ने इसके लिए अपनी क्षमायाचना भी व्यक्त कर दी है और गृह पत्रिका में क्षमायाचना प्रकाशित करने का भी वचन दिया है।

(ग) द नेशनल एण्ड ग्रिंडलेज बैंक ने (तब जिस नाम से ग्रिंडलेज बैंक पीएलसी भारत में काम कर रहा था) नेशनल ओवरसीज एण्ड ग्रिंडलेज रिव्यू के जनवरी, 1985 के अंक में एक और बैंक की 1958 की 145वीं की रिपोर्ट में दूसरा अर्थात् दो नक्शे प्रकाशित किए थे। इन दोनों नक्शों में से किसी में भी जम्मू और कश्मीर को भारत का अंग नहीं दिखाया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस मामले को द नेशनल एण्ड ग्रिंडलेज बैंक के साथ उठाया था और द नेशनल एण्ड ग्रिंडलेज बैंक ने अपना खेद प्रकट किया तथा बैंक के कार्य के सम्बन्ध में वर्ष 1959 की निदेशको की रिपोर्ट मे स्थिति को ठीक करने का आश्वासन दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार द नेशनल एण्ड ग्रिंडलेज बैंक की 1959 की रिपोर्ट में अलबत्ता, भारत और पाकिस्तान का कोई नक्शा नहीं था।

भारतीय रिजर्व बैंक में ग्रिंडलेज बैंकपीएलसी को लिखने के लिए कहा गया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि अगले अंकों में इस प्रकार की भूलें न हों।

बैंक अधिकारियों द्वारा बचत संग्रह

8713. **श्री एच. एन. नन्जे गौडा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को यह जानकारी है कि दिल्ली और अन्य स्थानों पर राष्ट्रीयकृत बैंक एक राष्ट्रीयकृत बैंक से बचत को निकलवा कर अपने किसी सहायक राष्ट्रीयकृत बैंक में निवेश कराकर बचत संग्रह करा रहे हैं;

(ख) क्या इस तरीके से कुछ बैंकों को बचत संग्रह के अपने आंकड़ों में कृतिम रूप से वृद्धि करने में सहायता मिली है;

(ग) क्या ऐसे कुछ बैंक इस प्रकार के बचत संग्रह के लिए अपने अधिकारियों को पदोन्नति देने पर तेजी से विचार कर रहे हैं; और

(घ) इन मामलों में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि कुछ शाखा प्रबन्धक/क्षेत्रीय प्रमुख, सम्बन्धित बैंकों के प्रधान कार्यालयों द्वारा निर्धारित कार्य- निष्पादन के लक्ष्यों और उद्देश्यों की उपलब्धि दिखाने के विचार से, जमाराशियों को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाने के वास्ते, कभी-कभी अनुचित तरीकों का सहारा लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों पर बार-बार इस बात पर जोर देता आ रहा है कि वे दिखावे की इस प्रवृत्ति को कारगर ढंग से रोकें। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अपने शाखा प्रबन्धकों एजेंटों और अन्य अधिकारियों को ये हिदायतें देने के लिए कहा है कि जमा राशियों तथा अग्रिमों के आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाने के लिए वे अनुचित तरीकों का सहारा न लें। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि इस सलाह का पालन न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध निवारक अनुसाशनिक कार्रवाई की जानी चाहिए। लेलिक जमाराशियों के आंकड़ों को कृतिम रूप से बढ़ा-चढ़ा कर दिखाने से बचने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से यह कहा है कि जब कभी विभिन्न तारीखों को उनके कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया जाए तब वे अपनी वार्षिक रिपोर्टों और अन्य प्रकाशनों में जमाराशियों आदि की औसत वृद्धि दिखाएं। इसके अलावा, बैंकों का निरीक्षण करते समय भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण अधिकारी भी इस पहलू की जांच करते हैं।

आन्ध्र प्रदेश में प्राचीन पुरातत्व केन्द्रों का प्रचार संवर्धन

8714. **डा. टी. कल्पना देवी** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में प्राचीन पुरातत्व केन्द्रों को शीघ्रताशीघ्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक केंद्रों की श्रेणी में शामिल किया जाएगा और पर्यटकों के लिए अच्छे विमानों रेल और सड़क सम्पर्क तथा आवास की व्यवस्था करने के अलावा हैदराबाद हवाई अड्डे पर उपयुक्त जानकारी उपलब्ध की जाएगी ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : आन्ध्र प्रदेश जैसे राज्यों में सभी महत्वपूर्ण पुरातत्व केन्द्रों को पर्यटकों के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले मानचित्रों में शामिल किया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा संचालित एक सूचना काउंटर हैदराबाद हवाई अड्डे पर कार्यरत है जो वायु, रेल और सड़क सेवा द्वारा भली-भांति जुड़ा हुआ है। छठी योजना के बाद हैदराबाद में एक यूथ होस्टल बनाया गया था और हैदराबाद में एक यात्री निवास का निर्माण भी विचाराधीन है। राज्य सरकार भी विभिन्न पर्यटक केन्द्रों पर पर्यटक-गृह चलाती है।

12.00 मध्याह्न

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय :मैं यह कह रहा था कि आप खड़े रहेंगे या बैठेंगे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो के. के. तिवारी (बक्सर) : हमसे आगे भाषण जारी रहना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उठानी है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : बाराबंकी में बारह आदमी मारे गए हैं...

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त (डायमन्ड हार्बर) : बाराबंकी में घटित घटना के बारे में वक्तव्य दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : अन्य मुद्दों की तुलना में स्थगत प्रस्ताव को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं जो कुछ कह रहा हूँ, वह आप सुन लीजिए। देखिए, ऐसा है कि किसी भी बेकसूर की जब जान जाती है तो बहुत दर्द होता है। मैं बिल्कुल आपसे इस बात से सहमत हूँ। लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां हैं। स्टेट सबजेक्ट को मैं कैसे ले लूं।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अब्दुल रशीद काबुली : सरकार को कोई वक्तव्य देना चाहिए। गृह मंत्री को वक्तव्य देना चाहिए।

श्री जी. एम. बनात वाला : स्थगन प्रस्ताव...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : स्टेट असेम्बली है, स्टेट सबजेक्ट है, वहां जा सकते हैं। स्टेट असेम्बली उनका इस्तीफा मांग सकती है उनसे पूछ सकती है।

[अनुवाद]

इस मामले को उठाने की अनुमति नहीं दी जा रही है । इसका एक भी शब्द कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा । **(व्यवधान)****

अध्यक्ष महोदय : मेरी सन्तुष्टि नहीं हुई है । इस मामले को उठाने की अनुमति नहीं है। **(व्यवधान)****

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : तिवारी जी, आप बोलिए । आप क्या कहना चाहते हैं ?

[अनुवाद]

प्रो के. के. तिवारी : महोदय, इस सभा को स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को निकाल देने के लिए बरनाला सरकार एवं श्री बरनाला के प्रति सराहना की भावना व्यक्त करनी चाहिए और हमें अवश्य ही ··

अध्यक्ष महोदय : हम पहले ही यह कर चुके हैं ।

[हिन्दी]

आप नहीं थे । **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

प्रो. के. के. तिवारी : स्वर्ण मंदिर परिसर से लगभग 30 विदेशी राष्ट्रिकों को गिरफ्तार किया गया है। हम चाहते हैं कि गृह मंत्री महोदय इन लोगों की राष्ट्रीयता के बारे में एक वक्तव्य दें । आज प्रातः सात व्यक्तियों की गोली मार कर हत्या कर दी गई है···

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिये ।

[अनुवाद]

कुमारी बनर्जी बोलेंगीं ।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : शिक्षा समवर्ती विषय है । कलकत्ता विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों में से एक है···

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए ।

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

[अनुवाद]

अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

श्री शिव शंकर।

———

12.01 म. प.

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

इलायची व्यापार निगम लि. बंगलोर का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा, चाय कम्पनी (रुग्ण चाय एककों का अर्जन और अन्तरण) नियम, 1986

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) इलायची व्यापार निगम लि., बंगलोर के वर्ष के 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इलायची व्यापार निगम, लि., बंगलोर के वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गए : देखिए संख्या एल. टी. 2593/86]

(3) चाय कंपनी (रुग्ण चाय एककों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1985 की धारा 32 की उपधारा (3) के अन्तर्गत चाय कंपनी (रुग्ण चाय एककों का अर्जन और अन्तरण), नियम, 1986 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 14 अप्रैल, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 626 (अ) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 2594/86]।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलोर, के वर्ष 1984-85 के वार्षिक लेखे

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 19′8 की धारा 12 की उपधारा (4) के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 1984-85 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल. टी. 2595/86]।

इण्डियन एयर लाइन्स (उड़ान कर्मीदल) सेवा (संशोधन) विनियम, 1985
एयर इण्डिया के वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 45 की उपधारा (4) के अन्तर्गत इण्डियन एयर लाइन्स (उड़ान कर्मीदल) सेव (संशोधन) विनियम, 1985 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 19 अक्तूबर, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फिन/कल्व/43/3 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पणी । [ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल. टी. 2596/86]।

(2) (एक) वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 37 की उपधारा (2) के अन्तर्गत एयर इण्डिया के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा इसकी सहायक कम्पनियों, अर्थात् होटल कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड तथा एयर इण्डिया चार्टर्स लिमिटेड के प्रतिवेदन ।

(दो) वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 15 की उपधारा (4) के अन्तर्गत एयर इण्डिया के वर्ष 1984-85 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) एयर इण्डिया तथा इसकी सहायक कंपनियों, अर्थात् होटल कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड तथा एयर इण्डिया चार्टर्स लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल. टी. 2597/86]।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य विषय है। इसे उठाने की अनुमति नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। मैं सन्तुष्ट नहीं हुआ हूं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिये।

[अनुवाद]

मैं इसका पता लगाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री पी. नामग्याल : चाइना और पाकिस्तान के कोल्यूजन से खंजीराकपास से नेशनल फारेन टूरिस्ट्स और कारोबार के लिये अलाऊ कर दिया है। हमारे देश के इन्टरनल-अफेयर्स में दखलन्दाजी है। मिनिस्टर आफ ई. ए., इस समय हाऊस में मौजूद हैं वह इस पर स्टेटमेंट दें।

अध्यक्ष महोदय : लिखकर दीजिये। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री जनार्दन पुजारी।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (11वां संशोधन) नियम, 1986; समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1986; सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचनायें; भारतीय साधारण बीमा निगम के कार्यकरण के सम्बन्ध में वार्षिक प्रतिवेदन/हिसार सिरसा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आदि-आदि के प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (11वां संशोधन) नियम, 1986 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 21 अप्रैल, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 648(अ) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल. टी. 2598/86]।

(2) तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 की धारा 26 की उपधारा (3) के अन्तर्गत समपहृ सम्पत्ति अपील अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1986 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 19 अप्रैल, 1986 के भारत के राजस्व में अधिसूचना संख्या का. आ. 1547 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 2599/86]।

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा. का. नि. 622 (अ), जो 11 अप्रैल, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 17 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 65/86-सी. शु. में कतिपय संशोधन किया है ताकि चट्टान प्रवेछन वरणियों के भागों को 40 प्रतिशत शुल्क की रियायती दर के लिए पात्र के रूप में सम्मिलित किया जा सके और ऐसे भागों पर पहले वाले सीमा शुल्क टैरिफ के अन्तर्गत शुल्क संरचना को बनाए रखा जा सके।

(दो) सा. का. नि. 629 (अ) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो 15 अप्रैल, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जो निदान विद्या और शल्य प्रयोजनों के लिये अभिकल्पित एक्सरे कैमरों को, जब उनका भारत में आयात किया जाये, उन पर उद्ग्रहणीय 40 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक मूल्य सीमा-शुल्क तथा संपूर्ण अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(तीन) सा. का. नि. 630 (अ) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो 15 अप्रैल, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 61/85-सी. शु. में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि सुकर्तनीय इस्पात की छड़ों और शलाकों पर शुल्क की प्रभावी दर मूल्यानुसार 70 प्रतिशत के उसी स्तर पर निश्चित की जा सके।

(चार) सा का. नि. सं. 636 (अ) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो 16 अप्रैल, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो पेरेक्सीलीन को, जब उसका भारत में आयात डाइमियाइल टेरीक्थालेट के विनिर्माण के लिए किया जाये, उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल. टी. 2600/86]

(4) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम (अभिकर्त्ता) संशोधन नियम, 1986 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 29 मार्च, 19.6 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का नि. 228 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 2601/86]।

(5) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) नियम, 1973 के नियम 6 के अन्तर्गत भारतीय बीमा निगम तथा उसकी सहायक कंपनियों के 31 दिसम्बर, 1984 को

समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल. टी. 2602/86]।

(6) निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) हिसार सिरसा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हिसार के 31 दिसम्बर, 1984 को सामाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(दो) मुर्शीदाबाद ग्रामीण बैंक मुर्शीदाबाद के 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(तीन) मुजफ्फरनगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मुजफ्फरनगर के 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(चार) संगमेश्वर ग्रामीण बैंक, महबूब नगर के 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन । [ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल. टी. 2603/86] ।

कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (हल्दिया गोदी समूह के कर्मचारियों से भिन्न) भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति विनियम, 1985

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अन्तर्गत कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (हल्दिया गोदी समूह के कर्मचारियों से भिन्न) (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम, 1985 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 30 दिसम्बर, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 945 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल. टी. 2604/86] ।

12.03 म. प.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

कार्यवाही-सारांश

[अनुवाद]

श्री एम. तम्बि दुराई (धर्मपुरी) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की चालू वर्ष के दौरान हुई ग्यारहवीं से उन्नीसवीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल रखता हूं।

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

सातवां-प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.04 म. प.

मानसिक स्वास्थ्य विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति

प्रतिवेदन तथा साक्ष्य

डा चन्द्र शेखर त्रिपाठी (खलीसाबाद) : मैंमानसिक स्वास्थ्य विधेयक, 1981 के बारे में संसद की दोनों सभाओं की संयुक्त समीति के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा मैं मानसिक स्वास्थ्य विधेयक, 1981 के बारे में संसद की दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के समक्ष दिये गए साक्ष्य के अभिलेख (खंड 1 और 2) की एक प्रति भी सभा-पटल पर रखता हूं।

[हिन्दी]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सेफुद्दीन जी, आप लिखकर दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखकर के दीजिए···

(व्यवधान)

आप लिखकर दीजिए, मैं पता करता हूँ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। मैंने अपना निर्णय दे दिया है। यह एक राज्य विषय है।

[हिन्दी]

आप लिखकर दीजिए, मैं पता करवाऊँगा।

[अनुवाद]

आप मुझे लिख कर दें।

(व्यवधान) **

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बनात जी, आप बोलिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय हम सभा से बाहर जाने के लिए विवश हो गये हैं।

(व्यवधान)

तत्पश्चात् श्री जी. एम. बनातवाला तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किये जाने की अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान) **

12.06 म. प.

गुट निरपेक्ष आन्दोलन के मंत्रि-स्तरीय दल की त्रिपोली (लीबिया) तथा राष्ट्र संघ मुख्यालय, न्यूयार्क की यात्रा के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

विदेश मंत्री (श्री बी. आर. भगत) : गुट निरपेक्ष देशों के समन्वय ब्यूरो की 16 से 19 अप्रैल, 1986 तक नई दिल्ली में हुई मंत्री स्तरीय बैठक के आदेश के अनुसरण में गुट निरपेक्ष

** कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

गुट निरपेक्ष आन्दोलन के मंत्री-स्तरीय दल की त्रिपोली (लीबिया) तथा राष्ट्र संघ मुख्यालय, न्यूयार्क की यात्रा के बारे में वक्तव्य

2 मई, 1986

आन्दोलन का एक मंत्री स्तरीय दल 20-21 अप्रैल, 1986 को त्रिपोली (लीबिया) और उसके बाद 23-25 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयार्क गया। इस दल में भारत-युगोस्लाविया तथा क्यूबा के विदेश मंत्री और घाना, कांगो तथा सेनेगल के राजदूत शामिल थे जिन्होंने अपने-अपने विदेश मंत्रियों का प्रतिनिधित्व किया था। मुझे इस मंत्रिमण्डलीय दल का नेतृत्व करने का गौरव प्राप्त हुआ जिसे इस आंदोलन की सार्वभौमिक भौगोलिक व्यापकता और इसके व्यापक स्वरूप का प्रतिनिधित्व प्राप्त था।

2. इस दल ने 20 अप्रैल को महामान्य कर्नल मोग्रामेर अल गद्दाफी से भेंट की। उन्होंने लीबियाई अरब जमाहीरिया के प्राधिकारियों और वहां की जनता की ओर से इस बात के लिए धन्यवाद दिया और अत्यन्त सराहना की कि गुट निरपेक्ष आन्दोलन ने इस संकट की घड़ी में अपना दृढ़ समर्थन दिया है और वहां की जनता के प्रति अपनी एक जुटता प्रदर्शित की है। उन्होंने कहा कि विश्व को अमरीका की इस कार्रवाई पर गौर करना चाहिए जिसने कि असैनिकों की जान-माल को भारी क्षति पहुंचाई है और उसे तहस-नहस कर दिया है। उनका कहना था कि उनकी ओर से किसी प्रकार की आतंकवादी कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना यह है कि इस क्षेत्र में तनाव का मुख्य कारण यह है कि फिलीस्तीनी लोगों को उनके उचित अधिकार नहीं दिए गए हैं और उन्हें मजबूर होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हिंसात्मक तरीके अपनाने पड़े हैं।

3. न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में इस ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव तथा सुरक्षा परिषद् के अध्यक्ष से मुलाकात करके उन्हें वह विज्ञपित दी जिसे गुट निरपेक्ष विदेश मंत्रियों और शिष्टमण्डल प्रमुखों की लीबिया मसले के बारे में 15 अप्रैल को हुई आपात बैठक में स्वीकार किया गया था। दल के सदस्यों ने उन्हें यह भी बताया कि घटनाक्रम ने जिस तरह मोड़ लिया है उससे आन्दोलन को अत्यधिक चिन्ता हो गई है और वह इस बात की जरूरत महसूस करता है कि संयुक्त राष्ट्र तत्काल कार्रवाई करे ताकि पहले से ही तनावपुर्ण यह स्थिति और अधिक न भड़कने पाये।

4. परिषद् के समक्ष अपने वक्तव्य में मैंने अपनी इस सैद्धांतिक स्थिति को दोहराया कि हम आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ हैं चाहे वह किसी एक व्यक्ति के द्वारा किए गए हो या व्यक्तियों के समूह द्वारा अथवा राज्यों द्वारा किए गये हों। इस बुराई से निपटने के लिए किसी भी सुविचारित अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी प्रयास को हम अपना समर्थन देने को तैयार हैं। इसके साथ ही इस बात से हमारा चिंतित होना बहुत स्वाभाविक है कि प्रभुसम्पन्न राज्य अंतर्राष्ट्रीय आचरण के मानदण्डों का उल्लंघन कर रहे हैं। हाल ही के घटनाक्रम से छोटे-छोटे राज्यों की सुरक्षा के लिए जो खतरा उत्पन्न हो सकता है उससे भी हम गम्भीर रूप से चिंतित हैं।

5. हमारे इस दल के अनुरोध पर 24 अप्रैल को सुरक्षा परिषद् की जो बैठक बुलाई गई थी उसमें मैंने परिषद् के समक्ष संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर आधारित एक सैद्धांतिक स्थिति प्रस्तुत

की। मैंने इस बात पर जोर दिया कि इस संकट की घड़ी में संयम बरतने की अत्यंत आवश्यकता है और महासचिव से अनुरोध किया कि वे अपने शांति प्रयासों को जारी रखें विशेषकर तब जब कि तीन देशों द्वारा किए गए वीटो के प्रयोग के कारण परिषद पंगु हो गई है। महासचिव ने गुट निरपेक्ष आन्दोलन की ताकत और उसके समर्थन की साराहना की और हमें यह आश्वासन दिया कि जो कुछ भी वे कर सकते हैं वह कर रहे हैं और आगे भी यथाशक्ति करते हो रहेंगे।

6. मेरे अलावा, इस विचार गोष्ठी में क्यूबा तथा यूगोस्लाविया के विदेश मंत्री तथा संयुक्त राष्ट्र में घाना और कांगो के स्थायी प्रतिनिधि (जिन्होंने अपने-अपने विदेश मंत्रियो का प्रतिनिधित्व किया था) भी बोले। अमरीका और यू. के. के स्थायी प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी सरकारों की कार्रवाई के पक्ष में बोला और लीबियाई मसले दर गुट निरपेक्ष आंदोलन द्वारा अपनाए गए रुख की आलोचना की।

6. मेरे अलावा, इस विचार गोष्ठी में क्यूबा तथा यूगोस्लाविया के विदेश मंत्री तथा संयुक्त राष्ट्र में घाना और कांगो के स्थायी प्रतिनिधि (जिन्होंने अपने-अपने विदेश मंत्रियों का प्रतिनिधित्व किया था) भी बोले। अमरीका और यू. के. के स्थायी प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी सरकारों की कार्रवाई के पक्ष में बोला और लीबियाई मसले पर गुट-निरपेक्ष आंदोलन द्वारा अपनाए गए रुख की आलोचना की।

12.09 म. प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

प्रो. के. के. तिवारी : महोदय, कुछ दिन पहले माननीय सदस्य इस विषय पर चर्चा करना चाहते थे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एच. के. एल. भगत।

प्रो. के. के. तिवारी : महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस विषय पर चर्चा की अनुमति देने का वचन दिया था। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एच. के. एल. भगत इस पर एक व्यक्तव्य दे रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवारी-वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं दिया जाएगा।

(व्यवधान)**

** कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

12.10 म. प.

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत)

महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूँ कि सत्र की शेष समयावधि के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

(1) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :

(क) मुस्लिम स्त्री (विवाह-विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) विधेयक, 1986

(ख) स्वदेशी काटन मिल कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) विधेयक, 1986

(2) नई शिक्षा नीति का अनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा।

डा. गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : महोदय, निम्नलिखित मद को अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल किया जाए;

यह पता लगना वास्तव में बड़ा निराशाजनक है की समस्त ग्रामीण तथा शहरी, जनसंख्या के लिए पीने-योग्य पानी के लक्ष्य को 1991 तक पूरा नहीं किया जा सकेगा, यह निर्धारित अन्तिम तिथि नियोजकों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय पेय-जल आपूर्ति तथा सफाई दशक के लदयानुरुप है। एक हाल ही के सर्वेक्षणानुसार, वे शहरी-क्षेत्रों में 90 प्रतिशत तथा ग्रामीण-क्षेत्रों में 85 प्रतिशत जनसंख्या को ही यह सुविधा उपलब्ध कर पायेंगे। इसके लिए संसाधनों की कमी को मुख्य कारण बताया गया है। इसलिए लवणता, उच्च फ्लुराईड अंश तथा जीवाणु जल-दूषण के उपरार्थ सस्ते उपायों का पता लगाया जाना परमावश्यक है।

इस सम्बन्ध में मैं केन्द्रिय सरकार का, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों, विशेष मिथिला क्षेत्र में, दीर्घ तथा अल्प-जलापूर्ती-योजना युद्ध-स्तरीय क्रियान्वयन की अत्यावश्यक जरुरत की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। वहां गांवों में अनेक पेय-जलयोजनाएं सातवें दशक से अधूरी पड़ी है। केन्द्रीय सरकार ने इन योजनाओं पर अत्याधिक धनराशि खर्च की हैं लेकिन ग्रामीण लोग को इससे फायदा नहीं हुआ है। केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि वे इस समस्या की तरफ उचित ध्यान द ताकि बिहार के ग्रामीण लोग विशेषकर मिथिला-क्षेत्र के लोगों को पेय-जल का कम से कम एक सुरक्षित स्रोत मिल जाए।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : महोदय, मैं सरकार की अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नानुरोध को। शामिल करने की प्रार्थना करता हूँ।

केन्द्र सरकार द्वारा उड़ीसा राज्य को पर्याप्त परियोजनाएं यथा सामल-बाध, तथा धनराशि न दिये जाने के कारण सामल बैराज्य, ऊपरी कोलाब सिंचाई तथा सुबर्ण रेखा परियोजना का उड़ीसा की तरफ के कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि देना सम्भव नहीं हो सका है। इसके परिणाम स्वरूप, सिंचाई रजवाहे बनाने के लिए धन को अभाव के कारण इन दोनों परियोजनाओं से समस्त जल व्यर्थ चला जाएगा। इसी तरह, सुबर्णरेखा परियोजना के मामले में, बिहार के हिस्से के कार्य तो पूर्ण हो जायेंगे और सातवीं योजना में उड़ीसा में सिंचाई रजवाहों के अभाव में उड़ीसा सीमा पर उपलब्ध जल का उपयोग नहीं किया जा सकता। सरकार को इस ओर ततकाल ध्यान देना चाहिए।

डा. ए. कलनिधि (मद्रास मध्य) : निम्न मद को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित किया जाए।

लेप्टोसपिरोसिस, एक जलोत्पन्न रोग, मद्रास के लोगों के लिए बड़ी चिन्ता का कारण बनी हुई है। यह बीमारी पूरे मद्रास शहर विशेष रूप से उत्तरी मद्रास में फैली हुई है। अतः लोग प्रभावित हो रहे हैं, डाक्टर तथा स्टाफ नर्सें भी इस बिमारी के कारण इसके प्रकोप से बचे नहीं हैं। एक छात्र की मृत्यु भी हो गई है। इसमें पहले बुखार आता है, सरकम कोन्नियल इंजैक्शन तथा बाद में मेन्निजाइटस हेपाटाइटस तथा मृत्यु हो जाती है। इससे भी अधिक गम्भीर बात यह है कि मद्रास शहर से एड्स बीमारी की के 6 मामलों का समाचार भी मिला है। जब शर्दकालीन अधिवेशन में सभा में एड्स रोग होने का प्रश्न उठाया गया था। तब माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने भारत में ऐसी बीमारी की बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया था। तमिलनाडु के माननीय स्वास्थ्य मन्त्री ने 30.4.1986 को तमिलनाडु विधान सभा में एक वक्तव्य दिया था कि 1985 के दौरान एडस के छः मामलों की खबर है। लेकिन आई. सी. एम. आर तथा भारतीय चिकित्सा परिषद अनुरोध परा इस बारे में बताया नहीं गया था। क्या यह सत्य है कि छः महिला इस रोग से पीड़ित थीं अब उनका संपरोधन कर दिया गया है। क्या उन्हें खून चढ़ाया गया था अपना उन्होंने कभी रक्त दान किया है? क्या इन महिलाओं को कोई इन्जेक्शन दिया गया था। यदि दिया गया है तो जिन डाक्टरों व नर्सों ने इनका ध्यान रखा था, उनकी जांच की गई है? क्या एडस के इन रोगियों के लिए प्रयुक्त सीरिज सूइयां तथा सामग्री को नष्ट कर दिया गया था या नहीं?

एड्स के भयानक तेवर तथा लेप्ट्रोसपिरोसिस के फैलाव को दृष्टि में रखते हुए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि डाक्टरों सामाजिक कार्य कर्त्ताओं तथा संसद सदस्यों की एक समिति गठित की जाए ताकि इत बीमारियों की रोकथाम एवं उपचारात्मक उपायों को लोकप्रिय बनाया जा सके।

[हिन्दी]

श्री अजीज कुरेशी (सतना) अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री अगले सप्ताह में होने वाली सदन की कार्यवाही में निम्नलिखित विषय सम्मिलित करने की कृपा करें।

मध्य प्रदेश के सतना लोक-सभा क्षेत्र में पीने के पानी का भयंकर संकट है। यह सतना चित्रकूट, महियर, रेगांव, अमरपाटन, बड़वाहा, केमूर, नागोद, और रामपुर बघेला विधान-सभा क्षेत्रों में गरीब मजदूर, किसान और आम जनता, यहां तक कि मलेशियों तक को पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, विशेषकर आदिवासी और हरिजन एवं दूसरे पिछड़े वर्ग के गरीब और मजदूर किसानों के गांवों में अभूतपूर्व कठिनाइयों का सामना वहां की जनता को करना पड़ रहा है। केन्द्र सरकार मध्य प्रदेश सरकार को विशेष वित्तीय सहायता देकर युद्ध स्तर पर पीने के पानी के संकट को दूर करने की शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करे।

मध्य प्रदेश के सतना लोक-सभा क्षेत्र में भयंकर बेरोजगारी का सामना वहां की जनता और विशेषकर नौजवानों को करना पड़ रहा है। सतना लोक-सभा क्षेत्र में स्थापित सीमेंट की फैक्ट्रियां और अन्य उद्योगों में इस क्षेत्र के उद्योगपति जिनमें टाटा और बिरला शामिल हैं, स्थानीय जनता को रोजगार नहीं देते, जिससे आम लोगों में और विशेषकर शिक्षित बेरोजगारों में भयंकर बेचैनी और असंतोष है।

केन्द्र सरकार विशेष रुचि लेकर सतना लोक-सभा में किसी बड़े केन्द्रीय उद्योग की स्थापना पर विचार कर के उसे तुरन्त स्थापित करे ताकि इस क्षेत्र को नौजवानों की बेरोजगारी दूर हो सके और जनता का जीवन स्तर ऊपर उठ सके। साथ ही केन्द्र सरकार बिरला और टाटा जैसे उद्योगपतियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए उन्हें निदेश दे कि वह आवश्यक रूप से स्थानीय लोगों को रोजगार दें।

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि (बालासोर) मैं 5.5.86 से शुरू होने वाले सप्ताह की कार्य सूची में इन दो विषयों को निम्न रूप में प्रस्तुत करना चाहूंगा।

दक्षिण पूर्व रेलवे के अन्तर्गत एस. ई. रेलवे कर्मचारी संघ के कई हजार कर्मचारियों ने 22.4.86 से अपनी चौदह मांगों को मनवाने के लिए टोली उपवास हड़ताल द्वारा आन्दोलन शुरू कर दिया है, इनमें औद्योगिक सम्बन्धों को सुचारु बनाने चौथे वेतन आयोग की रिपोर्ट की शीघ्र प्रस्तुती अन्तरिम-राहत की तीसरी किस्त की शीघ्र स्वीकृति शर्तों पर से प्रतिबन्ध हटाना 'सी' तथा 'डी' वर्गों की श्रेणी में विद्यमान रिक्तियों को भरना आदि मागे शामिल हैं यदि इस गत्वावरोध को आगे भी चलने दिया जाता है तो इससे सरकारी राजकोष को बड़ा घाटा होगा तथा रेल यातायात भी प्रभावित होगा। इस गम्भीर मामले को शेष अधिवेशन की कार्य सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता है। दूसरे उड़ीसा में तलचर में बहुप्रतिष्ठित तथा बहुमूल्य भारी पानी संयंत्र जो तलचर उर्वरक कारखाने के परिसर स्थित है, को 29.4.86 को एक भारी विस्फोट के कारण बन्द कर दिया गया है, इस विस्फोट से नियंत्रक-कक्ष पूरी तरह नष्ट हो गया है, तथा वहां एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है तथा साथ दी उस क्षेत्र के कर्मचारी तथा अन्य लोक भय ग्रस्त हो गए हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के इस भारी पानी संयंत्र की 300 किलोग्राम है लेकिन संयंत्र का पम्प 300 किलोग्राम की अधिष्ठापित क्षमता से अधिक 350 किलोग्राम के लिए

चलाया जा रहा है। इससे यह विस्फोट हुआ। इससे मानव जीवन तथा सरकीरी सम्पत्ति के हानि की आशंकाएं हैं, विशेषकर जब यह संयत्र तलचर उर्वरक संयत्र के परिसर में स्थित है, इससे उर्वरक संयत्र को भी खतरा हो सकता है। इस महत्वपूर्ण विषय को 5.5.86 से शुरू होने वाले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल करने की आवश्यकता है।

श्री अनूपचन्द शाह (उत्तर बम्बई) महोदय, निम्नलिखित मामले को आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मलित किया जाए।

नई कपड़ा नीति को लागू करने के बाद ऐसा लगता है कि विद्युत करघा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं तथा इस उद्योग में लगे बहुत से कर्मकारों के नौकरी से बाहर होने की सम्भावना है। और लघु उद्योग में लगे बहुत से आदमियों को भी नौकरी से निकाला जा सकता है। विद्युत करघा उद्योग को तोड़ने से हमारी अर्थ व्यवस्था पर दीर्घ गायी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। मैं माननीय संसदीय मंत्री से निम्न विषय के आगामी सप्ताह की कार्य सूची में शामिल करने का अनुरोध करता हूं विद्युत करघा उद्योग पर नई कपड़ा नीति का प्रभाव तथा विद्युत करघा उद्योग को जीवित रखने के लिए जाने वाले कदम''

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : मननीय उपाध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषय को आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल करने का कष्ट करें :

श्रीलंका में भारतीय मूल के नागरिकों की हत्यायें एवं उनका उत्पीड़न निरन्तर चल रहा है। एक लम्बे अर्से से वार्ताओं के क्रम में भारत सरकार और लंका सरकार जुटी हुई है। समय-समय पर भारतीय सरकार के प्रतिनिधि प्रस्ताव लेकर श्रीलंका गए और इसी प्रकार श्रीलंका सरकार के भी संदेशवाहक भारत आये किन्तु अभी तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सके। फिलहाल जो वार्ता चल रही है, उसके भी नतीजे पुराने नतीजों जैसे ही निकलने के संकेत समाचार-पत्रों में आ रहे हैं। आज एक तरफ वार्ता द्वारा समस्या सुलझाने का प्रयास हो रहा है, तो दूसरी ओर तमिलों के दो गुटों में ही झगड़ा करा दिया है, जिससे यह वार्ता भी बिफल हो जाये और श्रीलंका में स्थिति जैसी की तैसी बनी रहे। मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि प्राय: अप्रैल मई माह में ही श्रीलंका द्वारा विशेष वर्ता का समय चुना जाता है, क्योंकि जून माह में श्रीलंका को आर्थिक सहायता देने वाले देशों की मीटिंग होती है। श्रीलंका के बजट में 50 परसेंट विदेशी आर्थिक सहायता का सहयोग रहता है। श्रीलंका सरकार इस मीटिंग में अपनी समस्या के हल को बातचीत द्वारा निपटाने का संकेत देती है और आर्थिक सहायता देने वाले देशों से अपना काम निकाल लेती है। मेरा सरकार से आग्रह है कि श्रीलंका में भारतीय मूल के नागरिकों की समस्याओं के लिए भारतीय सरकार वार्ता के अतिरिक्त कुछ अन्य ठोस कदम भी उठाए। उदाहरण के लिए आर्थिक, राजनीतिक प्रतिबन्ध हो सकते हैं, जो समस्या के हल में सहयोए दे सकते हैं।

अत: इस विषय को सदन में विचार के लिए लिया जाये।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषय को सम्मिलित किया जाय :

"देश में शिक्षित बेरोजगारों की सख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। इधर सभी मंत्रालयों में नियुक्ति पर केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा प्रतिबन्ध है, जिससे रोजगार के सभी दरवाजे बन्द हैं। सभी सहकारी संस्थाओं पर भी नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगा है। बिहार में यह प्रतिबन्ध पिछले तीन वर्षों से चल रहा है।"

श्री मूलचन्द डागा (पाली) उपाध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय को शामिल करने का कष्ट करें :

"आज भी देश में हजारो-हजारों दूरदराज के गावों में व विशेषकर रेगिस्तान के इलाकों में जहां पिछले चार साल से बादल नहीं बरस रहे हैं, वहां पीने का पानी का असहनीय संकट है। पशु-धन का तो पीने का पानी नहीं मिलने के कारण विशाल पैमाने पर नुकशान हो रहा है और 8 साल की आजादी के बाद भी सभी गांवों में एक स्रोत भी पीने के पानी का सरकार, राज्य सरकारें उपलब्ध नहीं कर सकीं, यह भारी विडम्बना है। धनराशि आवंटित हुई है, उसका दुरुपयोग भारी हुआ है और ग्रामीण लोग पीने के पानी से वंचित रह गए हैं।"

श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : निम्नलिखित मद को आगामी सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए :

केन्द्र ने कर्नाटक विद्युत निगम के 60 करोड़ रुपये के ऋण पत्र जारी करने तथा डीजल जेनरेटरों के आयात के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है। कर्नाटक राज्य बिजली की गम्भीर कमी का सामना कर रहा है। केन्द्र डीजल जनरेटरों के आयात को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया है की विदेशी मुद्रा स्थिति अच्छी नहीं है। जब केन्द्र आधुनिकीकरण की बात कह कर हर प्रकार का आयात कर रहा है, तो उसने कर्नाटक सरकार को डीजल-जनरेटर आयात करने से क्यों रोका है और वह भी तब जब कि कर्नाटक राज्य को बिजयी की कमी का सामना करना पड़ रहा है और औद्योगिक उत्पादन गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। अतः यह अनुरोध है कि सरकार को अपने प्रस्ताव पर पुनर्विचार करना चाहिए तथा कर्नाटक सरकार को डीजल जेनरेटरों के आयात की अनुमति देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : माननीय संसदीय मन्त्री

संसदीय कार्य एवं पर्यटन मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) महोदय, मैंने माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों को सुना है तथा इनको कार्य मंत्रणा समिति के ध्यान में लाऊंगा। तथापि मैं पुनः इस बात को कहना चाहता हूं कि माननीय सस्दयों द्वारा उठाए जाने वाले मामलों का संख्या अधिक है तथा बी. ए. सी. के पास सदैव समय सीमित होरा है। और भी दूसरे मामले हैं, नियम 193 के अंतर्गत विशेष चर्चा आदि हैं। मेरा कर्तव्य वही है तथा मैं इसे कार्य-मन्त्रणा समिती के ध्यान में लाऊंगा।

12.28 म. प.

मंत्रियों के (भत्ते चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम 1986 के संबंध में सांविधिक सकल्प (जारी)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या पर विचार करेंगे। कुमारी ममता बनर्जी।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : महोदय, मैं श्री राम निवास मिर्धा द्वारा प्रस्तुत किए गए संकल्प का समर्थन करती हूँ।

प्रधान मन्त्री तथा मंत्र मण्डल के मंत्रियों के व्ययसंबंधी भत्ते को बढ़ा कर क्रमशः 1500 रुपये और 1000 रुपये कर देने के संबंध में सरकार के निर्णय का स्वागत है। राज्य मंत्रियों और उप मन्त्रियों के व्ययसम्बन्धी भत्ते को क्रमशः 500 रुपये और 300 रुपये कर देने के प्रस्ताव का भी स्वागत है। किन्तु मैं सोचती हूं कि यह पर्याप्त नहीं है क्योंकि यह राशि बहुत कम है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि राज्य मन्त्रियों और उपमन्त्रियों के व्ययसम्बन्धी भत्ते को क्रमशः 500 रुपये से 1000 और 300 रुपये के 500 रु. कर दिया जाए।

महोदय, हम सब संसद सदस्य हैं और सदस्यों में कोई भेद नहीं है। मन्त्री भी मानव ही है। उनके पास अधिक शक्तियां हैं और उनकी जिम्मेदारियां तथा कर्त्तव्य भी भारी हैं और उन्हें अपना रुतबा बनाए रखना चाहिए। उनका जन सम्पर्क अधिक है और उनका कार्य बहुत अधिक है। अतः हमें वास्तविकता को देखकर उसे समझना चाहिए। किसी भी चीज की सदैव आलोचना करना तो बहुत सहज है किन्तु जैसा कि मैंने बताया हम सभी बातों का कार्यान्वयन बहुत कठिन है। मैं एक सदस्य के कथन को सुनकर मैं वास्तव में हैरान हुई जिसे में उद्धुत कर रही हूँ ;

> "जहां तक मन्त्रियों की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किए जाने वाले व्ययों का सम्बन्ध है यह तो उसका एक क्षूडांष ही है मन्त्री लोग न केवल सरकारी धन कम करते हैं अपितु, विभिन्न दौरों में तथा देश में अथवा विदेश में मनोरंजन के लिए वे सरकारी उपक्रमों का धन भी खर्च करते हैं। वे सभी प्रकार के स्रोतों से धन का व्यय करते हैं" •

मैं समझती हूँ कि यह एक बहुत **(व्यवधान)

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : क्या यह संसदीय शिष्टाचार के अनुरूप है ? क्या यह नियमों के अनुसार है ?

कुमारी ममता बनर्जी : मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि वे इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं। मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। मैं तो केवल संसदीय वाद-विवाद से उद्धृत कर रही हूं।

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह असंसदीय है तो उसको कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री अमल दत्त : वह कह सकती हैं कि इसका सबको पता है वह कह सकती है कि ये नहीं कहा जा सकता। परन्तु वह···शब्द का प्रयोग नहीं कर सकतीं।

कुमारी ममत बनर्जी : मैं संसदीय बाद विवाद से उद्धृत कर रही हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : महोदया, वे उस शब्द की बात कर रहे हैं जिसका आप प्रयोग कर रही हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं यह शब्द संसदीय वाद-विवाद से उद्धत कर रह हूं।

श्री अमल दत्त : वह सभा में बोल रही हैं। यदि वह सही ढंग से अभिव्यक्ति नहीं कर सकती हैं तो उन्हें वह कहने दीजिए। मैं उन्हें सलाह दे सकता हूं।

कुमारी ममता बनर्जी : मेरा विचार भी यही है। मैं संसदीय वाद-विवाद को उद्धृत कर रही है। मैं जानती हूं कि मेरे ये मित्र शब्दों से खेल रहे हैं। वे वास्तव में हमरे देश के प्रति रुचि नहीं रखते। वे हमेशा हमारी आलोचना करते हैं। परन्तु उनके भाषण में एक चीनी मित्र को पहले ही उद्धृत किया है कि चीनी लोग कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। यह मित्र अब हमारी सरकार को हमारे मन्त्री और प्रधान मन्त्री महोदय को भी बदनाम कर रहे हैं। मैं भी इन मंत्रियों और सदस्यों के कुछ विचारों से सहमत हूं। (**व्यवधान**) मेरे भी ऐसे ही विचार हैं, जैसे कि माननीय सदस्य एवं माननीय मन्त्री जी के हैं। यह सच है कि···**

श्री अमल दत्त : महोदय, उन्हें यह सब बातें क्यों कहने दी जायें ?

कुमारी ममता बनर्जी : जो मैंने कहा वह सब मेरे विवेकाधिकार के अन्तर्गत आता है।

(**व्यवधान**)**

उपाध्यक्ष महोदय : महोदय, उन्हें बीच में मत घसीटिये।

श्री अमल दत्त : उन्हें सीखना होगा।

कुमारी ममता बनर्जी : मैंने उत्तर नहीं दिया है जिसको मैंने उद्धृत किया है वह मेरा कथन है। मुझे संकल्प का समर्थन करना चाहिए और मैं कर रही हूं। इसलिए मैं उद्धृत कर रही हूं। महोदय उन्हें इस पर उत्तेजित नहीं होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें बीच में मत घसीटिए।

श्री अमल दत्त : मन्त्री आप सचेतक भी हैं।

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

कुमारी बनर्जी : उन्होंने हमारे प्रधान मन्त्री महोदय और मंत्रियों के बारे में सब कुछ कहा है। मैं उद्धृत क्यों न करूं ? किसी भी मंत्री महोदय के भाषण से उद्धृत करना मेरा प्रजातांत्रिक अधिकार है।

डा. सुधीर राय (बर्द्धवान) : वह सत्य को बिगाड़ कर रख रही हैं। · **(व्यवधान)

यह सच नहीं है। (व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : मैं इन सदस्यों से कहती हूं कि वे जाकर अपना चेहरा आईने में देखें। तभी उन्हें सरकार की आलोचना करनी चाहिए और हमारी सरकार को निन्दा करनी चाहिए।

श्री अमल दत्त : वह यह कह रही हैं कि **···महोदय आपको इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए। (व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : मैं यह कह नहीं रही हूँ मैं तो उद्धृत कर रही हूँ। यह तो वह पहले ही कह चुके हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने उद्धृत किया है। अतः मैं यह कहना चाहूँगी कि लिफ्ट लगाई गई ···** ··

उपाध्यक्ष महोदय : महोदया उन्हें बीच में मत घसीटिए। मैं इसके लिए अनुमति नहीं दूंगा, कृपया बैठ जाइये। मैं अनुमति नहीं दूंगा।

श्री अमल दत्त : उनके पास इससे कुछ अच्छा कहने को है ही नहीं। (व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दूंगा। महोदया, मैंने आपको बता दिया है कि मैं अनुमति नहीं दूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं अनुमति नहीं दूंगा। (व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसा न करें।

कुमारी ममत बनर्जी : क्यों नहीं ? जो भी मैं कर रही हूं वह संसदीय वाद विवाद से ही कह रही हूँ और मैं विभिन्न स्रोतों से कह रही हूँ। स्रोत भिन्न हैं।···**···

उपाध्यक्ष महोदय : महोदया, आप उन्हें बीच में क्यों घसीट रही हैं ? मैं अनुमति नहीं दूंगा। मंत्री महोदय आप उत्तर दे सकते हैं। (व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : महोदया, मैं आपको अनुमति नहीं देता आप बैठ जायें। मैं अनुमति नहीं देता बैठ जाइये। (व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये महोदया मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दूंगा। कृपया बैठ जाइये। (व्यवधान)**

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : महोदय, समय समाप्त हो गया है। मंत्री महोदय उत्तर देने जा रहे हैं। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री ब्रजमोहन महन्ती : एक व्यवस्था का प्रश्न है : प्रश्न यह है कि क्या संसदीय वाद विवाद को यहां उद्धृत किया जा सकता है या नहीं। आपको निर्णय देना चाहिए।

श्री अमल दत्त : नहीं यदि यह संसदीय वाद विवाद नहीं है तो बात अलग है। परन्तु यदि यह संसदीय वाद विवाद में है

कुमारी ममता बनर्जी : जी हां, यह संसदीय वाद विवाद में है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं केवल यह कह रहा हूं कि राज्य के मामलों में मंत्रियों का बीच में लाया जाना मुझे मंजूर नहीं है। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। यह काफी है। अब माननीय मन्त्री चर्चा का उत्तर देगे।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। आपका समय समप्त हो गया।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं इसके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने केवल पांच मिनट लिए थे आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री अमल दत्त : कार्य की बातें करने में ही उन्होंने 10 मिनट ले लिए हैं। (व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : मैं माननीय मंत्री से सहमत हूं कि मंत्रियों को राजनैतिक प्रयोजनों के लिए सरकारी सक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम अपने मंत्रियों पर गर्व करते हैं क्योंकि हमारे प्रधान मंत्री महोदय तथा मंत्री जी जब किसी सरकारी कार्यक्रम के संबंध में किसी स्थान का दौरा करते हैं तो वह पूरी तरह से सरकारी कार्यक्रम रोल है, जब वे किसी राजनीतिक कार्यक्रम के बारे में किसी स्थान का दौरा करते हैं, तो वह राजनीतिक कार्यक्रम होता है। अतः सार्वजनिक कार्यक्रम और सरकारी कार्यक्रम और राजनीतिक कार्यक्रम में कुछ अन्तर होता है। मैं यह भी कहना चाहूँगी कि वह हमारे माननीय मंत्री जी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक गए तो उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया था। एक माननीय सदस्य ने कहा था कि इस प्रकार का नवीन-तम उदाहरण प्रधान मंत्री की यात्रा थी जिसने पूरे राष्ट्र में होहल्ला मचा दिया है। वह सूखा से प्रभावित लोगों की हालत देखने गये थे; वह उनके लिए कुछ कर रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इन बातों को उद्धृत करने की अनुमति लेने के लिए आपने लिख कर दिया था ? बिना अनुमति के आप कैसे उद्धृत कर सकती हैं ? (व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : में कुछ भी उद्धृत कर सकती हूँ। यह कोई संसदीय प्रश्न नहीं है।

** कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : उसके लिए भी आपको अनुमति लेनी होगी। (व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : उन्होंने बताया है कि प्रधान मंत्री महोदय ने होहल्ला मचा दिया है। यह एक झूठा आरोप है। प्रधान मंत्री महोदय ने इससे स्पष्ट इन्कार कर दिया है कि उन्होंने कभी भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री के सम्बन्ध में कुछ कहा है। परन्तु कुछ राजनीतिक दलों के सदस्य हमारी सरकार और हमारे मंत्रियों को बदनाम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अतः, मैं इसका हार्दिक रूप से समर्थन करती हूं और मार्क्सवादी दल की ओर से लगाये गए सभी आरोपों से भी इन्कार करती हूँ। (व्यवधान)

संसदीय कार्य तथा पर्यटन मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : मामला बहुत ही साधारण हैं। मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते का संशोधन सम्बन्धी विधेयक, जो अब अधिनियम बन चुका है, संसद द्वारा पहले ही सर्वसम्मति से पारित किया जा चुका है। संसद ने, इस सभा में स्वयं ही यह विधेयक पारित किया था तथा यह सर्वसम्मति से पारित हुआ था। कुछ और भत्तों की व्यवस्था करने के लिए संशोधन किये गए थे, राशि बढ़ा दी गई थी। संसद के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव लसी क्रियाविधि का परिणाम है, जिसमें कुछ चीजों का लोप करने की अनुमति मांगी गई है। मेरे विचार से यह एक ऐसा मामला है शिसके लिए वाद-विवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ माननीय सदस्यों ने इस विषय को लेकर कुछ ऐसे मामले उठाना उचित समझा है जो अन्य चर्चाओं में उठाये गये थे, जैसे प्रधान मंत्री की कर्नाटक यात्रा के सम्बन्ध में, उन्होंने क्या कहा और क्या नहीं कहा। यह मामला अन्य चर्चाओं में विभिन्न रूपों में उठाया गया है परन्तु कुछ माननीय सदस्यों ने इसे इस समय ठीक समझा है। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि इस सम्बन्ध में की गई टिप्पणियों तथा आरोपों में कोई सार नहीं है। तब सामान्य रूप से मंत्रियों के सम्बन्ध में कुछ अन्य बातें भी कही गई, जो मेरी समझ में··· मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। ये सब बातें ठीक नहीं हैं। मैं उन सब बातों को यहां साथ लेना ठीक नहीं चाहता। यह मामला विधेयक की क्रियाविधि के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ है, विधेयक पर सभा पहले ही बिना किसी मतभेद के पारित कर चुकी है। इसलिए, मैं अनुरोध करता हूं कि प्रस्ताव का समर्थन दिया जाये।

श्री मूल चन्द डागा : मैं कुछ कहना चाहता हूं।

उपाध्य महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा मंत्रियों के सबलमों और भत्तो से सम्बन्धित अधिनियम, 1952, (1952 का 58) की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत बनाये गये और 2 अप्रैल, 1986 को सभा पटल पर रखे गये, मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 1986 के प्रारूप का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.40 म. प.

औद्योगिक वित्त नियम (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

" औद्योगिक वित्त निगम, अधिनियम' 1948 में आगे और संशोधुन करने से विधेयक पर विचार किया जाये।"

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, संसद विधेयक द्वारा, 1948 में प्रतिस्थापिन देश का प्रथम विकास संस्थान है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम मध्यम तथा बड़े आकार की उपयुक्त परियोजनाओं को विभिन्न प्रकार की सहायता देता है। यह सहायता रुपये के रूप में, विदेशी मुद्रा ऋण के रूप में, शेयरों व ऋण-पत्रों के प्रत्यक्ष अंशदान के उत्तरदायित्व के रूप में तथा अस्थगित भुगतान तथा विदेशी ऋणों की गारंटी के रूप में भी हो सकती है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिये संवर्धनात्मक कार्य भी अधिकाधिक रूप में प्रारंभ किये हैं।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा की जाने वाली अपनी स्थापना के समय से 31 दिसम्बर, 1985 तक कुल मिलाकर क्रमशः 2777.8 करोड़ रुपये राशि की सहायता की स्वीकृति दी गई और 2084.30 करोड़ रुपये की सहायता वितरित की गई है। इस सहायता का लगभग 52 प्रतिशत भाग पिछड़े इलाकों में प्रतिस्थापित परियोजनाओं को प्राप्त हुआ है।

ऐसा महसूस किया गया है कि अब औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम में कुछ संशोधनों की आवश्यकता है जिससे कि वह अपने कार्यों को सहज रूप में करता रहे। ये संशोधन मुख्यतः निगम के कार्य क्षेत्र को विस्तृत करने, भविष्य में करोबार का विस्तार करने के लिए संसाधनों का विस्तार करने, प्रबंधक ढांचे का पुनः संगठन करने तथा निगम की कार्यप्रणाली तथा संचालन मामलों में लगे प्रतिबन्धों को हटाने से सम्बन्धित है।

इस विधान को सम्मानित सदन के समक्ष लाने का अन्तर्निहित प्रयोजम तथा कारण विधेयक के साथ संचलन उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में दिये गए हैं।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के मुख्य कार्य औद्योगिक कंपनियों को विभिन्न प्रकार सुविधाएं देने से सम्बन्धित है। औद्योगिक वित्त निगम अधिनियस में "औद्योगिक कंपनी" की परिभाषा का विस्तार करने का प्रस्ताव है जिससे कि कुछ नये कार्यों को भी इसके अन्तर्गत लाया जा सके। इनमें चिकित्सा स्वास्थ्य तथा अन्य संबद्ध सेवाएं. पट्टे पर तथा उपपट्टे पर देने सम्बन्धी कार्य, तकनीकीक सूचना से सम्बन्धित सेवाए, विद्युत तथा दूरसंचार आदि से सम्बन्धित सेवाएं शामिल हैं।

ऐसे उपबंधों को भी समाविष्ट करने का प्रस्ताव है ताकि केन्द्रीय सरकार को ऐसी शक्तियां प्रदान की जा सकें जिससे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, उन नये कार्यो को भी करने

का निर्देश दे सके जिन्हें केन्द्र सरकार समय-समय पर अनुमोदन प्रदानकारी है। परिभाषा में संशोधन होने से वित्तीय सहायता इन आवश्यक कार्यों के लिए उपलब्ध हो पाएगी ।

ऐसा भी प्रस्ताव किया गया है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के कार्य-क्षेत्रों का विस्तार किया जाए ताकि यह अपना कार्य अधिक सार्थक रूप में कर सके । इस सम्बन्ध में मुख्य संशोधनों का प्रस्ताव है वे विदेशी मुद्रा में ऋण लेने-देने तथा उसका पुनः भुगतान करने सम्बन्धी अपने कार्यों के बढ़िया प्रबंध के भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से देश से बाहर खाते खोलने के लिये भा. औ. वि. नि. को शक्तियां प्रदान करने तथा किसी भी वित्त तथा विकास संस्थान या किसी अन्य संगठन/संस्थान के शेयरों, बांडों तथा ऋण-पत्रों में अपनी पूंजी लगाने के लिये शक्तियां प्रदान करने से सम्बन्धित हैं । ऐसे उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि भा. औ. वि. नि. को औद्योगिक कंपनियों को तकनीकी तथा प्रशासनिक सहायता के साथ-साथ परामर्शक तथा वाणिज्यिक बैंक सेवाएं प्रदान करने के लिए भी प्राधिकृत किया जा सके ।

पिछले कई वर्षों में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम कार्य-क्षेत्र की तेजी से विस्तार हुआ है । निगम के वित्तीय आधार का विस्तार करना तथा ऋण आदि लेने सम्बन्धी कतिपय प्रतिबंधों को हटाना भी आवश्यक समझा गया ताकि सातवी योजना के दौरान अपनी वचनबद्धताओं को पूरा कर सके । इस समय भा. औ. वि. नि. की प्राधिकृत शेयर पुंजी 100 करोड़ रु. है । इसे 250 करोड रु. तक बढ़ाने का प्रस्ताव है । ऐसी व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव किया गया है कि भा. औ. वि. नि., भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारत सरकार से ऋण लेने के साथ-साथ जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट से भी ऋण ले सके ।

ऐसा भी प्रस्ताव किया गया है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से लिए जाने वाले ऋण की 15 करोड़ रु. की सीमा को भी हटा दिया जाए जिससे कि भा. औ. वि. नि. के कार्यों में और लचीलापन आएगा ।

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम में इस समय अन्य निदेशकों के अतिरिक्त चेयरमैन की नियुक्ति करने का प्रावधान है किन्तु इसमें प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति का कोई उपबन्ध नहीं है। भा. औ. वि. नि. के प्रबन्धीय ढांचे को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के अनुरूप बनाने के विचार से, इस वात का प्रावधान करने का भी प्रस्ताव है कि चेयरमैन तथा प्रबन्ध निदेशक दोनों पद रहें और एक ही व्यक्ति दोनों पदों का पदभार संभाल सकता है। सरकार यदि आवश्यक समझे तो अलग से प्रबन्ध निदेशक नियुक्त कर सकती है ।

यह प्रस्ताव भी है कि भा. औ. वि. नि. के बोर्ड में भारतीय रिजर्व बैंक का एक निदेशक है । यह आशा की जाती है कि इन संशोधनों से भा. औ. वि. नि. के कार्य क्षेत्रों में और लचीलापन आएगा तथा इसके व्यापार तथा कार्यक्षेत्र में भी वृद्धि होगी तथा यह अखिल भारतीय आवधिक ऋण संस्थान के रूप में अधिक प्रभावी रूप से कार्य कर सकेगा । मुझे विश्वास है कि इन प्रस्तावों को सदन के सभी वर्गों से समर्थन मिलेगा । इन टिप्पणियों के साथ मैं विधेयक को सदन द्वारा विचार किए जाने की सिफारिश करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव किया गया :

"औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 में आगे और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[अनुवाद]

श्री सी. माधव. रेड्डी (आदिलाबाद) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी विधेयक के उद्देश्यों और कारणों को स्पष्ट करते हुए बताया है। देखने में यह विधेयक एक साधारण विधेयक प्रतीत होता है प्रथमतः इस विधेयक में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा सहायता के क्षेत्र को बढ़ाने हेतु औद्योगिक कंपनियों को परिभाषित करने की बात कही गई है।

यह विधेयक गत एक वर्ष के दौरान इस सदन द्वारा पारित वित्तीय विधेयकों की शृंखला में से एक है। यह विधेयक न्यूनाधिक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के संशोधन विधेयक के समान है, जिसे गत सत्र में पारित किया गया था।

इसको खण्डशः देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यद्यपि यह एक साधारण संशोधन है, परन्तु इससे बाढ़-द्वार खुलने तथा गैर-औद्योगिक और गैर उत्पादनकारी कार्यों के लिए काफी धन का अपवर्तन होने की सम्भावना है। ऐसा कहा जाता है कि इस संशोधन के बाद भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अब पट्टेदारी का व्यवसाय मशीनों की अधिक-खरीद आदि, अस्पतालों के निर्माण तथा अन्य अनेक कार्य कर सकेगा। क्या वास्तव में इसकी आवश्यकता है ? क्या हमारे देश में इस प्रकार के कार्य के लिए पर्याप्त वित्तीय संस्थान और बैंक नहीं हैं ? जो धन इस देश के औद्योगिक विकास के लिए है उसका हम इस प्रकार अवांछनीय निवेश क्यों करें ? मैं इस विशेष खण्ड का कड़ा विरोध करता हूं। मैं यह अनुभव करता हूं कि इस खण्ड को विधेयक से निकाल देना चाहिए।

जहां तक इसके प्रबन्धकीय पहलू की बात है यह बहुत अच्छा है कि अब भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का एक प्रबंध निदेशक होगा। यद्यपि विधेयक में यह नहीं कहा गया है कि प्रबंध निदेशक का पद स्वतः ही सृजित हो जाएगा, फिर भी सरकार अधिसूचना द्वारा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को एक प्रबंध निदेशक नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत कर रही है। आज भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का प्रबंधकीय ढांचा इस प्रकार का है कि अध्यक्ष की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है और तब सरकार द्वारा औद्योगिक विभाग और वित्त विभाग से दो निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। तत्पश्चात भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा चार निदेशकों की नियुक्ति होती है तथा 6 निदेशक विभिन्न वित्तीय संस्थानों और बैंकों द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। यह इसका संरचनात्मक ढांचा है। एक अन्य निदेशक होता है जिसे कार्यकारी निदेशक कहा जाता है जो कि पूर्णकालिक निदेशक होता है। परन्तु वह निदेशक मण्डल में शामिल नहीं होता है। निदेशक मण्डल में उसका सतग निदेशक का नहीं होता है। महोदय, अब 13 निदेशक हैं। इस विधेयक में कहा गया है कि दो और निदेशक होंगे; एक प्रबंध-निदेशक होगा

और दूसरे निदेशक की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाएगी। यह तो स्थिति है। महोदय, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वास्तविकता यह है कि इस विधेयक के पारित होने के बाद सरकार बोर्ड के लिए चार व्यक्तियों को नामित करेगी। इस समय अध्यक्ष सहित तीन व्यक्ति नामित है। अब एक और व्यक्ति नामित होगा। सरकार कुल चार निदेशकों को नियुक्त करेगी। सरकार कंपनी की प्रदत्त पूंजी में अंशदान क्यों नहीं करती है? महोदय, 1964 में जब भारतीय औद्योगिक विकास बैंक निगमि हुआ था। उस समय सरकार ने अपनी शेयर-धारिता को त्याग कर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को हस्तांतरित कर दिया था। भारत सरकार के इस विशेष निगम में कोई शेयर नहीं हैं। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि आज इस कम्पनी की प्रदत्त पूंजी केवल 35 करोड़ रुपये है। प्रारम्भ में यह केवल 27 करोड़ रुपये थी। परन्तु कुछ आरक्षित निधियों को साधारण शेयर में बदलने के कारण केवल 35 करोड़ रुपये की अल्प रकम रह गई है। हम जो कर रहे हैं वह इस प्रकार हैं हम केवल कम्पनी की अभिदत्त पूंजी को 100 करोड़ रु. से बढ़ाकर 250 करोड़ रु. कर रहें। यह जो कुछ किया जा रहा है, इससे क्या लाभ होगा?

आपके पास पहले से ही 100 करोड़ रुपये की प्राधिकृत पूंजी है जिसमें से 35 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी है। हम प्रदत्त पूंजी को बढ़ाने के बारे में, सरकार की योजनाओं को नहीं जानते हैं। मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि यह महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि इस निगम के पूंजी आधार को विस्तृत किया जाना चाहिए। आज निगम बहुत कठिन स्थिति में है क्योंकि जो विभिन्न योजनाएं इन्होंने प्रारम्भ की है उनमें निवेश करने के लिए कम्पनी के पास धन नहीं है। इसलिए ऐसा कुछ किया जाना चाहिए, जिससे इस निगम में अधिक से अधिक पूंजी निवेश की जाए जिस पर देश के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने का उत्तरदायित्व है। मैं 100 करोड़ रुपये से 250 करोड़ रुपये तक पूंजी का आधार बढ़ाने का विरोध नहीं करता हूं लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि जैसा कि आप जानते हैं वर्ष 1948 में स्वतंत्रता के तुरन्त बाद इस निगम की स्थापना की गई थी। जब से लाला श्री राम इसके अध्यक्ष थे, यह बहुत समय तक निजी क्षेत्र में ही रहा और बड़े उद्योगपतियों तथा निजी क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करता रहा। यह सब रिकार्ड से पता चलता है, इस पर कोई मतवैभिन्नय नहीं होगा। परन्तु आज स्थिति क्या है? निस्सन्देह इसमें काफी बदलाव आया है। जब से वर्तमान अध्यक्ष श्री डावर आए हैं, तब से इसमें काफी सुधार हुआ है और इसके ढांचे में भी परिवर्तन हुआ है। मैं उनके उन अथक प्रयासों की प्रशंसा करता हूँ जिनसे वह निगम को सम-नौतल पर रखने का प्रयास करते रहे हैं। परन्तु महोदय, मैं आज भी यह अनुभव करता हूँ कि यह निगम अधिकांशत: निजी क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। महोदय, मैं इस प्रकार के कार्यकरण में कोई गलती नहीं देखता क्योंकि कुछ भी हो निजी क्षेत्र भी हमारी अर्थव्यवस्था का एक अंग है. संस्थान को निजी क्षेत्र की आवश्यकताओं को भी निश्चय ही देखना पड़ता है। लेकिन निजी क्षेत्र में भी जो कि प्रति वर्ष इसके कुल निवेश का 60% ले रहा है एकाधिकारी घराने उसमें से 21% ले रहे हैं। हम उन्हें यह निदेश क्यों नहीं देते कि कोष का 50 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के लिए निश्चित होना चाहिए। हम सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों को अपने विस्तार और परिवर्तनकारी योजनाओं के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से अधिक ऋण लेने की

अनुमति क्यों नहीं देते ? मैं यह वर्ष 1984-85 की वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूँ।

मैंने यह देखा कि वर्ष 1983-84 में एकाधिकारी घराने को केवल लगभग 22 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। वर्ष 1984-85 में कुल सहायता लगभग 87 करोड़ रुपये की दी गई थी और निगम की स्थापना के बाद से बड़े व्यवसायों ने संचयी सहायता 543.52 करोड़ रुपए की प्राप्त की जो कि कुल सहायता का लगभग 21 प्रतिशत है। यह एकाधिकारी घरानों के सम्बन्ध में है। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र के लिए कोष का 50 प्रतिशत आरक्षित करने के लिए मैं निगम को निर्देश देने का यह एक सशक्त आधार है।

महोदय, इस निगम के सम्बन्ध में मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान इस निगम द्वारा काफी महत्वपूर्ण और उपयोगी योजनाओं को प्रारम्भ किया गया है। ऐसी एक योजना जोखिम पूंजी आधार निधि योजना है। जोखिम पूंजी आधार निधि योजना के कार्यकरण पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। फिर भी मेरा यह विचार है कि यह एक अच्छी योजना है जो कि निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही है लेकिन इसमें कुछ परिवर्तनों की आवश्यकता है। आजकल जोखिम पूंजी आधार निधि योजना के अधीन यह होता है कि जब आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो उस पर तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जाती है जब तक आवधिक ऋण के आवेदन पत्र को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा स्वयं या अन्य किसी संस्थान द्वारा ऋण देने की अनुमति नहीं दी जाती है। जिन इन्जीनियरों और व्यवसायियों के पास अनुभव है और जो अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास अपनी स्वयं की इक्विटी के लिए और उद्योग लगाने के लिए संवर्धक इक्विटी के लिए पर्याप्त धन नहीं हैं वे इस योजना के अंतर्गत संवर्धक इक्विटी को 50% को बिना ब्याज के साथ-साथ आसान शर्तों पर ऋण के रूप में प्राप्त करने के हकदार है, जबकि वे 1 प्रतिशत सेवा प्रभार बिना ब्याज के ले रहे हैं। (व्यवधान)

आखिरकार एक प्रतिशत ब्याज तो बिना ब्याज जैसा ही है। 1 प्रतिशत तो बहुत मामूली ब्याज है। आप कह सकते हैं कि वे इसे बगैर ब्याज ही प्राप्त कर रहे हैं। इसी तरह, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई. डी. बी. आई) एक योजना चला रहे हैं जिसे 'बीज-पूंजी योजना कहा जाता है लेकिन मुश्किल वहां आती हैं, जहां उद्यमी को, उन अन्य वित्तीय संस्थाओं, द्वारा मंजूर की जाने वाली वित्तीय सहायता के लिए मैं आवधिक ऋण की बात कर रहा हूं प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जब तक इसे नहीं किया जाता यहां किसी प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही नहीं की जायेगी। होना यह है कि, मान लीजिये अन्तत: यदि आवाधिक ऋण देने वाली संस्थाएं, इस योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले सम्भावित 15 लाख या 30 लाख रुपये पर विचार करती है तथा अन्ततः यदि यह अस्वीकृत हो जाता है तो वह मंजूरी निरर्थक हो जाती है क्योंकि पूंजी लागत वित्तीय संस्था द्वारा सुदृढ़ की गयी हैं। अर्थात भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या आई. सी. आई. सी. आई. या अन्य किसी संस्था द्वारा, और उस पूंजी को सुदृढ़ बनाने में, इस विशेष पहलू को कि उद्यमी को 30 लाख रुपये जुटाने पूरे करने हैं, पहले ही ध्यान में रखा जाता है,

और यदि एक बार भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा यदि जोखिम-पूंजी अस्वीकृत कर दी जाती है, तो उद्यमी का क्या होगा ? मेरा सुझाव है कि यह साथ-2 लिया जाना चाहिए तथा सम्बन्धित ऋणदाता संस्थाओं व भारतीय औद्योगिक वित्त निगम जो कि उद्यमी को यह जोखिम पूंजी देता है, के बीच और ज्यादा सहयोग होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक मुश्किलें निश्चित रूप से आएंगी। दूसरी बात यह है कि प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करने तथा अन्ततः उसे मंजूर करने में बहुत ज्यादा समय लगता है। प्रार्थना-पत्रों को मंजूर किए जाने में ऐसा अनुचित विलंब नहीं होना चाहिए। ऋणों के मामले में भी मैंने देखा है, कि समस्त

1.00 म. प.

सूचनाएं भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को दे दी जाती है, तथा प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही करने तथा अन्ततः मंजूर करने के लिए सभी चीजें किए जाने के पश्चात भी इसमें चार से छः महीने लग रहे हैं। कुछ मामलों में तो छः महीने तथा एक साल तक भी लगा। इन प्रार्थना-पत्रों की मंजूरी में कोई विलम्ब न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवस्था विकसित किए जाने की आवश्यकता है।

इस निगम द्वारा संचलित अन्य सम्वर्द्धनात्मक कार्यकलापों के संबंध में मुझे खुशी है कि उन्होंने उद्यम कार्य तथा निर्माण योजनाओं आदि के लिए परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान करने तथा गोष्ठियां-आयोजित करने का कार्य भी शुरु किया है। ये सभी बहुत अच्छी चीजें है लेकिन ये समस्या को ऊपरी दर को ही छूती हैं। उद्यमियों के आधार को विस्तृत करने की आज काफी आवश्यकता है। कुछेक गोष्ठियों का आयोजन करने तथा इस विषय में कुछ विवरणियां प्रकाशित करने या कुछ योजनाओं के पता लगाने से और यह कह देने मात्र से समस्या हल नहीं होगा कि हमने योजनाओं का पता लगा लिया है, और हमने उनके बारे में व्यवहार्यता रिपोर्ट दे दी है। इन सभी संस्थाओं के पास चाहे यह भारतीय औद्योगिक विकास बैंक हो या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम या आई. सी. आई. सी. आई. हों, योजनाओं तथा उनकी विक्रेयता आदि के सम्बन्ध में काफी सूचनाएं हैं, आज उनके पास इतनी अधिक सूचनाएं हैं कि वे इस सूचना के उपयोग से प्रति वर्ष कई योजना अध्ययन तथा प्रतिवेदन तैयार कर सकते हैं तथा ये रिपोर्ट बड़ी संख्या में उद्यमियों को उपलब्ध करा सकते हैं। यद्यपि हमारे देश में बड़ी संख्या में औद्योगिक परामर्शदाता हैं फिर भी हमें लगता है कि वास्तविक परामर्शदाताओं का अभाव है, जो कि उद्यमियों की वास्तव में सहायता कर सके। आज उद्यमी मारे-2 फिर रहे हैं, पहले तो योजना का पता लगाने में, फिर यह जानने में कि कौन से आशाजनक उत्पादन का आरम्भ उन्हें करना चाहिए तथा कौन सा उद्योग उनको स्थापित करना चाहिए, इसको कैसे स्थापित करना चाहिए तथा कहां स्थापित करने चाहिए ये प्रश्न है जो कि उद्यमी को सदैव चिन्तित करते हैं। मेरे विचार में, इस प्रकार का कार्यकलाप इस तरह की संस्था को, जिसके पास समस्त जानकारी है, बड़े व्यापक पैमाने पर आरम्भ किया जाना चाहिए।

परिवर्तनीयता खण्ड के प्रश्न पर, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। लेकिन हमें इस पर विचार करना चाहिए तथा हमें परिवर्तनीयता खण्ड को लागू किए जाने के बारे में जोर देना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि ऋण के सहमत प्रतिशत को, जब कभी तथा जहां कहीं सम्भव हो, इक्विटी में बदला जाये। यह भी देखा जाना चाहिए कि उद्योग तथा कम्पनी प्रबन्ध सुचारू रूप

से चलें। मैं यह इसलिए कहता हूं कि मैंने देखा है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम में अच्छी निगरानी-व्यवस्था नहीं है। ऋण देने के बाद यह भूल जाता है। कभी-कभी कोई निदेशक नियुक्त करते हैं तथा यह निदेशक वहां जाता ही नहीं है। वह बैठकों में भाग नहीं लेता। यदि वह बैठक में जाता भी है तो वह केवल दैनिक भत्ता तथा यात्रा-भत्ता लेता है, वापिस आ जाता है तथा ज्यादा राशि वापिस नहीं आती। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की आज विद्यमान ऋण देने वाली कम्पनियों पर उचित निगरानी नहीं हैं तथा (उचित राशि वापसी भी नहीं हैं) और जब तक इसे नहीं किया जाता, एकक के रुग्ण होने की सम्भावना होती है और आपको इसे पुनर्जीवित करने के बारे में सोचना पड़ता है तथा उसके लिए अन्य संस्थाओं से सहायता लेनी पड़ती है।

मैं ये कुछ सुझाव देना चाहूंगा, इसके साथ ही, मैं कुछ संशोधनों का, जिन्हें लिया गया है, समर्थन करता हूं।

विशेष तौर पर, जिन कार्यकलापों को लिए (आरम्भ किए) जाने का प्रस्ताव है, मैं उनका समर्थन करना चाहूंगा, जैसे वाणिज्यिक बैंकिंग कार्य कई संस्थाओं में, वाणिज्यिक कार्य-कलाप को आरम्भ किया जाना चाहिए। आखिर में हमारा पूंजी बाजार बहुत अधिक परिवर्तनशील है। लोगों के पास काफी पैसा उपलब्ध है। हमें एजेन्टों, दलालों, कतिपय वित्तीय संस्थाओं तथा उनकी आवश्यकता है जो इस कार्य को विशेषज्ञता के आधार पर आरम्भ कर सके तथा यह देखें कि जो इन दिनों जो शेयर सार्वजनिक बिक्री के लिए आ रहे हैं उनकी सफलतापूर्वक बिक्री की जाए तथा लोग देश के विकाश में ज्यादा से ज्यादा योगदान दें। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : मध्याह्न भोजन के लिए सभा की बैठक स्थगित करते हैं तथा 2 बजे फिर समवेत होंगे।

1.05 म. प.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2.00 बजे म. प. तक के लिये स्थगित हुई

———

2.04 म.प.

मध्यान्ह भोजन के पश्चात लोक सभा 2 बजकर 4 मिनट म. प. पर पुन: समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक

[हिन्दी]

डा. गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, लेकिन मुझे दो-तीन बातें इसमें और कहनी हैं। इसका स्कोप कई एडीशनल इन्डस्ट्रीज

से बढ़ाकर और दूसरे प्रासपैक्ट-आफ-बीजनैस को इसमें लिया है। लीजिंग को, होस्पीटल्स को और दूसरी कई एक्टीविटीज को इस में लिया है। अभी दूसरी साइड के हमारे एक साथी ने कहा कि लीजिंग को इसमें नहीं लेना चाहिए था क्योंकि लीजिंग का काम देश में बहुत सी कम्पनियां कर रही हैं। इस बारे में मुझे कहना है कि लीजिंग का काम अपने देश में पिछले तीन वर्ष में उसी तरह बढ़ गया है जैसे वीडियो का बिजयनैस बढ़ गया है। आपने देखा है कि घर-घर में वीडियो लग गए हैं। आज से तीन, चार साल पहले इसे कोई नहीं जानता था और अब वीडियो वहां भी लग गए हैं, जहां टेलीवीजन नहीं हैं। इसी तरह से हर बड़े टाऊन में लीजिंग कम्पनियां बन गई हैं। आज से तीन, चार साल पहले मुश्किल से एक या दो लीजिंग कम्पनी होती थी और कुछ को अन्दाज भी नहीं था कि लीजिंग कम्पनी में इतना अधिक फायदा है, इतना अधिक प्रोफिट है। आप यदि आंकड़े निकाल कर देखें, तो पायेंगे कि सैकड़ों लीजिंग कम्पनियां इस समय देश में हैं और कई लीजिंग कम्पनियां ऐसी हैं, जो लोगों को गुमराह कर के चूस रही हैं। जब प्राइवेट लीजिंग कम्पनी लोगों को चूस रही हैं, तो ऐसी हालत में पब्लिक का इन्डस्ट्रयल फाइनैन्स कारपोरेशन लीजिंग का काम करे, तो इसमें क्या बुराई है। लोगों को कब से यह कान्फीडेंस होगा, यह विश्वास होगा कि हमें जिस लीजिंग कम्पनी से पैसा मिला रहा है, वह ठीक-ठाक है या जो मशीन दी जा रही है, वह ठीक-ठाक है। इसलिए इन्डस्ट्रयल फाइनेन्स कारपोरेशन ने जो लीजिंग का काम अपने हाथ मे लिया है, वह बहुत ही अच्छा काम है। इस सिलसिले में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अपने देश में जब से मैनेजिंग एजैन्सी सिस्टम खत्म हुआ है, तब से इंडस्ट्रीज को गाइडैंस देने के लिए कोई भी सस्था नहीं रह गई है। मैं मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम की बुराइयों से पूरी तरह से अवगत हूं। मैं यह भी जानता हूँ कि सरकार ने मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम क्यों खतम किया लेकिन मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम जो कुछ सर्विसेज इंडस्ट्री को देता था, वह सर्विसेज देने वाला आज कोई नहीं है। तो इंडस्ट्रयल फाइनेंस कारपोरेशन उस तरह की सर्विसेज इंडस्ट्री को प्रोवाइड करेगा बिना मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम की बुराई को लिए हुए और इंडस्ट्रीयल फाइनेंस कारपोरेशन कन्सलेन्सी का भी काम करेगा, तो यह अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है। आज इंडस्ट्रीज के लिए कन्सल्टेन्सी का काम करने वाले प्राइवेट कन्सल्टेन्टस दुनिया भर के हैं और उसमें कितनी हेरा-फेरी होती है, यह भी आप जानते हैं। कन्सल्टेन्सी के नाम पर केवल बिल बनते हैं और वह पैसा किसी को किसी का चला जाता है और सही अर्थों में कन्सल्टेन्सी नहीं मिल पाती है और लोग बड़ा पैसा बना लेते हैं।। ऐसी हालत में यदि इंडस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन कन्सल्टेन्सी का काम करता है, तो वह हमारे लिए एक अत्यन्त ही संतोषजनक बात है।

दूसरी बात मैं कहूंगा कि आप ने इस बिल में प्रोविजन किया है कि एक अलग से मेनेजिंग डाइरेक्टर होगा और चेयरमैन का प्रोविजन तो पहले से ही है। मेरा अपना अनुभव रहा है कि पब्लिक सेक्टर में जहां-जहां मेनेजिंग डाइरेक्टर और चेयरमैन अलग-अलग हुए हैं, वहां बड़ी परेशानी है और बड़ी खींचातानी होती है। मेरा सुझाव है कि आर आई. एफ. सी. में एक आदमी को चेयरमेन और मेनेजिंग डाइरेक्टर बनाइये जिससे कि आप का काम अच्छी तरह से चल सके। मैंने बहुत सी पब्लिक सेक्टर अण्डरटेकिंग्ज की वर्किंग को देखा है। अक्सर उनमें

चेयरमेन और मनेजिंग डाइरेक्टर में बहुत खींचातानी होती है, काम नहीं हो पाती है, अक्सर वे दोनों एक-दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं।

आपने इसके कैपिटल को एक सौ करोड़ रुपये से बढ़ा कर ढाई सौ करोड़ रुपये किया है। आजके जमाने में ढाई सौ करोड़ रुपये का कोई मोल नहीं है। आज कल इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन का आप्रेशन इतना बढ़ गया है और भी बढ़ने वाला है तो उसको देखते हुए मेरा सुझाव है कि इसका कैपिटल पांच सौ करोड़ रुपये कर दिया जाए। अपने देश में इंडस्ट्रियल एक्टीविटीज को देखते हुए इसका कैपिटल पांच सौ करोड़ रुपये करना बहुत उपयुक्त होगा।

एक बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। हमारे एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन को मरचेन्ट बैंकिंग का काम नहीं करना चाहिए, चूंकि बहुत मर्चेंट बैंक्स और फाइनेंशलय इंस्टीच्यूशस इस काम को कर रही हैं। मेरा कहना यह है कि जब दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीच्युशंस और एजेन्सी इस काम को कर रही हैं तो अगर इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन भी इस काम को करे तो उसमें क्या हर्ज है। इससे इसका लाभ उठाने वालों को एक ही जगह तीन-चार सेवाएं मिल जाएंगी (व्यवधान) हमारे मित्र ने कहा कि इसको भी करना चाहिए तो यह बहुत अच्छी बात है। इससे मेरी बात का समर्थन होता है।

[अनुवाद]

आपको कहा कि इसकी एक्टीविटीज को बढ़ाने के लिए निगम को किसी वित्तीय अथवा विकास संस्था अथवा संगठन के शेयर बाण्ड अथवा ऋण पत्रों में अभिदान करना चाहिए।

[हिन्दी]

इससे अच्छी बात हो नहीं सकती है। मुझे लगता है कि एक प्रेक्टिकल अप्रोच के साथ आपने इसके एम्स एण्ड आबजेक्ट्स को लिया है। आपने यह भी कहा है जो कि बहुत अच्छी बात कही है—

[अनुवाद]

(छ) यह प्रस्थापना है कि अधिनियम में ऐसा समर्थकारी उपलब्ध किया जाए जिससे निगम इस बात के लिए प्राधिकृत हो जाए कि वह केन्द्रीय सरकार या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से उधार लेने के अतिरिक्त, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय साधारण बीमा निगम और भारतीय यूनिट ट्रस्ट से तथा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, भारत में या भारत से बाहर भी किसी भी प्राधिकरण, संस्था, संगठन या न्यास से धन उधार ले सके।

[हिन्दी]

आपने इतना ब्राड बेस इसके लिए लिया है कि साधारणत: आदमी सोच नहीं सकता।

अन्त में मैं इतनी बात कह कर खत्म करूंगा कि देश में इंडस्ट्रियल एक्टीविटीज बहुत

तेजी से बढ़ती जा रही हैं। जब सन् 1948 में इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन बना था उस समय ठीक है कि इसके पीछे कुछ प्राइवेट सेक्टर के इंडस्ट्रियलिस्ट्स भी थे लेकिन बाद में यह कारपोरेशन इन लोगों से करीब-करीब वे इंडीपेंडेंट हो गया। हमारे यहां बढ़ती हुई इंडस्ट्रियल एक्टीविटीज को देख कर आपह जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन एक्ट में अमेंडमेंट लाये हैं वह बहुत ही प्रशंसनीय काम है। सन् 1948 की तुलना में अब इंडस्ट्रियल क्लाईमेंट बहुत बदल गया है। इसीलिए जरूरत है कि इसमें एक प्रेगमैटिक अप्रोच लाई जाए जिससे कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन से अधिक से अधिक इंडस्ट्रीज को फायदा हो।

मुझे एक बात और कहनी है। मॉडरेनाइजेशन के लिए आपने इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन की तरफ से लिमिट कर दी है। मैं कहता हूँ कि आज के जमाने में जबकि टेक्नोलोजी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है तो मौडरेनाइजेशन के लिए आप जांच कर लीजिए, पता कर लीजिए। अगर आप मोडरेनाइजेशन के लिए चार करोड़ रुपया इतना कम अमाऊंट रखेंगे तो उससे सही अर्थ में मोडरेनाइजेशन नहीं हो सकेगा। आपने इंपोर्ट लिबरलाइजेशन किया है, यह समझ कर ही किया है कि इंडस्ट्रीज माडर्नाइज होंगी। इसलिए 4 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 15 करोड़ माडर्नाइजेशन के लिए प्रोवाइड करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ इस बिल को लाने के लिए मैं माननीय मन्त्री जी को बधाई देता हूं।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त (डायमण्ड हार्बर) : यह विधेयक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक संशोधन विधेयक के साथ पुरःस्थापित जुड़वां विधेयकों में से एक है। लेकिन किसी तरह यह छूट गया था। मेरे विचार से गत सत्र में दूसरा पारित हो गया था। यह भी उसी का प्रतिरूप है नामशः प्राधिकृत पूंजी को बढ़ाये जाने तथा निवेश ढांचे और प्रबन्ध के सम्बन्ध में इसी तरह की कुछ अन्य शक्तियां दिए जाने की बात कही गई है।

औद्योगिक-क्षेत्र, उद्योग के विविध क्षेत्रों को विकृ प्रदार करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कई वित्तीय संस्थाएं समय-समय पर स्थापित की जाती रही है। सरकारी धन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संचालित करने वाली विभिन्न वित्तीय संस्थाओं को सरकार द्वारा स्थापित किए जाने का कोई ढ़ग दिखाई नहीं देता। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के अलावा ये वित्तीय संस्थान निम्न प्रकार है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम, जीवन बीमा निगम, साधारण जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट भारतीय औद्योगिक पुनर्वास निगम, अब बोर्ड के रूप में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा सभी राष्ट्रीयकृत बैंक। ये सभी न्यूनाधिक, एक बड़ी हद तक उसी क्षेत्र के आर-पार जाते हैं इनके साथ ही, अन्य वित्तीय संस्थाएं हैं इनमें से कुछ पुनः वित्त प्रदान करती है राज्य वित्त निगम तथा राज्य औद्योगिक विकास निगम हैं। लक्षित समूहों अथवा उद्योगों, जिनको इन विभिन्न वित्तीय संस्थानों के द्वारा वित्तीय सहायता दी जानी है या इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है, को निश्चित रूप से अलग-अलग नहीं किया गया है। यह उलट-पलट व्यवस्था है, जो समय-समय पर की जाती

है, और ऐसी कोई सुचारु प्रक्रिया विकसित करने पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाता ताकि लोग संस्थानों की प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताओं में उलझे रहे इस समय यदि किसी निजी या सरकारी या संयुक्त क्षेत्र के किसी उद्योगपति को ईक्विटी अथवा ऋण लेना हो तो वह इन संस्थाओं में से किसी एक से विशेषतया अखिल भारतीय संस्थान से यह सहायता प्राप्त नहीं कर सकता उसे दो या तीन संस्थानों के पास जाना होगा, एक संघ बनाया गया है; यद्यपि कोई आगे आता है सभी को अपने बोर्ड के पास मंजूरी के लिए अलग से जाना पड़ता है जिसका अर्थ असाधारण विलम्ब होता है । इस विलम्ब का निवारण तभी किया जा सकता है यदि सरकार एक ऐसी प्रक्रिया का विकास करे जिसके अन्तर्गत प्रत्येक संस्थान किसी दोष विशेष का दायित्व ले उदाहरण के तौर पर किसी संस्थान को बड़े उद्योगों, किसी और मध्याम दर्जे के उद्योगों तथा किसी को लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता अथवा पुनर्वित्त देने का दायित्व सौंपा जाना चाहिए । अब यह कार्य राज्य औद्योगिक विकास नियम और वित्तीय नियमों इत्यादि के द्वारा किया जाता है । भारत में औद्योगिक वित्त व्यवस्था की यह एक मुख्य कमी है, और अब समय आ गया है कि सरकार पूरे मामले पर विचार करे उसमें एक ऐसा तरीका अपनाए कि लोगों को एक सस्थान से दूसरे संस्थान में मागना न पड़े यह न जानते हुए कि अन्ततः उन्हें कहां से ऋण मिलेगा और आगे सौन-सी कार्यवाही करनी होगी । इस तरह की बातें उद्योग में नए आने वालों में विशेष रूप से चिढ़ पैदा कर रही है । जो लोग सुस्थापित हैं, अर्थात् बड़े उद्योग घराने जैसा कि मेरे माननीय सहयोगी, श्रों माधक रेड्डी ने पहले ही कहा है, उन्होंने औद्योगिक वित्त निगम से 20 प्रतिशत ऋण प्राप्त किया है । इसी प्रकार उन्हें इतना ही प्रतिशत ऋण अन्य वित्तीय संस्थानों से भी मिला है यहां तक कि बहुदेशीय और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम अधि-शासित कम्पनियों को काफी अधिक ऋण अर्थात् 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत इन सभी संस्थानों से मिला है इसलिए, मेरा यह सुझाव है कि सरकार को मात्र दिखावे लिए परिवर्तनों कर ही संन्तुष्ट नहीं हो जाना चाहिए । निश्चय ही सरकार ने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है अर्थात् उन्होंने प्राधिकृत पूंजी को 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 25 करोड़ रुपये कर दिया है किन्तु इन संस्थानों के द्वारा विनियमित राशि कहीं अधिक है । प्राधिकृत पूंजी से इन संस्थानों द्वारा की गई वित्त व्यवस्था को संकेत नहीं मिलता क्योंकि वे अपने अन्तरिक स्रोतों पर निर्भर नहीं करते जो सरकार द्वारा ईक्विटी वित्त व्यतस्था के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं । वे अपने उद्योगों को सुचारु रूप से चलाने के लिए जमा तथा ऋण पर भी निर्भर करते हैं । ईक्विटी आधार को बढ़ाना अच्छी बात है । 1982 में दिए गए एक संशोधन के कारण ईक्विटी आधार तथा ऋण लेने की क्षमता का संबध दूर गया । इसलिए अब ईक्विटी आधार में वृद्धि का कोई महत्व नहीं रह गया है । हम यह नहीं जानते कि अब ईक्विटी आधार को बढ़ाना आवश्यक क्यों समझा जाता है जबकि वे अब तक 100 करोड़ रुपये की प्राधिकृत पूंजी तक नहीं पहुंच सके हैं और अब संशोधन करके इसे 250 करोड़ किया जा रहा है । मैं आशा करता हूं कि अपने इस उत्तर में माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि अब इस स्तर पर प्राधिकृत पूंजी को इस सीमा तक बढ़ाना आवश्यक क्यों समझा गया है ।

महोदय, सरकार को इस संस्थान के कार्य करण की जांच के लिए पहले भी विभिन्न समितियों का गठन किया था । उनमें से एक दत्त समिति है जिसने सिफारिश की थी कि वित्तीय

संस्थान, जिस भी कम्पनी को ईक्विटी या ऋण के रूप में काफी अधिक सहायता देते हैं उसमें उन्हें अपने निदेशक रखने चाहिए। अब यह वित्तीय संस्थान इस सिफारिश का यन्त्रवत पालन करा रहे हैं। वे उनसे ऋण लेने वाली कम्पनियों के बोर्ड में एक्स वाई या जेड किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति कर देते हैं। किन्तु वित्तीय संस्थानों के नामनिर्दिष्ट निदेशक बहुत अधिक सुस्त है। वे बैठकों में तो जा सकते हैं, किन्तु वे उसमे अधिक कुछ नहीं कर सकते। वे उन सूचनाओं को अपने पास नहीं रखेंगे जो कम्पनी के निदेशक के रूप में उन्हें कम्पनी के दिन-प्रति दिन के कार्य तथा दीर्घावधिक योजना के संबंध में रखनी चाहिए यहां तक कि बहुत सी कम्पनियां जब वे सांविधिक देयों का भुगतान बन्द कर देती हैं वे अपने मूल संगठन को इसके बारे में सूचित नहीं करते या यदि करते भी हैं तो उन्होंने इन कम्पनियों की अधोगतिक प्रवृत्ति को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया।

महोदय, यद्यपि निगरानी संबंधी व्यवस्था विद्यमान है किन्तु यह व्यवस्था प्रभावी नहीं है। आज इन संस्थानों से दी गई वित्तीय सहायता इन बीमार उद्योगों में व्यर्थ हो गई है। परन्तु उपचारात्मक उपाय करने की शक्तियां प्राप्त हैं किन्तु वे उपाय किए नहीं गए। इसलिए आरम्भिक व्यवस्था में रुग्णता की निगरानी नहीं रखी जाती और परिणामत: बहुत सी कम्पनियां आज मरणासन्न स्थिति में हैं।

1983 में एक अन्य समिति नरसिंह समिति गठित की गई थी उसने भी सिफारिश की थी कि जहां तक बड़े उद्योगों, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम और एकाधिकार और उप-रोधक व्यापारिक व्यवहार से सम्बन्धित कम्पनियों का संबंध है, उन पर नामनिर्दिष्ट निदेशकों के माध्यम से निगरानी रखी जानी चाहिए अर्थात ये निदेशक अब तक जितने सक्रिय थे उससे कहीं अधिक सक्रिय होने चाहिए। मैं नहीं जानता कि सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार किया था या नहीं। किन्तु इसने यह दिखाने के लिए अब तक कुछ नहीं किया कि वित्तीय संस्थान सरकारी निधियों के व्यय एवं वितरण में सार्वजनिक दायित्व के प्रति सचेत हैं। विभिन्न सुझाव भी दिए गए हैं क्यों कि एक समिति खुसरो समिति ने यह देखा कि लघु उद्योग गांवों की आवश्यकताओं और बहुत छोटे क्षेत्रों को ये बड़े वित्तीय संस्थान नजरअंदाज कर रहे हैं। वे बड़े व्यापारी घरानों बड़े तथा मध्यम स्तर के उद्देशों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। अब यह आवश्यक है और इस समिति ने सिफारिश की हैं कि इन लघु उद्योग क्षेत्र को वित्तीय सहायता देने के लिए या लघु औद्योगिक क्षेत्रों तथा गांव तथा अति लघु क्षेत्रों को सहायता पहुंचाने के लिए शीर्ष निगम के रूप में कार्य करने के लिए अन्य संस्थानों की स्थापना की जाए। सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया है।

मेरा यह सुझाव है कि सरकार को अब एक ऐसा तरीका निकालना चाहिए जिससे पृथक वित्तीय संस्थानों की स्थापना हो ताकि मध्यम, बड़े तथा छोटे और अतिलघु ग्रामीण उद्योगों को अलग-अलग संस्थान अलग-अलग वित्तीय सहायता दें ताकि बड़े तथा मध्य स्तरीय उद्योगों के शक्ति तथा धन शक्ति के कारण उनका हित अनदेखा न रह जाए।

महोदय, दूसरी बात यह है कि बैंकों सहित इन संस्थानों के लिए उनको कार्य करण का

संसदीय अधीक्षण नहीं किया जाता। अन्य सरकारी उपक्रमों में संसदीय अधीक्षण होता रहा है। किन्तु आज ये सरकारी उपक्रम हैं। ये वित्तीय संस्थान है जो सरकारी उपक्रम हैं किन्तु उनका संसदीय अधीक्षण नहीं किया जाता। अत: यही समय है जब सरकार ने देखा कि संसद के उत्तरदायित्व को कैसे सुनिश्चित किया जाए। क्योंकि सरकारी निधि के दुरुपयोग सम्बन्धी विभिन्न आरोप बैंकों के विरुद्ध लगाए गए हैं। हमने सभा में बैंकों तथा कुछ अन्य संस्थानों के कुछ मामलों पर चर्चा की थी किन्तु संसद द्वारा लगातार निगरानी नहीं की जाती जैसाकि सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में लिया जाता है। इसलिए जहां तक संभव हो, ऐसी समितियों का गठन किया जाना चाहिए ताकि वे संसदीय लोकतन्त्र की प्रणाली के अंतर्गत वास्तव में उत्तरदायी हों। जिस बात का मैंने विरोध किया है उसके अतिरिक्त मैं कोई अन्य बात नहीं करना चाहता सिवाय इसके कि पूरी वित्तीय व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है और इस बार यह विभाग श्री पुजारी जैसे व्यक्ति के अधीन हैं और मैं समझता हूं कि उन्हें बहुत दृढ़ता धैर्य तथा लगन से यह कार्य करना चाहिए। मैं समझता हूं कि ऐसा करने के लिए तथा लघु उद्योग तथा अतिलघु उद्योगों को अधिक वित्तीय सहायता देने सम्बन्धी कार्य के लिए वह एक आदर्श व्यक्ति हैं।

महोदय, मेरा आखरी मुद्दा यह है कि वित्तीय पद्धति के अनुसार कृषि उद्योग को छोड़ दिया गया है कृषि उद्योग को छोड़ दिया गया है और इसे कृषि, जो हमारी अर्थ व्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, को दिए गए महत्व के अनुपात में उपयुक्त वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मूलचंद डागा (पाली) : इंडस्ट्रियल फाइनेंस कोर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल के क्लासेज की तरफ, जो आपने अमेंडमेंट किए हैं, उनकी तरफ मेरा ध्यान गया। आप यह बताना चाहते हैं कि हमने विशाल पैमाने पर उसका फैलाव कर दिया है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं मंत्री जी ने सदन में एक प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया।

[अनुवाद]

उस प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री महोदय ने 25 अप्रैल, 1986 को दिया। यह उत्तर दिया था कि राज्य वित्तीय निगम दस्तकारों, ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों अतिलघु तथा अन्य लघु तथा मध्यम स्तर के उद्योगों को वित्तीय सहायता दे ताकि आर्थिक गतिविधियों के विकास में क्षेत्रीय सन्तुलन बने रोजगार के अधिक अवसर पैदा हों तथा औद्योगिक पूंजी के स्वामित्व का वितरण भी हो सके।

[हिन्दी]

मैं तो समझता था कि आपकी दौलत का बहुत बड़ा हिस्सा, भारत के गांवों की ओर जाता होगा, जहां हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा निवास करता है। लेकिन जब मैंने फीगर्स देखें तो मुझे यह देखकर बड़ा दुख हुआ कि 31 मार्च, 1984 तक जहां आपने 1,99,000 करोड़ रुपए डिस्बर्स किए, उनमें से गांवों की तरफ हुआ डिस्पर्सल सिर्फ 264.81 करोड़ रुपए था। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि कुल कितना परसेंट हिस्सा गावों की ओर गया। हमारे देहातों में देश की कुल जनसंख्या का 80 परसेंट हिस्सा रहता है।

बैंक के बड़े-बड़े अधिकारियों के वहां जाने का काम ही क्या है, वे जाते क्यों हैं, गांवों का विकास करने के लिए। यह कहते हैं कि हम बैंकवर्ड एरियाज का विकास करते हैं, मुझे आप बताइये कि आपने अब तक जितने बैकवर्ड एरियाज डिक्लेयर किए हैं, गवर्नमेंट के वहां कितने पब्लिक अन्डरटेकिंग्स अब तक लगे हैं। कोई एक उदाहरण बता दीजिए जहां गवर्नमेंट ने अपना कोई कार्पोरेशन खोला हो या उन लोगों को लोन दिया हो, जो बैकवर्ड एरियाज में रहते हैं। मैं समझ नहीं सका कि आपका तरीका क्या है। एक तरह आप बैकवर्ड एरियाज डिक्लेयर करते है और उनके डेवलपमेंट की बात करते हैं दूसरी तरफ आप कहते हैं कि रीजनल इम्बैलैंस को मिटाया जाएगा लेकिन जब मैंने यहां आपसे पूछा कि क्या कारण हैं तो आपकी ओर से कहा जाता है कि 94 हजार सिक इंडस्ट्रीज में आपका 4,000 करोड़ रुपया डूब गया। वे खा गए। फिर भी आप लीजिंग आफ मशीनरी का धंधा करना चाहते हैं क्योंकि आपके बैंक के कर्मचारी उससे लाभान्वित होते हैं। हायर परचेज का धंधा करते की बात किसने कही, यह तो कुछ असामाजिक तत्वों का काम है। बैंकों से समझौता क्यों किया, ताकि बैंकों के दरवाजे पर जाना पड़े। श्री जनार्दन पुजारी जैसे मंत्रियों ने बैंकों को कुछ खींचने की कोशिश की है, उनको बनाया है और बैंक के लोग तो इनको गालियां तक देने लगे थे, इनके खिलाफ आन्दोलन हुआ था, पेपर में भी इनके खिलाफ लोग बरगलाते थे और खूब बोलते थे। उसका कारण यही था कि ये बैंक को ऊपर लाना चाहते थे, उनकी सेवाओं में सुधार करना चाहते थे, ये चाहते थे कि राष्ट्रीकरण के बाद उनकी सेवाएं गांवों की ओर मुड़ें और वीकर सैक्सन्स को ज्यादा उपलब्ध की जाएं। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूँ कि आप देखें इस काम में आपको कितनी सफलता मिली है। वैसे तो आपने जो रिपोर्ट हमें दी है, उस पर आपने हजारों रुपया खर्च करके बड़े सुन्दर तरीके से छपवाया है, उसका कवर भी अच्छा लगवाया है, आपका बैंकों का मीटिंग करने का तरीका भी खूब है, इन बैंकों का तो बस भगवान मालिक है। यदि आप बैंक कर्मचारियों का खर्चा देखें इनके आफिस का खर्चा देखें और यदि आपको इनके चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर का कमरा देखने का अवसर मिल जाए तो उसको देखकर पुराने राजा-महाराजा तक शर्मायेंगे कि हमारा भी ऐसा नहीं था। एक-एक कमरे में तीन-तीन लाख रुपये का फर्नीचर है, हर आदमी के पास कारें हैं, आने-जाने के लिए, सुबह बम्बई में किसी मीटिंग में गए, भले ही कोई काम-काज न हो, वहां जाकर खाना खाया, एक दो बातें कीं और फिर जब चलने का समय आया तो उन्होंने कोई अच्छा सा बक्सा दे दिया, उसको लेकर आ गए। यह हालत है। यह रिपोर्ट भी उन्होंने बहुत सुन्दर छपवाई है।

[अनुवाद]

वे आर्थिक सर्वेक्षण में तथ्य तथा आंकड़े दे रहे हैं। उन्हें यह कार्य करने के लिए किसने कहा है। ऐसी रिपोर्ट हमेशा वित्त मंत्री प्रस्तुत करता हूं, किन्तु उन्होंने ऐसा किया और साथ ही पिछला इतिहास भी दिया। अब वे इसके बारे में क्या जानते हैं वे केवल बैंकिंग के बारे में जानते हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय मैंने एक चीज और देखी है कि उत्तर प्रदेश में साइकिलों की एक

कंपनी है… उसकी साइकल की कंपनी है, उसको 68 करोड़ रुपए का लोन दे दिया है। मैं यह कहता हूँ कि आप चाहते क्या हों। आप कहते हैं कि हम हास्पिटल को लोन देंगे, इक्विपमेंट को लोन देंगे, क्यों ? साहब इसके लिए तो सरकार काफी जागरूक है। डिफेंस वाले अपने हास्पिटल रखते हैं, रेलवे वाले हास्पिटल अपने स्वयं के रखते हैं। जहां आपकी जिम्मेवारी है, उसको आप लोन नहीं देते। अगर इंडस्ट्रीज सिक होती हैं, तो इंडस्ट्रीज में आपकी जिम्मेदारी है, आप उनको लोन दें। इंडस्ट्रीज को लोन देने से देश का विकास होगा। आपने भारत में देखा होगा कि यहां उद्योग का विकास 5, 6, 7 और 8 पर्सेंट से ऊपर नहीं जाता है आज देश के अंदर विकास कैसा हो रहा है कितना हो रहा है, विकास यह हो रहा है कि इंडस्ट्री सिक पड़ जाती हैं, उनको लोन नहीं मिलता है। आप यह बताएं कि किसी एरिया में बैंक ने लोन दिया और लोन देने के बाद यह काम किया है, ऐसा नहीं मिलेगा।

आपने अपनी रिपोर्ट में बड़ी अच्छी-अच्छी बातें कही हैं : एक बात है जब एक आदमी इतनी अच्छी बातें गढ़ने में कामयाब हो जाता है, जब मिनिस्टर अच्छी बातें गढ़कर जनता को सब्जबाग दिखाने में कामयाब हो जाते हैं, तो हर आदमी यह सोचेगा कि ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आप यह सब्जबाग दिखाओ, लेकिन हम जानते हैं कि बैंकों में कितने फ्रांड होते हैं। लोक किसके लिए देंगे, लोन देंगे वेंचर के लिए टेक्नौलोजी एक वर्ड सीख लिया है टेक्नौलोजी के लिए लोन देंगे। कंसलटेंसी के लिए, कंसलटेंसी सर्विस के लिए लोन दिया है। लोन उन कंपनियों को दिया जाता है जिनको कंसलटेंसी की जरूरत नहीं है फिर कंसलटेंसी सर्विस के लिए लोन दे दिया जाता है। ये बैंक के लोग हैं जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण ऐसे लोगों और ऐसी कंपनियों को लोन देते हैं। इस बारे में मैंने पहले भी कहा था इन बैंकों के डायरेक्टर आप मेम्बर पार्लियामेंट को भी बनाइए। श्री वेंकटरमन ने भी कहा था कि मेरा यह सजैशन बिलकुल ठीक सजैशन है। यह बात रिकार्ड पर है, मैं इस समय उसको नहीं ला पाया हूँ।

आपने लिखकर दिया है कि डायरेक्टर का टर्म पांच साल का कर दो, क्यों कर दो साहब पांच साल का। डारेक्टर तीन साल का और उनका चेयरमैन पांच साल का हो, उनको कहते हैं कि को-टर्म्स के लिए, उनका टर्म भी पांच साल का कर दो और इनका समय एक होना चाहिए, लेकिन आपने उसमें अमेंडमेंट नहीं की। उनका समय तो पाँच साल का रहेगा ओर डायरेक्टर का टर्म तीन साल का रहेगा।…(व्यवधान)… यहां तो करोड़ों रुपयों का सवाल है। आपकी तो खूबी है कि आप पार्लियामेंट का काम बहुत जल्दी समाप्त करवा देंगे। न्यू टेक्नौलोजी कंसलटेंसी ये दो चीजें सीख ली है। जनार्दन पुजारी साहब तो बड़े अनुभवी हैं, ये तो साधारण आदमी बन कर बैंकों के द्वार पर गए हैं। आपको तो पता है, ये बैंकों के मैनेजर सीधे मुंह बातें नहीं करते हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप संक्षिप्त में बतायें और यह पूरी बात समझ जायेंगे क्योंकि वे अनुभवी आदमी हैं, उन्हें विस्तृत स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा : मान्यवर, ये सौ से ढाई सौ करोड़ रुपया कर दिया, और मेरे लिए थोड़ा-सा समय नहीं बढ़ा सकते हैं, मुझे कुछ और समय दे दीजिए।

मैं यह कह रहा था कि अभी इन्होंने लोन देना शुरू कर दिया है और मुझे पता चला है कि ये लोग टैली कम्युनिकेशन कार्पोरेशन को बम्बई और दिल्ली में लोन दे रहे हैं। मैं आश्चर्य करने लगा। ये लोग क्यों लोन दे रहे हैं। लोन देने की जगह तो वह है जो पिछड़ा हुआ हिस्सा है जहां विकास नहीं हुआ है. वहां के विकास के लिए कोई काम हो, तो उसका लोन देने की जरूरत है। आपके बैंक के एम्पलोइज की काबुलियत तो तब है जब वे अपनी खुद की इंडस्ट्री बैकवर्ड एरियाज में लगाकर बताएं और फिर कहें कि हमने यह काम किया है और लोगों को इतना एम्प्लायमेंट दिया है।

मान्यवर, यहां आप बात कहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि 15 अगस्त, 1983 को सैल्फ एम्प्लायमेंट स्कीम श्रीमती इंदिरा गांधी ने शुरू की थी, उस स्कीम के अन्तर्गत आपने कितने अनएम्प्लायड एजूकेटेड लोगों को इंडस्ट्री लगवा दी है ? मंत्री महोदय, जवाब देते हुए बतायें कि इस बैंक ने यह काम किया। आपसे काफी नई बातें और की है। मैं जानना चाहता था कि सैल्फ एम्पलायमेंट स्कीम में, जो लाखों लोग बेकार थे, उनमें से कितनों को रोजगार मिल गया है और उसके बाद वे काबिल हो गए हैं।

जो बैंक राय देते हैं, उनसे कहिए कि एक-एक इंडस्ट्री वह भी बैकवर्ड एरिया में लगायें और बतायें कि हमने यह प्राप्ति की है। कंसलटेंसी देना अलग बात है, सलाह देना अलग बात है और काम करना अलग बात है।

मैंने जो अमेंडमैंट दिए हैं, उनमें साफ कहा है—

[अनुवाद]

"लोक सभा के सदस्यों में से अध्यक्ष दो निदेशक नामनिर्दिष्ट करेगा।"

[हिन्दी]

दो डायरेक्टर्स होने चाहियें। श्री वाई. एस. महाजन इकनामिस्ट हैं, तो बड़े-बड़े आदमी डायरेक्टर्स बनने चाहियें। लेकिन डायरेक्टर कौन बनता है ? (व्यवधान)

मूलचन्द डागा को बना दो, अच्छी बात है।

श्री बी. तुलसी राम : डागा जी, आप 3 लाख के फर्नीचर पर बैठना चाहते हैं ? एक दिन हमको वहां लेकर चलिये, दिखाइये, हम देखना चाहते हैं।

श्री मूल चन्द डागा : इंडस्ट्रियल फाइनेन्सिल कार्पोरेशन (अमेंडमेंट) बिल जो आप लेकर आए हैं, यह 1948 का बिल है, उसमें कई बड़े अमैंडमैंट्स की जरूरत है, लेकिन समय-समय

अमैंडमैंट लाकर कहा गया कि खर्चा कम करें। मेरा कहना यह है कि अपनी बात कहने से पहले उपदेश देना छोड़ दें फिर अमल करें तो ज्यादा लाभ होगा।

[अनुवाद]

श्री एस. तंगराजु (पेरम्बलूर) : मैं औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक, 1985 के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

प्रारम्भ में मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ। इस विधेयक के उपबन्धों से औद्योगिक संस्थाओं की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत सहायता मिलेगी। विशेषकर. मैं भारतीय औद्योसिक वित्त निगम से ऋण प्राप्त करने के पात्र बनाने के लिए "औद्योगिक समुत्थान" की परिभाषा को व्यापक बनाने का स्वागत करता हूं। अस्पतालों की स्थापना करने तथा चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करने में लगे समुत्थान भी अब भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से ऋण प्राप्त करने के पात्र हो जाएंगे। निगम की प्राधिकृत पूंजी को 100 करोड़ रु. से बढ़ाकर 250 करोड़ रुपये किया जा रहा है।

मैं भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को औद्योगिक पुनिर्माण तथा विकास बैंक के ऐजेंट के रूप में बनाने वाले उपबन्ध का भी स्वागत करता हूँ। इससे रुग्ण औद्योगिक एककों को पुन-र्जीवित करने में प्रोत्साहन मिलेगा।

पहले ही 90,000 रुग्ण औद्योगिक एकक हैं, जिनमें सरकारी क्षेत्र को 5000 करोड़ रुपए की धनराशि रुकी पड़ी है।

ऐसे 450 बड़े औद्योगिक एकक हैं, जिनमें प्रत्येक में 1 करोड़ रुपए से अधिक की पुंजी निवेश किया गया है, तथा 85,000 लघु उद्योग एकक हैं, जिन्हें रुग्ण बतलाया गया है।

यहां मैं रुग्ण एककों के प्रबन्ध बोर्ड में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के प्रतिनिधियों की लापरवाही का उल्लेख करना चाहूँगा। उन औद्योगिक एककों, जिनकी निवेशित पूंजी 1 करोड़ रुपए अथवा इससे अधिक है, के प्रबन्ध-मण्डल में औद्योगिक वित्त निगम का अपना प्रतिनिधित्व होता है। उन्हें क्या करना होता है ? उन्हें ऐसे औद्योगिक एककों के वित्तीय कार्यकरण पर सूक्ष्म निगरानी रखनी होती है। जब निधियों का दुर्विनियोग किया जाता है. जब उनके वित्तीय कार्यकरण में कुप्रबन्ध होता है तब उन्हें इसकी जानकारी भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को देनी होती है। परन्तु व्यवहार में वे ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं।

वे तब तक चुप रहते हैं जब तक कि एकक रुग्ण न हो जाए। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि रुग्ण एकक के प्रबन्ध बोर्ड में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के प्रतिनिधियों को सरकारी धन को बचाने पाने में असफलता के लिए दंडित किया जाना चाहिए। औद्योगिक वित्त निगम को औद्योगिक उपक्रमों के प्रबन्ध-बोर्ड में कतिपय जाने-माने वित्तीय विशेषज्ञों को भी नाम-निर्देशित किया जाना चाहिए। स्वयं औद्योगिक वित्त निगम का संचालन व्यापारिक तौर-तरीके के

अनुसार किया जाना चाहिए न कि औद्योगिक समस्या के आधे मत से किये गए अध्ययन के अनुसार।

मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि औद्योगिक वित्त निगम की गतिविधियां ऐसी होनी चाहिए जिससे उनका प्रभाव शेयर बाजार तथा स्टाक एक्सचेंजों पर पड़े। चूंकि सरकार स्टाक एक्सचेंजों एवं शेयर बाजार में सट्टे संबंधी गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला कोई व्यापक विधेयक नहीं लायी है, मैं महसूस करता हूं कि औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट, इत्यादि को स्टाक एक्सचेंजों की सट्टेबाजी को रोकने हेतु आवश्यक भूमि का निभानी चाहिए। इस संबध में मैं इस विधेयक मे उस उपबंध का स्वागत करता हूं जिसमें औद्योगिक वित्त निगम द्वारा डिबेंचरों की खरीद का भी प्रावधान किया गया है। औद्योगिक वित्त निगम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेने की 15 करोड़ की सीमा समाप्त कर दी गई है। इससे औद्योगिक वित्त निगम को अपने वित्तीय क्रिया-कलापों का विस्तार करने में सहायता मिलेगी।

इस विधेयक का स्वागत करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री राज कुमार राय (घोसी) : मान्यवर, 1948 का इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन ऐक्ट आज इतने दिनों के बाद अमेन्डमेन्ट के लिए रखा गया है। यह स्वागत करने योग्य इसलिए है कि इसमें इन्होंने एरिया बढ़ाया, पूंजी बढ़ाई और क्षेत्रों को बढ़ाया कि कहां कहां इसका इन्वेस्टमेन्ट कर सकते हैं। इसका हर जगह स्वागत किया जाएगा लेकिन एक बात जो मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ, पुजारी जी यहां बैठे हैं, पूंजी बढ़ाने पर भी, जो इसका मुख्य उद्देश्य है, जो पवित्र उद्देश्य है कि बैकवर्ड एरियाज में इण्डस्ट्रीज लगें, पिछड़े और गरीब लोगों को फाइनेन्स मिले, वह नहीं हो पा रहा है और न आगे होने की कोई उम्मीद है। बैंक वालों को इसमें बहुत डिस्क्रीशन्स हैं लेकिन उन्होंने कभी भी इनको जुडिशसली यूज नहीं किया है। हमेशा आर्बिट्रेरीली जहां चाहा घुमा फिराकर कर दिया। चाहे फील्ड चूज करने की बात हो, चाहे व्यक्ति चूज करने की बात हो, वे जो भी चाहें कर दें उनका डिसीजन फाइनल है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि उनके डिस्कीशन पर रोक लगे। इसके लिए कोई हाई पावर कमेटी बनाई जाये।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। वहां आजमगढ़, बलिया ऐसे जिले हैं जहां पर उद्योग-धन्धे एकदम नहीं हैं लेकिन वहां का व्यक्ति लोन लेना चाहे तो उसके समक्ष इतनी टेक्निकेलिटीज, इतनी औपचारिकतायें उपस्थित कर दी जायेंगी, इस कारपोरेशन की ओर से, कि हमारे आदमी दौड़ते-दौड़ते मर जायेंगे लेकिन उनको लोन नहीं मिलेगा। लेकिन इनके दफतर के नीचे कानपुर का कोई व्यक्ति, कोई बड़ा पूंजीपति भी होगा तो उसको ये कहेंगे कि स्माल सकेल में है और इस तरह से वह इनके परव्यू में आ जायेगा। वे कागज में ऐसा कोई रूल दिखा देंगे कि वह स्माल स्केल के अन्दर है। क्या इस तरह के छोटे उद्योगों और छोटे लोगों को इससे लाभ मिल सकेगा? इन्होंने अपने डिस्क्रीशन का हमेशा ही

दुरुपयोग किया है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसमें ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए कि डिस्क्रीशन किसी एक कमेटी के हाथ में हो, किसी हाई पावर कमेटी के हाथ में हो क्योंकि इन्होंने अपना डिस्क्रीशन हमेशा आर्बिट्रेरी यूज किया है।

इसमें जो क्षेत्र बढ़ा और पूंजी दो सौ से ढाई सौ करोड़ की गई है, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप एक नया सर्वे करायें, नये क्षेत्र लियें जायें और वहां पर पूंजी लगाई जाये ताकि गरीब तथा पिछड़े क्षेत्रों को भी लाभ मिल सके।

इन शब्दों के साथ ही मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : कुल मिलाकर मैं संशोशन का स्वागत करता हूँ।

इस संशोधन का उद्देश्य उद्योगों, विशेषकर इलैक्ट्रानिकी उद्योग में तेजी से हो रही वृद्धि को देखते हुए निगम के संचालन क्षेत्र का विस्तार करना है। मैं केवल कतिपय स्पष्टीकरण चाहूँगा।

सबसे पहले, 'औद्योगिक समुत्थान"की परिभाषा के संबंध में,अस्पतालों की स्थापना तथा चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्था करने जैसे विषयों को शामिल करके औद्योगिक समुत्थान की परिभाषा को व्यापक बनाने का प्रस्ताव है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि अस्पतालों तथा चिकित्सा सेवाओं से उनका क्या अभिप्राय है? क्या इसका अभिप्राय निजी नर्सिंग होम की स्थापना करने से है? यदि ऐसा है, तो मैं इसका विरोध करता हूँ। यदि 'नर्सिंग होम' का उद्देश्य मुनाफा कमाने हेतु इसे व्यापारिक तरीके से चलाना है तब मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। यदि कुछ डाक्टर मिलकर सेवा भाव से कोई अस्पताल खोलना चाहते हैं तो मैं निश्चित रूप से इसका स्वागत करूंगा। परन्तु इससे यह स्पष्ट नहीं होता है। यदि आप चाहते हैं कि कोई एक विशेष डाक्टर एक निजी नर्सिंग होम की स्थापना करे, यदि आप उसे एक बड़ा अस्पताल स्थापित करने तथा धन कमाने के लिए वित्तीय सहायता देते हैं तो मैं इसका विरोध कर रहा हूँ।

विधेयक के अन्य उपबन्धों का मैं स्वागय करता हूँ। आप शेयर पूंजी को 100 करोड़ रु. से बढ़ाकर 250 करोड़ रु. कर रहे हैं। मैं एक या दो सुझाव देना चाहूँगा।

अनेक सदस्यों ने पहले ही उद्योग रहित जिलों तथा पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक एकक स्थापित करने का सुझाव दिया है परन्तु वह अभी भी एक स्वप्न ही है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या उद्योग विहिन जिलों एवं पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने की क्षमता के बारे में पूरे देश में कोई सर्वेक्षण कराया गया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि सबसे पहले वह राज्य सरकार की सहायता से प्रत्येक जिले में सर्वेक्षण कराने के लिए एक समिति का गठन करे। उनसे उन क्षेत्रों की सूची देने को कहा जाए जहां उद्योगों की स्थापना की आवश्यकता है और जहां उद्योग स्थापित करने की क्षमता हैं।

इस संबंध में मैं जानना चाहता हूँ कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने लगभग 2093 करोड़ रु. का निवेश किया है, जिसमें से अकेले गैर-सरकारी क्षेत्र में सबसे अधिक, अर्थात् 65 प्रतिशत निवेश किया गया है। कोई भी गैर-सरकारी व्यक्ति पिछड़े अथवा पहाड़ी क्षेत्रों अथवा उद्योग रहित जिलों में पूंजी निवेश करने नहीं जा रहा है। मेरा सुझाव है कि सरकार को स्वयं पहल करनी चाहिए और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए। अन्यथा, पिछड़े क्षेत्रों में कोई उद्योग स्थापित नहीं होगा। इसे संयुक्त क्षेत्र अथवा सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है।

माननीय मंत्री महोदय इस बात से भली भांति अवगत हैं कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने 29 करोड़ रु. का मुनाफा कमाया है। परन्तु यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उसने कितने व्यक्तियों को सहायता की है। क्या वे इस बात पर निगरानी रख रहे हैं कि सहायता के रूप में जो धनराशि दी गई है, उसका उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा रहा है जिस प्रयोजन के लिए दी गई है? क्या उद्योग स्वस्थ आधारों पर चल रहा है? यह बात महत्वपूर्ण है। मैं माननीय मंत्री महोदय को जानकारी देना चाहता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह भी इस बात से अवगत होंगे कि हमारे देश में अनेक राज्यों में अनेक ऐसे उद्योग, जिन्होंने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अथवा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से सहायता ली है, घाटे में चल रहे हैं। उनका घाटे में चलने का कारण न केवल उनकी अपनी असफलता है, बल्कि उन विभिन्न प्रक्रियायों, जो उनके नियंत्रण के बाहर हैं, की भी विसफलता भी है। उदाहरणार्थ, हमारे अपने राज्य कर्नाटक में बिजली भी कटौती की प्रतिशतत: क्या है? यह इस समय 80 प्रतिशत है। उद्योग का भविष्य क्या होगा? गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में सूखा पड़ रहा है तथा वहां कोई उद्योग मुनाफा नहीं अर्जित कर रहा है, यहां तक कि सरकारी क्षेत्र में भी लाभ नहीं हो रहा है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वह वाद-विवाद का उत्तर देते समय यह बताने की कृपा करें कि ऐसी परिस्थितियों में सरकार क्या करती है। आपने उन्हें धनराशि दी है और एक निश्चित तारीख से उन पर ब्याज लगाना आरम्भ हो जाता है। इसलिए उन्हें न केवल साधारण ब्याज का ही बल्कि जुर्माना ब्याज का भी भुगतान करना पड़ता है। अब क्या स्थिति है? इस समय हमारे पास हजारों रुग्ण औद्योगिक एकक हैं और देश को इससे कुल मिला-कर 5,000 करोड़ रु. का नुकसान हो रहा है। अतः, मेरा सुझाव यह होगा कि सरकार उन के प्रति माननीय आधार पर सहानुभूति पूर्वक विचार करे। ऐसे उद्योग, चाहे वे सरकारी क्षेत्र में हों अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में, जो अपनी गलती के कारण ही, बल्कि उन कारणों, जिन पर उनका नियंत्रण नहीं है, से घाटे में चल रहे हैं, सहानुभूतिपूर्वक विचार किए जाने के पात्र हैं।

अन्त में, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वित्तीय सहायता प्राप्त करना सरल नहीं है—क्योंकि मुझे इसका अनुभव है, यद्यपि मैंने वैयक्तिक तौर पर इसकी कोशिश नहीं की है—इसलिए हमें एकल खिड़की प्रक्रिया की व्यवस्था अवश्य ही करनी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एक समय-सीमा के अन्दर ही वित्तीय सहायता दे दी जाए।

मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय वाद-विवाद का उत्तर देते समय इन कतिपय मुद्दों का स्पष्टीकरण करेंगे।

[हिन्दी]

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो इण्डीस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन (एमेंडमेंट) बिल, 1985 है, उसका समर्थन करते हुए मैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की भोर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसके कार्य क्षेत्र में जो नो विषय जोड़े गये हैं, वे स्वागत योग्य हैं। खास तौर पर इलेक्ट्रिसिटी और इनर्जी के क्षेत्र में, इलेक्ट्रोनिक्स के क्षेत्र में और पिछड़े हुए क्षेत्र में इन्डस्ट्रियल एस्टेटस बनाने के लिए आई. एफ. सी. जो फाइनेन्स करेगा, उस को भी इसके लक्ष्य में जोड़ने का प्रयास किया है, इसके लिए निश्चित रूप से मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। पिछले कुछ वर्षों में आई. एफ. सी के कार्य स्तर में कुछ गिरावट आई है। जो दूसरी भारतीय वित्तीय संस्थाएं हैं जैसे आई. डी. बी. आई और आई. सी. आई. सी., इन सबके बाद में आई. एफ. सी. का नम्बर आता है। कहीं न कहीं इस की कार्य प्रणाली में दोष है और ऋण के मिलने में हमारे युवा उद्योगपतियों को कुछ दिक्कत होती है।

श्री सी. माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : यह सब से पहले का कारपोरेशन है।

श्री प्रताप भानु शर्मा : 1948 में यह कारपोरेशन आया था और इस की कार्य प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है और जो भी इस के नियम हैं और जो अड़चनें हैं, उन की समीक्षा कर के कार्य प्रणाली में सुधार लाना चाहिए।

जहां तक इसके द्वारा जो फाइनेन्सिग में लीजिंग और हायर परचेज की बात कही गई है, हमारे माधव रेड्डी जी ने कहा कि इस कारपोरेशन को यह कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। इस बारे में मेरा दृष्टिकोण यह है कि आप ने जो इन कार्यों को इस कारपोरेशन के कार्य क्षेत्र में जोड़ा है, वह निश्चित रूप से आज के समय की आवश्यकता के अनुरूप है। जो लीजिंग या रीफाइनेन्स या हायर परचेज की बात कही गई है, उसमें खास तौर से उन्हीं एसेट्स के बारे में कहा है जो किसी इण्डस्ट्रियल प्लान्ट, इक्युपमेंट या अन्य औद्योगिक प्रगति से संबंधित हैं। इसलिए इस के कार्य क्षेत्र से बाहर जा कर काम करने की बात नहीं है। इसमें यह गौर करने की बात है कि देश में जो कारपोरेट सेक्टर है, जो लीजिंग और फाइनेन्स कम्पनियां आ रही हैं और तेजी से चली आ रही हैं, हमारे वित्त मंत्रालय को और केन्द्रीय सरकार को इन को रोकना चाहिए क्योंकि कारपोरेट सेक्टर में लिमिटेड कम्पनियां बन जाती हैं और जो कन्ट्रोलर आफ कैपीटल इसूज है, उससे परमिशन लेकर करोड़ों रुपया इकट्ठा करके लीजिंग और फाइनेन्सिग के नाम पर लोगों को गुमराह किया करती हैं। वे खुद के उद्योग का पोषण करती हैं या देखरेख करती हैं और वह रुपया सार्वजनिक कार्य में नहीं आ पाता है। जब आप ने आई. एफ. सी. और आई. डी. बी. आई. में, इन सब में, इस कार्य क्षेत्र को जोड़ लिया है, तो मेरा सुझाव है कि प्राइवेट सेक्टर में या कारपोरेट सेक्टर में इस को बन्द किया जाना चाहिए।

आखिर में जो सब से महत्वपूर्ण बात है, जिसे श्री माधव रेड्डी जी ने भी कहा कि आई. एफ. सी. के अन्तर्गत रिस्क कैपिटल फाऊण्डेशन बना हुआ है। वह जनरल्ली ऐसे इन्टरप्रिन्योर्स की असिसटेंश कैपिटल के तौर पर मदद करता है जिनके प्रोजेक्ट की कोस्ट तीन करोड़ से ऊपर

हो जाती है। उन्हें आर. पी. एफ. की तरफ से बराबरी का सहयोग दिया जाता है, काफि सुविधाजनक स्थिति में आर. पी. एफ. से 50 परसेंट इक्विटी पार्टिसिपेशन के लिए आर्थिक सहयोग मिल जाता है। मेरा सुझाव है कि जिस तरह से हमारे टेक्नोक्रेट्स, प्रोफेशनल्स, युवा उद्योगपति इस क्षेत्र में आ रहे हैं तो आर. पी. एफ. को ज्यादा फैसिलिटीज बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी वह विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रेशों में छोटी राशि ही देता है और सीमित लोगों को ही देता है। मेरा सुझाव है कि इसकी बेकवर्ड एरियाज में डवलपमेंट के लिए यंग इंजीनियर्स, टेक्नोक्रेट्स और प्राफेशनल्स लोग जो स्वयं अपने उद्योग लगाते हैं उनको नियमों में सुविधा देनी चाहिए। इसकी स्वीकृति के साथ-साथ इसका प्रकरण भी शुरू कर देना चाहिए जब आल इण्डिया फाइनेंशयल इंस्टीच्युशन को रिट प्रकरण हम सबमिट करते हैं तो ज्वाएंट अप्रेजल होता है, उस ज्वाएंट अप्रेजल में भी इसको शामिल कर लेना चाहिए ताकि फाउंडेशन से लोगों को मदद मिल सके।

आप इस अमेंडमेंट के माध्यम से पिछड़े क्षेत्रों में वहां पर इण्डस्ट्रियल स्टेट्स को डवलप करने के लिए आई. एफ. सी. मदद करेगा, अपना आर्थिक योगदान करेगा। मेरा सुझाव है कि जहां पर सब से ज्यादा बैकवर्ड एरियाज है, जहां पर रूरल सेक्टर उपेक्षित रह जाते हैं और उनमें किसी तरीके से लोकल इन्टरप्रिन्योर्स सामने आते हैं और उनके सहयोग से उस क्षेत्र का विकास होता है तो वहां कोआप्रेटिव सेक्टर या किसी तरीके का यूनियन बना कर वहां इण्डस्ट्रियल स्टेट का प्रमोशन करना चाहिए और वहां पर रोड्स, रेलवे लाईन, वाटर सप्लाई, हाई टेंशन इलेक्ट्रिसिटी जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर को क्रियेट करने में आई. एफ. सी. आई. काफी योगदान कर सकता है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हमारे देश में औद्योगिकरण की आवश्यकता को देखते हुए आप यह अमेंडमेंट बिल लाये हैं, यह ठीक समय पर लाये हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

———

3.02 म. प.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

19वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री डाल चन्द्र जैन (दमोह) : महोदय, मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :—

"कि यह सभा 30 अप्रैल, 1986 को सभा में प्रस्तुत किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा 30 अप्रैल, 1986 को सभा में प्रस्तुत किये गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.03 म.प.

मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) लागू होना (संशोधन) विधेयक

(धारा 2 में संशोधन)

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशन गंज) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मुस्लिम स्वय विधि (शरीयत) लागू होना (संशोधन) अधिनियम, 1937 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) लागू होना अधिनियम, 1937 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

3.04 म. प.

संविधान (संशोधन) विधेयक

(आठवी अनुसूची में संशोधन)

(1986 का विधेयक सं. 45)

[अनुवाद]

प्रो नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो. नारायण चन्द पराशर : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

5.04 म. प.

भारतीय बाढ़ नियंत्रण प्राधिकरण विधेयक

[अनुवाद]

डा. सी.. एस वर्मा (खगरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि बाढ़ों को नियंत्रण में रखने के लिए भारतीय बाढ़ नियंत्रण प्राधिकरण स्थापित करने तथा उससे संबंधित विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि बाढ़ों को नियंत्रण में रखने के लिए भारतीय बाढ़ नियंत्रण प्राधिकरण स्थापित करने तथा उससे संबंधित विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा. सी. एस. वर्मा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

3.05 म. प.

फसल बीमा योजना विधेयक

[अनुवाद]

श्रीमती ऊषा चौधरी (अमरवती) महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि व्यापक फसल बीमा योजना के लिए तथा उससे संबंधित विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि एक व्यापक फसल बीमा योजना के लिए तथा उससे सम्बन्धित विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती ऊषा चौधरी : महोदय मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूँ।

3.05½ म. प.

संविधान (संशोधन) विधेयक

(आठवीं अनुसूची में संशोधन) (1986 का विधेयक संख्या 47)

[अनुवाद]

प्रो. नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

प्रो. नारायण चन्द पराशर : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

3.86 म. प.

बीड़ी तथा सिगार कर्मकार नियोजन की शर्तें संशोधन विधेयक

(धारा 2 में संशोधन, आदि)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अजित कुमार साहा द्वारा 14 अप्रैल, 1986 को पेश किए प्रस्ताव पर अब हम आगे विचार करेंगे।

अब श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक अपने विचार व्यक्त करेंगे।

[हिन्दी]

हाफिज मोहम्मद सिद्दीक (मुरादाबाद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया। यह बिल बीड़ी मजदूरों के हित के लिए पेश किया गया है। मैं समझता हूँ कि बीड़ी उद्योग भारतवर्ष में एक ऐसा उद्योग है, जिसमें गरीब मजदूरों को आसानी से काम मिलता है। यह उद्योग सारे हिन्दुस्तान मे फैला हुआ है और गरीब किसान, बेरोजगार लोग और महिलाएं, सब के सब इसमें काम करते हैं और उनको आसानी से रोजगार मिल जाता है। मैं देखता हूँ कि जहां-जहां पर भी बीड़ी के उद्योग हैं वहां-वहां बीड़ी उद्योग से लोग अपना पालन-पोषण करते हैं, लेकिन उनको जो कठिनाइयां और परेशानियां होती हैं, उपको दूर करने का काम हमारी सरकार का है।

ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बीड़ी बनाने का काम होता है वहां उन गरीब मजदूरों का शोषण

होता है और ठेकेदारों तथा सट्टेदारों द्वारा उनको पूरी मजदूरी नहीं दी जाती। इसलिए मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि एक ऐसा नियम बनाया जाए जिससे ठेकेदारों और सट्टेदार मजदूरों को पूरी मजदूरी दें, उनका शोषण न हो। मैंने देखा है कि वे गरीब लोग सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करते हैं और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। जहां पर वे काम करते हैं वहां पर शौचालय और बाथरूम की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि काम समस्त करने के बाद नहा धोकर मजदूर अपने घर को वापिस जाएं और उसके बाद अपने घर का काम देखें। मैं समता हूं कि इस बिल के माध्यम से उन ठेकेदारों और सट्टेदारों के लिए यह नियम बनाया जाए कि जो मजदूरी तय हुई है, उतनी मजदूरी दें। मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं दी जाती। पूरी मजदूरी मजदूरों को तभी मिल सकती है जब हमारे लेबर इन्स्पेक्टर वगैरह उसको चैक करें। अगर वे उसको चैक करेंगे तो मैं समझता हूँ कि लोगों को पूरी मजदूरी मिल सकती है।

इसी तरह से प्रावीडेंड फण्ड का मामला है, यह भी हमारी सरकार के विचाराधीन हैं। उनको प्रावीडेंड फण्ड दिया जाए, क्योंकि ये लघु उद्योग है और काटन इण्डस्ट्री की तरह यह भी फैला हुआ है और गरीब लोगों को आप जो फायदा पहुँचाना चाहते हैं वह उन तक नहीं पहुँच पाता। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि मजदूरी में शामिल करके उनकी मजदूरी के रूप में दिया जाए तो मैं समझता ? कि उन गरीब लोगों को, बीड़ी मजदूरों को जो फायदा आप देना चाहते हैं वह आप दे सकते हैं और मजदूर को पूरा रेट मिल सकता है। लघु उद्योग होने की वजह से यह काम हर गांव और शहर में फैला हुआ है। एक जगह पर यह काम इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें लाखों आदमी काम करते हैं। उनके बैठने की व्यवस्था नहीं हो सकती है इसीलिए उस पर आज तक सही ढंग से कंट्रोल नहीं हो पाता। मेरा, माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध है कि कोई ऐसा नियम बनाया जाए जिससे पूरे भारतवर्ष में एक मजदूरी हो और उस मजदूरी के साथ-साथ जो भी फैसिलिटी आप देना चाहते हैं, वह उस मजदूरी के रूप में उनको दी जाए। इससे उनको पूरा-पूरा फायदा पहुंच सकेगा। सट्टेदार और ठेकेदार हैं, वे चूंकि लाइसेंसी होते हैं इसलिए उनका रजिस्टर चैक किया जाए कि वे पूरी मजदूरी देते हैं या नहीं क्योंकि बीड़ी मालिक तो पूरा पैसा देता है। इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

*श्री वी. एस. विजयराघवन (पालघाट) : महोदय मैं इस विधेयक के उद्देश्य का स्वागत करता हूँ। इसका समर्थन करते हुए घ यह मांग करूंगा कि सरकार बीड़ी कर्मकारों के कल्याण के लिए एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करें।

इस उद्योग में लगभग 33 लाख कर्मचारी लगे हुए हैं। यद्यपि सरकार ने बीड़ी मजदूरों के कल्याण के लिए एक कानून पास कर दिया है परन्तु उन्हें इस कानून से लाभ नहीं मिल रहे हैं।

* मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

बीडी मजदूरों को कई सवस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहली तथा सबसे प्रमुख है एक समान राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी जिसे हम अभी तक इस उद्योग में लागू नहीं कर पाये हैं। कई राज्यों में बीड़ी मजदूरों के लिए कोई न्यूनतम मजदूरी नहीं है। एक समान न्यूनतम मजदूरी की मांग बीड़ी मजदूरों के संघ द्वारा एक बैठक में की गई थी तथा इससे सम्बन्धित ज्ञापन प्रधान मंत्री को भेजा गया था बाद में इस मुद्दे पर त्रिपक्षीय बैठक में विचार किया गया था परन्तु उसमें यह मत निकला था कि इस समय एक समाम समझना राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी को लागू करना व्यवहार्य नहीं है। परन्तु क्षेत्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी का समझौता हो गया था। इस संदर्भ में मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि मेरे राज्य केरल में बीड़ी उद्योग का स्थानान्तरण जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक आदि जैसे पड़ोसी राज्यों में हो रहा है। चूंकि इन राज्यों में मजदूरी कम है इसलिए बीड़ी विनिर्माता तथा ठेकेदार इन राज्यों में जाकर बीड़ी का बिनिर्माण करते हैं लेबल लगाकर वापस लाकर उन्हें बेच देते हैं। इससे केरल में इस उद्योग में रोजगार के अवसरों पर गम्भीर रूप से प्रभाव पड़ा है। मजदूर रोजगार खोते जा रहे हैं। इसलिये सरकार को इस उद्योग में राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी लागू करने की पहल करनी चाहिए।

दूसरी समस्या यह है कि बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम को कई राज्यों में लागू नहीं किया जा रहा है। बीड़ी विनिर्माता तथा ठेकेदार निरन्तर बीड़ी मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। वह 10 से 12 घंटे करते हैं परन्तु उन्हें दो वक्त की रोटी भी नहीं मिलपाती। कल्याण अधिकारी भी समय पर मदद नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें बीड़ी मजदूरों के कल्याण में कोई रुचि नहीं है। एक अनुमान के अनुसार लगभग आधे बीड़ी मजदूर क्षय रोग से पीड़ित अतीत में भारत सरकार ने सहकारिता के आधार पर उन्हें सगठित करने के कुछ प्रयत्न किए थे। मैं चाहता हूँ कि मननीय मन्त्री जी सभा को बताएं कि इस सम्बन्ध में क्या किया गया है तथा सरकार किस हद तक इसमें सफल रही है। सरकारी क्षेत्र में लाने के बाद ही मजदूरों की समस्या का हल हो सकता है। केरल में दिनेश बीड़ी निगम बीड़ी उद्योग में सफल सहकारिता के प्रयास का एक अच्छा उदाहरण है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस संबंध में पहल करे।

मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि सरकार बीड़ी मजदूरों की स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान दे रही है। परन्तु विद्यमान चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है उदाहरण के तौर पर पूरे देश में बीड़ी मजदूरों के लिए एक ही अस्पताल है जिसमें केवल 10 बिस्तर हैं। देश के विभिन्न भागों में इस तरह के कई अस्पताल स्थापित किए जाने चाहिए। मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि केरल में केवल बीड़ी मजदूरों के लाभ के लिए तो कई अस्पताल खोले जाने चाहिए।

बीड़ी मजदूरों के लिए एक आवास योजना भी है। परन्तु तथ्य यह है कि इससे सभी मजदूरों के लिए लाभकारी नहीं है। उस योजना से केवल उन्हीं मजदूरों को लाभ मिलता है जो मान्यता प्राप्त विनिर्माण एककों में काम कर रहे हैं और इस प्रकार बहुत से मजदूर लाभ से वंचित रह जाते हैं। मेरा अनुरोध है कि बीड़ी उद्योग के सभी मजदूर चाहे वे मान्यता प्राप्त एककों में काम करते हों या अमान्यता प्राप्त एककों में सभी को इस आवास योजना के अन्तर्गत

लाया जाना चाहिए। इसी प्रकार 50 वर्ष की आयु से अधिक वाले सभी मजदूरों को पेंशन दी जानी चाहिए, बीड़ी मजदूर देश के मजदूर वर्ग के अत्यन्त असमर्थ वर्ग के हैं। जब वे बूढ़े तथा बीमार हो जाते हैं तो उनका कोई सहारा नहीं होता। इसलिए उन्हें पेंशन दी जानी चाहिए।

बीड़ी मजदूर संगठन ने यह मांग रखी है कि बीड़ी से उत्पादन शुल्क हटा कर तम्बाकू पर लगाया जाना चाहिए। उसका यह भी कहना है कि यदि इस तरीके से उत्पाद शुल्क नहीं हटाया जा सकता तो 20 लाख बीड़ियों पर दी गई छूट को हटा दिया जाना चाहिए। यह शिकायत है कि कुछ निहित स्वार्थों द्वारा इस छूट का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले पर पुर्नविस्तार विचार करें।

मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि ई. एस. आई. योजना देश में सभी बीड़ी मजदूरों पर लागू की जानी चाहिए। मैं महसूस करता हूं कि वर्तमान विधेयक से बीड़ी मजदूरों की सारी समस्याओं को हल करने में सहायता नहीं मिलेगी और इस लिए मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि बीड़ी मजदूरों के कल्याण के सभी पहलूओं से निपटने के लिए एक व्यापक विधान लायें इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

***श्रीमती बसवारांजेश्वरी** (बेल्लारी) उपाध्यक्ष महोदय, हम एक महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पर विचार कर रहे हैं जिसके द्वारा बीड़ी मजदूरों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया गया है। इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव भी देना चाहूँगा। देश के विभिन्न भागों से बच्चे तथा महिलाएं इस उद्योग में प्रवेश कर रहे हैं। बीड़ी सिगार तथा सिगरेट आदि पीने वाले व्यक्तियों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। पहले थोड़े लोग धूम्रपान करते थे। आज कल हमें बहुत लोग धूम्रपान करते हुए दिखाई देते हैं। बच्चों ने भी धूम्रपान करना आरम्भ कर दिया है दिन प्रतिदिन धूम्रपान करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसका पर्याप्त रूप से प्रचार किया जा रहा है धूम्रपान के खतरों के बारे में समाचार पत्र विभिन्न लेख तथा अनुसंधान अध्ययन आदि प्रकाशित कर रहे हैं। कई प्रमुख डाक्टकों ने इस मामले में अपना विशेषज्ञ मत दिया है। इन सभी सावधानियों तथा चेतावनियों के बावजूद भी देश में धूम्रपान करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। धूम्रपान की आदत विदेशों में काफी अधिक थी। विदेशों में भी जनता में इस आदत का दमन करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। अध्ययन से पता चलता है कि धूम्रपान से कैंसर हो सकता है जिससे मृत्यु भी हो सकती है। विस्व स्वास्थ्य संगठन भी हमारे देश में इस आदत का दमन करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहा है । फिर भी विशेषकर हमारे देश में धूम्रपान का यह रोग दावानल की तरह सर्वत्र फैलता जा रहा है। यहां मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी। अनेक सांप विषैले होते हैं। विषैले सांप जो सब स्थानों पर घूम सकता है वह तम्बाकू के खेत में नहीं जाता है। यह कहा जाता है कि यदि वह उस खेत में घुसता है तो मर जाता है। इससे हम यह कल्पना कर सकते हैं कि तम्बाकू कितना खतरनाक है। जब तम्बाकू का धुयें का कश लिया जाता है तो वह शरीर के स्वास्थ्य को खराब कर देता है। इसलिए यदि सरकार को हमारे देश की जनता के

*कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

स्वास्थ्य की रक्षा करनी है तो उसे उपयुक्त उपाय करने होंगे।

तम्बाकू देश के विभिन्न भागों में वाणिज्यिक फसल के रूप में उपजाया जाता है। आंध्र प्रदेश में तम्बाकू की उपज बहुत अधिक होती है। "गुंटूर" में जो तम्बाकू उपजाया जाता है वह विरजीनिया तम्बाकू की तुलना में भी अधिक अच्छी किस्म का है। तम्बाकू बोर्ड उत्पादकों की मदद करने के लिए लाम कारी मूल्यों पर तम्बाकू खरीद रहा है। तम्बाकू से देश को काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा भी मिल रही है। तम्बाकू के निर्यात से हमारे किसानों को काफी लाभ मिल रहा है।

तम्बाकू से बहुत लोगों को लाभ मिल रहा है परन्तु तम्बाकू उद्योग में काम करने वालों की दशा वास्तव में ही दयनीय है बीड़ी तथा सिगरेट के कारखानों के मालिक मजदूरों की उचित देखभाल नहीं कर रहे हैं। इस सभी को विशेषकर बीड़ी कारखानों के मजदूरों को सुबह से रात तक काम करना पड़ता है। ये अधिकांश मजदूर बच्चे और महिलाएं हैं। वह बहुत बुरे वातावरण में काम करते हैं। कई मजदूर बीमार भी हो जाते हैं। उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है। बच्चों की मजूरी भी काफी कम होती है। कुछ कारखानों में रिकार्डों में वेतन कुछ और दिखाया जाता है परन्तु दिया कुछ और जाता है। यह सब बहुत निन्दनीय है।

जो बच्चे इस उद्योग में काम करते हैं वह धूम्रपान के आदी हो जाते हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि बच्चों को धूम्रपान की आदत न पड़े बीड़ी सिगरेट के कारखानों में बच्चों का काम करना पूरी तरह समाप्त किया जाना चाहिए। इन उद्योगों में काम करने वाली महिलाओं को वैकल्पिक काम दिया जाना चाहिए तथा उन्हें बीड़ी कारखानों में कभी भी काम नहीं करने दिया जाना चाहिए।

इन मजदूरों को दी जाने वाली सुविधाएं बहुत ही कम हैं। मजदूरों की कोई चिकित्सकीय जांच नहीं की जाती। उन पर काम का बोझ बहुत अधिक है। यदि किसी रोग के कारणवश मजदूर बीमार हो जाता है तो उसे कारखाने के मालिक से उचित मुआवजा नहीं मिलता है। ऐसे मालिकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए।

बीड़ी मजदूर जो काफी बीमार हो जाते हैं वह ऐसी अवस्था में पहुँच जाते हैं कि जिन्दगी भर कुछ काम करने के समर्थ नहीं रह जाते। ऐसे व्यक्तियों की पुनर्वास की व्यवस्था करना बहुत ही आवश्यक है। इस सम्बन्ध में इन व्यक्तियों की सहायता के लिए सरकार को एक संशोधन विधेयक लाना चाहिए।

कर्नाटक तथा अन्य राज्यों में हजारों व्यक्ति बीड़ी उद्योग में कार्यरत हैं। यह राज्यों का दायित्व है कि वे वह बीड़ी मजदूरों के कल्याण का ध्यान रखें। कुछ राज्यों ने कुछ हद तक सुविधाएं भी प्रदान की हैं। परन्तु कुछ अन्य राज्यों में बीड़ी मजदूरों की दशा दयनीय है। इस लिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह एक समान नीति बनाकर गरीब मजदूरों की सहायता करें। मजदूर बहुत ही खराब वातावरण में कार्य करते हैं। कारखानों के भवन छोटे होते हैं और हम देखते हैं कि हजारों व्यक्ति उसी एक छत के नीचे काम करते हैं। न ही वहां देखने के लिए

रोशनी होती है अथवा सांस लेने के लिए हवा। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह बीड़ी मजदूरों के कल्याण के लिए एक समान नीति लागू करें महोदय, आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ तथा इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, बीड़ी एण्ड सिगार वर्क्स (कंडीशन्स आफ एम्प्लायमेंट) अमेंडमेंट बिल, 1985 को जिस मंशा से हमारे आदरणीय सदस्य श्री साहा ने प्रस्तुत किया है, उसकी भावना का मैं समर्थन करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि सरकार कोई ऐसा विस्तृत विधेयक बीड़ी वर्क्स के कल्याण के लिए लाएगी जिससे इन लोगों की तकलीफें दूर हो सकें।

मान्यवर, अनआर्गेनाइज्ड लेबर चाहे वह बीड़ी उद्योग का हो, चाहे खेतिहर मजदूर हों और चाहे कोई अन्य उद्योग हो, सभी में उनकी हालत खराब है। मेरे क्षेत्र में तो तेंदू पत्ता भी होता है। वहां पर कई कांट्रेक्टर बीड़ी वर्क्स का शोषण कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको निर्धारित मजदूरी भी नहीं मिल पाती है, यह जान कर मान्यवर आपको आश्चर्य होगा।

3.29 म. प.

[श्रीमती बसव राजेश्वरी पीठासीन हुईं]

महोदया, बीड़ी वर्क्स की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनको टी. बी. जैसे भयंकर रोग का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनको इस बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए और इलाज कराने के लिए कोई भी सुविधा न तो शासन की तरफ से दी गई है और न ही इन कांट्रेक्टर्स की तरफ से दी गई है। ये कांट्रेक्टर्स लोग इन बीड़ी मजदूरों से बहुत ही सस्ते रेट में बीड़ी बनवाते हैं। मैं यह मांग करता हूँ कि बीड़ी उद्योगों में लगे श्रमिकों के लिए निश्चित तौर से आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे उनको न्यूनतम वेतन मिले। आज होता क्या है कि प्रति हजार कुछ पैसे देकर बीड़ी खरीद ली जाती है। ये लोग पहले से ही ऐसा बनाकर रखते हैं कि मजदूरों को एडवांस देकर रखते हैं और इस कारण हमारा गरीब वर्कर मजबूर हो जाता है कि अपनी मेहनत की कमाई को सस्ते दामों पर ठेकेदारों को दे दे। इसलिए आप बीड़ी वर्कर के हित में एक ही कानून लावें और ऐसी व्यवस्था बनायें ताकि उनकी मजदूरी निश्चित हो सके।

उनके लिए स्वास्थ्य केन्द्र कहीं नहीं है, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है और मानवीय जीवन के लिए जरूरी जरूरियात की चीजें भी उनको उपलब्ध नहीं हैं। आम तौर से ये लोग विभिन्न गांवों में और झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं और उनके रहन-सहन का स्तर भी बहुत खराब होता है। बीड़ी उद्योग में लगी हुई कम्पनियां अपने एस्सैटस को बढ़ाती जा रही हैं, लेकिन इन गरीब लोगों के कल्याण का कोई काम नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार इन गरीबों के बच्चों को पढ़ाई के लिए इन कम्पनियों को मजबूर करे और बच्चों की पढ़ाई के लिए उनसे स्कूल

खुलवाएं जिससे पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था हो सके। साथ ही साथ जो आज इनको कम मजदूरी मिल रही है, उनको ध्यान में रखते हुए इनकी ग्रैच्युटी, प्रावीडेंड फन्ड और ओल्ड एज के लिए लिए कोई स्कीम बनाये ताकि उनका गुजारा हो और इस प्रकार की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए।

सरकार ने खासकर 1980 के बाद मजदूरों के हित में विभिन्न कानून बनाये हैं लेकिन मैं यह ध्यान में लाना चाहता हूँ कि इन कानूनों का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। ये कानून राज्य सरकार के दफ्तरों की अलमारियों की शोभा बढ़ा रहे हैं। कानूनों का कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। जो कानून आप बनाते हैं उनकी कार्य परिणति हो, इसके लिए आपको निश्चित रूप से मशीनरी तैयार करनी चाहिए।

आपने पिछली योजनाओं में ब्लाक स्तर पर कुछ इन्सपैक्टरी 250 रुपये का आनरेरियम देकर रखे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वह इन्सपैक्टरी केवल तनख्वाह लेने वाले दिन ही ब्लाक में आते हैं। वह न बीड़ी वर्कर को जानते हैं और न कुछ उनके लाभ का कार्य करते हैं। इसलिए आनरेरियम बेसिस पर जो ब्लाकों में इन्सपैक्टर नियुक्त किये गये हैं आप उनको पूर्णकालिक नियुत करें और उनको अधिकार दे और राज्य सरकारों से कहें कि वह कानूनों की कार्यान्विति करायें।

कालीन के उद्योग में जो बांडेड लेबर है, आपने देखा है कि उसके बारे में पार्लियामेंट में पीछे शोर-शराबा हुआ था उसके बाद 40 करोड़ की योजना मिरजापुर और वाराणसी के कालीन उद्योग में लगे लोगों के लिए आपने बनाई है। मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार की व्यवस्था बीड़ी उद्योग में लगे लोगों के लिए भी आप बनाएं।

बीड़ी उद्योग में लगे हमारे आदिवासी, हरिजन और गिरिजन मजदूर हैं, जो खासतौर से गांव में झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। ट्रेनिंग के नाम पर ठेकेदार उनको और शोषण कर रहे हैं। सरकार को अपनी तरफ से उन लोगों की ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। उनको रा-मैटीरीयल और तम्बाकू समय पर मिलना चाहिए। जो अधिकारी केन्द्रीय सरकार से आता है वह किसी ठेकेदार को पकड़ कर 10,20 मजदूरों के नाम लिखवा लेता है और आधा पैसा मजदूरों को देकर आधा पैसा अपनी जेब में रख लेता है। आजकल यह चल रहा है। जरूरत इस बात की है कि जो केन्द्रीय नीति के कारण बहुत से श्रम कल्याण के कार्यक्रम चल रहे हैं उनके लिए आप एक मानिटरिंग सैल बनायें जो कानूनो के कार्यान्वयन की रिपोर्ट लेकर आपको सूचना दें। तब आपके कानून बनाने का कुछ मतलब होगा। इस लिए मैं बीड़ी उद्योग में लगे हुए श्रमिकों के बारे में कहना चाहता हू जिनकी बहुत दयनीय, बड़ी शोचनीय दशा है, उनको ऊपर लाने के लिए, समाज के अन्य सुविधा-प्राप्त लोगों के बराबर लाने के लिए आपको क्रांतकारी कदम उठाने होंगे और राज्य सरकारों से कहना होगा कि केन्द्रीय सरकार की जो मंशा है अनआर्गेनाइज्ड श्रमिकों और बाण्डेड लेबर के बारे में, उसके अनुसार वे कार्यवाही करें। केवल सुपरवाइज या इन्सपेक्टर नियुक्त कर देने से और वह भी आनरेरियम बेसिस पर, यह काम होने वाला नहीं है। मैं आपसे यह भी मांग करूंगा कि हिन्दुस्तान के बहुत से

ब्लाक-स्तर पर जो आनरेरियम के आधार पर इन्स्पेक्टर लगे हुए हैं उनके बारे में आप एक नीति बनायें कि देश के समस्त ब्लाकों में अन-आर्गेनाइज्ड सेक्टर के श्रमिकों की देखभाल करने के लिए अनिवार्य रूप से इन्स्पेक्टर नियुक्त किए जाएंगे जोकि आपके पास अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। अभी पैसा तो आप देते हैं लेकिन नियुक्ति राज्य सरकार करती है। मैं जानता हूं 250 रुपये में से 100 रुपये ब्लाक अधिकारी को देकर वे लोग 150 रुपया लेकर चले जाते हैं। ऐसे केसेज भी पकड़े हैं कि जो उन्होंने लिखा कि इन गांवों में गए, वह गांव ही नहीं है। मैंने बहुत खेतिहर मजदूरों से स्वयं भी बातें की हैं। तो आखिर इस प्रकार से हम किसे धोखा देने जा रहे हैं।

ऐसी स्थिति में मुझे विश्वास है माननीय मंत्री जी यहाँ पर एक व्यापक विस्कृत विधेयक पेश करेंगे। हमारे साथी ने यह जो विधेयक यहां पर रखा है उनकी मंशा से सहमत होते हुए भी मैं उनके इस बिल का समर्थन नहीं करता इसलिए कि यह पूर्ण नहीं है। मैं मांग करता हूं कि मैंने जिन भावनाओं को यहां पर व्यक्त किया है उनके अनुरूप एक व्यापक विधेयक यहां पर मन्त्री जी पेश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्रीमती ऊषा चौधरी (अमरावती) : सभापति महोदय, इस महत्वपूर्ण बिल का मैं स्वागत करती हूं। इस देश में बीड़ी उत्पादक प्रदेशों में एक हमारा महाराष्ट्र भी है। महाराष्ट्र का विदर्भ का एरिया, घोदा भडांर मराठवाड़ा बीड जिला और आस-पास का इलाका, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा कर्नाटक से लगे हुए भागों में अनेक स्थानों पर बीड़ी उद्योग चल रहा है जिसमें महिलाएं अधिक से अधिक काम करती हैं। उनकी शिकायतें सुनने का मुझे भी अवसर मिला है। उनके साथ थोड़ा-बहुत संघर्ष करने का मौका मिला है। इसीलिए कई बार मैंने यहां पर भी इस विषय को उठाने की कोशिश की है। इसीलिए आज इस विधेयक को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तो यह समझती हूँ पहले जमाने में बड़े जमीदार और छोटे किसान होते थे, सीलिंग के पहले हमें यही फर्क ज्यादातर देखने को मिता था वैसे ही आज कामगारों में भी मैं वही फर्क देख रही हूं। हमने अपने देश के कामगारों के लिए बहुत सारे कानून बनाये और बहुत सारी बातें उनके लिये कीं लेकिन सभी कामगारों पर उनका असर नहीं पड़ा। जो पढ़े लिखे लोग हैं जो आर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं उनकी यूनियन्स बहुत ताकतवर हैं और वह पोलिटिकल प्रेशर में भी है। उनके आन्दोलन से हमारा काम काज बन्द हो जाता है इसलिए उनकी प्राब्लम्स जल्दी सुलझाई जाती हैं। लेकिन असंगठित क्षेत्र में थोड़ी थोड़ी संख्या में जगह-जगह काम करने वाले जो कामगार हैं जोकि पढ़े लिखे नहीं हैं जिनकी कोई यूनियन नहीं है वे जानते भी नहीं कि न्याय प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से लड़ें उनकी समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है। बीड़ी सिगार बनाने वाले मजदूर भी उसी श्रेणी में आते हैं। इसलिए बहुत तगड़ा कानून, सिर्फ कागज पर ही नहीं, उसको इम्पलीमेंट कराने की बहुत बड़ी जरूरत है। इस बिल मे उदाहरण दिया है या हम लोगों ने मान लिया है कि 50 लाख से ऊपर मजदूर इसमें काम करते हैं। मैं समझती हूँ कि आप सब लोग जानते होंगे कि कारखाने में कुछ लोग काम करते हैं, लेकिन कान्ट्रैक्ट बेसेज पर लोगों को बीड़ी का पत्ता, तम्बाकू देकर बीड़ी बनवाई जाती है। कान्ट्रैक्ट बेसेज पर लोगों को खराब पत्ता और तम्बाकू दिया जाता है। बीड़ी खराब होने या कम आने के बाद उनका बेसेज में से कटौती होती है। यदि आप चाहें तो उनसे पूछ सकते हैं। इस के बदल में उनके वेतन से पैसा काट लिया जाता है। एक तरफ पैसा काट लिया जाता है, और दूसरी उनका धन्धा भी पूरा

नहीं दिया जाता है। मजदूरों पर इस प्रकार हो रहे शोषण को रोकने के लिए यह बिल लाया गया है।

हम जैसे मलेरिया चेचक उन्मूलन के पोस्टर हर जगह देखते हैं और बड़े गर्व से कहते हैं कि मलेरिया या जिसको चेचक कहते हैं, वह बीमारी होती नहीं है। लेकिन टी-बी की बीमारी समाज में ज्यादा से ज्यादा हो रही है। जिसका सर्वे होना बहुत आवश्यक है। कैंसर, टीबी से बहुत लोग प्रभावित हैं। मैं सदन को बताना चाहती हूँ, आप सब के दिल में यह भावना की टी बी किसको होती है, तो बीड़ी कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को अधिक होती है। यह आपके नजर में बात क्यों नहीं आई, जहां पर कारखाना बनाया जा रहा है, वह जगह कैसी है। मेरी समझ में नहीं आती है कि ईडस्ट्रियल लाइसेंस हम लोग कैसे दे देते हैं। उनको इण्डस्ट्रियल लाइसेंस देने का क्या हक है। इसकी वजह से जहां इतनी गन्दगी फैले, प्रदूषण फैले। ऐसी स्थिति में वहां की इंडस्ट्रीज को न उठा सकते हैं, न लोगों को रोग से ठीक करसते हैं। क्या हम लोग बगैर सोचे समझे आफिसर लेवल पर इण्डस्ट्रियल लाइसेंस दे देते हैं। बीड़ी कारखाना, सीगार कारखाना, जहां नियम के अनुसार व्यवस्था ठीक नहीं की भी इण्डस्ट्रीज देखें, उस पर कोई कार्यवाही नहीं ली गई है। इन्डस्ट्री में न प्रकाश होता है, न लाईट होती है, न हवा होती है और लोग नजदीक-नजदीक बैठते हैं, अपने हाथ-पैर तक भी नहीं फैला सकते है और वे दिन भर बारह-बारह घण्टे लगातार काम करते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, इसका क्राइटेरिया क्या है ? किस कानून से यह इण्डस्ट्री लगाई गई है और किस ढंग से चलाई जा रही है। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहती हूँ कि कानून के जरिए आप उनको ज्यादा सजा दीजिए। जब ऐसे कुछ कारखानेदारों को सजा मिलेगी, तो आईन्दा इस तरह की गलतियों को रोकने के लिए हम लोग कुछ पाबन्दी लगा सकते हैं।

एक बात मैं यह भी कहना चाहती हूं कि समाज में जो कम दर्जे के काम हैं, जिसमें मेहताना कम मिलता है, जिसमें सामाजिक परम्परा नहीं है, ऐसे काम महिलाओं को ही दिए जाते हैं। इसलिए बीड़ी और सीगार इन्डस्ट्री में काम करने वाली महिलायें मजदूर ही ज्यादा हैं। हम यह मानते हैं कि कोई भूखा न रहे, न कोई बेकार रहे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अपनी भूख को मिटाने के लिए उनके छः सात बच्चे काम करें। इस लिए हमें उनके रहन सहन में मदद करनी चाहिए। कानून में यह बात नहीं लिखी है, लेकिन समाज में यह चल रहा है। इन कारखानों में काम करने वाले लोग क्षय रोग, टी बी और दूसरी बीमारियों से पीड़ित होते हैं। उनकी तरफ हमें तुरन्त ध्यान देना चाहिए। मजदूरों के लिए तो काफी मांग है, हर बार हम आपसे मांग करते रहते हैं. किसानों के लिए भी मांग करते हैं कि उनके लिए हास्पिटल होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, सर्विस सिक्योरिटी होनी चाहिए, लेकिन ये सब बात नहीं होती हैं। प्रेक्टिली ये बातें नहीं हो सकती हैं, फिर भी हम आपसे मांग करते है कि कम से कम इस बार में आप सर्वे कीजिए। सर्वे करके यह पता लगाइए कि बढ़ती हुई टी बी की बीमारी और उससे ग्रसित कितने कामगार हैं व उसमें कितनी महिलाएं हैं। जब ये सारे आंकड़े सरकार के सामने आ जावें, तो उस पर विचार करें कि उसने अब तक यह गलती क्यों बर्दाश्त की। और कौनसी दुनियां में हमने नजर नहीं डाली, इसका अंदाज लगा सकते हैं। इसलिए मैं चाहती हूं कि इस

पर भी यहां विचार होना आवश्यक है। स्व. पण्डित जी ने यह बताया था कि जितनी भी पंच-वर्षीय योजनाएं हम बनायेंगे और जितने भी 20 सूत्री या अलग-अलग कार्यक्रम हम लायेंगे, हमारी मूवमेंट इस देश में आवश्यक हों उससे समाज में परिवर्तन होगा और आर्थिक परिवर्तन होगा। स्व. इन्दिरा जी ने वे योजनायें बना कर दिखाया और बीस-सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से देश को आगे बढ़ाया। जब देश को बनाने को पण्डित जी निकले थे, तो उन्होंने कहा था कि छोटा आदमी और ऊपर आ सकता है, तो वह सहकारी सेक्टर के माध्यम से ही आ सकता है। सहकारी क्षेत्र में छोटे से छोटे व्यक्ति, कामगार, किसान और मजदूर को हम लायेंगे तभी यह देश ऊपर आ सकता है और यहां पर पूरी तरह से आर्थिक क्रान्ति हो सकती है और इन्डस्ट्रियलिस्ट और जमींदार का शोषण हम तभी बन्द कर सकते हैं। इसलिए मैं कहती हूं कि बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज लगाने की तो छोटे आदमी में ताकत नहीं है और टाटा और बिरला का धन्धा हम बन्द नहीं कर सकते। ऐसी आर्थिक नीति हम नहीं बना सकते लेकिन जैसे हैन्डलूम सेक्टर है या बीड़ी जैसे छोटे छोटे व्यवहाय हैं, जहां ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, ज्यादा साधन सामग्री नहीं चाहिए, वहां पर हम कुछ सब्सीडी उन लोगों को दे सकते हैं, जिससे वे ये उद्योग चला सकें। हम देखते हैं कि मच्छीमार व्यवसाय में महिलाओं की संस्थाएं कई जगह अच्छा काम कर रही हैं। बम्बई में भी हैं और महाराष्ट्र में भी हैं। गवर्नमेंट एजेन्सी के माध्यम से यदि मच्छी का धन्धा करें, तो वह उतना सफल नहीं होगा जितना कि सोसाइटी बनाकर कर सकते हैं। बीड़ी और सिगार के उत्पादन के क्षेत्र में महिलाओं को मदद देनी चाहिए। हमारे समाज में 50% महिलाएं हैं और जब तक हम उनको रोजी रोटी और खुद व्यवसाय करने के लिए सहूलियतें नहीं देंगे, तब तक हमारे यहां आर्थिक क्रांति नहीं हो सकती है और हमारे परिवार ऊपर कभी नहीं आ सकते। इसलिए सहकारी संस्थाएं बनाने के लिए शासन उनकी मदद करे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस विधेयक के लिए आवंटित समय लगभग समाप्त हो चुका है। अभी भी ऐसे कई सदस्य हैं जो इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं। यदि सभा सहमत हो तो इस विधेयक के लिए समय 5.30 म. प. तक बढ़ाया जा सकता है।

कई माननीय सदस्य : हां

सभापति महोदय . इस विधेयक के लिए समय 5.30 म. प. तक बढ़ाया जाता है।

[हिन्दी]

श्रीमती ऊषा चौधरी : इस बिल का समर्थन करते हुए मैं मंत्री महोदय से और सरकार यह निवेदन करूंगी कि बीड़ी को जो इण्डस्ट्री है और सिगार की जो इंडस्ट्री है, उसकी तुरन्त जांच होनी चाहिए। सिर्फ बिल पास होने से कोई फायदा नहीं होगा। यह देखना चाहिए कि किस तरह से लोग इसमें काम करते हैं, कैसी जगह काम करते हैं। मैं चाहती हूं कि मजदूरों की हैल्थ के बारे में, उसकी प्रोटेक्शन के बारे में भी व्यवस्था होनी चाहिए। उसी के साथ उस को पूरा वेतन मिले और सर्विस की गारन्टी मिले और खासकर कई इण्डस्ट्रीज में हमने देखा है कि कुछ ऐसे साधन इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन पर तम्बाकू का असर न हो। इस उद्योग को

हम बन्द नहीं कर सकते। गरीबों के सेवन की यह वस्तु बन गई है और सबसे गरीब आदमी इस को इस्तेमाल करता है। हम कितना ही इसके खिलाफ बोल लें यह बन्द नहीं हो सकती। इस लिए इसमें ऐसा संशोधन लाएं कि बीड़ी सिगार पीने वालों पर ज्यादा असर न हो और उनकी सेहत खराब न हो।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ।

चौधरी सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : सभापति महोदया, जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, मैं पंजाब में दो मर्तबा लेबर मिनिस्टर रहा हूँ, मुझे पता है कि वहां बीड़ी मजदूरों को जो हालत है। मैं आपसे कहता हूँ कि चाहे बीड़ी मजदूर हों, चाहे खेत मजदूर हों, उनके लिए कोई भी कानून नहीं चल सकता है जब तक कि ये मजदूर इकट्ठे होकर आन्दोलन नहीं करेंगे। गवर्नमेंट यह करे, वह करे, यह कानून बनाओ, वह बनाओ, जितनी मर्जी हो आप कानून बना लो, इनके लिए कुछ नहीं हो पाएगा। जब तक इन गरीबों में जान नहीं आयेगी तब तक ये अपने को जुल्म करने वाले से नहीं बचा सकेंगे।

जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने कहा था—

[अनुवाद]

"धूम्रपान एक प्रकार से मद्यपान करने से भी बड़ा अभिशाप है, क्योंकि इससे पीड़ित व्यक्ति समय पर दूसरे दोषों को महसूस नहीं करता। इसे गवांरपन का प्रतीक नहीं माना जा सकता बल्कि सभ्य व्यक्ति भी इसको अपनाते हैं। मैं केवल यही कह सकता हूँ कि जो व्यक्ति इसे छोड़ सकते हैं वे ऐसा करके उदाहरण प्रस्तुत करें।"

[हिन्दी]

यह महात्मा गांधी जी ने कहा था कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए।

[अनुवाद]

"मैं शराब की तरह धूम्रपान को भी व्यसन मानता हूं। यह एक आदत है जिसे छोड़ना कठिन है। यह एक महंगा व्यसन है। इससे सांस में बदबू आती है, दांतों का रंग खराब हो जाता है और कभी-कभी इससे कैंसर भी हो जाता है।"

[हिन्दी]

महात्मा गांधी ने कहा था कि बीड़ी पीने से हालत खराब होती है। बीड़ी बनाने वाले की हालत खराब होती है। यह जो बीड़ी का सिलसिला है—

[अनुवाद]

मसोलिन ने कहा था; पहले मैं एक मजदूर हूँ बाद में कुछ और

[हिन्दी]

जो खुद लेबर है उसको पता होता है कि लेबर की क्या हालत होती है। जितना मर्जी हो आप कानून पास करा लो, जो मर्जी हो करलो, जब तक लेबर में जान नहीं आयेगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। जो लोग अफेक्टेड हैं, उनमें जान आनी चाहिए। हमारे रूल्स बना देने से कुछ नहीं होने वाला है। ये अच्छे कपड़े पहनने से, अच्छा खाना-पीना खाने से क्या असर होगा। हम मौज से रहते हैं। इससे क्या होता है। किसी ने यह भी कहा है कि जिसके पास सरोपा है जमीन उसकी है। ये जाखड़ साहब हैं। इनके पास कितनी जमीन है। राव बीरेन्द्र सिंह जी के पास तीन हजार एकड़ जमीन होगी। किसी के पास पांच हजार एकड़ जमीन है। स्पैरो साहब को पता नहीं कहां-कहां जमीन है, कहां-कहां कोठियां है ? ये सब आप गरीबों को बांट दो। यह तो प्रेक्टिकल बात होगी। हम महात्मा गांधी का नाम लेते हैं पर करना कुछ नहीं है।

[अनुवाद]

यहां तक कि रोटी का छोटे से छोटा टुकड़ा जो वह खाता है, उसके मुंह से छीन लिया जाता है।

[हिन्दी]

आप कितने ही कानून बनाये जाओ, जब तक गरीब आदमी समझेगा नहीं, जब तक उसमें जान नहीं आयेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। जब तक उनमें से लीडर पैदा नहीं होगे तब तक हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते।

महात्मा गाँधी ने सबसे पहले खुद अपने आप का ठीक किया था, फिर दूसरे लोगों को ठीक किया। आप लोगों पर क्या असर हुआ ? आप गरीब लोगों का नाम लेकर बात करते जाते हैं और कहते जाओ कि यह कानून पास करो, वह कानून पास करो। कानून से कुछ नहीं होता, काम दिल से होता है। जब लेबर को पता चलेगा तब वह सब को ठीक कर देगा। आज लेबर जानता नही कि उसके लिए क्या बन रहा है ? सीधी सी बात है जब लेबर को पता चल जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप लाख लेक्चर देते जाओ, लेकिन महात्मा गांधी ने प्रेक्टिकल बात की थी। पहले खुद को ठीक किया फिर दूसरे लोगो को ठीक करते थे। जितने कानून बना लो, जितने लम्बे-चौड़े लेक्चर देकर उनका स्वाद ले लो, उनसे कुछ नहीं हो सकता। इससे काम नही होगा। सीधी बात यह है कि जोइफेक्टेड लोग हैं, जिन पर असर होता है, जो खुद श्रमिक हैं, गरीब है, जब तक वे इकट्ठे नही होते, जब तक उनमें से लीडर पैदा नहीं होते तब तक उनका भला नहीं हो सकता। गांधी इंदिरा गांधी और नेहरू का जो आदर्श हिन्दुस्तान का सपना था वह कभी पूरा नहीं हो सकता, जब तक उनमे जान नहीं आयेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। उनमें जान हम आने नहीं देते, यही बात है। उनमें जान आ जायेगी तो फिर हमें कौन पूछेगा। इसलिए मौज किये जाओ। लोग बोलते तो बहुत अच्छे हैं लेकिन कोई आदर्श भी तो उपस्थित करना चाहिए।

श्री मूल चन्द डागा : मैडम ये सब हमको बदनाम कर रहे हैं। (**व्यवधान**)

चौधरी सुन्दर सिंह : जब मैं एम. एल, ए. बना था तो मैंने आदर्श उपस्थित किया था। जो मेरे वोटर हैं वे सिर्फ सियासी तौर पर नहीं हैं, उनका पैसा मेरे से कम नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी जो माली हालत है वह मेरे से कम नहीं होनी चाहिए, यह आदर्श होना चाहिए। जब तक यह आदर्श नही होगा तब तक आपकी नुमाइंदगी का कोई फायदा नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा और हमारे लीडर भी कहते हैं, लेकिन जब तक खुद अपने ऊपर उसको लागू नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा उसको अमल करके देख लो, फिर आप देखेंगे कि लोग आपके पीछे भागेंगे। मैं 1946 से मेंबर बना हुआ हूँ और कभी वोट मांगने नहीं जाता और मैं जहां भी जाता हूँ लोग मुझे घेर लेते हैं, क्योंकि उनको कोई और नजर नहीं आता, इसलिए वे मुझे वोट देते हैं, मैं उनसे वोट नहीं मांगता, मैं उनकी परवाह नहीं करता। मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कहता हूं कि आप भी ऐसे करके देखिए, मजा आ जाएगा। सिर्फ बातें करने से काम नहीं होगा।

[अनुवाद]

दूसरों को धोखा देने की बजाय उनसे धोखा खाना बहतर है।

[हिन्दी]

अपने आपको ठीक करना चाहिए, जब हम अपने आप को ठीक नहीं कर सकते, उसके हिसाब से चल नहीं सकते, तब तक सोशल पैटर्न आफ सोसायटी कैसे हो सकती है, कैसे ला सकेंगे, बहुत मुश्किल है यह करना। जो पढ़े-लिखे लोग हैं, वे एक्सप्लाइट करते हैं, जितना हो सकता है, लेकिन उनका भी नंबर आयेगा और वे बदला लेंगे, वे आपको ठीक करेंगे। वे कहेंगे कि आप लोग लैक्चर देते थे, अमल नहीं करते थे। हम लगे हुए हैं और उस गरीब आदमी को एक दिन मौका मिलेगा और वह सारा सिलसिला ठीक कर देगा। इसलिए वे लोग आकर आपको ठीक करें, उससे पहले आप अपने आप को ठीक कर लो। मैं जब लेबर मिनिस्टर था तो खन्ना में एक फैक्ट्री देखने गया। वहां पर मैंने जाकर देखा कि आग के पास आदमी खड़ा हुआ है, काम कर रहा है। उसको बारह आने रोज मिलते थे, वे कहने लगे कि चौधरी साहब ढाई आने और बढ़वा दो, हमारा काम हो जाएगा। जब मैं बाहर आया तो बड़ा अच्छा सफेद रूमाल बिछा हुआ था और उस पर रसगुल्ले और कई चीजें रखी हुई थीं, शानदार सिलसिला बना हुआ था। मैंने कहा मुझे यह नहीं चाहिए, कहने लगे क्यों, मैंने कहा कि इस पर मेरा हक नहीं है, इस पर उन मजदूरों का हक है। जब मजदूरों को पता लगा तो उन्होंने जिन्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। मुझे कहा गया कि आप लेबर मिनिस्टर हैं, आपको तो उद्योगों की भलाई सोचनी चाहिए, आपने तो उल्टा कर दिया। मैंने कहा नहीं मैं तो श्रमिकों की बात पहले करूंगा और मैंने ढाई आने रोज बढ़ा दिए, उससे 40 हजार रुपया फैक्ट्री को अधिक देना पड़ा। इसी तरह से आपको भी करना चाहिए, लेकिन यह आपसे नहीं होगा। जो करने वाले लोग होते हैं उनका आदमी को रियलिस्ट बनाना चाहिये अलग पता लग जाता है। आपको, अपने आपको पहले ठीक

4.00 म. प.

करना चाहिए। ···(व्यवधान) लोग बड़े-बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं और मन्दिर, मस्जिद तथा गुरुद्वारों में जाकर भगवान का नाम लेते हैं। उसके हिसाब से काम तो ये लोग

करते ही नहीं हैं। जब तक आदमी अपने आपको न बदले तब तक यह सब करने से कोई फायदा नहीं है। स्वर्ण मन्दिर में टैररीस्ट चले गये। बहुत निकम्मे आदमी थे जो चले गए। वे पहले से ही ठीक नहीं थे। अगर ठीक होते तो टैररीस्ट ही क्यों बनते।

[अनुवाद]

"आपको भगवान की तलाश कहां करनी चाहिए। क्या गरीब, पददलित और दयनीय स्थिति वाले व्यक्ति भगवान नहीं हैं। पहले उनकी पूजा करो। मैं ऐसे भगवान और धर्म में विश्वास नहीं करता जो विधवा की आंखों के आंसू न पोछ सके जो एक अनाथ को रोटी का टुकड़ा न दे सके।"

विवेकानन्द

"समस्त विस्तार जीवन है और संकुचन मृत्यु है, प्रेम विस्तार है और स्वार्थ संकुचन है। अतः प्रेम ही एक मात्र जीवन सार है। जो प्रेम करता है वह जीता है, और जो स्वार्थी है वह मृतक के समान है। अतः प्रेम के लिए प्रेम कीजिए क्योंकि यही वास्तविक जीवन है।"

विवेकानन्द

"सत्य शुद्धता और निःस्वार्थता ये तीन विद्यमान है। इन तीनों सिद्धांतों का पालन करने वाले को कुचलने वाली कोई शक्ति इस विश्व में नहीं है। अकेला व्यक्ति भी समस्त विश्व का मुकाबला कर सकता है। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको।"

विवेकानन्द

[हिन्दी]

जो अपने आपको ठीक कर सकता है, वह सबसे आगे निकलेगा। अगर समाज को सुधारना चाहते हैं तो पहले आप अपने आपको सुधार लीजिए। इस तरह सारा सिलसिला ठीक हो जायेगा। जो सोसायटी का सबसे कम पैसा इस्तेमाल करता है और सोसायटी को ज्य.दा देता है, वही लीडर बनेगा। जो सोसायटी से चार हजार रुपया लेता है और पांच सौ रुपए का काम करता है, वह लीडर नहीं बनेगा। जो सोसायटी को खा जायेगा वह और नीचे चला जायेगा। बीड़ी मजदूर या गरीब जो सोसायटी से थोड़ा लेते हैं और ज्यादा देते हैं, मैं समझता हूं उनको लीडर बनना चाहिए। आप कुछ भी करें, ये लोग एक न एक दिन आगे आ जायेंगे इसलिए आप अपने आपको भी ठीक कर लें। आपसे उम्मीद नहीं कि कितना आप करेंगे क्योंकि आपने अच्छा रहन-सहन रखना है और चार-चार सब्जियां खानी हैं। इसके बाद सुधार की बात कैसे होगी। जब हम महात्मा गांधी का नाम लेते हैं तो हमें कुछ सोचना चाहिए। महात्मा गांधी जहां भी जाते थे तो पहले यह देखते थे कि वहां की आदमी को क्या मिलता है, उसके हिसाब से खाते थे इसलिए आपको भी इसी तरह से काम करना चाहिए, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। जहां आपका दाव लगता है, आप लगाते जाते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : सभापति जी, मैं श्री अजीत कुमार साहा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसा बिल लाकर इस माननीय सदन में मजदूरों के एक ऐसे वर्ग पर विचार करने का अवसर प्रदान किया जिनकी हालत वाकई बहुत दयनीय है। मैं समझता हूँ कि बीड़ी मजदूरों से ज्यादा दयनीय हालत, ज्यादा गरीबी की हालत किसी भी पेशे के मजदूरों की नहीं होगी। किस मुसीबत से, किस मुश्किल से, किस कठिनाई से, कितनी गरीबी में यह लोग अपना जीवन बिताते हैं इसको देखकर ही समझा जा सकता है। जिन लोगों ने उनकी हालत को देखा है, उसका जायजा लिया है, उनको वाकई ही बहुत पीड़ा हुई होगी और पीड़ा होती भी है। इसमें दुःख की बात यह है कि बीड़ी मजदूरों के कल्याण के लिए कानून होते हुए भी वह कानून उनकी सहायता नहीं कर पाते हैं। कानूनों का बार-बार उलंघन होता है, कई प्रकार के कानूनों का उलंघन होता है और बड़ी संख्या में बीड़ी मजदूरों की कानून के अन्दर परिधि बनाई गई है, उसके अन्दर बीड़ी मजदूर नहीं आते हैं। उसी को दूर करने के लिए खासतौर से यह बिल साहाजी ने लाया है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ।

बहुत सारे बीड़ी मजदूर ऐसे हैं जिनको बीड़ी के कारखानेदार अपने रजिस्टर में मजदूर नहीं दिखाते हैं, बहुत कम लोगों को वह मजदूर दिखाते हैं अपने रजिस्टर में। ज्यादातर बड़ी संख्या में मजदूर ऐसे है जिनसे वह कांट्रेक्ट के जरिये उनको बीड़ी का पत्ता और तम्बाकू देकर उनसे बीड़ी लेते हैं और इस तरह से वह कह देते है यह बीड़ी मजदूर नहीं हैं, यह कांट्रेक्टर हैं या बीड़ी बेचने वाले हैं, या एजेंट हैं। इस तरह की बात करके वह बीड़ी के मजदूरों के लिए जो कानून है उससे उनको अलग कर देते हैं। जब इतनी बड़ी संख्या में बीड़ी मजदूर इस कानून से अलग हो जाते हैं तो उसका कोई लाभ उनको नहीं मिल पाता है। जो कानून के मुताबिक उसकी उचित मजदूरी होती है हर जिले में, हर राज्य में, वह मजदूरी भी उसको ठीक प्रकार से नहीं मिल पाती है, जो कानून के अनुसार उनको देनी चाहिए।

दूसरी विडम्बना यह है कि बीड़ी बनाने में औरतें और मर्द दोनों रहते हैं, बल्कि मैं यह कहना चाहता हूं गरीब औरतों की संख्या अधिक है, ऐसी औरतें जो विधवा हो गई हैं, जो बहुत गरीब हैं जिनके घर कोई कमाने वाला नहीं है या ऐसी औरतें जिनके शौहर बीड़ी बनाते हैं उनकी संख्या अधिक है। बीड़ी के जो कारखानेदार हैं वह मर्दों को ज्यादा मजदूरी देते हैं। जबकि हमारे सविधान में यह प्रावधान है कि बराबर काम के लिए औरत और मर्द को समान मजदूरी दी जानी चाहिए। जब भी यह मामला उठाया जाता है वह कहते हैं कि वह औरतें ठीक बीड़ी नही बनाती, उनके हाथ साफ नहीं होते, उसमें कमी रह जाती है, हमको रास्ते मे वह बीड़ी देनी पड़ती है। लेकिन यह एक शोषण है कि वह औरतों को कम मजदूरी देते हैं। इस धंधे में खासकर बच्चे भी बड़ी संख्या में लगे हैं। एक बहुत बड़े कानून का उलंघन यह भी है कि बच्चे भी मजदूरी करते हैं, जिनको खाने को कुछ नहीं है, परेशान रहते हैं, लेकिन उनको भी कम मजदूरी दी जाती है। यह एक ऐसा धंधा है जिसमें इस तरह के परेशान और गरीब लोग लगे हुए हैं, उनकी हालत देखकर वाकई बहुत चिन्ता होती है। जहां तक सरकारी मशीनरी का सवाल है, श्रम कानून ठीक प्रकार से लागू नहीं हो पाता है।

मैं अपने जिले, जहां से मैं आता हूँ, गाजीपुर की बात बताता हूँ। वहां बीड़ी मजदूर

बड़ी संख्या में हैं। उनकी हालत के बारे में मैं वर्षों से केन्द्र सरकार और राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करता रहता हूं। कोई बड़ा अधिकारी कभी वहां जाता है, कारखानों में छापे भी पड़ते हैं लेकिन वह कह देते हैं कि हमारे पास इतने मजदूर हैं, 10 मजदूर हैं इनको हम पूरी मजदूरी दे रहे हैं और बाकी मजदूर नहीं हैं···वे लोग बाकी मजदुरों की कैटेगरी में आते ही नहीं। जहां तक उनके कल्याण की बात है, उनके लिए दवा की व्यवस्था को बात है, वैसे तो सेस से उनके लिए वैल्फेयर फण्ड बना हुआ है, लेकिन उससे भी उनको पैसा समय पर नहीं मिलता। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बिल की मशा ठीक है, बीड़ी मजदूरों के हित में है और इस बिल की परिधि में कान्ट्रैक्टर्स, एजेंटस या जो स्वयं बीड़ी बनाकर वेचते हैं, उन सब लोगों को, लाने की आवश्यकता है। मैं श्रम मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि यह बिल उन्हें मंजूर नहीं है, यदि इसमें आपके मुताबिक कुछ कमियों हैं तो आप उन सारी कमियों को पूरा करते हुए, एक नया बिल सदन में प्रस्तुत करें ताकि इस बिल की भावना, मशा पूरी हो सके।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट कराना चाहता हूँ और हमारे कई साथियों ने भी उसके सम्बन्ध में कहा है कि बीड़ी मजदूरों में टी. बी. का रोग बहुत अधिक प्रचलित है। मैं कह नहीं सकता कि क्या कारण है, कुछ तम्बाकू में है या पत्ते में है कि बीड़ी पीने वालों को यह रोग नहीं होता, उन्हें दूसरे रोग हो सकते हैं परन्तु टी.बी. नहीं हो सकती, तम्बाकू पीने वालों में इस रोग से पीड़ित होने के समाचार बहुत कम मिलते हैं, परन्तु बीड़ी बनाने वालों में से अधिकांश इस रोग के शिकार होते हैं, उन्हें क्षय रोग बहुतायत में होता है। हमें इसलिए जानकारी है क्यों कि हमारे पास लोग दवा के लिए, सहायता के लिए आते रहते हैं। इस पर सर्वे होना चाहिए कि क्या वजह है कि बीड़ी बनाने वाले मजदूर टी. बी. रोग से ज्यादा प्रभावित होते हैं और बीड़ी पीने वाले इससे प्रभावित नहीं होते। मुझमें यह कहने की हिम्मत तो नहीं हो रही है कि देश में बीड़ी बनाने का धंधा ही बद कर दिया जाए क्योंकि 50 लाख से अधिक लोग इस व्यवसाय में लगे हुए हैं और उनकी रोजी-रोटी इसी से चलती है। हम किसी को दूसरा धधा देने की स्थिति में नहीं है, कोई वैकल्पिक रोजगार देने की स्थिति में नहीं हैं, इसलिए यह नहीं कह सकते कि बीड़ी बनाने का काम ही बंद कर दिया जाए, फिर भी इतना जरूर कह सकते हैं कि बीड़ी बनाने वालों को जो क्षय रोग होता है, या दूसरी बीमारियां होती हैं. उनका इलाज कराने से पहले, उसके मूल में जो कारण हैं, उनको दूर करने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। हमें खोज करनी चाहिए कि यह रोग उन्हें क्यों होता है, इसकी क्या वजह है और उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। उनके इलाज की पूरी व्यवस्था हो मैडिकल ऐड़ की पूरी व्यवस्था हो।

बीड़ी पर सैस लगाकर हम जो पैसा एकत्रित करते हैं, वैल्फेयर फण्ड के नाम से, उसका उपयोग बीड़ी वर्करों के इलाज के लिए, उनकी लड़कियो की शादी के लिए और वक्त-जरूरत उनके दूसरे कामों के लिए होना चाहिए। आज स्थिति यह है कि उन्हें पैसा मिल नहीं पाता और इसमें फिर वही लकूना आ जाता है, जिस की तरफ यह बिल इशारा करता है कि इस क्षेत्र के मजदूर रजिस्टर्ड लेबर नहीं हैं, पंजीकृत मजदूर नहीं है. यदि कुछ हैं, तो भी उनको ठीक प्रकार

से पैसा नहीं मिल पाता। उसके लिए जो प्रक्रिया निर्धारित है, वह बहुत जटिल और कठिन है। उसका फैसला पूरे प्रदेश स्तर पर किया जाता है और हर जिले में 4-5 से ज्यादा लोगों को उससे मदद नहीं मिल पाती। मेरा निवेदन है कि इस प्रक्रिया को भी आसान बनाया जाए। जहां-जहां बीड़ी मजदूरों की संख्या काफी है, वहां उनकी संख्या को देखते हुए, जिला स्तर पर, पैसे का बंटवारा किया जाना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेबल पर कोई एक ऐसी कमेटी गठित होनी चाहिए जिसमें जन-प्रतिनिधि भी हों, बीड़ी मजदूरों के प्रतिनिधि भी हों, सरकारी अधिकारी, लेबर डिपार्टमैंट के लोग भी हो और वह जांच पड़ताल करके आसानी के साथ लोगों को पैसा रिकमैंड कर सकती है। यह होना बहुत आवश्यक है। जितनी जल्दी बीड़ी मजदूरों की तरफ सरकार का ध्यान जाए, कानून की कमियों की तरफ सरकार का ध्यान जाए, उन कमियों को पूरा किया जाए, उतना ही हम इस उपेक्षित एवं दयनीय गरीब वर्ग के प्रति न्याय कर सकेंगे। यदि हमने इस कार्य में देर की तो मुझे दुख है कि जिस तरह की पीड़ा आज उन बीड़ी मजदूरों को उठानी पड़ रही है, जिस कठिनाई से वे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिस मुश्किल में वे पड़े हुए हैं, हम उससे उन्हें उबार नहीं सकेंगे। इस काम में अबला महिलाएं लगी हुई हैं, छोटे-छोटे बच्चे लगे हैं और उन गरीब बीड़ी मजदूरों की हालत देखते ही बनती है। दूर से देखकर ही आप पहचान लेंगे कि यह बीड़ी मजदूर है। दूर से शक्ल देखकर, उसका चेहरा देखकर, उसका रहन-सहन देखकर आसानी से अंदाजा लगा लेंगे कि यह बीड़ी मजदूर है। इतनी खराब हालत किसी भी पेशे के मजदूर की नहीं हैं। इसलिए सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से, मुझ में जितनी भी शक्ति है, उस सम्पूर्ण शक्ति के साथ माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस पर तत्काल ध्यान दें।

महोदया, साहा जी ने यह बिल लाकर बहुत अच्छा काम किया है जिससे इस विषय पर इस सदन में चर्चा हो सकी और बीड़ी मजदूरों के सम्बन्ध में एक रूपरेखा प्रस्तुत हो सकी। मुझे पूरी आशा है कि मंत्री जी पूरे सदन की भावनाओं को देखते हुए ऐसा बिल लाएंगे जिससे वर्तमान बिल में जो कमियां हैं वे दूर हो सकेंगी और जो अन्याय बीड़ी मजदूरों के साथ हो रहा है वह न्याय के रूप में बदल सकेगा। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : सभापति महोदया, मैं बीड़ी और सिगरट कर्मकार अधिनियम, 1966 में संशोधन करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किए गए विधेयक के लिए श्री साहा का धन्यवाद करता हूँ ताकि अधिनियम की कुछ कमियों को दूर किया जा सके और इन कर्मकारों की सहायता की जा सके तथा उनकी स्थिति में सुधार हो सके।

जैसा कि आप जानते हैं, बीड़ी उत्पादन कार्य श्रमिक प्रधान कार्य है और यह विभिन्न चरणों में तथा स्तरों पर किया जाता है प्राय: कारखाने में बहुत कम श्रमिकों को काम पर रखा जाता है और बीड़ी उत्पादन काम का मुख्य भाग कारखाने से बाहर ही सम्पन्न होता है। मुख्य नियोक्ता ठेकेदार को कच्चा माल सप्लाई करता है, जैसे, तेंदु के पत्ते, तम्बाकू और धागा आदि। ठेकेदार यह माल अनेक श्रमिकों में वितरित कर देता है जो इसे अपने घर ले जा कर बीड़ी तैयार करते

हैं और लेवलिंग, रोलिंग आदि करते हैं · बीड़ी तैयार करने के कार्य विभिन्न चरणों पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किया जाता है और मुख्यतः यह कार्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। सबसे पहले पत्तों को साफ करके उन्हें धो कर सुखाया जाता है। बीड़ी तैयार करके पैकिंग के बाद बाजार में भेजी जाती है। इन बीड़ी श्रमिकों की वेतन सम्बन्धी समस्याएं हैं। श्रमिकों को दिए गए कच्चे माल के कम हो जाने पर उसकी उनसे वसूली की जाती है। बीड़ी बनाते समय होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति इन्हीं श्रमिकों से की जाती है। मान लो अचानक बहुत तेज हवा चल जाती है और तम्बाकू सहित पत्ते भी उड़ जाते हैं, तो श्रमिकों को उसके लिए भुगतान करना होता है। बीड़ियों और बंडलों की गिनती गलत की जाती हैं। बहुत सी अन्य बातों के कारण ये श्रमिक बहुत दुख उठा रहे हैं। वे ऋण लेते हैं और लम्बे समय तक ऋणी रहते है।

4.19 म. प.

(श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए)

उनके बच्चों को कई वर्षों तक कारखानों में कार्य करने के लिए बंधक रखा जाता है। प्रति दिन दस से बारह घंटे कार्य करने के लिए उन्हें एक रुपये पचास पैसे दिए जाते हैं जो उनके ऋण में समायोजित किए जाते हैं। और यदि उन्हें छोड़ा जाता है तो उन्हें ऋण वापिस करना होता है और उनके द्वारा किया गया कार्य ब्याज की एवज में समझा जाता है।

महोदय, ये श्रमिक संगठित क्षेत्र में नहीं हैं। बीड़ी उद्योग की महिला श्रमिक मजदूर संघ की सदस्य नहीं हैं और जिला श्रम अधिकारियों और प्रशिक्षकों ने बीड़ी और सिगार कर्मकार अधिनियम, 1966 में व्याप्त कमियों के कारण बीड़ी कर्मकारों को संरक्षण देने में कई बार अपनी असमर्थता व्यक्त की है। यद्यपि अधिनियम में यह अपेक्षा की गई है कि कर्मकारों को सेवा पंजीका दी जानी चाहिए, परन्तु वास्तव में यह नहीं दी जाती और अधिनियम में कई कमियां हैं, जैसा कि मैं कह चुका हूं और इस बारे में कई समस्याएं भी हैं। उन्हें न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती और मजदूरी का सही विवरण नहीं किया जाता है। यहां तक कि लेवलिंग के लिए गोंद और धागे की खरीद भी अपनी आय से करनी होती है। जैसा कि मैंने कहा है, बीड़ियां गलत ढंग से गिनी जाती हैं और बीड़ियां कम हो जाती हैं। कच्चे माल की कम सप्लाई के कारण ऐसा होता है। इसके साथ-साथ स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या भी है। तपेदिक, दमा, इस्नेफेलियो, मानसिक असंतुलन जैसे रोग सामान्य हैं। महिला श्रमिक बीड़ी श्रमिकों के औषधालय में नहीं जा सकती। उन्हें समुचित चिकित्सा सुविधाएं सुलभ नहीं हैं। उनका बड़े पैमाने पर शोषण किया जा रहा है। ठेकेदार कच्चा माल कम देते हैं और बीड़ियों की संख्या निर्धारित कर देते हैं। अनिवार्यतः तैयार बीड़ियों की संख्या कम होगी और श्रमिकों से कम बीड़ियों के पैसे लिए जाते हैं। महोदय, यद्यपि नियोक्ता ठेकेदारों को कमीशन दे सकता है तथापि दूसरी ओर श्रमिक दुख उठाते हैं। वे विरोध नहीं कर सकते। यदि वे विरोध करते हैं तो उन्हें काम नहीं मिलता क्योंकि बहुत से दूसरे व्यक्ति काम के लिए मिल जाते हैं और उनके पास कोई वैकल्पिक रोजगार नहीं है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि माननीय मंत्री महोदय सहकारी समितियां बनाने के बारे में विचार करें जिनके माध्यम से बीड़ी तैयार करने का कार्य कराया जा सके और श्रमिकों को संरक्षण दिया जा सके।

यदि सम्भव हो, और इसे सम्भव बनाया जा सकता है तो, प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्य-क्रम के अन्तर्गत इन श्रमिकों को ऋण दिया जा सकता है। बैंक गारंटी सहित और बिना गारंटी के संगठित सहकारी समितियों और व्यक्तियों को ऋण प्रदान करने की योजना शुरू कर सकते हैं। महाजनों द्वारा लिए जाने वाले भारी ब्याज-दर की तुलना में ब्याज की कम दर का लाभ उठाया जा सकता है। बेरोजगार युवकों, पुरुषों और महिलाओं को स्वास्थ्य के हानिकर वातावरण के बारे में बताने के लिए विशेष योजनाएं शुरू की जानी चाहिए। मेरा सुझाव है कि ठोस उपाय किए बिना और इन सभी बातों पर विचार कर उनकी समस्याओं का पता लगा कर एक व्यापार विधेयक लाए बिना श्रमिकों की सहायता नहीं की जा सकती। इस क्षेत्र में हम देखते हैं कि महिलाएं और बच्चे इस कार्य में लगे हैं और वे अपने घरों पर कार्य करते हैं, परन्तु उनकी मजदूरी बहुत कम है। इसका एक कारण यह है कि ये श्रमिक संगठित क्षेत्र में नहीं है। उड़ीसा में, 'केन्दू' के पत्तों का राष्ट्रीकरण कर दिया गया है और श्रमिक जो अधिकांश आदिवासी, हरिजन और पिछड़े लोग होतें हैं, पत्ते एकत्र करते हैं। परन्तु उन्हें सही मजदूरी नहीं मिलती, हालांकि इसका राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है। ऐसा नहीं है कि उन्हें पहले से बेहतर मजदूरी नहीं मिल रही है। उन्हें बेहतर मजदूरी मिल रही है। परन्तु उन्हें अपेक्षित मजदूरी नहीं मिल रही है, जो उन्हें राष्ट्रीयकरण के बाद मिलनी चाहिए थी। इसी प्रकार, बीड़ी उत्पादन हेतु केन्दू के पत्ते, तम्बाकू के पत्ते आदि जैसे कच्चे माल को एकत्र करने के कार्य में लगे श्रमिकों को सही मजदूरी और संरक्षण दिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए कि श्रमिकों और इन कर्मचारियों को लाभ मिले। जैसा कि मैं कह चुका हूँ, इस क्षेत्र में, श्रमिक संगठित नहीं है और वे सौदेबाजी करने की स्थिति में नहीं हैं। उनका अधिकतर शोषण होता है और माननीय मंत्री जी इसके बारे में जानते हैं। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं क्योंकि वह उनके कल्याण में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं और वह एक व्यापक विधेयक लाना चाहते हैं। व्यापक विधेयक लाते समय, इन सभी बातों पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए।

असंगठित श्रमिक क्षेत्र के बारे में बताते हुए मैं उनका ध्यान आकर्षित करता हूं। उड़ीसा में, ददान श्रमिकों के रूप में कार्यरत हजारों श्रमिकों का शोषन किया जा रहा है सरकारी और गैर सरकारी निर्माण कम्पनियां उन्हें बम्बई और विशेष तौर पर दिल्ली ला रही हैं, इस आश्वासन के साथ उनसे हजारों रुपया एकत्र किया जाता है, कि उन्हें विदेश भेजा जाएगा। इससे पूर्व, उनसे भारत में इन्हीं महाद्वीपीय निर्माण कम्पनियों द्वारा विभिन्न परियोजनाओं में भारत में ही कार्य कराया जाता है और उन्हें न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता। उनसे अस्वस्थकर परिस्थितियों में कार्य कराया जाता है और उनमें से बहुत से मर गए है क्योंकि उन्हें इन ठेकेदारों का संरक्षण नहीं मिला। वर्षों तक, इन्हें विदेश नहीं भेजा जाता और वे बिना कार्य घूम रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि इन ठेकेदारों के पास वर्षों से कोई लाइसेंस नहीं है। मेरे एक प्रश्न के उत्तर में, माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि उड़ीसा में केवल एक कम्पनी को 1987 तक विदेशों में श्रमिक भेजने का लाइसेंस प्राप्त हैं। परन्तु अप्राधिकृत एजेन्ट अथवा ठेकेदार कैसे कार्य कर रहे हैं ? वे उड़ीसा के श्रमिकों का शोषण कर रहे है। क्या कार्यवाही की गई है ? मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाता हूँ। इस समय दिल्ली में उड़ीसा से आये हुए ऐसे लगभग 500 श्रमिक है। उनके पास विदेशों में जाने के लिए चार पत्र हैं, परन्तु

इन लोगों ने भारत में जिन कम्पनियों में कार्य किया है और जिन्होंने इन्हें इस योग्य समझा था, 'अब वे कम्पनियां इन्हें विदेश नहीं भेज रही हैं। इन श्रमिकों को विदेशों में न भेजे जाने का कारण यह है कि सदन में उन कम्पनियों के विरुद्ध कुछ ऐसी शिकायतें की गई हैं कि ये कम्पनियां श्रमिकों का शोषण कर रही हैं और अवैध रूप से भारी धनराशि वसूल कर रही हैं।

आप कृपया स्थिति की गम्भीरता का अन्दाजा लगाइये। श्रमिकों का केवल इसलिए शोषण किया गया है कि संसद सदस्यों ने श्रमिकों की जायज मांगों को सदन में उठाया और सदस्य इस बात को सरकार की जानकारी में लाए कि इन कम्पनियों द्वारा श्रमिकों का कितना शोषण किया जाता है। सदस्यों द्वारा सदन में उठाये गए इन मामलों के परिणाम स्वरूप श्रमिकों को न सुरक्षा मिली है और न बुराई का अन्त ही हुआ है बल्कि इससे श्रमिकों को अधिक अपमान और यंत्रणाएं मिली हैं। मैं इससे पूर्व भी कई बार माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस सभा में इस तथ्य की ओर दिला चुका हूं और मैं मंत्री महोदय से आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : आपने मुझसे कई बार कहा है।

श्री सोमनाथ रथ : मैंने माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस मामले की तरफ पहले भी कई बार दिलाया था परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। यही समस्या है।

मैंने इस मामले की ओर वर्तमान श्रम मंत्री महोदय का और भूतपूर्व श्रम मंत्री महोदय का भी ध्यान दिलाया था जिन्होंने इस मामले को सदन में उठाने के लिए मुझे बधाई दी थी परन्तु कुछ नहीं किया गया। मेरी समझ में यह नहीं आता है कि इस समस्या का हल क्या है।

उड़ीसा के कितने श्रमिकों को विदेशों में भेजा गया है? सरकार ने अवैध रूप से करोड़ों रुपयों का शोषण करने वाली कितनी कम्पनियों को दण्डित किया है? बीड़ी श्रमिक भी संगठित क्षेत्र में नहीं आते हैं, और जो श्रमिक संगठित क्षेत्र में नहीं आते हैं उनका सर्वाधिक शोषण किया जाता है, क्योंकि उनके पास सौदेबाजी की कोई शक्ति नहीं होती है। इस प्रकार इन सभी श्रमिकों का, बीड़ी श्रमिकों से लेकर, विदेशों में भेजे जाने वाले श्रमिकों तक का शोषण किया जा रहा है।

माननीय श्रम मंत्री को असंगठित क्षेत्र के बीड़ी श्रमिकों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये।

श्री पी. ए. संगमा : हां, हमें अधिक ध्यान देना चाहिए।

श्री सोमनाथ रथ : विदेश जाने वाले किसी भी श्रमिक को कम्पनियों को अवैध रूप से 15,000 रु. से लेकर 20,000 रु. तक देना पड़ता है।

मुझे उम्मीद है कि एक व्यापक विधेयक लाते समय माननीय मंत्री महोदय इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखेंगे। इन श्रमिकों को संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। सरकार को इस सुसंगठित क्षेत्र की ओर, अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा जिनमें मजदूर संघ के अधिकार प्राप्त हैं, अधिक

ध्यान देना चाहिए। यही मेरी चर्चा का विषय है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात अनसुनी नहीं की जायेगी और मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इन तथ्यों को ध्यान में रखेंगे और इस असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए तथा उन कम्पनियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेंगे जो इन श्रमिकों का शोषण कर रही हैं।

[हिन्दी]

श्री केयूर भूषण (रायपुर) : सभापति महोदय, बीड़ी-सिग्रेट के कारखाने में काम करने वालों के लिए हम सब यहां चिन्ता कर रहे हैं। इस बिल के माध्यम से यह बहुत ही महत्व का विचार है।

जहां तक बीड़ी या सिगरेट उद्योग का संबंध है, उसमें विभिन्न प्रकार के लोग शामिल रहते हैं। एक तो वे जो बीड़ी उद्योगपति हैं, दूसरे वे जो बीच में काम करते हैं कर्मचारी के रूप में तीसरे वे जो सीधे बीड़ी मजदूर की हैसियत से काम करते हैं। इसी से जुड़ा हुआ पत्ता तोड़ने का काम है, उसे एकत्रित करने का काम है। ये सब काम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इससे बहुत बड़ी संख्या में लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लगभग 50 लाख लोग इससे प्रभावित हैं। मैं जिस प्रदेश से आता हूं, वहां तीनों तरह के लोग हैं और तीनों में बहुत ज्यादा भिन्नता है। वे जो बीड़ी के उद्योगपति हैं, वे इतने प्रभावशाली हैं कि उनका समाज में बहुत ज्यादा असर है। असरदार इसलिए हो गये कि इस व्यावसाय के अन्दर ज्यादा से ज्यादा लाभ वे अर्जित करते हैं और दूसरा वर्ग है बीड़ी मजदूरों का, जो पत्तों को एकत्रित करने वाला श्रमिक है। उन की हालत आप देखेंगे तो दोनों में जमीन आसमान का अन्तर दिखाई देता है। बीड़ी या सिगार से अधिकांश व्यक्ति प्रभावित हैं। प्रत्येक न कहूं, तो कम से कम 90 प्रतिशत लोग इससे प्रभावित रहते हैं और वह उसके जीवन का एक अंग सा हो गया है। भले ही यह नशीली वस्तु हो और नुकसान देने वाली चीज हो फिर भी यह व्यावहारिक हो गई है और इससे भी ज्यादा महत्व इस बात का है कि 50 लाख लोगों का जीवन इस पर आधारित हो गया है। इस कानून की जो मंशा है वह यह है कि बीड़ी कर्मचारियों को कसे संरक्षण दिया जा सके, यही इस एक्ट को लाने की मंशा है।

आज उनकी स्थिति क्या है। मजदूर वर्ग की स्थिति को अगर हम देखेंगे तो यह पाएंगे कि पूरे तरीके से उनका शोषण हो रहा है, आर्थिक दृष्टि से तो उनका शोषण हो ही रहा है, शारीरिक शोषण भी उनका हो रहा है। ज्यादा बीड़ी मजदूर कारखानों में काम नहीं कर पाते और वे घर के अन्दर काम करते हैं। हर एक बीड़ी मालिक के लिए कारखाना तैयार करना उसके लिए आवश्यक होता है। वहां पर समय भी निश्चित होता है, जिसके अन्तर्गत वहां जाकर काम करना होता है और उन्हें पूरी सुविधाएं देने के लिए कानून बने हुए हैं लेकिन आप वहां जाकर देखेंगे कि जो सुविधाएं उन्हें दी जानी चाहिएं, वे उनको मुहय्या नहीं होती हैं। ज्यादातर श्रमिक पत्ते ले आते हैं, तम्बाकू ले आते हैं, धागा ले आते हैं और घर के अन्दर काम करते हैं। उनको फिर 24 घंटे घर में काम करना पड़ता है और 24 घंटे की उनको मजदूरी क्या मिलती है वहां जाने के बाद उनकी बीड़ियों की छटनी होती है और जितनी सही और अच्छी बीड़ी होती हैं, मालिक के जो

कारिन्दे हैं, वे उन्हें स्वीकार कर लेंगे और उतने के ही पैसे उन्हें मिलेंगे। आप सोचें कि छटनी की हुई बीड़ी शायद वापस मिल जाती हो। वे उन मजदूरों को वापस नहीं मिलती हैं और बीड़ी के मालिक उन को भी रख लेते हैं बल्कि पत्ता और तम्बाकू तोला जाता है और उसमें जितनी कमी होती हैं, उसके पैसे उसमें से काट लिये जाते हैं चाहे बनाने में कमी हुई हो और चाहे तम्बाकू का कुछ उपयोग हो गया हो। यह सब तोल के अन्दर आ जाता है और तोल की अलग कटनी होती है। उसके बाद जो बीड़ी ढंग से न बन पाई हो या उसमें थोड़ी कमी रह गई हो या ठीक से उसको मोड़ न दिया गया हो, तो वह चालाकी से छटनी में आ जाती है और छटनी के आधार पर उसको छांट दिया जाता है और पैसा उसको उसी हिसाब से मिलता है। छटनी के बाद जो पैसा उस को मिलता है, तो वह इतना भी नहीं मिलता है जो उसके जीवन यापन के लिए काफी हो। नाममात्र का उसको पैसा मिलता है। किस ढंग से इसको बचाया जाए और यह जो कमी है इस को कैसे दूर किया जाए इस चीज को देखना होगा। इस तरफ हमारे श्रम मंत्री जी बराबर ध्यान दें कि इन लोगों को शोषण से कैसे बचाया जाए।

दूसरी बात उनके स्वास्थ्य की है। अभी भी उनके लिए बहुत-सी सुविधाएं देने का प्रावधान है। अगर वे बीमार पड़ते हैं तो उनका इलाज बीड़ी मालिक कराए, ऐसी व्यवस्था है। मगर ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं हो पाता। अगर आप सर्वे करायें तो आपको पता चलेगा कि बीड़ी मजदूर की औसत उम्र क्या है। आप पायेंगे कि वह जवानी भी पार नहीं कर पाता है, जवानी में ही बुढ़ापा उसके नजदीक आ जाता है। उसके स्वास्थ्य पर तम्बाकु का असर उसके बचपन से ही रहता है। जिसका परिणाम यह होता है वह अपने जीवन में जल्दी ही मौत के मुंह में चला जाता है। इस बात को मजदूर भी जानता है कि वह बीड़ी बनाने के काम में टी. बी. का शिकार हो जायेगा। जब वह टी. बी. का शिकार हो जाता है तो उसके पास इलाज की कोई व्यवस्था नहीं होती और वह मौत के मुंह में चला जाता है। इससे उसे कैसे बचाया जाए, यह भी हमें सोचना होगा।

जहां भी बीड़ी बनाने के कारखाने हों या बीड़ी बनाने के केन्द्र हों, वहां पर मुफ्त इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। यह तो बीड़ी बनाने वाले मजदूर का हाल है। उसके बच्चों का क्या हाल है। वे बचपन से मिट्टी के तेल की डिबरी जला कर अपने घरों में बीड़ी बनाते रहते हैं। उनके अन्दर तम्बाकु की गंद और हवा भरती रहती है। उनकी पढ़ाई-लिखाई का कोई इन्तजाम नहीं हो पाता।

बीड़ी बनाने का काम मजदूर तभी हाथ में लेता है जबकि उसे और कोई काम नहीं मिल पाता। मजबूरी में वह बीड़ी बनाने लगता है। उसको यह मालूम रहता है कि वह एक जहर का सेवन कर रहा है और इस जहर से कल को उसकी मौत हो जाने वाली है। लेकिन वह अपने पेट और परिवार के पेट का पालन-पोषण करने के लिए मजबूर है। ऐसी स्थिति में मजदूर और उसके बच्चे बीड़ी बनाने का काम हाथ में लेते हैं। बच्चों की न पढ़ाई हो पाती है और न उनका स्वास्थ्य रह पाता है। ऐसे बच्चों के लिए सरकार स्कालरशिप की व्यवस्था करे जिससे कि उनकी पढ़ाई-लिखाई हो सके। जिस तरीके से भी हम उनकी पढ़ाई के लिए सुविधाएं दे सकते है वह दें। उनके स्वास्थ्य के लिए भी हम चिंता करें।

हमें यह भी देखना होगा कि जो मजदूर इस व्यवसाय में वर्षों से लगे हैं वे इससे मुक्ति पाएं। ये बीड़ी मजदूर दूसरे व्यवसाय में इसलिए भी नहीं लग पाते कि जहां-जहां बीड़ी बनाने केन्द्र हैं वहां प्रमुख व्यवसाय या उद्योग नहीं हैं। इसीलिए वे उनमें जाने से वंचित रह जाते हैं। सागर हमारे मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां कि बीड़ी का बहुत बड़ा व्यवसाय होता है। मगर दूसरे उद्योग नहीं है। अब अगर ऐसे स्थानों में सरकार और उद्योग लगाने के लिए प्रधानता दे तो ये लोग अन्य उद्योगों में लगें। मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में धन्तरी का क्षेत्र है। वहां भी मजदूर बीड़ी बनाने के काम में मजदूरी में लगे हुए हैं। क्योंकि वहा भी ऐसे धंधे नहीं हैं जिनके कारण वे बीड़ी का धंधा नहीं छोड़ सकते और दूसरे धंधों में नहीं लग सकते।

मंत्री जी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो छोटे बच्चे बीड़ी बनाने के काम में लगे हुए है, उनके लिए जब तक आप कोई व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक उनको आप बीड़ी बनाने के काम से छुड़ा नहीं पायेंगे। उनको आप स्कालरशिप देंगे, साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि वे बच्चे जो कुछ वर्ष काम कर चुके हैं, फिर से उस काम में नले जाएं। अगर छोटा बच्चा है और 8-10 साल से उसने काम करना शुरू कर दिया है, वह तब तक पढ़ाई-लिखाई की तरफ ध्यान नहीं दे सकता जब तक उसको उतना स्कालरशिप नहीं मिलेगा। इसलिए उसको पर्याप्त स्कालरशिप दें, जिससे वस काम करने वापिस न जाए। ऊंची कक्षाओं के लिए भी बच्चों को काम दें, स्कालर-शिप दें। एक प्रतिभावान विद्यार्थी सागर का फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया, वह बीड़ी मजदूर का बच्चा था, उसको आगे पढ़ने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। वह अनुसूचित जनजाति का था, फिर भी उसको आगे नहीं बढ़ाया जा सका, वह पी.एच.डी. करना चाहता था। कानूनी बन्धन सामने आया कि यह बीड़ी मजदूर का लड़का है और बीड़ी का काम साथ-साथ करता है इसलिए स्कालरशिप पी.एच.डी. करने के लिए मिलनी चाहिए थी, उसमें कठिनाई आई। केन्द्रीय शासन के दखल देने के बाद उसको स्कालरशिप मिल सकी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो बीड़ी कर्मचारियों के बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रतिभासंपन्न हैं, चाहे किसी भी वर्ग के हों, अनुसूचित जाति, जनजाति के हों या पिछड़ी जाति के हों, गरीब हों, सबको पूरा मौका दिया जाना चाहिए। बीड़ी मजदूर गरीब है और उनके बच्चे इसमें काम करते हैं, उनके बच्चों को वही सुविधा दी जाए जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स बच्चों को दी जाती है। अगर कोई प्रतिभावान विद्यार्थी निकले, उनकी पूरा पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था सरकार अपने ऊपर ले और इसका सारा बोझ उद्योगपतियों पर डाला जाए। उद्योगपति बीड़ी उद्योग की वजह से संपन्नता का जीवन जी रहे हैं और अपने व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं, आमदनी का कुछ हिस्सा उन श्रमिकों के पास भी पहुंचना चाहिए, मजदूरों की तरफ भी पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए, यही मेरा निवेदन है।

श्री के. डी. सुल्तानपुरी (शिमला) : आदरणीय सभापति जी, यहां जो बीड़ी तथा सिगार कर्मकारों से सम्बन्धित विधेयक 1985 हमारे सामने पेश है, इस पर बहस चल रही है। यह बिल श्री अजीत कुमार साहा जी ने पेश किया है और मैं समझता हूं कि उन्होंने अच्छी मशा से प्रस्तुत किया है। जहां तक इस बिल को लाने का सवाल है, मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। हिन्दुस्तान में जो लेबर ला बने हुए हैं, उसमें तमाम मजदूरों को कानूनी तौर पर रियायतें दी गई हैं और उद्योगपतियों के ऊपर पूरा अंकुश लगाया गया है। उसमें बताया गया है। उसमें

बताया गया है कि किस तरह से मजदूरों को काम करना है और किस तरह से उसको वेतन दिया जाना है।

मैं यहां पर माननीय मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन बीड़ी मजदूरों का सवाल यहां पर उठाया गया है, उनको कम मजदूरी मिलती होगी, लेकिन मजदूर को बढ़ाने का एक ही तरीका है कि काम कम से कम 8 घंटे हो। सारा दिन और सारी रात काम करने की जो यहां पर बात कही गई, मैं नहीं समझता कि यह बात सही होगी, क्योंकि मैं बीड़ी मजदूरों के बारे में इतना नहीं कह सकता, लेकिन यह जरूर जानता हूँ कि मध्य प्रदेश में सारा का सारा बीड़ी का काम है, कहीं पर "खिलाड़ी बीड़ी" बनाते हैं, कहीं "पहलवान बीड़ी बनाते हैं। ऐसे-ऐसे नाम रखे हुए हैं। **(व्यवधान)**

बीड़ी ऐसी चीज है जिससे गरीब आदमी बीमार होते हैं। गरीब आदमी ही इसका सेवन करते हैं। आज हिन्दुस्तान में मैं समझता हूं कि करोड़ों रुपये की बीड़ी बिकती है, सिगरेट तो काफी महंगी हो गई है, इसलिए गरीब आदमी बीड़ी पीता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार मजदूरों का ख्याल रख रही है, इसके साथ-साथ यह भी देखना चाहिए कि करोड़ों रुपयों का लाभ चन्द बिजनेसमैन उठा रहे हैं, इनको कम से कम नेशनलाइज करके अपने हाथ में लें। इसको छुड़ा सकते हैं। बीड़ी की आदत सारे गांव में होती है। आज जैसे टेलीविजन और रेडियो चल रहे हैं उसी तरह से बीड़ी भी मजदूरों के घर-घर में पहुँच गई है। अजित कुमार साहा जी इस विधेयक को लाये हैं, शाह तो हमारे यहां बड़ा आदमी होता है, उसका यह बिल है। अजित कुमार का अगर बिल होता तो वह गरीब आदमी के लिए होता है।

(व्यवधान)

श्री अजित कुमार साहा : शाह नहीं साहा।

श्री के. डी. सुल्तानपुरी : शाह तो साहूकार ही होता है और बड़ा आदमी होता है। इस बिल के द्वारा यूनियनें संगठित करने के लिए इनकी मंशा हो सकती है। समझता हूं कि वह बुरी बात नहीं है। अगर आप हमारी सरकार की मंशा को सोचें तो सरकार हमेशा चाहे बीड़ी मजदूर हो या और कोई मजदूर हो, उसका पूरा ध्यान रखती है। बीस सूत्री कार्यक्रम से गांवों में आज हर आदमी को फायदा पहुँचता है। गरीबी की रेखा से नीचे जो लोग हैं, उनको आइ-डेन्टीफाइ किया जाता है, कितने मध्य प्रदेश में, बंगाल में और केरल में हैं। हर जगह का हिसाब किताब रखा जाता है। यह कहना कि मजदूरों से नाजायज काम लिया जाता है, मैं समझता हूँ कि यह उचित नहीं है इसलिए इसकी तरफ हमारी सरकार को देखना चाहिए। यह भी यहां पर कहा गया है कि उनको तथा उनके बच्चों को टी.बी. की बीमारी लग जाती है इसलिए उनके बच्चों को भी बचाने का प्रयत्न होना चाहिए। बहुत सी बातों का जिक्र यहां किया गया है। मैं समझता हूं कि जहां दूरदराज के इलाके में लोग सिररेट पीने के आदि थे, आज वहां बीड़ी पहुँच गई है। गुजरात वालों का बीड़ी इण्डस्ट्री पर बहुत ज्यादा कब्जा है। राजस्थान में भी कहीं शंकर बीड़ी और कहीं पर खिलाड़ी बीड़ी बनाई जाती है। फायतू समय में महिलाएं और बच्चे भी काम करते हैं। इस तरह से वे उदरपूर्ति का काम करते हैं। इसमें कौन सी बुरी बात है।

अगर कारखाना है तो उसके अन्दर कोई निश्चित समय होना चाहिए । बीड़ी इण्डस्ट्री का बाकायदा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए । जो आदमी बीड़ी का कारखाना लगाए और साल में कितनी बीड़ी की पैदावार करता है और कौन-कौन उसके मुलाजिम हैं यह हमारी लेबर मिनिस्ट्री को देखना चाहिए ताकि उन लोगों का शोषण न हो। ··· (व्यवधान) जहां तक हमारे मजदूरों का सवाल है, उनको उचित मजदूरी मिलनी चाहिए । जो बड़ा उद्योगपति है और बीड़ी का प्रोडक्शन करता है, उसको यह हक नहीं दिया जाना चाहिए कि वह मजदूरों का शोषण करे यह बात उचित होगी कि इस तरफ सरकार का ध्यान जाए । वैसे तो सरकार पूरी तरह मजदूरों का हित रखकर देश में काम कर रही है । मैं समझता हूं कि इस बिल को साहा जी को वापिस ले लेना चाहिए और हमारी सरकार को खुद इसके बारे में सोचना चाहिए । यही कहकर मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : सभापति जी, इस बिल पर काफी चर्चा हो चुकी है । मैं भी दो-चार बातें कहना चाहूंगा । मेरे जिले मुर्शिदाबाद में लगभग पौने दो लाख बीड़ी वर्कर हैं । यहां की जो समस्या है, वह दूसरी जगह से अलग है । काफी प्राबलम्स तो कायम हैं । बीड़ी मालिक की अपनी कोई फैक्टरी नहीं है क्योंकि वे कांट्रैक्टर को दे देते हैं वे मुंशी को दे देते हैं । वह मुंशी गांव-गांव में बीड़ी बनवाता है । मुंशी के द्वारा बहुत ज्यादा एक्सप्लायटेशन किया जाता है । बीड़ी मजदूर को पैसे सही तरीके से नहीं मिलते हैं । अपनी वे दुकान रखते हैं और कहते हैं कि मालिक ने मुझे पैसे नहीं दिए इसलिए चावल, गेहूं या दाल ले जाओ । एक तो मजदूरी कम देते हैं और दूसरे चावल, दाल, और गेहूं की बाजार से ज्यादा कीमत वसूल करते हैं । शायद ऐसी प्राब्लम दूसरी जगह है या नहीं, मुझे मालूम नहीं है । चाइल्ड लेबर प्राब्लम के बारे में जहां तक सवाल है, जब तक बीड़ी मालिक की अपनी फैक्टरी न हो और जब तक कांट्रैक्टर या मुंशी के जरिए गांव-गांव से बीड़ी नहीं उठाए तब तक यह चाइल्ड लेबर प्राब्लम बनी रहेगी । जो मजदूर बीड़ी का पत्ता या मसाला ले जाते हैं उनका सारा परिवार इस काम में लग जाता है, इसको कौन रोकता है, इसलिए पहले फैक्टरी बनानी चाहिए ।

दूसरी बात, बीड़ी मजदूर का कहीं कोई आइडेंटी कार्ड नहीं है । यह भी जरूर होना चाहिए । बीड़ी मजदूर की मजदूरी के बारे में काफी चर्चा यहां हो चुकी है, लेकिन मेरे जिले में प्राब्लम है उसके बारे में मैं आपको कहना चाहता हूं । मुर्शिदाबाद जिले का जंगीपुर सब डिवीजन इलाका है जहां सबसे ज्यादा बीड़ी मजदूर हैं । उसके एक तरफ बांगला देश और एक तरफ बिहार है। बीड़ी मजदूर जब मजदूरी के लिए वहां आन्दोलन करते हैं, मुशी की बात है कि उधर के सदस्य भी उनका साथ देते हैं, लेकिन आन्दोलन होने पर मालिक जगीपुर से फैक्टरी उठाकर बिहार ले जाते हैं इससे काम बन्द हो जाता है, और महीनों तक काम बन्द रहता है तो बीड़ी मजदूर मजबूर होकर कहते हैं तुम जो पैसा हमको देते हो, वही दो । इसलिए मजदूरों का एक्ट अखिल भारतीय स्तर पर होना चाहिए । क्योंकि वह आन्दोलन करते हैं तो वह कारखाने उठाकर बिहार ले जाते हैं, दूसरी जगह ले जाते हैं और आन्दोलन खत्म हो जाता है, आखिर मजदूरों के पास कुछ भी अधिकार नहीं है । इसके साथ-साथ यह जो बोर्डर का इलाका है इसमें में भी काफी झंझट है । मध्य प्रदेश के मेरे दोस्त कह रहे थे कि बीड़ी की जो छंटाई होती है तो

वह कहते हैं यह खराब बीड़ी है, इसकी मजदूरी नहीं मिलेगी। वह ऐसी बीड़ियों को लेकर बोर्डर क्रास करके बांगला देश भेज देते हैं, जो रिजेक्टेड माल है। इसके ऊपर राज्य सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। सब जानते हैं, अभी संतोष मोहन भी यहां बैठे हुए हैं उनको भी मालूम है। वहां बोर्डर की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। ऐसी हालत में उन बीड़ी मजदूरों को काम करना पड़ रहा है वह सबको मालूम है। इधर से जब आप बोल रहे थे आपने बोला कि बीड़ी जो पीते हैं उनको टी.बी. नहीं होती है, किन्तु जो बीड़ी बनाते हैं उनको टी.बी. होती है। यह बात सही है कि अगर ऐसी हालत में काम करेंगे तो उनको जरूर टी.बी. होगी। इसलिए केन्द्र सरकार से मेरी मांग है कि जिस इलाके में अबोव पचास हजार बीड़ी मजदूर हैं वहां कम से कम उनके लिए टी.बी. अस्ताल बनवाया जाये। जिसकी उनको जरूरत है। मेरे अपने जिले में अभी एक टी.बी. अस्पताल बनने वाला है, लेकिन उसकी जगह के बारे में झगड़ा है। जहां होना चाहिए था वहां नहीं हो रहा है। आपने दूसरी जगह जाकर शिलान्यास कर दिया वहां शिलान्यास हुआ या नहीं, लेकिन मेरा जरूर सत्यानाश कर दिया। मुझे मालूम नहीं है। आपने धुलियान में शिलान्यास करना था आप उसको उठाकर औरंगाबाद ले गये, लेकिन औरंगाबाद में आपने जो शिलान्यास किया वहां सरकार ने उसके बाद इसको देखा तक नहीं···

5.00 म. प.

[अनुवाद]

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : आपके सूत्र के अनुसार 50,000, या इससे अधिक श्रमिकों के लिए एक क्षयरोग अस्पताल होना चाहिए जबकि धुलिया में केवल 45,000 श्रमिक ही है। मेरा कहने का आशय यह है कि आपके सूत्र के अनुसार धुलिया में अस्पताल नहीं बन सकता।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : मेरे विचार से आंकड़े हैं वह सही नहीं हैं।

श्री पी. ए. संगमा : पता नहीं, परन्तु ये सरकारी आंकड़े हैं।

[हिन्दी]

श्री सैयद मसूदल हुसैन : खैर, औरंगाबाद में तो आपने शिलान्यास कर दिया, लेकिन मेरे जिले में भी करीब पौने दो लाख बीड़ी मजदूर हैं, उनकी तरफ भी आप ध्यान दीजिए। आपने औरंगाबाद में किया, हम नहीं चाहते कि आप वहां से हटा कर हमारे यहां स्थापित करें, लेकिन धुलिया में भी आपको एक स्थापित करना चाहिए। दोनों जगह हो, यदि दो लाख लोगों के लिए दो अस्पताल हों तो उसमें आपको क्या नुकसान है। आपके सामने मैं, अपने जिले के बीड़ी वर्करों की तरफ से, अपील करना चाहता हूं और इसके साथ-साथ साहा साहब ने इस सदन में जो बिल प्रस्तुत किया है, वैसे तो सब तरफ से उसका समर्थन हुआ है, यदि सम्भव हो तो आप भी इसे पास करवाईये। अगर जरूरी समझें तो कुछ अमैंडमैंट्स बाद में ला सकते हैं और बाद में उन्हें पास करवाया जा सकता है परन्तु इस दिशा में आपको कुछ तो करना ही

चाहिए। अंत में, मैं इतना ही कहते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं कि आप बीड़ी मजदूरों की समस्याओं की तरफ जरूर ध्यान दें और उनको दूर करने की कार्यवाही करें।

[अनुवाद]

श्री के. एस. राव (मछली पतनम्) : सभापति महोदय, बीड़ी श्रमिकों को होने वाली विभिन्न कठिनाईयों को पेश करने के लिए हम (श्री अजित साहा की निश्चित रूप से सराहना करते हैं, इस काम पर लगे हुए लगभग 50 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। औसत जीवनयापन लागत को 2700 रु. वार्षिक मानते हुए सभी 50 लाख बीड़ी श्रमिक गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। इसलिए अधिनियम में जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए सारे सदन को और विशेष रूप से मंत्री महोदय के ध्यान देने की आवश्यकता है। जब कभी भी हम श्रमिकों की समस्याओं के बारे में सोचते हैं, हर बार हम संगठित क्षेत्र के बारे में ही चर्चा करते हैं और यह सामान्य ज्ञान की बात है कि संगठित क्षेत्र को जो कुछ मिलना हैं वह कभी न कभी मिल ही जाता है परन्तु असंगठित क्षेत्र के मामले में ऐसा नहीं है, और हममें से प्रत्येक को इस बात की पूर्ण जानकारी है कि असंगटित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या संगठित क्षेत्र के श्रमिकों से कम नहीं है और बीड़ी श्रमिक ऐसे हो एक असंगठित क्षेत्र का श्रमिक है, इसलिए मैं, केवल सरकार से ही नहीं, अपित मजदूर संघों के नेताओं और समाज शास्त्रियों से अनुरोध करूंगा कि वे इस बारे में विचार करें और इस बारे में सोचें कि इस असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की जीवन दशा किस प्रकार सुधारी जा सकती है।

महोदय, बीड़ी श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं के बारे में मेरे अनेक सहयोगियों ने पहले ही बहुत कुछ कहा है। महोदय मैं आन्ध्र प्रदेश के बारंगल जिले से आया हूं, और इन श्रमिकों की जीवन दशा की जानकारी मुझे है : यदि आप इन गरीब लोगों के अतीत की ओर विशेष रूप से इनके रोजमर्रा की जिन्दगी को देर देंगे, तो आपको पता लगेगा कि ये बीड़ी श्रमिक अपने दादाओं और पूर्वजों के समय से ही अर्थात सौ वर्ष से भी अधिक समय से भी कुरुतियां चली आ रही है, उन्हीं में जी रहे हैं। ऐसा विशेष रूप से इसलिए होता है कि उनकी आमदनी कभी भी उनकी न्यूनतम भागों की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं रही है। यदि माननीय मंत्री महोदय उन्हें तत्काल जो राहत पहूंचा सकते हैं वह यह है कि जिस प्रकार वित्त मंत्री ने 20 सूत्री कार्यक्रम के फायदे प्राप्त करने के लिए शहरी गरीबों अर्थात रिक्शा चालकों, 'मोची' आदि को इसमें शामिल किया है, उसी प्रकार 20 सूत्री कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए बीड़ी श्रमिकों को भी तत्काल शामिल किया जाना चाहिए, इस बारे मे कोई और बात नहीं सोचनी चाहिए क्योंकि माननीय मंत्री महोदय भी इस बात से सहमत हैं कि बीड़ी श्रमिक भी 'रिक्शा चालकों की तरह ही हैं। अन्तर केवल इतना है कि शहरों और कस्बों में रिक्शा चालकों को हर एक जानता है जब कि बीड़ी श्रमिकों को कोई नहीं जानता। इसलिए इन गरीब लोगों के बारे में अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए विशेष रूप से इसलिए भी कि इनमें से अधिकांश महिलाएं हैं।

5.03 म. प.

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए।]

यह जानकर आश्चर्य होगा कि छः अथवा आठ घंटे के काम के लिए नहीं बल्कि आठ घंटे से अधिक समय के काम के लिए बीड़ी श्रमिकों की दैनिक आमदनी 3 रु. या 4 रु. है। इसलिए बिना किसी हिच-किचाहट अथवा विलम्ब के माननीय मंत्री महोदय को या तो अपनी तरफ से अथवा यदि श्री अजीत साहा द्वारा पेश किए गये विधेयक में सुधार करना जरूरी हो तो संशोधन करना चाहिए ताकि हम इन लोगों को अनावश्यक यंत्राओं से राहत दिला सकें।

बीड़ी श्रमिकों के लिए निरपवाद रूप से चाहे कोई भी मजदूरी निर्धारित की नाप, उन को नगों के आधार पर (पीस-रेट बेसिस) भुगतान करने का चलन है। मालिक या उसका कोई छोटा-मोटा ठेकेदार-अथवा उसका मुंशी बीड़ी श्रमिकों को कुछ कच्चा माल देता है वे उसे अपने घर ले जाते हैं और बीडियां तैयार करके वापस लाते हैं। इससे एक श्रमिक की औसत क्षमता का पता लगाया जा सकता है और उस आधार पर निश्चित नगों के लिए समुचित दर निर्धारित की जानी चाहिए ताकि इस प्रकार तय की गई दर न्यूनतम मजदूरी से कम न हो। यदि ऐसा किया जाता है, तो कार्य कुशलतायी कम नहीं होगी और उनके हितों की भी रक्षा हो जायेगी। मुझे इस बारे में पता नहीं है। कि क्या किए जाने वाले काम की निश्चित माया के बदले कानून में मजदूरी की उचित दर की व्यवस्था की जा सकती है। यदि ऐसा हो सकता है, तो या तो न्यूनतम नग हर अथवा न्यूनतम मजदूरी लागू की जानी चाहिए। परन्तु अपने अनुभव से हमें पता लगा है कि ठेका श्रम उत्साधन अधिनियम और न्यूसतम मजदूरी अधिनियम के बावजूद उस बारे में चाहे जो भी नियम बनाये गए हों, जल भी उन्हें लागू करने का प्रश्न उठता है तो प्रत्येक अधिनियम में कुछ न कुछ कमियां निकल आती हैं और संबंधित व्यक्ति उसी का लाभ उठाते रहे हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वास्तव में जिस व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए उसको लाभ नहीं मिल पाता है। बीड़ी श्रमिकों के लिए न्यूनतम नग पर अथवा न्यूनतम मजदूरी इन दोनों से कोई एक दर सुनिश्चित की जानी चाहिए।

अनेक माननीय सदस्यों ने पहले भी कहा है कि बीड़ी श्रमिकों के स्वास्थ्य संबंधी खतरों का सामना करना पड़ता है। बीड़ी उद्योग में लगे श्रमिक क्षयरोग से पीड़ित हैं। इस देश के सर्वोच्च मंच को इन लोगों की ओर ध्यान देना चाहिए और उन्हें इस अस्वस्थ कर परिस्थिति से उनकी रक्षा करनी चाहिए अन्यथा उनका जीवन और अधिक कष्ट का हो जायेगा। उनकी आमदनीं कम ही नहीं है बल्कि उनकी जो बहुत कम आमदनी है उसकी भी क्रय शक्ति घट रही है। और इसमें से कुछ अंश उनकी बीमारी के इलाज में खर्च हो रहा है। उनका स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है। उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

कम से कम इसको अविरत बनाए रखने से समाप्त करने के लिए उनके बच्चों की ओर अतिरिक्त ध्यान देने की जरूरत है और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए, शिक्षा ही एक मात्र ऐसा साधन है जो विशेष रूप से गरीबों के लिए परिवर्तन ला सकता है। बीड़ी श्रमिकों की जो भी शिकायतें हों, आया उन्हें सही मजदूरी अथवा अच्छी मजदूरी या कम मजदूरी मिल रही है, परन्तु उन्हें कम से कम इस बात का तो सन्तोष होगा ही कि उनकी भावी पीढ़ी को इन बुराइयों से बचाया जा सकेगा। यदि आवश्यक हो, तो बीड़ी श्रमिकों का सही ढंग

से पता लगाकर उनके बच्चों को शिक्षा के मामले में वे सब विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए, अनेक माननीय सदस्यों ने पहले भी इसका उल्लेख किया है।

हम सभी एक हैं, और जब की सेवा विशेष रूप देश में उपस्थित क्षेत्र का प्रश्न उठता है, तो बिना किसी दल गत किसी भेदभाव के हमें उनका समर्थन करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार के उपायों को हम अपना पूरा समर्थन देते हैं।

हम माननीय मंत्री महोदय से आगामी सभा में समुचित संशोधित पेश करने का अनुरोध करते हैं। ताकि 50 लाख बीड़ी श्रमिकों को यह विश्वास हो सके कि एक बार उनकी दुर्दशा देश के सर्वोच्च मंच के सम्मुख प्रस्तुत कर दी गई है और सदस्य खामोश नहीं हैं या उनकी बात मंत्री महोदय ने अनुसुनी नहीं की है। अतः, महोदय मैं निश्चित हूं कि इस बारे में मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस क्षेत्र के लोगों को और, जो गरीबी रेखा से बहुत नीचे रह रहे हैं को वे सभी लाभ दिए जाने चाहिए। जो उन्हें मिलने चाहिये।

[हिन्दी]

प्रो. नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : माननीय सभापति जी, मैं श्री अजित कुमार साहा द्वारा प्रस्तुत इस नीजी विधेयक का स्वागत करता हूं, क्योंकि एक बहुत ही ज्वलन्त समस्या की ओर उन्होंने सदन का ध्यान दिलाया है। इस समस्या के बारे में इस सदन में कई बार भाषण हो चुके हैं और उनके उत्तर में महत्त्वपूर्ण सूचनाएं सदन को दी जा चुकी हैं। एक अन्दाजे के मुताबिक जो सूचना हमें दी गई 15 अप्रैल, 1985 के दिन प्रश्न सं. 434 के उत्तर में, 30 लाख 77 हजार लोग बीड़ी उद्योग में कर्मचारी के रूप में काम करते हैं उनमें से सबसे ज्यादा संख्या मध्य प्रदेश में है जिसका अनुमान 5 लाख है और उसके बाद उत्तर प्रदेश का नम्बर है जिसका साढ़े चार लाख का अन्दाजा है।

बड़े दुःख की बात है कि जिन परिस्थितियों में ये कार्य करते हैं, वह संतोषजनक नहीं हैं और 1978-79 के मध्य एक सर्वेक्षण हुआ उन परिस्थितियों का जिनके अन्दर रहकर बीड़ी उद्योग के कर्मचारियों को काम करना पड़ता है और यह पाया गया कि 19.75 परिवार ऐसे हैं, 100 में लगभग 20 परिवार किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं। इससे अन्दाजा लग सकता है कि यह समस्या कितनी भयंकर है और जो लोग वहां काम करते है, उनमें वह लोग भी हैं जिन्हें अपंग कहा जा सकता है और वह महिलाएं भी हैं जिन्हें पर्दानशीन कहा जा सकता है। इस तरह से समाज के एक बहुत ही पिछड़े और कमजोर वर्ग को कार्य दिलाने का काम यह बीड़ी उद्योग करता है।

एक अनुमान के अनुसार 110 करोड़ बीड़ी प्रतिदिन भारतवर्ष में बनती हैं और इससे न केवल केन्द्रीय सरकार को एक्साइज ड्यूटी के रूप में 25 करोड़ रुपये की आमदनी होती हैं, बल्कि प्रदेश सरकारों को भी 5 करोड़ रुपया मिलता है। जो तम्बाकू बेचा जाता है, उस पर भी लगभग उतनी ही आमदनी का अन्दाजा है। इस तरह से जहां पर संख्या इतनी है कि कृषि में

कार्य करने वाले लोगों और हैण्डलूम में कार्य करने वाले लोगों के बाद इस व्यवसाय का नम्बर आता है, वहां इस ओर ध्यान उतना नहीं दिया जाता है जितना कि दिया जाना चाहिये। इसके लिये आवश्यक है कि सरकार इस विधेयक में सुझाई गई बातों पर ध्यान दे और वह उपाय करे जिससे न सिर्फ इनका काम अच्छा हो बल्कि उनके स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान दिया जाये।

मैं श्री के. एस. राव के इस विचार से सहमत हूं कि लगभग सभी काम करने वाले लोग जिनकी आमदनी 1000 बीड़ी पर 5 रुपये पड़ती है, जो कम-से-कम है, और उसमें .00 करोड़ रुपया सारे लोगों को मिलता है, उसमें कुछ न कुछ खर्च होना चाहिए। वह लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं, इसलिए उनकी सहायता के लिये विशेष योजना बननी चाहिये और जिस तरह से समाज के बाकी कमजोर वर्गों को 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत रखकर उनकी ओर सरकार ध्यान देती है, तो इस वर्ग का भी अधिकतर है, उनकी भी इच्छा है कि उन्हें इस ओर आकर्षित किया जाये। इस कार्यक्रम में उनके लिए भी सुविधायें दी जायें। आज बीड़ी दुनिया में बहुत मशहूर है। एक सूचना के अनुसार जापान में हर रोज 800 पैकेट बीड़ी के पिए जाते हैं और जापान की मार्केट इसको खींच रही है। भारत को लाभ तो है लेकिन जो काम कर रहे हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना जरूरी है। न तो वहां दवाई की कोई व्यवस्था है और न अस्पताल की कोई व्यवस्था है। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा था ई. एस. आई. का ध्यान भी उधर जाना चाहिए। क्या वजह है कि जो काम करने वाले हैं वे अगर आर्गेनाइज्ड सेक्टर में हैं तो सारे राष्ट्र को हिला देते हैं और अगर नहीं हैं तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस तरह से उनकी कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, वे संगठित भी नहीं है इसलिए वे कोई दबाव भी नहीं डाल सकते हैं जितना कि डालना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में इस सदन का ध्यान उनकी ओर जाना आवश्यक है और सरकार का भी तुरन्त ध्यान देना चाहिए। न केवल बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत लेकर उनके लिए विशेष प्रावधान करने चाहिए बल्कि 197-79 का सर्वे भी अब नौ-दस साल पुराना हो गया है अतः नया सर्वे होना चाहिए जिससे कि पता चले कि उनकी लिविंग कंडीशंस में क्या दिक्कतें और कठिनाइयां हैं और सरकार का उनको दूर करने के प्रति क्या उत्तरदायित्व है।

आर्थिक सामाजिक संगठनों को भी इनकी ओर ध्यान देना चाहिए और सहायता का हाथ उनकी ओर बढ़ाना चाहिए। मैं बड़ा आभारी हूं और सराहना करता हूं साहजी का कि इस महत्वपूर्ण विषय की ओर इस सदन का ध्यान दिलाकर उनका बड़ा उपकार किया है मैं चाहूंगा, इस बिल की भावना की कद्र की जाए और अगर मंत्री जी इस बिल को किसी रूप में पारित करने के लिए सहमत न हों तो इससे अधिक सुन्दर बिल उनको शीघ्र सदन से लाना चाहिए ताकि इन कर्मचारियों को भी यह सोचने का अवसर मिले कि संसद और सरकार उनके लाभ के लिए भी सोचती है।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल की भावना का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री बाल कवि बैरागी (मंदसौर) : माननीय सभापति जी, श्री अजित कुमार साहा ने जो बिल प्रस्तुत किया है उसके पीछे श्रमिकों के कल्याण की भावना है। इस सदन में इस

भावना का समग्ररूपेण आदर किया गया है, किसी कोने से इस भावना के खिलाफ कोई बात नहीं है। जहां तक बीड़ी के निर्माण का प्रश्न है, जैसा कि अभी प्रो. पराशर जी भी टी कर रहे थे, यदि हम पूरे तौर पर इसका सर्वे करें तो मेरा निश्चित मत है कि हमारे देश की आबादी का कम से कम पांचवां हिस्सा बीड़ी का उपयोग करता है। करीब-करीब 20-25 प्रतिशत लोग बीड़ी का उपयोग करते हैं और सरकार को इससे टैक्स भी प्राप्त होता है। लेकिन जो लोग इसको बनाते हैं, मजदूर लोग, जैसा कि केयूर भूषण जी ने भी कहा और मैडम बासव राजेश्वरी जी ने भी कहा कि ऐसी स्थिति है कि तम्बाकू के खेत में सांप भी नहीं रहता लेकिन ये लोग रात-दिन उन खेतों में अपनी जिन्दगी से जूझते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जावरा, नीमच और मंदसौर के थोड़े हिस्से में बीड़ी बनती है। जब मैं वहां मजदूरों के पास जाता हूं तो वस्तुतः उन्हें देखकर मैं खुद परेशान हो जाता हूँ कि वे दिन भर मजदूरी करते हैं और जब मैं उनसे कहता हूं कि तुम से भेंट करने का समय कौन-सा है कि जब आपकी मरजी। आप कभी भी रात में आ जाइये। उनसे पूछा कि आप जागेंगे कैसे तो बड़े अफसोस के साथ कहते हैं कि हम सोते ही कहां हैं जो जागने का प्रश्न आए। हर समय वे तम्बाकू के बीच में काम करते हैं। रातभर खांसते हैं। उनके स्वास्थ्य का कोई संरक्षक नहीं है, कोई गारन्टी नहीं है सारी रात काम करते हुए जागते हुए बीत जाती है और बीमारियां हो जाती हैं। यहां पर कई माननीय सदस्यों ने टी. बी. के बारे में चिन्ता की है, मैं इससे आगे बढ़कर कहना चाहता हूँ। टी. बी. से आगे बढ़कर कैंसर तक की बीमारी उनको हो जाती है। पूरा का पूरा समाज हमारे मजदूरों का ऐसी स्थित में फसा हुआ है। उनके लिए आह जितना काम करेंगे, उतना कम है। आप चाहे चिन्ता करें या प्रावधान करें।

मैं आपसे कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूँ। सम्भवतः माननीय श्रम मंत्री जी हमारी बातों पर विचार करें। आप जो भी कानून लायें, उनमें आप कृपा करके इन बातों का समावेश करें। एक तो बच्चों को आप इस पूरे निर्माण से जितना दूर कर देंगे, उतना ही अच्छा है और इस देश की पीढ़ी पर आपका अहसान होगा। उसके दो कारण हैं। एक कारण यह कि यह स्थिति सदन के सभी सदस्यों को पता है और दूसरे माननीय श्रम मंत्री जी को मैं सभापति जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बीड़ी मालिक बच्चों को लैबोरेटरी के तौर पर प्रयोग करते हैं। उनसे कहते हैं कि यह बीड़ी पीकर बताओ कि कैसी चल रही है। जब बचपन से ही इन बच्चों पर इस तरह का प्रयोग किया जाता है, तो वे बच्चे बचपन से ही उन बीमारियों के आदी हो जाते हैं। इसलिए आपको ऐसे कदम उठाने चाहिए, जिनसे उन बच्चों को इन बीमारियों से बचाया जा सके।

बीड़ी उद्योग से हमारी मध्य प्रदेश सरकार को दो-तीन चार करोड़ रुपए का वेल्फेयर रिवेन्यू मिलता है और उसमें से आप उनके कल्याण के लिए कुछ खर्च करते हैं, लेकिन एक दो करोड़ रुपया फिर भी हमारी सरकार के पास मध्य प्रदेश सरकार के पास प्रति वर्ष बच जाता है। हम तो अपनी सरकार से कहेंगे ही, लेकिन मैं आप से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इन बीमारियों का सर्वे आप के पास है, ऐसा नहीं है कि आप के पास नहीं है, आप के पास है, उन बीमारियों के लिए विशेष तौर से उन क्षेत्रों में अस्पताल बनवाइए। जहां ऐसे मरीज और कम

उम्र के बच्चे जो जीवन से संघर्ष कर रहे हैं, वे अपना इलाज करवा सकें। एक काम यह भी करें कि उनकी स्कालरशिप भी दे। यहां पर बैठे हुए हमारे मित्र जिनका चुनाव क्षेत्र जबलपुर हैं, वह इस देश का सबसे बड़ा बीड़ीं निर्माण का क्षेत्र है। इस देश का सबसे बड़ा निर्माता श्री अजय मुशरान का चुनाव क्षेत्र, जबलपुर है। सारा कारोबार वहां हवाई जहाज से चलता है। लेकिन मंत्री जी आप सर्वे करायेंगे, तो पायेंगे कि इस देश का एक भी बीड़ी बनाने वाला परिवार ऐसा नहीं है, जो कर्जदार नहीं है। चाहे उसके घर के सब लोग बीड़ी बनायें। उसके सिर से कर्जा नहीं टलता है। क्योंकि उसको एडवांस के नाम पर बीड़ी बनवाने वाले पैसा दे देते हैं और उसको ब्याज सहित वसूल करते हैं। वह ब्याज कभी कम नहीं होता है। उनकी पीढ़ी-पीढ़ी मर जाती है, बीड़ी बनाते-बनाते, तब भी ब्याज नहीं चुक पाता है।

अभी एक माननीय सदस्य बता रहे थे कि बीड़ी का रिजैक्शन होता है, लेकिन वह रिजैक्टेड माल भी उनका बिक जाता है और मजदूर को उसकी पूरी मजदूरी भी नहीं दी जाती है। आप उन कारखानों में जाकर देखिए, नजर आता है कि कारखाना है। जिस देश में जहां डेढ़ सौ करोड़ बीड़ी रोज बनती है, कारखानों में जिसको रखने की क्षमता नहीं है कि वे उसकी बनाकर रख सकें, वहां इस प्रकार की हालत है। वे बीड़ी रखते कहां हैं, वे बीड़ी रखते हैं, मजदूरों के घर पर, जो ठेकेदार के मजदूर होते हैं। बीड़ी के मालिकों के मजबूर नहीं कहलाते हैं, वे कान्ट्रैक्टर के लेबर माने जाते हैं। इसलिए आप के किसी भी कानून से उसकी भलाई नहीं होती है, क्योंकि ठेकेदार बीच में खड़ा हो जाता है। आप एक सर्वे करायेंगे, तो हम पर आपका एहसान होगा। एक बीड़ी बनाने वाले मजदूर को यह पता ही नहीं रहता है कि वह कौन-सी ब्राण्ड की बीड़ी बना रहा है। यह उसे पता ही नहीं है कि किस लिए बना रहा है। उसको मालूम ही नहीं है कि उस पर कौन-सा ठप्पा लगेगा। उसको पता ही नही है कि वह क्यों बना रहा है, किसके लिए बना रहा है। उसे सिर्फ यह मालूम हैं कि वह ठेकेदार साहब के लिए बना रहा है। ब्याज के पैसे में बना रहा है। मूल पूंजी भुगतान की व्यवस्था नहीं है। ब्याज के पैसे में ही वह मर जाता है। कृपा करके आप कानून में यह व्यवस्था करें कि बीड़ी बतानेवाले मजबूरों को गोडाउन का किराया मिले। वह तो कम से कम मजदूरों को मिले। उसको वह पैसा मिलना चाहिए। गोडाउन में रखते समय जो मालिक को पैसा खर्च करना पड़ता है, वह मजदूर को मिल जाना चाहिए और उसको मजदूरी-पूरी-पूरी मिलनी चाहिए। मजदूरों का प्रोटैक्शन होना चाहिए, हो सके तो उनके पास आइडेंटी कार्ड होना चाहिए। यदि हो सके तो एक चीज यह कि बच्चों और महिलाओं को इस उद्योग से दूर रखना चाहिए। महिलाओं की जो स्थिति है, आप हमारे साथ चलें तो मैं आपको उन मजदूरों से मिलाऊं। वे महिलायें जब गर्भवती होती हैं, तब से ही उन बीमारियों से ग्रसित हो जाती हैं और जो उनसे बच्चे पैदा होते हैं, वे जन्म से ही उन बीमारियों को लेकर पैदा होते हैं। यह ऐसी समस्या है, जो मानवीय है और जिसका कानून से तो संबंध है ही, मनुष्यता से भी है और इस पर ध्यान देना चाहिए। मेरा आप से निवेदन है कि अच्छी भावना से यह बिल लाया गया है और इस बिल में काफी गुंजाइश है। श्रम कल्याण और जन-कल्याण की तरफ जो सरकारें काम करती हैं, वे सरकारें इन समस्याओं के प्रति जागरूक रहती हैं और समय-समय पर कानून में परिवर्तन भी करने पड़े, तो करने चाहिए बीड़ी बनाने वाले लोगों का आपने ध्या नहीं रखा और बीड़ी, सिगार पर जो लेबल लगाते हैं, उन लेबल लगाने वालों को प्रोटैक्शन देंगे और लेबर को प्रोटैक्स नहीं

कर सकेंगे, तो सही नहीं होगा। लेबल और लेबर, इन दोनों में से आप को एक को छांटना पड़ेगा।

एक बात यह और कहना चाहता हूं कि ये जो बीड़ी के लेबल होते हैं, सोचो जो आप देते हैं, इनको आप नये सिरे से देखें। कभी-कभी मजाक हो जाता है। हमने बीड़ी देखी है शिवाजी छाप। हमारे जो राष्ट्र पुरुष हैं, उनके नाम पर बीड़ी चलेगी, तो इस देश में क्या होगा। मैं किस-किस का नाम लूं। इतना हास्यपद बना दिया है इन बीड़ी के निर्माताओं ने। अपने लेबल को पापूलेरिटी देने के लिए पता नहीं ये किस-किस नाम से बीड़ी बनाते हैं। गणेश छाप बीड़ी बनाते हैं। अब बीड़ी के निर्माता गणेश छाप वाले बाहर जाकर बालकवि बैरागी को ढूंढेंगे कि आप ने मेरी शिकायत लोक सभा में कर दी। मैं कहता हूँ कि मजदूरों को बचाओ, गणेश भगवान और शिवाजी को बचाओ। ये लोग देवी देवता और राष्ट्र पुरुष के नाम पर बीड़ी बनाते हैं, यह ठीक नहीं है। आप राजस्थान में जाओ वहां चेतक छाप बीड़ी बनती है। पता नहीं किस-किस के नाम पर ये बीड़ी बनाते हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि इन लेबल्स को नये सिरे से देखिए और इनके रजिस्ट्रेशन के वक्त थोड़ा सख्त होइए। ये राष्ट्र पुरुष का धुंआ तो न छोड़ें कम से कम। बीड़ियां फूंक-फूंककर ये उनका धुंआ उड़ा रहे हैं। मैं इस बिल की भावना का पूरा आदर करता हूं और यह बिल आपको एक निमंत्रण है कि आप एक अच्छा बिल लाएं। इस देश में आज हर पांचवा आदमी बीड़ी पीता है। हम तीनों यहां पर बैठे हुए हैं। मैं बीड़ी नहीं पीता हूं··· (व्यवधान) ये खा रहे हैं और मेरे पास खुश्बू आ रही है। मेरे परिवार में भी कोई नहीं पीता है लेकिन तम्बाकू से बहुत से लोगों का वास्ता है और बीड़ी से हमारे वोटरों का बहुत बड़ा वास्ता है। तीन चीजें इस देश में बन्द नहीं की जा सकती, आप लेबर मिनिस्टिर साहब समझ लीजिए। एक तो पोस्ट कार्ड है, जिसे आप इस देश में कभी बन्द नहीं कर सकते। जो सरकार इस देश में पोस्ट कार्ड बन्द कर देगी, उस सरकार के आधे वोट खत्म हो जाएंगे, यह हम सब जानते हैं। इस देश में कभी पोस्ट कार्ड बन्द नहीं हो सकता। दूसरी चीज जो बन्द नहीं हो सकती, वह बीड़ी है और तीसरी चीज वह है, जिसका नाम इस संसद में मुझ से ने लेवाइए, आपका मुझ पर अहसान होगा। इस तरह से ये दो तीन चीजें कभी इस इस देश में बन्द नहीं कर सकते लेकिन जो चीज बन्द नहीं हो सकती और ओ कमा कर दे रही है, उसको तैयार करने वाले, उसको बनाने वाले सुरक्षित और स्वस्थ रहें और वे बराबर काम करते रहें, ऐसी व्यवस्था हमें करनी चाहिए। उन्हें आकाश दें, मौसम दें और मुहब्बत के साथ उन्हें अपने कलेजे से लगायें।

इन शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक बेहतर बिल लाइए ताकि पूरे सदन के लोगों को यश मिले। सरकार को उन मजदूरों की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए, जो दिन रात नर्क की जिन्दगी बिताकर बीड़ी पीने वालों के लिए बीड़ी की व्यवस्था करते हैं। मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया और इस बिल के लाने वाले के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं।

5.29 म. प.

आयुर्विज्ञान शिक्षा समीक्षा समिति के प्रतिवेदन पर सरकार के निर्णयों के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : महोदय, मैं सभा पटल पर चिकित्सा शिक्षा पुनरीक्षा समिति की रिपोर्ट तथा उसकी सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों का एक विवरण भी रख रही हूं। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 2609/86**]।

समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार थे :—

(i) वर्तमान प्रवेश विधियों (प्रवेश परीक्षाओं समेत) तथा स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आवास सम्बन्धी पाबंदियों की पुनरीक्षा करना तथा इनके सम्बन्ध में अलग से उपयुक्त सुझाव देना;

(ii) स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में समग्र रूप से सुधार लाने के उद्देश्य से उपाय सुजाना तथा निम्नलिखित पर उचित ध्यान देना :—

(क) संस्थागत लक्ष्य,

(ख) अध्यापन और प्रशिक्षण तथा विद्या विन्यास की विषय-वस्तु, प्रासंगिकता और गुणवत्ता, तथा

(ग) मूल्यांकन प्रणालियां और मानक।

(iii) अध्ययन के स्नातकपूर्व और स्नाकोत्तर पाठ्यक्रमों की अलग-अलग अनुकूलतम अवधि सुझाना;

(iv) वर्तमान इन्टर्नशिपि कार्यक्रम की जाँच करना और उसका भावी पंटर्न सुझाना।

(v) रेजिडेंसी स्कीम के साथ-साथ हाउस मैनशिप की कार्यक्रमिक प्रणाली की पुनरीक्षा करना और स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के एक समान पैटर्न के बारे में सुझाव देना।

(vi) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के एक अनिवार्य अंग के रूप में शोध प्रबंध अथवा शोध निबन्ध सम्बन्धी वर्तमान अपेक्षा की जांच करना और इनके सम्बन्ध में उचित सुझाव देना, तथा

(vii) चिकित्सा स्नातकों और चिकित्सा स्नातकोत्तरों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा अवधि की व्यवहार्यता की जांच करना।

समिति से मेडिकल मैनपावर सम्बन्धी आवश्यकताओं के वास्तविक अनुमान तैयार करने

के लिए भी कहा गया था।

समिति की शिफारिशों की इस मंत्रालय द्वारा काफी हद तक जांच की गई थी। इस रिपोर्ट के मिलने के बाद चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में जो डिवेलपमेंट्स हुई उनको ध्यान में रखा गया है। मैं सभा पटल पर एक विवरण भी रख रही हूँ जिसमें समिति की सिफारिशों और इन पर सरकार द्वारा लिए गए फैसलों का संक्षेप में उल्लेख किया गया है। अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। कुछ सिफारिशों, जो स्वीकार कर ली गई हैं, उनका कार्यान्वयन मेडिकल कालेजों, राज्य सरकारों, मेडिकल काऊंसिल आफ इण्डिया और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में लगे अन्य स्वायत शासी संगठनों जैसी विभिन्न एजेंसियों और केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाना है। इन मामलों में शिफारिशों का शीघ्र कार्यान्वयन करने के लिए सम्बन्धित निकायों से परामर्श कर कार्यवाही शुरू की जाएगी। कुछ सिफारिश पहले से ही कार्यान्वित की जा रही हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए इनकी जांच तथा समीक्षा की जाएगी कि उनका पूरा-पूरा कार्यान्वयन किया जा रहा है या नहीं। इण्डियन मेडिकल काऊंसिल एक्ट, 1956 का संशोधन करने के बारे में भी सिफारिशें की गई हैं। इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। इस समिति की चिकित्सा और स्वास्थ्य विश्वविद्यालयों की स्थापना करने तथा चिकित्सा और स्वास्थ्य शिक्षा आयोग की स्थापना करने के बारे में व्यापक सिफारिशें की हैं। केन्द्रीय सरकार ने सिद्धान्त रूप में इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। वैसे, इन्हें स्थापित करने से पहले इन संगठनों के ढांचे, इनके कार्यकरण के तरीकों, इनके स्तर और इनकी स्थापना तथा कार्यकरण से सम्बन्धित अन्य मामलों की जांच करनी होगी। फिर भी, यह मंत्रालय इन मामलों पर तत्काल ध्यान देगा।

5.34 म. प.

आधे घण्टे की चर्चा

पेय जल के लिए प्रौद्योगिकी मिशन

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने टेक्नोलोजिकल मिशन फार ड्रिंकिंग वाटर के मेनेजमेंट को लांच किया है। यद्यपि उन्होंने यह 10 मार्च को लांच किया है और जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट 31 मार्च तक प्रस्तुत होनी थी वह प्रोजेक्ट रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है। पहले तो मैं यह चाहता हूं कि यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए ताकि इसके बारे में अच्छी तरह से पहल हो सके।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पीने के पानी की समस्या अभी तक देश में बनी हुई है। आजादी को 38-39 साल होने को आए, परन्तु अभी तक हम इस समस्या को हल नहीं कर पाये हैं। यह हमारे लिए चुनौती की बात है।

देश में ऐसे रेगिस्तानी क्षेत्र हैं जहां पीने का पानी प्राप्त करने के लिए आठ से 10 किलो

मीटर तक जाना पड़ता है और परिवार का एक सदस्य तो पीने का पानी लाने में ही लग जाता है। अभी जो पीने के पानी की स्थिति है और अकाल की स्थिति है, उसमें बताया जाता है कि बहुत से टैंकों द्वारा रेगिस्तानी क्षेत्रों के एक हजार गांवों में पानी पहुँचाया जा रहा है। 1050 गांवों में पेय जल की व्यवस्था हो रही है ऐसे क्षेत्र में जहां मुश्किल से पांच इंच या छः इंच वर्षा होती है और कभी-कभी तो यह भी नहीं होती। इस तरह से राजस्थान के अन्दर बहुत से गांवों में पीने का पानी सुलभ नहीं है और रेगिस्तानी क्षेत्रों में तो यह बिल्कुल भी सुलभ नहीं है। इसके लिए नलकूप बना कर 70 से 75 किलो मीटर तक पाईप के द्वारा पानी पहुँचाया जाता है। एक ट्यूबवैल अगर बनता है तो उस पर ढाई लाख रुपए खर्च होते है। अभी आपके डिपार्टमेंट ने जो योजना मंजूर की है डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपये की योजनाएं मंजूर की हैं, जिसमें 24 गांव आते हैं। शिणदरी पंचायत समिति में मिठुड़ा से शिणधरी एक योजना है और दूसरी जोगसर से नौसर योजना बाड़मेर जिले में है। ये डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपये की नलकूप की योजनाएं हैं और आपके अधिकारियों ने वहां पहुंचकर इनको मंजूर किया है। इस तरह से प्रतिव्यक्ति बड़ी भारी कास्ट आती है। एक गांव में पानी पहुंचाने के लिए 5 लाख से 10 लाख रुपये खर्च आता है, यह स्थिति है। इस समस्या को हल करना है, देश की समस्या को भी हल करना है। छटी पंचवर्षीय योजना में केन्द्र सरकार ने राजस्थान की सरकार को पूरी मदद दी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत हमने 64 करोड़ रुपये निर्धारित किए थे, परन्तु आपने 124 करोड़ रुपये हमें ए.आर.पी. के अन्तर्गत दिए और उसके जरिए हमारा कार्य आगे बढ़ा पन्तु स्थिति अभी भी यह है कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त में 10 हजार गांवों में पानी पहुंचाना है, 3700 गांव, बाकी हैं हैमलेट्स ढाई-ढाई सौ के समूह हैं, ठाणियां हैं। इस तरह 10 हजार गावों में पीने का पानी पहुंचाना है।

आप देखें कि छटी पचवर्षीय योजना के अन्दर यह स्थिति थी कि देश में सबसे अधिक मदद राजस्थान को दी थी, यह जान करके कि यहां समस्या बहुत ही भीषण है, भयंकर है' इस दृष्टिकोण से आपने मदद की थी और उस समय राजस्थान को 1980 से लेकर 1984 तक 76.57 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे और बोनस की रकम 7.50 करोड़ मिला दी जाए तो 84.7 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे जो सभी प्रान्तों से ज्यादा थे। उत्तर प्रदेश को 72.39 करोड़, वेस्ट बंगाल को 34.50 करोड़ रुपए, बिहार को 29.97 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, इस तरह से राजस्थान को सबसे टाप प्रायरिटी दी गई, यह जान कर के कि समस्या वहां पर भयंकर है।

अब यह प्रश्न आता है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में 3554.47 करोड़ रुपए कुल पीने के पानी के लिए निर्धारित किए गये हैं, उसके अन्दर 2253 करोड़ रुपये मिनियम नीड्स प्रोग्राम के अन्तर्गत हैं और 1201.22 करोड़ रुपये ए.आर.पी. के अन्तर्गत हैं। अब जिस प्रकार से सातवीं पंचवर्षीय याजना में एलोकेशन आपने की है और जो एलोकेशन आपने पहले की थी, उसके मुकाबले यह एलोकेशन बहुत ही कम है। 1983-84 के अन्दर छटी पचवर्षीय योजना में 41.42 करोड़ रुपये आपने ए.आर.पी. के अन्तर्गत दिए थे, 1984-85 में 39.13 करोड़ 1985-86 में 27.32 करोड़ और 1986-87 में 21.22 करोड़ रुपयेएलोकेशन की है। आप यह कहेंगे कि 2253 करोड़ रुपये एम.एन.पी. के हैं तो इससे ज्यादा 1201 करोड़ रुपये ज्यादा किस प्रकार दे सकते

हैं। हमारा रेगिस्तानी क्षेत्र है और राजस्थान के अन्दर 55 प्रतिशत क्षेत्र रेगिस्तानी है। 11 जिले इस क्षेत्र में आते हैं, उनकी समस्या बहुत भयंकर है और वहां पर बहुत कास्ट आती है। मैं तो यह भी देखता हूँ कि बहुत से ऐसे गांव हैं जिनको इंदिरागांधी नहर से आपको जोड़ना होगा। इंदिरागांधी नहर से अगर आप नहीं जोड़ेंगे तो वहां पीने के पानी की समस्या का स्थाई हल नहीं हो सकता। यह स्थिति है। पीने के पानी का हल इंदिरा गांधी नहर से इस लिए नहीं हो सकता है क्योंकि बहुत ही कम क्षेत्रों में नलकूप कामयाब हुए हैं। अधिकांश क्षेत्रों में नलकूप कामयाब नहीं हुए हैं। उनसे किसी भी तरह सभी गांवों में पानी पहुंचाया नहीं जा सकता। सभी हेमलेट में पानी नहीं पहुंचाया जा सकता। इसलिए, यहां पर कास्ट अधिक लगाकर इंदिरा गांधी नहर से बाड़मेर, जुरू और जैसलमेर जिले में जो पहुंचा रहे हैं, वह पहुंचाना होगा। अब प्रश्न यह होता है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान जितनी राशि देगा, उसके हिसाब से हम देंगे तो राजस्थान की पानी की समस्या तीस साल तक हल नहीं हो सकती है क्योंकि उस की क्षमता नहीं है। आज महाराष्ट्र का प्लान दस हजार पांच सौ करोड का है। गुजरात का प्लान छह हजार करोड का और राजस्थान का तीन हजार करोड़ का है। तीन हजार करोड़ में से कितनी भी कोशिश करें वह ज्यादा राशि अलाट नहीं कर सकता। अभी 110 करोड़ रूरल सैक्टर, 105 करोड़ अरबन सैक्टर और पांच करोड़ ट्रेनिंग के लिए दिए हैं। 220 करोड़ से ज्यादा वह नहीं प्रावधान कर सकता। उसको इर्रीगेशन के लिए नहर का निर्माण करना है। आज हमारे क्षेत्र में जैसलमेर में छह प्रतिशत भी बिजली नहीं पहुंची है। बिजली पहुंचाना इस लिए भी आवश्यक है कि जितनी भी आपकी योजना चलती हैं, बिजली के न होने से योजनां को ठीक ढंग से नहीं चलाया जा सकता। हमने, डीजल सैटस जो लगाये हुये हैं, उनको हटाना है। आज आधुनिक समय में जब टैक्नोलाजिकल मिशन है तो वह थिंक करेगा कि किस प्रकार से डीजल सैट्स को हटाया जाए। इसको हटाने के लिए विद्युतिकरण करना पड़ेगा। अगर प्लान में व्यवस्था है तो पीने के पानी के लिए भी विद्युतिकरण बहुत ही आवश्यक है। आज टैक्नोलाजिकल मिशन को यह भी थिंक करना होगा कि इन क्षेत्रों में जहां कि सौर उर्जा बहुत ज्यादा उपलब्ध है, हवा की उर्जा उपलब्ध है, किस प्रकार से इन शक्तियों का उपयोग करके बहुत ही कम कास्ट में पानी उपलब्ध हो सकता है। यह भी उनके सामने एक चुनौती है। अगर इसके लिए मशीनरी इम्पोर्ट भी करनी पड़े तो वह इम्पोर्ट करनी चाहिए।

टैक्नीकल नो-हाऊ की साइंटिफिक जानकारी भी प्राप्त करनी हो तो वह भी करनी चाहिए। यह देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से ये स्कीम लाभदायक हो सकती हैं। हमारे यहां जो ट्यूबवैल बनते हैं, वे पांच सौ छह सौ फुट गहरे होते हैं। मैं सेन्ट्रल गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवैल आरगेनाइजेशन ने जो ट्यूबवैल कायम किए उनकी उम्र बीस-बीस और पच्चीस वर्ष की रही है। लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट ने जो ट्यूबवैल कायम किए हैं, उनकी उम्र दो-ढाई या कहीं पर छह महीने ही रही है। इसका क्या कारण है, इसकी जानकारी आपको प्राप्त करनी चाहिए। यह बड़ा भारी लौस होता है। टैक्नोलाजिकल मिशन इसके बारे में इसकी पूरी जांच करे कि कैसे कन्सट्रक्शन ठीक नहीं किया गया, कैसे वह ठीक डवलप नहीं किया और कैसे उनमें मैटीरियल ठीक नहीं डाला गया। ढाई लाख रुपए में नलकूप तैयार किए जाएं और दो वर्ष तक भी नहीं चलें तो यह किसी भी हालत में लाभदायक नहीं

कहा जा सकता। यह आवश्यक है कि इसकी पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए। वह जांच मिशन करेगा। अपने बाड़मेर जिले की जानकारी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने राजस्थान सरकार के सामने भी यह बात रखी है और आपके सामने भी रख रहा हूँ। आप हमें ए.आर.पी. के अंतर्गत फण्ड्स दे रहे हैं इस लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप उदार बनें। आपने जो 1201.22 करोड़ की व्यवस्था की है उसको बढ़ाकर 2500 करोड़ करें। अगर 2500 नहीं करेंगे तो सातवी पंचवर्षीय योजना में सभी गांवों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा सकेंगे। हमारे राजस्थान में 10 हजार गांवों में यही व्यवस्था रही तो 5 हजार 5 सौ गांव सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में बाकी रहेंगे और वह कठिनाई वाले गांव रहेंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि इस राशि को बढ़ाना चाहिए। हमारे रेगिस्तानी क्षेत्रों पर विशेष दृष्टि रखकर विशेष राशि देनी चाहिए ताकि यहां हम पीने का पानी उपलब्ध करा सकें। बिजली हमें नहीं मिल रही है, सिंचाई की योजनाओं पर राजस्थान में करीब 25 वर्षों से काम चल रहा है अभी तक नहर हमारे क्षेत्र के अन्दर नहीं पहुंच सकी है, अगर पीने का पानी हमारे यहां नहीं पहुंचता है तो हम कैसे जनता को जबाब देंगे। आजादी के समय से हमारे खुद के एरिया में पानी पहुँचाने का काम शुरू हुआ था, इसलिए जरूरी है कि इसको टाप प्राथमिकता दें आप सिंचाई से भी ज्यादा प्राथमिकता दें, पावर से भी ज्यादा प्राथमिकता दे और योजना आयोग को भी रिक्वेस्ट करें कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में हम पीने के पानी का प्रश्न हल कर सकें। इस दृष्टिकोण से हमको इसको करना चाहिए।

मैं दो-तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप जो नार्म्स बना रहे हैं उसके अन्दर राजस्थान के अन्दर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है और रेगिस्तानी क्षेत्रों में और भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। आजादी के आधार पर नार्म्स नहीं बनाये जा सकते, एक व्यक्ति पर कितनी कास्ट लगेगी, वह कैसा एरिया है, उसकी भौगोलिक स्थिति कैसी है, इन दृष्टिकोणो को ध्यान में रखकर इसको कंसिडर करना चाहिए। दूसरी बात, इंटरनेशनल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एण्ड सेनिटरी डिकेड का जो कार्यक्रम है उसके अनुसार मार्च, 1991 तक सभी गांवों में पानी पहुंच जाना चाहिए। एक प्रश्न संख्या तारांकित प्रश्न 826 1986 को आया था उसमें यह कहा था कि 85 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पहुंचाया जा सकेगा 15 प्रतिशत गांव सातवीं पंचवर्षीय योजना में फिर भी रह जायेंगे। हम नहीं चाहते यह 15 प्रतिशत गांव रहें, इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है यह बतायें। रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो खारा पानी है उसको मीठा करने के लिए आप किस प्रकार की रिसर्च कर रहे हैं, क्या वह खारा पानी मीठा हो सकेगा और क्या वह लाभदायक हो सकेगा। इस सम्बन्ध में भी आप प्रकाश डालने की कोशिश करें।

जो रिग्स आप विदेशों से मंगा रहे हैं क्या आपने देश के अन्दर ही इस प्रकार की रिग्स आप पैदा करेंगे जिससे विदेशों से हमें नहीं मंगानी पड़े और उसकी कास्ट भी कम आये। हैण्ड पम्प के बारे में कहा गया है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में यह पम्प कामयाब नहीं हुए हैं। क्योंकि पानी की गहराई 300,400 और 500 फीट तक है, यह वहीं सफल होते हैं जहां 125 फीट गहराई पर पानी हो। आप समझें कि हैण्ड पम्प वहां कामयाब हो सकेंगे, वहां यह नहीं हो सकेंगे। इसलिए इस सम्बन्ध में सिर्फ ट्यूबवैल ही सुझाव है। लेकिन ट्यूबवैल्स का भी आप इस प्रकार उपयोग

करेंगे और इनका शोषण करेंगे तो यह कितने वर्ष तक कायम रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा 15-20 वर्ष तक कायम रहेंगे, उसके बाद का भविष्य क्या होगा, वह सिर्फ इन्दिरा गांधी नहर ही है उसके बिना यह समस्या हल नहीं हो सकती। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने जो आधा घंटा की चर्चा उठाई है उस सम्बन्ध में मंत्री महोदय प्रकाश डालेंगे, ।

कृषि मन्त्री (श्री सरदार बूटासिंह) : सभापति महोदय, मैं श्री वृद्धिचन्द जैन जी का आभारी हूं कि उन्होंने बहुत ही एक राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न को आज आधे घंटे की चर्चा के सबंध में सदन में उठाया। इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारी सरकार का, हमारे प्रधान मंत्री जी का शुरू से ही यह कर्त्तव्य रहा है कि अपने देशवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने वचन दिया है और हम इस सम्बन्ध में कदम उठा रहे हैं, हमने योजना बनाई है यह जो

5.50 म. प.

एक स्पेशल टैक्नोलोजी मिशन माउन्ट किया गया था उसका मतलब ही यह था कि हम सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश के प्रत्येक गांव में, चाहे वह छोटा गांव हो या बड़ा गांव हो, सब में अच्छा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवा सकें। माननीय सदस्य ने उस मिशन का भी उल्लेख किया और खासकर राजस्थान की समस्याओं पर प्रकाश डाला। वैसे श्री वृद्धि चन्द्र जैन एक बहुत ही सजग और सुयोग्य सांसद हैं और वे जिस प्रश्न को पकड़ते हैं, जब तक उसमें उनको सफलता नहीं मिल जाती, छोड़ते नहीं हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, जिस समय मैं निर्माण और आवास मंत्रालय में था उस समय इन्होंने डी.पी.ए.वी, के अन्तर्गत रेगिस्तानी इलाकों के लिए कितना प्रयास किया था और इनके प्रयासों के कारण ही डेजर्ट डैपलपमैंट एरियाज को स्पेशल एलोकेशन मिला था। उसी तरह से आज इन्होंने राजस्थान की पेयजल समस्या को इस सदन में उठाया है। वैसे तो मूल चन्द डागा जी, और मैं स्वयं राजस्थान से आते हैं और हम सब का प्रयास यहीं है कि राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में खासकर, पेयजल की समस्या हल हो। वहां यह समस्या केवल इस लिए नहीं है कि पानी नहीं मिलता बल्कि जो पानी उपलब्ध है, वह भूमि के स्तर के नीचे उपलब्ध पानी भी पीने के काबिल नहीं है और इसीलिए यह समस्या वहां भीषण रूप धारण किए है। अब जब इस समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लिया गया है तो हमने छठी पंचवर्षीय योजना में भी देश के तमाम संकट-ग्रस्त गांवों को, प्रोब्लम विलेजेज को पानी पहुंचाने का प्रयास किया था और अब भी कर रहे हैं। उस वक्त यदि देखा जाय तो सारे देश में 2.31 लाख प्रोब्लम विलेजिज आइडैन्टिफाई हुए थे, जिनको संकट-ग्रस्त गांवों की श्रेणी में रखा जा सकता है। छठी पचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार और राज्य सरकारों की सहायता से 1.92 लाख आइडैन्टिफाइड विलेजिज को पीने का पानी उपलब्ध करवाया गया और इस तरह छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त में 0.39 लाख प्रोब्लम विलेजिज बच गए थे, जिनको हमने सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया।

5.51 म. प.

[श्री जैनूल बशर पीठासीन हुए।]

जब सातवीं पंचवर्षीय योजना आयोग ने अपने सामने यह लक्ष्य रखा कि हम इसके अन्त

तक हम देश के सभी गांवों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवायेंगे। इसके लिए एक मूल्यांकन करवाया गया। यदि हम उस मूल्यांकन के आधार पर शत-प्रतिशत कवरेज देनी होगी और—

[अनुवाद]

(एक) सभी गांव तथा बस्तियों

(दो) 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से जल की सप्लाई की उपलब्धता। इससे कमी वाले क्षेत्रों में पशुओं की जय सम्बन्धी आवश्यकता की भी पूर्ति होगी।

(तीन) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष स्रोत।

(चार) विद्यमान स्रोतों की वृद्धि तकि जनसंख्या विकास की प्रति पूर्ति की जा सके।

[हिन्दी]

इन चार मुख्य उद्दों को सामने रखकर ही मूल्यांकन किया गया और उससे यह सिद्ध हुआ कि यदि हमें शत-प्रतिशत गांवों में पानी पहुंचाना है तो हमें लगभग 7,700 करोड़ रुपए के वित्तीय साधनों की आवश्यकता पड़ेगी। जब सातवीं पंचवर्षीय योजना का रिसोर्सेज अवैले-बिलिटी का प्रश्न उठा तो उस वक्त कुल मिलाकर 3454.47 करोड़ रुपया हमें उपलब्ध हुआ। इससे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि हमें जितने पैसे की आवश्यकता थी, उससे हमें आधे से भी कम पैसा मिला। डागा साहब ने ठीक हिसाब लगाया, यह लगभग 45 प्रतिशत बनता है। इस लिए 45 प्रतिशत पैसे लेकर हमें वही लक्ष्य प्राप्त करना है, गोया

[अनुवाद]

सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हम 100% गांव इसके अन्तर्गत ले लेंगे। तो यह प्रश्न उठाया कि हम इसके लिए क्या करने जा रहे हैं। यह समय बनाने के लिए हमने लगभग प्रत्येक संस्थान और विशेषज्ञ निकाय जो भी देश में उपलब्ध है। ताकि इन्हीं स्रोतों में ही हम उन परिणामों को हासिल कर सकें जो हमने सातवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में आपने निर्धारित किये थे।

[हिन्दी]

तो उसके सामने से विचार किया गया कि एक टैक्नालोजी मिशन हो। गोया दो तरीके हैं इस वक्त पानी उपलब्ध कराने के एक तो ट्यूब वेल के माध्यम से पानी जमीन से निकाला जाए और दूसरा है जहां पानी नहीं मिलता है, वहां पाइप वाटर पहुँचाया जाए। इसमें पाइप वाटर बहुत ही कास्टली है और मैं समझता हूं कि यदि हम सारे सोसस जुटाकर भी करना चाहें, तो भी मुश्किल है।

ट्यूब वैल की समस्या, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, बहुत सारे इलाकों में ट्यूब वेल

सम्भव नहीं हैं क्योंकि परसिस्टेंट ड्राउट कंडीशन है, सब-सायल वाटर टेबल नीचे चला जाता रहा है और फिर ट्यूब वेल वाटर सोर्स ऐसा है कि एक साल पीने के पानी के लिए हैं, तो अगले साल वह पानी ब्रैकिश हो जाता है, सेलेनिटी आ जाती है। उसमें कोई न कोई प्राब्लम पैदा हो जाती है। इसलिए अब जो टैक्नोलोजी मिशन माउण्ट किया गया है, उस टैक्नोलोजी मिशन ने अपने लिए पांच बड़े मुद्दे सामने रखे हैं। हमारे देश में जो पेयजल उपलब्ध है उसका पांच तरह से स्ट्रीटमेंट किया जाए ताकि सस्ते से सस्ती टैक्नोलोजी इस्तेमाल करके, वही पानी जो इस वक्त पीने के काबिल नहीं है, उसको पीने के काबिल बना सकते हैं, लैस कास्ट में। जो साधन हमारे उपलब्ध हैं, उन्हीं के अंतर्गत और इन साधनों के साथ हमारे पास जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसने भी इसके साथ अपने साधन जुटाए हैं, जैसे एन. आर. ई. पी., आर. एल, ई. जी. पी. है, आई. आर. डी. पी. के सोर्सेस को भी इनके साथ जोड़कर इनको आगमेंट करने की कोशिश की है ताकि इस तरह के हमें जो साधन उपलब्ध हुए हैं उनमें और ज्यादा क्षमता आ सके और हमने पांच बड़े प्रश्न मिशन के सामने रखे, उनको इन्होंने इस तरह से हल करने का प्रयास किया है—

[अनुवाद]

(एक) उपयुक्त प्रौद्योगिकी तथा सामग्री के माध्यम से पारम्परिक स्रोतों जैसे सरिताओं, चश्मों, कावों, खुले / खोदे गए कुओं इत्यादि का विकास और पारम्परिक जलशायों का विकास तथा इन स्रोतों से प्राप्त जल को उपयुक्त रूप से परिष्करण द्वारा पेय बनाना।

(दो) फ्लोराईड, आयरन तथा रोगोत्पादक जीवाणुओं से दूषित पानी तथा खारे पन तथा अस्वादुपन की समस्या से निपटने के लिए कम लागत वाले विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी साधनों का इस्तेमाल करना।

(तीन) वनरोपण, मिट्टी तथा नमी बनाये रखने सहित सूक्ष्म स्तर पर पारिस्थितिकीय आयोजन के माध्यम से विद्यमान जल संसाधनों की वृद्धि करना और जल संसाधनों के संयोजक उपयोग के लिए जल संतुलन अध्ययन का विकास करना ताकि पानी के अविवेकपूर्ण तथा व्यर्थ उपयोग को रोका जा सके।

(चार) स्वास्थ्य शिक्षा का विकास ताकि व्यक्तियों तथा समुदायों को (आरक्षित) जल तथा सफाई के खराब प्रबन्ध के द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए उपयुक्त प्रतिरोधक तथा प्रोत्साहक उपाय कर सके इसके लिए उन्हें जानकारी दी जाये तथा प्रेरित किया जाये। डिलवरी प्रणाली की पुनःस्थापना तथा पुर्नरचना।

(पांच) लक्ष्यों को उपलब्ध करने के लिए विभिन्न एजेन्सियों में कार्मिकों का प्रशिक्षण तथा समन्वय का विकास तथा एकीकरण।

[हिन्दी]

ये पांच हमने जो थ्रस्ट एरियाज निकाले हैं, इनको कार्यान्वित करने के लिए यह जो एक

टैक्नोलौजी मिशन माउण्ट किया गया है, इसमें सीधा इन्वाल्वमेंट रखा है फाम दि मिनिस्ट्री आफ रूरल डवलपमेंट। एक मिशन डायरेक्टर होंगे जिनका रैंक एडीशनल सैक्रेट्री या स्पेशल सैक्रेट्री का होगा, फिर इसके साथ एक स्टैंडिंग कमेटी होगी जिसके चेयरमैन सैक्रेट्री रूरल डिवलपमेंट

[अनुवाद]

होंगे और उसमें ग्रामीण विकास विभाग के सचिव की अध्यक्षता तथा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, योजना आयोग, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग, जल संसाधन मंत्रालय, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय, सी. ए. आ. टी., के प्रतिनिधियों तथा राज्यों के सचिवों की एक स्थायी समिति राष्ट्रीय स्तर पर होंगी जहां मिशन के अधीन परियोजनायें आरम्भ की जायेंगी। स्थायी समिति परियोजना कार्य तथा निष्पादन की समय-समय पर पुनरीक्षा करेगी तथा मिशन के लिए समग्र रुप से मार्ग निदेश देगी। यह प्रणाली है। इस पद्धति को, जो एक केन्द्र में सस्थापित करते जा रहे हैं, राज्यों में भी अपनाया जाएगा और यहां तक कि इसे जिस स्तर पर भी अपनाया जाएगा। और निदेशक को सहायता देने के लिए एक परियोजना निदेशक तथा एक समिति भी होगी।

[हिन्दी]

इस ढंग से हमने पूरे देश में व्यापक रूप से इस मिशन को संगठित किया है।

हिन्दी]

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कहा था कि 31 मार्च तक के संबंध में, मैंने सदन में कुछ कहा है, लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैंने सदन में कुछ कहा है, मैंने चैक-अप किया है। मगर मैं यह कह सकता हूं कि अब ये मिशन तकरीबन लाचिंग के करीब आ चुका है क्योंकि इसकी फायनल प्रोजेक्ट्स वगैरह की डिस्कशन होकर, सभी स्टेट्स गवर्नमेंट के साथ और सभी मिनिस्ट्रीज के साथ और जो वित्त मंत्रालय तथा प्रधान मंत्री जी के मंत्रालय हैं उनमें इस बारे में बातचीत होकर के एक कंक्रीट प्रोजेक्ट बन चुका है और हम ऐसा मानते हैं कि छः तारीख को इस पर डिस्कशन करके इसको फायनेलाइज कर दिया जाएगा।

6.00 म. प.

[अनुवाद]

यह मिशन वहां पहले से हैं। यह कुछ नया नहीं है।

[हिन्दी]

आलरैडी जो हमारी स्कीम चल रही हैं, उसमें इस मिशन को साथ जोड़ दिया जायेगा ताकि हमारे पास जो उपलब्ध टैक्नोलाजी है, जो पानी इस वक्त हमारे पास होते हुए भी उपलब्ध नहीं है, वह पीने के काम आ सके।

जैसा मैंने शुरू में कहा कि जो साधन उपलब्ध हैं उनको और ज्यादा समृद्ध करके ग्रामीण

विकास मंत्रालय की ओर से भी जो साधन हमारे पास हैं, उनको जुटाकर कोशिश करेंगे कि इस मिशन को कामयाबी दी जाये और इस प्लान के अन्त तक हम ऐसा मानते हैं कि इस मिशन की सफलता से सभी देश के गांव में, जैसा मैंने कहा कि 4, 5 कैटेगरी के गांव हैं जिसमें न केवल मानव की आवश्यकता के लिए बल्कि पशुधन की आवश्यकता के लिए भी इसमें पानी उपलब्ध करने का प्रबन्ध किया गया है।

अब मैं ज्यादा चर्चा में नहीं जाना चाहता हूं, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि राजस्थान के प्रति हम कोई इस प्रकार का दृष्टि कोण या ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, मैं इतना ही कहूंगा कि जितनी उनकी लग्न का प्यार राजस्थान से है, उससे कम हम भी नहीं है। हम ज्यादा तो कलेम नहीं कर सकते, क्योंकि वह हमारे वरिष्ठ नेता है, लेकिन मैं कहूंगा कि राजस्थान की समस्या हमारे विचार में है और इस कारण से राजस्थान के नार्म्स को अगर देखा जाये तो इस वक्त जो देश के बड़े-बड़े स्टेट्स हैं, जिनकी पापूलेशन बहुत ज्यादा है, उनके मुकाबले में अभी राजस्थान का जो शेयर है, एलोकेशन आफ फंड है, वह कम नहीं है। खाली उनकी शिकायत यह है कि मैंने जिक्र कर दिया कि आपकी एम. एन. पी. की एलोकेशन नीचे जा रही है, इसलिए ए. आर. पी. का इलोकेशन मैचिंग होने की वजह से वह भी नीचे जा रहा है, उनको इसमें गुस्सा आ गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे पास प्लानिंग कमीशन से जो सम्मिलित रूप से साधन मिलता है, उसका वितरण करने के लिए कोई न कोई आधार मानना पड़ता है। आधार जो अभी देश में हमने माना हुआ है, उसमें प्राथमिकता पापूलेशन की है। उपलब्ध निधि

[अनुवाद[

का 50 प्रतिशत राज्य की कुल जनसंख्या के लिए है उसके बाद 20 परसेंट प्राबलम एरिया आ

[हिन्दी]

जाता है, उसके बाद 20 परसेंट आ जाते हैं वीकर सैक्शन्ज के और 10 परसेंट छठी योजना के दूर-दूर तक फैले समस्या ग्रस्त गांवों के लिए भी इस तरह से जो फार्मूला तय हुआ है, उसके आधार पर भी, बावजूद इसके कि राजस्थान पापूलेशन के लिहाज से बहुत नीचे चला जाता है, लेकिन राजस्थान की जो पद्धति है, उसकी पापूलेशन का ध्यान न करते हुए भी, क्योंकि डिफिकल्ट एरिया है, इसलिये उस पर खासकर ध्यान दिया गया है।

एक चीज का जिक्र किया गया कि हमने छठी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान को ज्यादा राशि दी और 7वीं योजना में कम दी, यह सही नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हैं, उससे सिद्ध होता है कि राजस्थान को छठी योजना में भी जिस तरह से सहायता दी गई है, उसी तरह से 7वीं योजना में भी दी गई है। खाली फर्क इतना ही है कि पहले एम. एन. पी. के साथ मैच करके उनको सहायता दी जाती थी, इस वक्त ए. पी. ए. के माध्यम से अगर दोनों को मिलाकर देखा जाये तो इस लिहाज से राजस्थान की एलोकेशन एम. एन. पी. और ए. आर. डब्लू. एस. पी. और ए. को मिलकर काफी अच्छी है।

मैं माननीय सदस्य को इतना ही कहना चाहता हूं कि आपको किसी किस्मम का भी

संदेह नहीं होना चाहिये, पैसें के अभाव से हम राजस्थान में पीने के पानी की समस्या को आंख से ओझल नहीं होने देंगे।

आपने डैजर्ट एरिया का विशेष जिक्र किया है। मैं इससे सहमत हूं। अगर आप रेगिस्तानी इलाके के लिए कहें तो हम तो एलोकेशन को ईअर-मार्क कर सकते हैं।

[अनुवाद]

आबंटित राशि के कुछ प्रतिशत को रेगिस्तान के लिए सबसे पहले व्यय किया जाना चाहिए। रेगिस्तानी क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्रों के लोग कष्ट सहन कर रहे हैं। वे न केवल कष्ट ही सहन कर रहे हैं, बल्कि उन्हें कठिनाई भी हो रही है। जब के स्रोत गांव से बहुत दूर होने के कारण उन्हें दूरस्थ स्थानों से पानी लाना पड़ता है। भूमि के नीचे जल तुरन्त उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए जहां तक ए. आर. पी आबंटन का संबंध है, रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए विशेष ध्यान देने के लिए में तैयार हूं। मैं माननीय सदस्य के साथ सहमत हूँ। मैं राज्य सरकार के राजस्थान क्षेत्रों की प्रतिशतता को बढ़ाने के लिए सलाह दे सकता हूँ। मैं आशा करता हुँ कि यदि मैं यह वचन नहीं दे दूं तो माननीय सदस्य प्रसन्न हो जायेंगे। मैं विवाद से नहीं पड़ना चाहता। यदि माननीय सदस्य को कुछ मुद्दों पर विचार विमर्श करना है तो तब मेरे साथ बैठ कर उन के सम्बन्ध में बात कर सकते हैं।

हिन्दी]

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : सभापति महोदय, पहले ता मैं माननीय मन्त्री जी को बधायी देना चाहूँगा कि जिस तरह से छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना में देश की पेय-जल की समस्या को हमारी सरकार ने प्राथमिकता दी है, उसको हल करने के लिए समस्यामूलक गांवों में शुद्ध पेय-जल उपलब्ध कराने के लिए उसके लिए निश्चित रूप से वे बधायी के पात्र हैं। उसमें सबसे ज्यादा प्रशंसा की बात यह है कि जो टेक्नालाजी मिशन अभी स्थापित करने का या उसको कांस्टीट्यूट करने का जो सरकार ने निर्णय लिया है उसके हमें दूरगामी परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। निश्चित रूप से उससे हम अपनी जो रूरल वाटर प्राब्लम है उसके लिए एप्रोटेक्नालाजी डेवलप कर पायेंगे और उसके अनुसार हम अपनी उन योजनाओं में सुधार भी कर पायेंगे। जो आदरणीय मन्त्री जी ने जवाब दिया है उससे मुख्य दो सवाल उत्पन्न होते हैं। पहला यह जो की टेक्नालाजी मिशन है उसका लक्ष्य यह रखा गया है कि जो कैपिटल इन्टेंसिव रूरल ड्रिंकिग वाटर स्कीम है इसको हम लो कास्ट एप्रोप्रिएट टेक्नालाजी देंगे और दूसरी बात उस लक्ष्य में यह रखी गई है कि शुद्ध पेय जल देने के लिए हम लो कास्ट वाटर टीटमेन्ट फैसिलिटीज अपने देश में डेवलपमेंट करेंगे कि किस तरह से हम कम लागत में शुद्ध पेय जल ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कर सकते हैं।

दो विषयों पर में अपने सवाल रखना चाहता हूँ। क्या इन दोनों क्षेत्रों में हमारी जो वैज्ञानिक संस्थायें हैं, सी. एस. आई. और जिसका उल्लेख आपने किया, क्या रूरल डेवलपमेन्ट

मिनिस्ट्री में हैं और काउंट कौंसिल फार दि एडवान्समेन्ट आफ दि टैक्नालाजी एप्रो-क्या इन्होंने प्रिएट टेक्नालाजी इन दोनों विषयों से संबंधित हमारे देश में तैयार कर ली है ? हमारे देश की भौगोलिक स्थिति अलग है। राजस्थान में ड्रिंकिंग वाटर की जो योजनायें हैं वह अलग तरह की होंगी, मध्य प्रदेश में अलग तरह की होंगी, महाराष्ट्र और गुजरात में अलग तरह की होंगी। कहीं पर सब-स्वायल वाटर से हमारा 12 महीने ड्रिंकिंग वाटर का काम चला करता है। कहीं हमें चार सो पांच सौ फीट गहराई तक जाना पड़ता है, कहीं नदी के किनारे से हमें वाटर सोर्स लेकर पानी देना पड़ता है, कहीं पर हमें ट्यूबवेल की स्कीम के माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध कराना पड़ता है। तो मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपने केन्द्रीय स्तर पर टेक्नालाजी मिशन तो कायम कर दिया पर वह कौन सी टेक्नालाजी डेवलप हुई है हमारे देश में जिनको हम इनके माध्यम से लागू करवाना चाहते हैं ? क्या काट है क्या वाट मैनेजमेन्ट और सेफ ड्रिंकिंग वाटर ड्रिसोर्सेज के अन्तर्गत कुछ कार्य किया गया है ? कोई नयी टेक्नालाजी डेवलप हुई है।

ताकि सस्ती और अच्छी जल प्रदाय योजनाये ग्रामीण क्षेत्रों में बन सकें और सफलतापूर्वक चल सकें क्योंकि हमारा छठी पंचवर्षीय योजना का अनुभव है कि जो हमारी जल प्रदाय योजनायें, के डब्लू. एफ. या यूनिसेफ के अन्तर्गत बनी हैं वह बहुत गलत डिजाइनिंग के आधार पर बनाई गई हैं। कभी उनके पंपिंग स्टेशन इतने हाई पावर से पानी फेंक देते हैं कि उनके पाइप फट जाते हैं। कहीं पर जहां उतनी ऊंचाई तक हैड तक पानी ले जाना होता है वहां पानी नहीं जाता है, आधे रास्ते में पानी पहुंच जाता है, उसमें छेद करके नल लगा करके लोग पानी लेने लगते हैं। क्या हमारी एप्रोप्रिएट टेक्नालाजी जिसको हमने डेवलप किया है या डेपलव करने की बात कर रहे हैं, उन विसंगतियों को दूर करने के लिए या उन दोषों बुराईयों को दूर करने के लिए तैयार की है और किस तरह से हम जल प्रदाय योजनाओं का स्वरूप आने वाली सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस टेक्नालाजी मिशन के माध्यम से जिसकी केन्द्र में एक स्टेंडिंग कमेटी बना रहे हैं, जिसमें हम हर साइंटिफिक आर्गेनाइजेशन का एक सीनियर साइन्टिस्ट रखेंगे, हमारे रूरल डेवलपमेन्ट के. पी. एच. इ. डी. डिपार्टमेन्ट के हम इन्जीनियर और उनके कुशल आदमी रखेंगे परन्तु उसका इम्प्लीमेन्टेशन, ट्रांसफर आफ टेक्नालाजी या जो टेक्नीक हमने डेवलप की है उसको हम किस तरह से देना चाहते हैं। अभी इस मामले में मन्त्री जी का उत्तर स्पष्ट नहीं हुआ है। मेरे दो प्रश्न टेक्नालाजी मिशन से संबंधित हैं।

तीसरे ग्रामीण जल प्रदाय योजना के लिए आपने सातवीं पंचवर्षीय योजना में करीब साढ़े तीन हजार करोड़ रखा है। एक अच्छी बात है क्योंकि करीब 39 हजार विलेजेज अभी हमारे छठी पंचवर्षीय योजना के बाकी हैं और कुछ अभी सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी तैयार हो जायेंगे, अभी जहां डाउट पड़ गया वहां वाटर लेविल नीचे चला गया।

वहां पर भी हमें नये वाटर सोर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए क्या हम जल प्रदाय योजनायें सातवीं पंचवर्षीय योजना में जहां अधिक आबादी के गांव हैं, एक हजार से अधिक आबादी है, वहां जल प्रदाय योजनायें नए सिरे से नयी डिजाईनिंग करके नयी टेक्नालाजी से तैयार करके देना चाहते हैं ? इस दिशा में क्या पहल केन्द्रीय सरकार ने की

है। जा सेन्टली स्पांसड स्कीमें हैं या जो हम देते हैं राज्य सरकारों को एम. एम. पी. में या नयी स्कीम्स के साथ-साथ कोई नया फार्मेट है, नयी योजनाओं को नये डिजाइनिंग का आधार केन्द्रीय सरकार दे रही है ? इन तीनों सवालों के जवाब में माननीय मन्त्री जी से चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : सबसे पहले मैं विचरित चलायी योजना के लिए मंत्री जी को बधाई दूंगा। समस्या ग्रस्त हैं तथा जल की कमी वाले गांव भी हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि तलकूप केवल एक या दो वर्ष कार्य करते हैं और उसके बाद जल स्तर नीचे चला जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इन परिस्थितियों में क्या वह उन या सुरक्षित जल की सप्लाई नहीं कर पाता गांवों में नल कूप पर जो के स्थान नदियों के किनारों पर स्थित हैं, को पाइपों के जरिए पानी दिया जा सकता है। क्योंकि नल कूपप्राय: काम करना बन्द कर देते हैं।

पहले, कुछ गांवों, जो नदियों के किनारे स्थित हैं, को पाइप लाईन के जरिए पानी दिया जाता था। क्या उस बात को ध्यान में रखा जाएगा ? इसके अलावा, उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में हमें केवल खारा पानी ही मिलता है। उड़ीसा में प्रति वर्ष या तो सूखा पड़ता है या बाढ़ आती है और पिछड़े लोगों के अतिरिक्त आदि वासियों तथा हरिजनों के 38 प्रतिशत लोग वहां रहते हैं। क्या मंत्री महोदय उड़ीसा की ओर विशेष ध्यान देंगे और, और अधिक देंगे ?

माननीय राज्य मंत्री ने दूसरी सभा में घोषणा की है कि पेय जल के लिए आबंटित धन को अन्य क्षेत्रों में लगा दिया गया है। क्या माननीय मन्त्री जी इस मामले में विशेष रूचि लेंगे और राज्य सरकारों को उसी प्रयोजन के लिए धन का व्यय करने का अनुदेश देंगे।

6.12 म. प.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास तथा गृह मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रारूप की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 2608/86]

आधे घण्टे की चर्चा

पेय जल के लिए प्रौद्योगिकी मिशन-(जारी)

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति जी, आपकी आज्ञा के अनुसार केवल सवाल ही रखना उचित है, इसलिए मैं सवाल ही कर रहा हूं।

क्या कारण है कि आजादी के 38 सालों के बाद भी एक औद्योगिकी मिशन पैदा ही गया है और अब से 38 साल पहले आप शान्त रहे ?

6.14 म. प.

[श्री सोमनाथ रथ, पीठासीन हुए]

पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर आज तक यह नारा लगाया जाता रहा है कि हम पंच-वर्षीय योजना में अपना सारा काम पूरा कर लेंगे। यह कई बार आश्वासन दिया जा चुका है। आपने कहा है कि 1999 तक यह काम पूरा कर लेंगे। आप यह बताइए, कितनी बार तो यह आश्वासन दिया गया कि पानी उपलब्ध करा देंगे और 38 साल के बाद औद्योगिकी मिशन का क्या कारण है ? कहीं आप लोगों को तो गुमराह नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में या दूसरे शहर में रहने वाले लोगों को सौ लिटर पानी मिलता है, लेकिन गांव में रहने वाले व्यक्ति को कितना पानी मिलता है—आप इसका एव्रेज बताइए ? तीसरी बात यह है कि अभी स्टेट कानफ्रेंस हुई थी उसमें आप शहर वालों का पैसा क्यों दे रहे हैं ? शहर में तो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, कारपो-रेशंस हैं, वे सारी योजनाओं को खुद चलायें। क्योंकि शहर वाले आवाज करते हैं, तो शहर वाला को करोड़ों रुपया दिया जाता है और गांव वाले आवाज नहीं कर सकते हैं, तो उनको पैसा नहीं दिया जाता है। ज्यादा पैसा, ज्यादा पानी शहर वालों को क्यों ? आप कृपा करके यह बताइए कि गांव में रहने वालों को कितने लिटर पानी देते हैं ? आप शहर को बन्द करिए। गफूर साहब ने लिख दिया है कि 66 करोड़ रुपया शहरों को देंगे। आप जो कह रहे हैं, वह बात मैं समझ नहीं पाया। आप बहुत अनुभवी हैं और बहुत माहिर हैं उत्तर देने में। अगर कोई उत्तर दिलाना हो, तो आप से दिलाना चाहिए। हम सिर झुकाते हैं आप के उत्तर की तरफ। आप के उत्तर को मैं समझ ही नहीं सका। . (व्यवधान). लो, भगत जी और मिल गये। अब जो यह कमी थी, वह पूरी हो जाएगी। अब तीन महारथी हो गये, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अब जो प्रश्न किया था, उसके उत्तर में क्या कहा है : प्रौद्योगिकी निवेशों का उपयोग करके पूंजी प्रधान ग्रामीण पेय जल योजनाओं के लिए कम लागत वाले परन्तु उतने ही प्रभावकारी वैकल्पिक उपायों का पता लगाना है। 45 परसेन्ट आप कम रकम उपलब्ध कर रहे हैं। क्या 45 परसेन्ट कम लागत पर आप इसको कर पाएगे। क्या कहना है, कमाल है।...(व्यवधान)... यह टेक्नो-लोजी है। आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट रख लीजिए और हम जो लोग प्रभावित हैं उनके लिए कुछ करिये। मैं दो तीन बातें और कहूंगा। क्या श्रीमान यह बताएंगे कि मेरे क्षेत्र में और आदरणीय वृद्धि चन्द्र जैन के क्षेत्र में...

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : दर्म्यान में मेरा क्षेत्र क्यों छोड़ रहे हैं।

श्री मूल चन्द डागा : वह अलग है। मैं कहता हूं कि सरकार ने गलती करके सारे स्टैंप वेलस बन्द करा दिए यह कह कर कि वे अनहाइजिनक हैं। अगर वे स्टैंप वेल बन्द न होते, तो आज लोग अपने डोल से पानी खींच सकते थे। फिर आए श्रीभीष्म नारायण सिंह। उन्होने कहा कि हर जगह हैंडपम्प लगा दो और एक-एक हैंडपम्प पर कितनी धनराशि खर्च हुई और बरबाद हुई और

वे खत्म हो गए और हमारे राजस्थान में पाली जिले में, जो मेरा जिला है, 172 हैंडपम्प खराब हैं। आप उनके लिए कब तक व्यवस्था करेंगे।

बूटा सिंह जी, अभी रथ साहब कुर्सी पर विराजमान है और आप जैसे धनी लोग बैठे हैं और गर्मी के दिन हैं, लोग प्याऊ लगाते हैं मगर हमारे यहां 172 हैंडपम्प खराब हैं और उन हैंडपम्ह के लिए रिग मशीन है नहीं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं और आदिवासी एरिया हैं, दूसरी ओर बाली में कुओं में पत्थर हैं और वहां पर कम्बाइन्ड मशीन है नहीं। तो क्या यह कम्बाइन्ड मशीन उपलब्ध हो जाएगी, जो पत्थर को तोड़ सकती है और क्या आप इस गर्मी में यह काम करेंगे कि जो ओरीजनल रिसोर्सेज थे खारे पानी के, जो नुकसान करता है, वह पानी पीने के इस्तेमाल में लाया जाए और क्या खारी पानी को मीठा बनाएंगे।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हमारी कंसलटेटिव कमेटी नहीं थी। कृपा करके आप एक कमेट्री बैठाइए और जो आपके बड़े-बड़े अधिकारी बात करते हैं और आपको रिपोर्ट देते हैं, उनको भी हमारे साथ बैठाइए और उनके साथ मुलाकात हो जाए। वे कितने योग्य हैं और काबिल हैं और उनकी योग्यता हम ग्रहण कर लें। मैं तो यह समझता हूँ कि आपको भुलावे में डाल रहे हैं। इसलिए आप एक मीटिंग करवा दीजिए।

इतना कह कर मैं समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

श्री चिन्ता मणि जेना (बालासोर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में भाग लेने का अवसर दिया जिसमें मानव के जीवन और मरण के साथ संबंधित है और वह भी विशेषकर 1981- 991 के जल सप्लाई तथा सफाई व्यवस्था के अंतर्राष्ट्रीय दशक में।

महोदय, इस दशक में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा, जिसमें भारत भाग ले रहा है···और अन्य सभी अन्तर्राष्ट्रीय सगठनों ने निर्णय लिया हैं कि इस दशक, अर्थात् 1981-91 में विकासशील देशों के लोगों को शत-प्रतिशत पेय जल तथा सफाई सुविधायें प्रदान की जानी चाहिए। किन्तु संसाधनों की कमी के कारण 1990 तक हमने शहरी क्षेत्रों के लिए पेय जल की 90% सप्लाई तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 85%, की सप्लाई का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस संबंध में क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या उनका मंत्रालय और राज्य सरकार, जो लोगों को पेय जल की सप्लाई के लिए योजनायें बनाने में लगे हुए हैं, जनशक्ति जो इस योजना में लगी हुई है, इस न्यूनतम आवश्यकता को पूरा, अर्थात् पेय जल की सप्लाई कर सकेंगे ?

महोदय, प्रो. के. जे. नाथ, जो अखिल भारतीय स्वास्थ्य-विज्ञान तथा लोक-स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता के प्रोफेसर हैं, ने मत व्यक्त किया है कि इस कार्य में लगे हुए इन्जीनियरों तथा तकनीशियनों में से केवल 20% पर्यावरण संबंधी विज्ञान तथा लोक-स्वास्थ्य इन्जीनियरिंग

में प्रशिक्षित हैं और शेष प्रशिक्षित नहीं है। बेशक ही यह एक अच्छी बात है कि सरकार इस संबंध में कदम उठा रही है कि उनमें से कुछ इन्जीनियरों को, जहां पर पर्यावरण संबंधी विज्ञान तथा लोक स्वास्थ्य इन्जीनियरिंग, विषयों का शिक्षण दिया जाता है, वहां प्रति नियुक्त करके प्रशिक्षित किया जाए। किन्तु सचलन दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। क्या माननीय मंत्री जी से मैं यह जान सकता हूं कि इन सभी टेक्नीशियनों तथा अन्य लोगों को प्रशिक्षित करने का सरकार का क्या कार्यक्रम है ? मेरे मित्र, श्री जैन ने रेगिस्तानी क्षेत्रों के बारे में कुछ बातें उठानी हैं और वही कठिनाई खारे क्षेत्र में भी पेश आ रही है। खारे क्षेत्र के लिए विश्व बैंक ने सहायता के अंतर्गत सौराष्ट्र क्षेत्र को ले लिया है, किन्तु वहां कार्य अभी प्रारंभ नहीं किया गया है।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार खारा पानी वाले क्षेत्रों, जहां मीठा पानी 2,000 फुट की गहराई तक भी उपलब्ध नहीं है और यदि होता भी है तो कुछ महीनों या वर्षों के बाद खारा हो जाता है मैं पेय जल की आपूर्ति के लिए विश्व बैंक की सहायता से या इसी प्रकार की किसी विदेशी सहायता से किसी अलग कार्यक्रम पर विचार करेगी ? इस संदर्भ में क्या मैं सरकार के विचार जान सकता हूं। महोदय, उड़ीसा राज्य में क्षेत्र का मुख्य भाग तटीय पट्टी है। इसलिए खारे पानी वाले क्षेत्रों में पीने के पानी की बहुत कमी है। इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहूंगा कि खारे पानी वाले क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है।

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : महोदय, श्री भानु प्रताप शर्मा ने कुछ मूलभूत मामले उठाए हैं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मिशन के कुछ पहलुओं के बारे में और अधिक विस्तार से बताने का उन्होंने मुझे अवसर दिया है। केवल अध्ययन ही नहीं किए गए बल्कि क्षेत्रों का पता लगाया गया, एजेंसियों का निर्धारण किया गया, समाधान ढूंढ़े गए। जैसा कि मैंने अभी श्री वृद्धि चन्द्र जैन को अपने उत्तर में बताया है कि हमने नीतियां पहले सी बना ली हैं और मिशन के लिए नीति बहु-अनुशासनिक है। राज्यों में परियोजना क्षेत्रों का पता लगाने के लिए एकीकृत ढंग अपनाया जाएगा। इसके लिए ऐसी नीति विकसित की जाएगी कि राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्रों में पानी की सप्लाई से संबंधित संकट-ग्रस्त क्षेत्रों का जल-भू विज्ञान संबंधी विस्तार और परिस्थितिक अध्ययन कर ऐसे क्षेत्रों का चयन किया जाएगा जहां मिशन ऐसी परियोजनाएं स्थापित करेगी। पानी के स्रोतों की कमी, जैसे कि निर्जल क्षेत्र, अर्द्ध-निर्जल क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र, अधिक रसायनों और रोगजनक सूक्ष्म जीवों आदि के कारण पानी के स्रोतों में दूषण के कारण समस्या-ग्रस्त क्षेत्रों के चयन में कठिनाई होती है। इसलिए समस्या-ग्रस्त क्षेत्रों के चुनाव में विशेष प्रयास करने होंगे।

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि कुछ समस्या-ग्रस्त क्षेत्रों में जहां तक पानी की किस्म का संबंध है, कुछ संस्थान हमारी सहायता कर रहे हैं। निम्नलिखित संस्थानों के सहयोग से हम पहले से ही खारेपन की समस्या पर काबू पाने के लिए तकनीक विकसित करने में समर्थ हुए हैं। देश के अन्दर विभिन्न संस्थानों जैसे भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई जो कि भा. प. अ. के नाम से प्रसिद्ध है, रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला, र. अ. प्र., जोधपुर, केन्द्रीय नमक और तटीय

रसायन अनुसंधान संस्थान (क. न. ल. र. अ. स.) भावनगर आदि ने प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं। विभिन्न विकसित प्रौद्योगिकियां जो वे प्रत्यावर्तित परासरण, इलेक्ट्रोडायलसिस और बहु-अवस्थीय संप्रवाह वाष्पीकरण प्रक्रियाएं हैं जो खारे पन की मात्रा के सहनीय सीमा तक ला सकती हैं। यह अच्छी प्रकार से परीक्षित तकनीकियां हैं और इसका उपयोग पहली बार नहीं किया जा रहा है। इस क्षेत्र में ये प्रसिद्ध एजेंसियां कार्य कर रही हैं। तकनीकी मिशन बहु-अनुशासकीय ढंग से पता लगाए गए परियोजना क्षेत्रों में पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु कार्य करेगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने उड़ीसा में पानी के खारेपन की जैसी विशेष समस्याओं के बारे में कहा है। जैसा कि मैंने बताया है कि इन जाने-माने संस्थानों के द्वारा हमने विशेष कठिनाई वाले क्षेत्रों का पहले से ही पता लगा लिया है और वे इन संस्थानों ने विशेष तकनीक विकसित कर ली है।

खारेपन की समस्या का सामना सामान्यतया तटीय क्षेत्रों, विकसित सिंचाई वाले क्षेत्रों और प्रवाल द्वीपों में करना पड़ता है। इस प्रकार की सममस्याओं के समाधान के लिए प्रत्यावर्तित परासरण प्रक्रिया, इलेक्ट्रोडायलसिस की बहु-अवस्थीय संप्रवाह वाष्पीकरण प्रक्रिया, सौर ऊर्जा अलवणीकरण और रेडियल बोरिंग के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। सी. ए. एम. सी. आर. आई. भावनगर, बी. ए. आर. सी. बम्बई और डी। आर. एल. जोधपुर द्वारा प्रायोगिक आधार पर सात डीसेलीनेशन प्लांटस स्थापित किए गए हैं और प्रयोग की जाने वाली विभिन्न पद्धतियों के प्रभाव का पता लगाने के लिए एन. ई. ई. आर. आई. नागपुर द्वारा इन प्रायोगिक प्लांटों के कार्यकरण का मूल्यांकन किया जा रहा है।

मैंने उन कुछ संस्थानों के नाम पहले ही बताए हैं जिन्होंने जल तत्व सम्बन्धी समस्याओं का पता लगाया है तथा जिन प्रौद्योगिकियों का उन्होंने विकास किया है वे हैं आयरन रिमूवल प्लांट पैकेज, नलकोडां तकनीक, प्रत्यावर्तित परासरण और इलेक्ट्रो डायलसिस, बहु-अवस्थीय फ्लैश वाष्पीकरण प्रक्रिया, वाटर फिल्टर केन्डल, चारकोल वाटर फिल्टर, कुओं के लिए पाट क्लोरीनेशन, प्रसंक्रमण के लिए क्लोरीन की गोलियां और एम्पूलस, पानी इकट्ठा करने के लिए फेरीसीमेंट टैंक, अवशिष्ट क्लोरीन मापने के लिए जल विश्लेषण, सुविधा परीक्षण किट; पोर्टेबल फिजिकल केमीकल एण्ड बायोलोजिकल एनेलिसिस किट आदि। विभिन्न स्थानों ने कार्य किया है और इस मिशन को हम गंभीर अध्ययन तथा विभिन्न समस्या-ग्रस्त क्षेत्रों का सावधानी-पूर्वक पता लगाने के बाद प्रारंभ कर रहे हैं।

[हिन्दी]

डागा जी ने कहा है कि हम गुमराह करने में एक्सपर्ट हैं, उनका मुकाबला तो मैं नहीं कर सकता हूं।···(व्यवधान)

[अनुवाद]

वे यह भी जानना चाहते हैं कि हमारे पास उपलब्ध धन के द्वारा हम मिशन को कैसे

पूरा करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनुमानित राशि से उपलब्ध राशि कहीं कम है। साधारणता धन के केवल 45 प्रतिशत की ही जरूरत होती है। जैसा मैंने कहा है कि इसकी जरूरत आदर्श रीति के साथ आदर्श परिस्थितियों में ही होती है। आप नल-जल को जोधपुर से जैसलमेर ले जा सकते थे। लेकिन उसकी लागत 7000 करोड़ रुपये आती। अब हम अपनी संस्थाओं की सहायता से नई तकनीकी का विकास करने की कोशिश कर रहे हैं और पाली का पानी जो पीने के योग्य नहीं है,वह पीने के योग्य हो जाएगा तथा इसकी लागत केवल दसवां हिस्सा ही होगी। उसी पानी को, इन विख्यात राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा. जोकि अपने शोध कार्य के लिए प्रख्यात हैं, परिष्कृत किया जाएगा और वे पानी को उपलब्ध कराएंगी। अतः, हम इन प्रौद्योगिकियों की संस्थापन लागत को कम करने की कोशिश कर रहें हैं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन ने नलकूपों के अनुरक्षण के सम्बन्ध में पूछा है। निस्देह राज्य सरकार का कार्य नलकूपों का रख-रखाव करना है। स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम के द्वारा भी हमने जल-थलों के अनुरक्षण की व्यवस्था की है ये स्वैच्छिक संगठन ग्रामीण पेयजल प्रदाय योजनाओं की मदद करेंगे।

श्री डागा जी रिगों के संबंध में जानना चाहते थे राजस्थान सरकार को रिगों को प्राप्त करने के लिए धन का नियतन किया गया था। दुर्भाग्य से राज्य सरकार ने अभी तक क्रिया देश नहीं दिये है केवल अभी दो तकनीकी विकास महानिदेशालय से तकनीकी स्वीकृति का पत्र हमें मिला है और इसे प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। लेकिन जैसाकि आप जानते हैं रिगों की खरीद तो राज्य सरकार द्वारा हीकी जाती है। हम धनकी मंजूरी देते हैं। उन्होंने ही न केवल रिगों की ही प्रत्युत 100 टैंकरो के भी क्रिया देश देने थे, माननीय प्रधान मन्त्री के निर्देश के अन्तर्गत ही ये (टैंकर) राजस्थान के लिए विशेष-विचार करते हुए मंजूर किए गए हैं यद्यपि वह जल की आपूर्ति पर होने वाली ढुलाई-लागत को प्रोत्साहन नहीं देते हैं। वह स्थानीय स्रोतों को ही उपलब्ध कराना चाहते हैं तथा वह यह भी चाहते हैं कि हमें जो साधन हमारे पास उपलब्ध हैं उन्हीं पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए हमें स्थानीय साधनों का सृजन करके उनका उपयोग करना चाहिए लेकिन गुजरात तथा राजस्थान में कठिन परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने जल को लाने लेजाने के लिए धन का उपयोग करने की अनुमति देने की कृपा की थी। अतः गुजरात तथा राजस्थान दोनों को टैंकरों की मंजुरी दी गई थी। मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार उन्हें अल्प समय में ही उपलब्ध कराएगी ताकि लोगों की कठिनाई को कम किया जा सके।

आप उड़ीसा में पेय जल की परियोजनाओं के विषय में भी जानना चाहते थे। आपके सुझाव पर ध्यान दिया जाएगा तथा हम उड़ीसा सरकार द्वारा ग्रामीण जल आपूर्ति योजना को अधिक सफल बनाने में अपनी अधिकाधिक सहायता देने के बारे में भी देखेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूँ कि माननीय सदस्य मेरे सहमत होंगे कि यथा संभव किया जा रहा है। हमें आशा है कि इस लक्ष्य के पूरा होने के साथ ही स्थिति सुधर जायेगी। केवल एक मिशन ही नहीं होगा चार उप मिशन भी होंगे। प्रत्येक उप-मिशन को एक काम दिया जायेगा तथा गांवों में जल की आपूर्ति पूर्ती योजनाओं के सभी मुख्य पहलुओं पर अच्छी तरह ध्यान दिया जायेगा।

श्री डागा जी शहरी-क्षेत्रों में धन नियतन के संबंध में बहुत ही अप्रंसन्न थे। यद्यपि यह

मेरा विषय नहीं, तथापि हम शहरी क्षेत्रों के लोगों की उपेक्षा नहीं कर सकते तथा शहरी लोगों की आवश्यकताएं ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं से भिन्न हैं ।

श्री मूल चन्द डागा : उनके पास एक सौ गैलन है जबकि गावों में हमारे पास इसकी तुलना में बहुत ही थोड़ा पेयजल मिलता है । ऐसा भेद भाव क्यों किया जा रहा है ।

श्री बूटा सिंह : मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा । कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइये । महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में पानी की आवश्यकताएं शहरी क्षेत्र में पानी की आवश्यकताओं से भिन्न है । मैं स्वयं श्री डागा द्वारा दिये गये उदाहरण का ही उल्लेख करूंगा । क्या मैं उनसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं ? जब वे गांव में होते हैं तब वह कितने पानी का प्रयोग करते हैं, और जब वे दिल्ली में होते हैं तब कितने पानी का प्रयोग करते हैं ।

श्री मूल चन्द डागा : मैं यहां कम पानी का प्रयोग करता हूँ ।

सरदार बूटा सिंह : अतः यह स्पष्ट है गांवों में आवश्कताएं भिन्न हैं । जब आप गांव में रहते हैं तो आपकी जीवन चर्चा भिन्न होती है तथा जब आप यहां दिल्ली में रहते हैं तब जीवन चर्चा भी भिन्न होती है । यहां दिल्ली में जब आप यहां से जायें तो आप गांव में दिन में दो बार स्नान नहीं करना चाहेंगे किन्तु जब आप दिल्ली में होंगे तो आप दोबारा स्नान करना चाहें । अतः आप यहां दिल्ली में कीमती पानी को नष्ट करते हैं तथा उस पानी को ग्रामीणों द्वारा बेहतर प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता था । इस समय शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति दर 90 लिटर है तथा ग्रामीण क्षेत्र में यह दर 40 लिटर प्रति व्यक्ति है । लेकिन इस मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र भी अधिक पानी प्राप्त करेंगे तथा यह प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 70 लिटर उपलब्ध होगा । अतः हमारा प्रयास यथा सम्भव अधिकाधिक पानी उपलब्ध कराने का रहेगा ।

डागा जी की तरफ से एक सुझाव और भी है कि खारे तथा नमकीन पानी को कपड़े धोने तथा स्नान करने के लिए बिना परिष्कृत किये प्रयोग में लाया जा सकता है लेकिन मैं उन्हें यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम उस पानी को परिष्करण करना चाहते हैं । हमारे पास देश में यह प्रौद्योगिकी है । लेकिन प्रश्न केवल यह है कि प्रौद्योगिकी अभी तक ग्रामीण क्षेत्र में प्रयुक्त नहीं की गई है । हम उस प्रौद्योगिकी को प्रयुक्त करना चाहेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे पास उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत ग्रामीण जनता को वैसा स्वच्छ तथा अच्छा पानी उपलब्ध करायेंगे जैसा कि दिल्ली तथा अन्य महानगरों में उपलब्ध है । बल्कि इससे भी अच्छा जल उपलब्ध करायेंगे ।

सभापति महोदय : सदन अब सोमवार 5 मई 1986 तक के लिए स्थगित होता है ।

6.36 म. प.

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार 5 मई, 1986 15 वैशाख 1908 शक के 11 म. पू. तक के लिए स्थगित हुई

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स, दिल्ली-6